रजिस्ट्री सं० डी०—(डी० एन०)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 23, 1984 (आषाढ़ 2, 1906)
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 1984 (ASADHA 2, 1906)

भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
[PART III—SECTION 1]

न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 11 मई 1984

सं० 32013/1/84-प्रशा०-I—संघ लोक सेवा आयोग के स० से० संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री ० मदान को राष्ट्रपति द्वारा 23-4-84 से 30-6- की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले ; तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से अवर सचिव के पद पर कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त किया जाता है ।

दिनांक 19 मई 1984

सं० ए० 32014/1/84-प्रशा०-III(2)—संघ लोक सेवा आयोग में के० स० से० संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले स्थानापन्न रूप से अनुभाग अधिकारी का कार्य करने युक्त किया जाता है :—

	पदोन्नति की अवधि
1	3
एस० कुमार	30-3-84 से 25-5-84 तक
पी० कपिलप जान	30-3-84 से 25-5-84 तक
3. ए० एस० जाट	11-4-84 से 25-5-84 तक
4. सी० एल० भट्ट	11-4-84 से 25-5-84 तक
5. भगीरथी कुमार	2-4-84 से 11-5-84 तक
6. गुरबख्श राय (अनु० जा०)	30-3-84 से 21-4-84 तक

एम० पी० जैन
अवर सचिव (प्रशा०)
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

का० एवं प्र० सु० विभाग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 1984

सं० ए०-19021/4/81-प्रशासन-5—प्रत्यावर्तन हो जाने पर, श्री एस० पी० डंगवाल, भा० पु० से० (म० प्र० 1966), पुलिस उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना की सेवाएं, 9 दिन की अर्जित छुट्टी की समाप्ति के बाद तथा दिनांक 10-5-1984 से दिनांक 19-5-1984

तक के 10 दिन के कार्यारम्भ काल का लाभ उठाने के बाद दिनांक 19 मई, 1984 के अपराह्न से मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दी गई

आर० एस० नागपाल
प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली–110003, दिनांक 25 मई 1984

सं० ओ० दो० 1779/83–स्थापना—राष्ट्रपति ने कनिष्ट चिकित्सा अधिकारी (जि० डी० ओ० ग्रेड–II) डाक्टर एन० कोटेश्वर राव, समूह केन्द्र, सी० आर० पी० एफ० आवाडी, को केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा नियमावली) 1965 के नियम 5(1) के अनुसार एक माह के नोटिस की समाप्ति पर दिनांक 1 मई 1984 अपराह्न से कार्य मुक्त कर दिया है ।

बाई० एन० मक्सेना
उपनिदेशक (स्थापना)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 1984

सं० ई०–16013(1) 2/84–कार्मिक—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने पर श्री आर० के० श्रीवास्तव, भा० पु० से० (हिमाचल प्रदेश : 64) ने 10 मई, 1984 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, उत्तर क्षेत्र के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

दिनांक 21 मई 1984

सं० ई०–32015(2)/11/84–कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री एस० एन० पी० सिन्हा को, प्रोन्नति पर, 7 अप्रैल, 1984 के पूर्वाह्न से अस्थायी तौर पर पूर्णतया तदर्थ आधार पर केवल 6 माह के लिए या नियमित नियुक्तियां होने तक, जो भी पहले हो, केआरीसुब यूनिट, विशाखापटनम स्टील प्रोजेक्ट, विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश) में कमांडेंट के रूप में नियुक्त करते हैं ।

सं० ई०–32015(2)/15/84–कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री पी० आर० पिल्लै को, प्रोन्नति पर, 26 अप्रैल, 1984 के पूर्वाह्न से अस्थायी तौर पर पूर्णतया तदर्थ आधार पर केवल 6 माह के लिए या नियमित नियुक्तियां होने तक, जो भी पहले हो, केआरीसुब यूनिट, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, दुर्गापुर में कमांडेंट के रूप में नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 26 मई 1984

सं० ई०–16013(2)/1/81–कार्मिक—राज्य काडर को प्रत्यावर्तन होने पर श्री एल० डेविड, भा० पु० से० (ए० जी० एम०–67), ने 30–4–84 अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, बी० पी० टी० विशाखापट्टनम में कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

दिनांक 30 मई 1984

सं० ई०–28013/1/84–सा० प्रशा०–II—अधिवर्षिता की आयु होने के कारण सेवानिवृत्त होने पर श्री नीलाम्बर दत्त ने 30 अप्रैल, 1984 के अपराह्न से के० औ० सु० ब०, नई दिल्ली के सहायक कमांडेंट (कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी) के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

एस० आनन्द राम
महानिदेशक/के० औ० सुब

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली–110011, दिनांक 2 जून 1984

सं० 11/37/80–प्रशासन–1(खण्ड–II)—इस कार्यालय की तारीख 17 जनवरी, 1984 की समसंख्यांक अधिसूचना एवं तारीख 8 मार्च, 1984 की अधिसूचना सं० 11/11/82–प्रशा० 1 के अनुक्रम में राष्ट्रपति, निम्नलिखित अन्वेषकों की उनके नामों के सामने दर्शित कार्यालयों में सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति की तारीख 31 अगस्त, 1984 तक की और अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरे जाएं, जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	जनगणना निदेशक का कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं ।
1	2	3
1.	श्री एम० तेज किशोर सिंह	मेघालय, शिलांग
2.	श्री के० एस० लिंगदेह	मेघालय, शिलांग
3.	श्री एस० एस० बाहरी	भारत के महा-रजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली
4.	श्री एम० एन० सरकार	पश्चिम बंगाल, कलकत्ता
5.	श्री शमशेर सिंह	राजस्थान, जयपुर
6.	श्री एम० एल० शर्मा	पंजाब, चण्डीगढ़
7.	श्री एम० जी० मोहरिल	मध्य प्रदेश, भोपाल
8.	श्री के० आर० नारायण	कर्नाटक, बंगलौर
9.	श्री एम० एस० रामचन्द्रन	कर्नाटक, बंगलौर
10.	श्री एच० एस० मीणा	बिहार, पटना
11.	श्री ए० सी० रेड्डी	आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद
12.	श्री निर्मल भट्टाचार्य	असम, गोहाटी
13.	श्री एम० पी० झाला	गुजरात, अहमदाबाद
14.	श्री जी० सी० दत्ता	भाषा प्रभाग, कलकत्ता
15.	श्री डी० के० चौधरी	त्रिपुरा, अगरतला
16.	श्री लखन सिंह	उत्तर प्रदेश, लखनऊ
17.	श्री जी० एस० गिल	पंजाब, चण्डीगढ़
18.	श्री एम० एल० शर्मा	दिल्ली, दिल्ली
19.	श्री सी० एल० शर्मा	हिमाचल प्रदेश, शिमला
20.	श्री एम० पी० देसाई	गोवा, दमन और दीव, पणजी

1	2	3
21.	श्री बाबू लाल	भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली
22.	श्री आर० एस० मीणा	राजस्थान, जयपुर
23.	श्री एम० जी० भास्करन	तमिलनाडु, मद्रास
24.	श्री एच० के० बी० सिंह	मणिपुर, इम्फाल
25.	श्री वी० गंगाराजन	तमिलनाडु, मद्रास
26.	श्री ए० के० पॉल	अरुणाचल प्रदेश, शिलांग
27.	श्री आर० पी० भटनागर	हरियाणा, चण्डीगढ़
28.	श्री कर्ण सिंह	पंजाब, चण्डीगढ़
29.	श्री वी० वी० एस० शास्त्री	भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली ।
30.	श्री सी० एस० बोस	आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद
31.	श्रीमती वी० वाई० जोशी	महाराष्ट्र, बम्बई
32.	श्री आर० एस० मौर्य	उत्तर प्रदेश, लखनऊ
33.	श्री के० गोपीनाथन—I	केरल, त्रिवेन्द्रम
34.	ए० के० सिंह	सिक्किम, गंगटोक
35.	श्री सी० आर० मोहन्ती	उड़ीसा, भुबनेश्वर

2. उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्तियां सम्बन्धित अधिकारियों को सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए कोई हक प्रदान नहीं करेंगी। तदर्थ आधार पर उनकी सेवाएं उस ग्रेड में वरिष्ठता और आगे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएंगी । उपरोक्त पदों पर तदर्थ नियुक्तियों को नियुक्त प्राधिकारी के विवेक पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है ।

वी० एस० वर्मा
भारत के महारजिस्ट्रार

बम्बई टैक्साल का डायरी आदेश

बम्बई, दिनांक 27 अप्रैल 1984

क्रमांक 25—बम्बई टकसाल का दिनांक 30 जुलाई, 1982 का डायरी आदेश क्रमांक 149 को जारी रखते हुए, एतद्द्वारा श्री डी० डी० कोली की धातु परीक्षण अधीक्षक पर की गई तदर्थ पदोन्नति की अवधि अधिसूचना क्रमांक एफ० 2/28/81—कोईन दिनांक 17—4—1984 के अनुसार दिनांक 1 अक्तूबर, 1982 से 30—9—1984 तक जारी रखी जाती है । उनकी यह पदोन्नति श्री एस० वी० खाडोलकर की उप मुख्य धातु परीक्षक के पद पर की गई तदर्थ पदोन्नति की रिक्ति में की गई है ।

उनकी तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति से उनको वरिष्ठता, स्थायित्व, आगे की पदोन्नति आदि का दावा करने का हक नहीं है ।

फ० फ० परफालन
महाप्रबन्धक

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा)—I म० प्र०

ग्वालियर, दिनांक 2 जून 1984

क्र० प्रशासन 11/समूह 2—क/स० ले० अ०—अ० अ०/1984—85 प्र० को०—1/95—महालेखाकार (ले० प०) I म० प्र० ग्वालियर ने निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को "नेक्स्ट बिलो रूल" (Next below Rule) के अन्तर्गत स्थानापन्न सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर, वेतनमान रु० 650—30—740—35—880—द० रो०—40—1040 में उनके नाम के आगे दर्शाये दिनांक से प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की है :—

क्रमांक	नाम	स्थायी क्रमांक	पदोन्नत करने की दिनांक
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	व्ही० बी० शर्मा	02/350	1—3—84
2.	सी० बी० वांगा	354	1—3—84
3.	टी० के० एन० नम्बीसन	411	1—3—84
4.	आर० के० सक्सेना	466	1—3—84
5.	बी० आर० उबाले	478	1—3—84
6.	जी० एम० बाजपेई	494	1—3—84
7.	एस० बी० सिंह	496	1—3—84
8.	बी० एस० रोहिला	532	1—3—84
9.	व्ही० बी० सिंह	1609	1—3—84
10.	पुरुषोत्तम लाल	1860	1—3—84
11.	आर० सी० भार्गव	544	1—3—84
12.	टी० आर० एस० वर्धन	405	1—3—84
13.	आर० गोस्वामी	353	1—3—84
14.	एस० व्ही० सचदेवा	542	1—3—84

प्राधिकार —म० ले० (ले० प०) के आदेश दिनांक 11—3—84 एवं 2—5—84)

ह० अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम्, दिनांक 29 मई 1984

सं० स्थापना/प्र०/5/9-86/खण्ड 2/62—निम्नलिखित लेखा अधिकारी की मूलनियुक्ति को आप के नाम के सामने लिखित तारीख से पूर्व दिनांकित करने के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) केरल संतुष्ट हुए हैं :—

श्री के० के० कुट्टप्प कुरुप् 10—6—83

उक्त कार्यालय के निम्नलिखित स्थानापन्न लेखा अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने लिखित तारीख से रु० 840—40—

1000—ई० बी०—40—1200 की ग्रेड में मौलिक क्षमता में नियुक्त करने को भी महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) केरल, संतुष्ट हुए हैं ।

1. आर० पद्मनाभ अय्यर	1—7—83
2. ए० टी० मारकोस्	1—10—83
3. ए० नारायण अय्यर	1—11—83
4. पी० ओ० रामानुजम् नंब्यार	1—1—84
5. बी० शिवशंकरन् नायर	1—2—84

एस० गोपालकृष्णन्
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

रक्षा मंत्रालय

डी० जी० ओ०—एफ० मुख्यालय सिविल सेवा

आर्डनैन्स फैक्टरी बोर्ड

कलकत्ता, दिनांक 1 जून 1984

विषय :—सेवा निवृत्त

सं० 11/84/ए०/ई०—1(एन० जी०)—वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त कर, निम्नलिखित अफसरों ने दिनांक 31—5—84 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए ।

1. श्री मंजील कुमार सेन,
   स्थानापन्न निजी सचिव (मौलिक एवं स्थायी आशुलिपिक (ग्रेड—'सी')
2. श्री नरेश चन्द्र सेन,
   स्थानापन्न सहायक स्टाफ अफसर (मौलिक एवं स्थायी सहायक)
3. श्री धर्मदास भट्टाचार्या,
   स्थानापन्न सहायक स्टाफ अफसर (मौलिक एवं स्थायी सहायक)

डी० आर० अय्यर
डी० डी० जी० ओ एफ०/कार्मिक
कृते महानिदेशक आर्डनैंस फैक्टरियां

वाणिज्य मंत्रालय

वस्त्र विभाग

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई—20, दिनांक 30 मई 1984

सं० 5/(12)—ई० एस० टी० 1/84/2914—राष्ट्रपति महोदय, श्री बी० के० गौर, तदर्थ सहायक निदेशक, श्रेणी 1 (पी० एवं डी०), वस्त्र आयुक्त का कार्यालय को दिनांक 26 अप्रैल 1984 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक उसी कार्यालय में नियमित सहायक निदेशक श्रेणी 1 (पी० एवं० डी०) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

सं० ई० एस० टी०—1—37/(9)/सी०/84/2920—राष्ट्रपति महोदय, श्री एम० एम० गाँधी, तदर्थ सहायक निदेशक, श्रेणी (एन० टी०) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय को दिनांक 26 अप्रैल, 1984 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक उसी कार्यालय में नियमित सहायक निदेशक श्रेणी—। (एन० टी०) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

सं० ई० एस० टी०—1—37(9)/डी०/84/2926—राष्ट्रपति महोदय, श्री ए० पी० रामनाथन, तदर्थ सहायक निदेशक, श्रेणी 1 (एन० टी०) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय को दिनांक 26 अप्रैल, 1984 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक उसी कार्यालय में नियमित सहायक निदेशक श्रेणी । (एन० टी०) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

आर० के० कुलकर्णी
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन अनुभाग—6)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 28 मई 1984

सं० ए०—17011/255/84—प्र०—6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान, उत्तरी निरीक्षण मण्डल, नई दिल्ली में भण्डार परीक्षक (इंजी०) श्री एस० के० तलवाड़ को दिनांक 30—4—1984 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी महानिदेशालय के अधीन बम्बई निरीक्षण मण्डल में सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजी०) के रूप में तदर्थ आधार पर स्थानपन्न रूप से नियुक्त करते हैं ।

सं० प्र०—17011/263/84—प्र०—6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान, बम्बई निरीक्षणालय के भंडार परीक्षक (अभियांत्रिकी) श्री विनोद कुमार को दिनांक 7—5—1984 के पूर्वाह्न से अगले आदेश दिए जाने तक इस महानिदेशालय के अधीन उसी निरीक्षण मण्डल में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी) के पद पर नियुक्त करते हैं ।

सं० ए०—17011/275/84—प्र०—6—महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान बम्बई निरीक्षणालय के कनिष्ठ क्षेत्राधिकारी (अभि०) श्री ए० एन० पेडनेकर को दिनांक 8—5—84 के पूर्वाह्न से अगले आदेश दिए जाने तक इस महानिदेशालय के अधीन उसी निरीक्षण मण्डल में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी) के पद पर नियुक्त करते हैं ।

सं० ए०—17011/25/84—प्र०—6—महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान, मद्रास निरीक्षणालय में भण्डार परीक्षक (इंजी०) श्री एस० राजगोपालन थाम्पी को दिनांक 26—4—1984 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी महानिदेशालय के अधीन उसी निरीक्षण मण्डल में सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजी०) के पद पर नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं ।

सं० ए०—17011/271/84—प्र०—6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान, कलकत्ता निरीक्षणालय के कनिष्ठ क्षेत्र अधिकारी श्री ए० के० राय को दिनांक 4—5—1984 के पूर्वाह्न से अगले आदेश दिए जाने तक इस महानिदेशालय के अधीन उसी निरीक्षण

मण्डल में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी) के पद पर नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 29 मई 1984

सं० ए०-17011/254/84-प्र०-6--महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान, बम्बई निरीक्षणालय में भंडार परीक्षक (इंजी०) श्री हरदीप सिंह को दिनांक 7-5-84 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी महानिदेशालय के अधीन उसी निरीक्षण मण्डल में सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजी०) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं ।

मोहन लाल कपूर
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 मई 1984

सं० ए०-32013/3/78-प्र०-6--राष्ट्रपति तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे निम्नलिखित उपनिदेशक निरीक्षण (धातु) (भारतीय निरीक्षण सेवा के ग्रेड-II, धातुकर्म शाखा) को 28 जनवरी, 1983 (अपराह्न) से आगामी आदेश दिए जाने तक नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से उपनिदेशक निरीक्षण (धातु) [भारतीय निरीक्षण सेवा के ग्रेड-II, धातुकर्म शाखा-- (ग्रुप "ए")] नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं०	नाम	स्थान/निदेशालय जहां तैनात हैं
1.	श्री बोलुमनी सुधीर	बर्णपुर (धातु) निरीक्षणालय के अधीन, दुर्गापुर
2.	श्री ए० के० मजुमदार	जमशेदपुर (धातु) निरीक्षणालय, जमशेदपुर

दिनांक 26 मई 1984

सं० ए०-6/247(409)--इस महानिदेशालय के अधीन बम्बई निरीक्षण मण्डल में स्थायी सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरिंग) श्री जी० एल० रजक, सेवा निवर्तन की आयु प्राप्त होने पर 30 अप्रैल, 1984 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए ।

दिनांक मई 1984

सं० ए-17011/150/78-प्र०-6--राष्ट्रपति (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" अभियांत्रिकी शाखा के ग्रेड-_)के निरीक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी) श्री ए० के० महरोत्रा को 7 मई, 1984 के पूर्वाह्न से छः महीने की अवधि के लिए अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" अभियांत्रिकी शाखा के ग्रेड-II) उप निदेशक निरीक्षण (अभियांत्रिकी) नियुक्त करते हैं । श्री महरोत्रा की पदोन्नति भी दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित सिविल रिट याचिका सं० 1457/81, 1590/81 तथा 1973/81 में तीन एल० पी० ए० सं० 67/83, 68/83 तथा 69/83 के अन्तिम निर्णय की शर्तों के अधीन की गई है ।

श्री महरोत्रा की तदर्थ पदोन्नति से उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का कोई हक नहीं होगा तथा उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा उस ग्रेड में वरीयता पदोन्नति की पात्रता और स्थायीकरण के लिए नहीं गिनी जायेगी ।

श्री महरोत्रा ने दिनांक 25 अप्रैल, 1984 के अपराह्न से कानपुर में उप निदेशक निरीक्षण के कार्यालय में निरीक्षण अधिकारी (अभि०) के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा 7 मई, 1984 के पूर्वाह्न से निदेशक निरीक्षण बम्बई के कार्यालय में उप निदेशक निरीक्षण के पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

एस० एल० कपूर
उप निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1984

सं० प्र०-1/1(1236)--निदेशक निरीक्षण, बम्बई के कार्यालय में अधीक्षक (स्तर-II) श्री ई० आई० देवासी को दिनांक 4-5-84 के पूर्वाह्न से तीन महीने की अवधि के लिए अथवा सूची (पैनल) में शामिल अधिकारी के नियुक्त किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, उसी कार्यालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निदेशक (प्रशासन) (ग्रेड-II) के रूप में नियुक्त किया जाता है । उनकी नियुक्ति निरीक्षण, बम्बई के कार्यालय में सहायक निदेशक (प्रशासन) (ग्रेड-II) श्री वाई० वी० अमीन के स्थान पर की गई है जो दिनांक 30-4-84के अपराह्न से सेवा-निवृत्त हो गए हैं ।

राजबीर सिंह
उप निदेशक (प्रशासन)

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक 26 मई 1984

सं० ए/19012(4-आर० के० बी०)/82-19बी--भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ड्रिलिंग) श्री आर० के० भल्ला को ड्रिलर के रूप में उसी विभाग में वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेदतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 9 अप्रैल, 1984 के पूर्वाह्न से नियुक्त कर रहे हैं ।

सं० 3784बी/ए-19012(1-ए० ए० बी०)/83-19ए--भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, श्री अप्पाजी अमृत भास्कर को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक

सर्वेक्षण में, 650 रु० प्रति माह के प्रारम्भिक वेतन पर, 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में आगामी आदेश होने तक 19-3-1984 के पूर्वाह्न से नियुक्त कर रहे हैं ।

दिनांक 28 मई 1984

सं० 3819बी/ए-19012(1-आर० एस० आर०)/83-19ए—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, श्री राम सिंह राजवत को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० प्रति माह के प्रारम्भिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो० 40-1200 रु० के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 16-4-84 के पूर्वाह्न से नियुक्त कर रहे हैं ।

सं० 3879बी/ए-19012(1-ए०ए०)/83-19ए—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, श्री आनन्द अगस्ती को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानि सर्वेक्षण में 650 रु० प्रति माह के प्रारम्भिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 31-3-84 के पूर्वाह्न से नियुक्त कर रहे हैं ।

सं० 3867बी/ए-19012(1-एस० पी०)/83-19ए—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, श्री सतीन्दर पराशर को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु० प्रति माह के प्रारम्भिक वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 6-4-84 के पूर्वाह्न से नियुक्त कर रहे हैं ।

अमित कुमारी
निदेशक (कार्मिक)
कृते महा निदेशक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 1984

सं० 10/4/83-एस०-तीन/चार—कुमारी उमा भट्टाचार्य, सहायक अभियन्ता, आकाशवाणी, कलकत्ता के त्यागपत्र की स्वीकृति के परिणामस्वरूप उनको दिनांक 2-5-1984 (अपराह्न) से कार्य मुक्त किया जाता है ।

जे० एन० बिसारिया
मुख्य अभियन्ता
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 1984

सं० 17/7/84-एस-4—निम्नलिखित वरिष्ठ इंजीनियरी सहायकों ने अपनी पदोन्नति के परिणामस्वरूप, विभिन्न आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों पर, उनके नामों के आगे लिखी तारीख से उन्होंने तदर्थ आधार पर, सहायक अभियंता के पद का कार्यभार संभाल लिया है :—

क्रम सं०	नाम	तैनाती केन्द्र	कार्यभार संभालने की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री फ्रांसिस कुजुर	एल० पी० टी० बी०, धनबाद	1-5-84 (पूर्वाह्न)
2.	श्री बी० बीरेन्द्र कुमार	एल० पी० टी० बी०, गया	30-4-84 (पूर्वाह्न)
3.	श्री के० आर० रामकृष्णन	एच० पी० टी०, अवाडी, मद्रास	28-4-84 (पूर्वाह्न)
4.	श्री एस० के० दत्ता	आकाशवाणी, रामपुर	30-4-84 (पूर्वाह्न)
5.	श्री बी० बी० आर० शर्मा	एल० पी० टी० बी०, राजमुन्द्री	23-4-84 (पूर्वाह्न)
6.	श्री टी० सी० डी० नारोन्हा	उ० श० प्रे० मलाड, बम्बई	24-4-84 (पूर्वाह्न)
7.	श्री टी० श्री रामा मूर्ति	एल० पी० टी० बी० विशाखापटनम	26-4-84 (पूर्वाह्न)
8.	श्री बी० के० जी० नायर	एल० पी० टी० बी०, कालीकट	24-4-84 (पूर्वाह्न)
9.	श्रीमती आर० सूर्यकान्तन	दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद	12-4-84 (पूर्वाह्न)
10.	श्री ए० जगन्नाथ राव	टी० बी० आर० सी० तिरूपति	26-4-84 (पूर्वाह्न)
11.	श्री एस० एल० उत्तम	एल० पी० टी० बी०, पठानकोट	19-4-84 (पूर्वाह्न)
12.	श्रीमती पद्मावती	एल० पी० टी० बी०, मैसूर	27-4-84 (पूर्वाह्न)
13.	श्री किशन बिहारी	केन्द्र निदेशक, दिल्ली	21-4-84 (अपराह्न)
14.	श्री जे० अनन्तरमन्	मुख्य अभियंता का कार्यालय (दक्षिण क्षेत्र), मद्रास	21-4-84 (पूर्वाह्न)
15.	श्रीमती मंजू माथुर	योजना एवं विकास एकक	21-4-84 (अपराह्न)
16.	श्री सैयद नजमूद्दीन	एल० पी० टी० बी०, महबूब नगर, ए० पी०	28-4-84 (पूर्वाह्न)
17.	श्री आर० एन० कारन्थ	एल० पी० टी० बी० रीवा	17-4-84 (पूर्वाह्न)
18.	श्री लिनो ए० सोरेस	एल० पी० टी० बी०, सांगली	7-5-84 (पूर्वाह्न)
19.	श्रीमती एस० बी० वाई० महेश्वरी	दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई	11-4-84 (पूर्वाह्न)
20.	श्री एम० एच० तरुण कुमार	एल० पी० टी० बी०, बेहरामपुर	9-5-84 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
21.	श्री श्रीराम	एल० पी० टी० वी०, शाहजहांपुर	28-4-84 (पूर्वाह्न)
22.	श्री अर्जुन प्रसाद	एल० पी० टी० वी०, मुंगेर	11-5-84 (पूर्वाह्न)
23.	श्री एस० एस० एन० एस० राव	एल० पी० टी० वी०, कुडप्पा	16-4-84 (पूर्वाह्न)
24.	श्री बी० एस० सी० भागा	एल० पी० टी० वी०, पणजी	30-4-84 (पूर्वाह्न)
25.	श्री पी० जी० गायकवाड़	मुख्य अभियंता का कार्यालय (पश्चिमी क्षेत्र), बम्बई	30-4-84 (पूर्वाह्न)
26.	श्री एम० सी० श्रीधर	मुख्य अभियंता का कार्यालय (पश्चिमी क्षेत्र), बम्बई	30-4-84 (पूर्वाह्न)
27.	श्री आर० बी० होलमुखे	एल० पी० टी० वी०, कोल्हपुर	25-4-84 (पूर्वाह्न)
28.	श्री ओ० एस० कोरिया	रख-रखाव केन्द्र, कोल्हपुर	28-4-84 (पूर्वाह्न)

जे० एन० बिसारिया
मुख्य अभियन्ता (एन० एल० एफ)
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 1984

सं० ए० 32013/1/83-एन० आई० सी० डी०/पी० एच० (सी० डी० एल०)/पी० एच०--राष्ट्रपति, श्री आर० राजगोपाल को राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में उप निदेशक (कीट-विज्ञान) के पद पर 14-5-1984 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक विशुद्ध अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

के० चन्द्रमौली
अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 1984

सं० ए० 19011/3/79-भंडार-1--खाद्य अनुसंधान तथा मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद में सूक्ष्म जैविकी विद् (माइक्रो बायलाजिस्ट) के पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाने के परिणामस्वरूप श्री जे० एस० सिमेर ने 30 अप्रैल, 1984 के अपराह्न से बायलाजिकल लेबोरेटरी एंड एनिमल हाउस, मद्रास में सहायक निदेशक (बैक्टिरियोलोजी) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर० सी० गुलाटी
उप सहायक निदेशक (भंडार)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 1 जून 1984

सं० ए०-19025/12/84-प्र०-III--संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के अनुसार श्री एस० के० जैना को इस निदेशालय के अधीन फरीदाबाद में 21-5-84 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग I) के रूप में नियुक्त किया गया है।

गोपाल शरण शुक्ल
कृषि विपणन सलाहकार

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-400 085, दिनांक 22 मई 1984

सं० पी० ए०/76(5)/83-आर-III--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से आगामी आदेश होने तक इसी अनुसंधान केन्द्र में सहायक लेखा अधिकारी पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं०	नाम	वर्तमान स्थायी/अस्थायी पद	सहायक लेखा अधिकारी पद पर नियुक्ति की तिथि
1.	श्री थोप्पिल कोन्नन पुरुषोत्तमन	संपदा प्रबंध निदेशालय के स्थायी सहायक लेखाकार	30-4-84 (पूर्वाह्न)
2.	श्री वेथनायगम स्वामिक्कन	भा० प० अ० केन्द्र में स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक	14-5-84 (पूर्वाह्न)

दिनांक 29 मई 1984

सं० पी० ए०/81(7)84-आर०-4--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० पद पर दिनांक फरवरी 1, 1984 (पूर्वाह्न) से अग्रिम आदेशों तक इसी अनुसंधान केन्द्र में, स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं :—

क्रमांक	नाम	वर्तमान पद
1	2	3
1.	श्री बी० बी० श्रीवास्तव	एस ए(बी)
2.	श्री एस० टी० मुखोपाध्याय	एस ए(सी)
3.	श्री एन० के० मोडक	एस ए(सी)

1	2	3
4.	श्री एस० बी० कोंडेजकर	एस ए (सी)
5.	श्री यू० पी० विश्वनाथन	एस ए (सी)
6.	श्री एस० एन० विश्वास	एस ए (सी)
7.	श्री के० हरीदासन	एस ए (सी)
8.	श्री तपन चौरंगी	एस ए (सी)
9.	श्री आर० एल० पांडेय	एस ए (सी)
10.	श्री के० सी० उपाध्याय	एस ए (सी)
11.	श्रीमती एस० आर० निलेकानी	एस ए (सी)
12.	श्री डी० पी० पिंपुटकर	एस ए (सी)
13.	श्री टी० के० हरीदासन	एस ए (सी)
14.	श्री पी० एस० मूर्ति	एस ए (सी)
15.	श्री एम० जे० कंसरा	एस ए (सी)
16.	श्री आर० एस० चित्रे	एस ए (सी)
17.	श्रीमती के० एस० गोडसे	एस ए (सी)
18.	श्री जी० श्रीनिवासन	एस ए (सी)
19.	श्री आर० एम० नाथ	एस ए (सी)

ए० एस० राज
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग

बम्बई–5, दिनांक 28 मई 1984

सं० वि० प० अ० प्र०/3(262)/4950—निदेशक, विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग, बम्बई, एतद्द्वारा इस प्रभाग के एक स्थायी प्रवरण कोटिलिपिक, श्री एस० ए० भेले को इसी प्रभाग में मई 4, 1984 के पूर्वाह्न से जून 8, 1984 के अपराह्न तक सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति श्री एन० एल० मेघानी, सहायक कार्मिक अधिकारी के स्थान पर की गई जिन्हें छुट्टी दी गई है ।

आर० बी० बाजपेयी
सामान्य प्रशासन अधिकारी

क्रय और भंडार निदेशालय

बम्बई–400 001, दिनांक 28 मई 1984

सं० डी० पी० एस०/41/1/83-प्र० शा०/12680—परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने स्थायी क्रय सहायक श्री रंगनाथ कृष्णन अय्यर को इसी निदेशालय में दिनांक 9–4–1984 (पूर्वाह्न) से 11–5–1984 (अपराह्न) तक, 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 रुपए के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सहायक क्रय अधिकारी श्री के० जी० नायर के स्थान पर की गई है जिन्हें क्रय अधिकारी (तदर्थ) के रूप में पदोन्नत किया गया है ।

पी० गोपालन
प्रशासन अधिकारी

परमाणु खनिज प्रभाग

हैदराबाद–500016, दिनांक 29 मई 1984

सं० प० ख० प्र०–8/1/81–भर्ती—निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्द्वारा परमाणु खनिज प्रभाग के स्थानापन्न सहायक सुरक्षा अधिकारी श्री एम० एस० विश्वानाथम को उसी प्रभाग में श्री एस० के० सराफ, सुरक्षा अधिकारी की छुट्टी मंजूर की गई है, के स्थान पर 6 मई, 1984 से लेकर 16 मई, 1984 तक के लिए तदर्थ रूप से सुरक्षा अधिकारी स्थानापन्न नियुक्ति बढ़ाया है ।

सं० प० ख० प्र०–16/3/82–भर्ती खंड-II–निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्द्वारा परमाणु खनिज प्रभाग के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक एवं स्थानापन्न सहायक लेखाकार श्री जे० पी० शर्मा को उसी प्रभाग में 25 जनवरी, 1984 के पूर्वाह्न से लेकर 4 अप्रैल, 1984 तक तदर्थ रूप से स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

सं० प०ख०प्र०–16/3/82–भर्ती खण्ड–II–निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्द्वारा परमाणु खनिज प्रभाग के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक एवं स्थानापन्न लेखाकार श्री जे० के० शर्मा को उसी प्रभाग में 11 अप्रैल, 1984 के पूर्वाह्न से नियमित पदधारी की तैनात होने तक तदर्थ रूप से स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

सं० प०ख०प्र०- 16/3/82–भर्ती–खंड-II–निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्द्वारा परमाणु खनिज प्रभाग के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्थानापन्न लेखापाल, श्री आर० एस० गुप्ता को उसी प्रभाग में 24 अप्रैल, 1984 के अपराह्न से लेकर परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नियमित पदधारी को तैनात करने तक तदर्थ रूप से स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

सं० प०ख०प्र०–16/3/82–भर्ती खंड-II—निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्द्वारा परमाणु खनिज प्रभाग के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्थानापन्न सहायक लेखापाल, श्री रोशन लाल को उसी प्रभाग में 20 मार्च, 1984 के अपराह्न से लेकर नियमित पदधारी के तैनात होने तक तदर्थ रूप से स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

टी० डी० घाडगे,
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

भारी पानी परियोजनाएं

बम्बई–400 008, दिनांक 30 मई 1984

सं० 05012/आर० 5/2189—भारी पानी परियोजनाओं के, प्रधान कार्यकारी, बम्बई टेलीफोन के श्री पी० हरिकृष्णन, कनिष्ठ लेखा अधिकारी को भारी पानी परियोजना (तलचर) में पूर्वाह्न 16 फरवरी, 1984 से आगे आदेश होने तक के लिए स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 1 जून 1984

सं० 05012/आर–7/2208—भारी पानी परियोजनाओं के प्रधान कार्यकारी, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के श्री वी० के० हीरेमथ, स्थायी सहायक सुरक्षा अधिकारी को भारी पानी परियोजना (मनुगुरू) में पूर्वाह्न 27 अप्रैल, 1984 से आगे आदेश होने तक के लिए स्थानापन्न सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

श्रीमती के० पी० कल्याणीकुट्टी
प्रशासन अधिकारी

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली–3, दिनांक 31 मई 1984

सं० ई० (1) 07267—राष्ट्रपति, श्री शेक नसीरुद्दीन को भारत मौसम विज्ञान विभाग में मौसम विज्ञानी श्रेणी–2 के पद पर 2 मई, 1984 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक के लिए स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

एस० के० दास,
मौसम विज्ञान के महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 1984

सं० ए० 32013/10/82-ई० सी०—इस विभाग की दिनांक 31 अक्तूबर, 1983 की अधिसूचना सं० ए० 32013/10/82–ई० सी० तथा दिनांक 9 मार्च, 1984 की अधिसूचना सं० ए० 32013/9/83–ई० सी० के क्रम में, राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों की नागर विमानन विभाग में वरिष्ठ संचार अधिकारी के ग्रेड में की गई तदर्थ नियुक्ति प्रत्येक के सामने दी गई अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है :—

क्र० सं०	नाम	अवधि	
		से	को
	सर्वश्री		
1.	टी० एन० मुनीअंडी	1–1–84	10–1–84
2.	टी० सी० एस० मुसाद	1–1–84	30–6–84

दिनांक 26 मई 1984

सं० ए० 12025/1/82–ई० सी० (पार्ट)—राष्ट्रपति ने श्री एम० के० वर्मा को दिनांक 9–1–84 (पूर्वाह्न) से अन्य आदेश होने तक नागर विमानन विभाग के वैमानिक संचार संगठन में तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है और उन्हें नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र अमरौली, इलाहाबाद में तैनात किया गया है।

दिनांक 29 मई 1984

सं० ए० 35018/11/83–ई०–1—इस कार्यालय की दिनांक 4–8–1983 की अधिसूचना सं० ए० 35018/11/83-ई० 1 के क्रम में, राष्ट्रपति ने श्री यू० जी० मोखासी की कलकत्ता में सहायक निदेशक, नागर विमानन सुरक्षा के ग्रेड में की गई तदर्थ नियुक्ति दिनांक 15–1–1984 से 14–7–1984 तक और छः मास की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, जारी रखने की स्वीकृति दे दी है।

ओ० पी० अग्रवाल
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 1984

सं० ए० 32013/2/82–ई० एस०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों की वरिष्ठ विमान निरीक्षक के ग्रेड में की गई तदर्थ नियुक्ति दिनांक 1–5–1984 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए सामान्य शर्तों पर जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है :—

1. श्री एस० एस० नाथ
2. श्री एस० एल० बोहरा
3. श्री एस० एस० कुनार
4. श्री अनुपम बगोरा
5. श्री पी० एम० गोयल
6. श्री एच० एम० फुल्ल
7. श्री मोहम्मद मुस्तफा
8. श्री एल० ए० महालिंगम
9. श्री बुद्धा प्रसन्ना घोष
10. श्री एल० एम० माथुर
11. श्री डी० पी० घोष

बी० भौमिक
सहायक निदेशक प्रशासन

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 31 मई 1984

सं० 1/89/84–स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा नई दिल्ली शाखा के तकनीकी सहायक, श्री शीशपाल सिंह को 24 अप्रैल, 1984 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक

नियमित आधार पर उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं ।

र० का० ठक्कर,
उप निदेशक (प्रशा०),
कृते महानिदेशक

समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय

बंगलौर, दिनांक 4 मई 1984

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सं० 1/84—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 5 के अंतर्गत मुझ पर विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकारी सहायक समाहर्ताओं को दिनांक 4-6-79 की अधिसूचना संख्या 201/79-के० उ० अनुच्छेद 6-ए और नियम 196 बीबी के, अंतर्गत समाहर्ता की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता हूं ।

डी० पी० आर्य
समाहर्ता
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
बंगलौर

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय

सीमाशुल्क व केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 1984

सं० 7/84 (सी सं० 1041/22/84)—श्री आर० के० कपूर ने, जो पहले शुल्क वापसी (ड्राबैक) निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ विश्लेषक के पद पर कार्यरत थे, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के दिनांक 7-5-84 की फा० सं० ए० 22012/25/84-प्रशा०-II से जारी आदेश सं० 69/84 द्वारा प्रतिनियुक्ति से लौटने पर, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, सीमाशुल्क व केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में दिनांक 17-5-84 के पूर्वाह्न से सहायक निदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

ए० सी० सलडाना
निरीक्षण निदेशक

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

नौवहन महानिदेशालय

बम्बई-400038, दिनांक 31 मई 1984

सं० 2-डी० आर० (6)/83—राष्ट्रपति श्री. देवव्रत बंदोपाध्याय को मरीन इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय, कलकत्ता में 5-3-84 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक सदर्थ आधार पर इंजीनियर अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं ।

ए० चंद्र
नौवहन उप महानिदेशक

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 1984

सं० ए० 19012/1049/84-स्था० पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग श्री सलीम अहमद, अभिकल्प सहायक को रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 के वेतनमान में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर (इंजीनियरी) के ग्रेड में स्थानापन्न रूप में पूर्णतया अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर 30-4-1984 की पूर्वाह्न से एक वर्ष के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं ।

विलोकी नाथ फोतेदार,
अवर सचिव
केन्द्रीय जल आयोग

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

नई दिल्ली-110066, दिनांक 22 मई 1984

सं० 2/6/84-प्रशासन-1(ब)—अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एतद्द्वारा श्री मंजीत सिंह, पर्यवेक्षक को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह ख) सेवा के अतिरिक्त निदेशक/सहायक इंजीनियर के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में, अगले आदेशों तक 16 मई, 1984 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं ।

बी० एम० लाल
अवर सचिव
कृते अध्यक्ष

निर्माण महानिदेशालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 1984

सं० 1/274/69-ई० मी०-9—इस विभाग के वरिष्ठ वास्तुक, श्री आर० एम० प्रधान वार्धक्य की आयु प्राप्त करने पर 31-5-1984 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त होते हैं ।

पृथ्वी पाल सिंह,
प्रशासन उपनिदेशक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्ट्रार, बिहार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और मौर्निंग स्टार फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पटना-800001, दिनांक 30 मई 1984

सं० (1055)/560/805—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसार एतद्द्वारा यह सूचना

दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मौर्निंग स्टार फाईनान्सर्स प्राईवेट लि० का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और कम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पटना–800001, दिनांक 31 मई 1984

सं० 387 (560)/820—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसार एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर कम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और प्रागति मिनिरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पटना–800001, दिनांक 31 मई 1984

सं० 679/560/827—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसार एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर प्रागति मिनिरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और धर्माबान्ध कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पटना–800001, दिनांक 31 मई 1984

सं० 719/560/830—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसार एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर धर्माबान्ध कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और लालास् साउथ बारोरा कोलियरी कम्पनी प्रा० लि० के विषय में

पटना–800001, दिनांक 31 मई 1984

सं० 941/560/833—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसार एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसर पर लालास् साउथ बारोरा कोलियरी कम्पनी प्रा० लि० का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मोनार्क क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट कम्पनी प्रा० लि० के विषय में

पटना–800001, दिनांक 31 मई 1984

सं० 1066/560/836—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसार एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मोनार्क क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट कम्पनी प्रा० लि० का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और बरहित क्रेडिट एंड इनवेस्मेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पटना-800001, दिनांक 31 मई 1984

सं० (1092) 560/839—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बरहित क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

ए० वहाब अंसारी,
कम्पनी रजिस्ट्रार, बिहार, पटना

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर कार्यालय
अमृतसर, दिनांक 8 मई 1984

निदेश सं० अमृतसर/84-85/29—यतः मुझे सी० एस० काहलों,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एक प्रापर्टी है तथा जो फतेगढ़ चूड़ियां, तहसील बटाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बटाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1983 को को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तारितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कंवर जसबीर सिंह और सतनाम सिंह पुत्रगण श्री तारा सिंह, वासी फतेगढ़ चूड़ीयां, तहसील बटाला जिला गुरदासपुर।

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री जगनबीर सिंह और
भूषण कुमार
पुत्रगण श्री बंसी लाल,
वासी फतेगढ़ चूड़ियां,
तहसील बटाला,
जिला गुरदासपुर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर सं० नं० 2 और किराएदार यदि कोई हो।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) और कोई

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्रापर्टी फते गढ़ चूड़ीयां, तहसील बटाला में स्थित जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बटाला के सेलडीड नं० 3172 दिनांक 12-9-83 में दर्ज है।

सी० एस० काहलों
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 8-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 26 अप्रैल 1984

निदेश सं० ए०एस०आर०/84-85/30—यतः मुझे सी० एस० काहलों,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एक प्रापर्टी है तथा जो रानी का बाग, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1983

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तविक को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विमल चन्द पुत्र
श्री पद्म चन्द
10-अमृतसर कैंट।

(अन्तरक)

(2) श्री कुलदीप सिंह पुत्र
बसन्त सिंह,
खासा बाजार, खासा
जिला अमृतसर
और ब्रिगेडियर प्यारा सिंह
पुत्र श्री माला सिंह
36-हकीकत रोड,
जालन्धर, कैंट।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर सं० नं० 2 और किराएदार यदि कोई हों।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) और कोई

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधो-हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति का अर्जन करने के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रानी का बाग, अमृतसर में स्थित एक प्रापर्टी जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर के सेल डीड नं० 7596 दिनांक 19-9-1983 में दर्ज है।

सी० एस० काहलों
(आई० आर० एस०)
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 3, नन्दपुरी, टेलर रोड अमृतसर

तारीख : 26-4-1984

मोहर:

फ्रम्प आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 8 मई 1984

निदेश सं० ए०एस०आर०/84-85/31--यतः मुझ, सी० एस० काहलों,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एक प्रापर्टी है तथा जो बटाला शहरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बटाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान **प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास** करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में **वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है** :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती हरजीत कौर
पत्नी श्री रवेल सिंह
वासी मुहल्ला प्रेम नगर,
बटाला,
जिला गुरदासपुर।

(अन्तरक)

2. श्री लाजपत राय
पुत्र श्री ताराचन्द अग्रवाल
श्री सुशील कुमार
पुत्र श्री लाजपत राय अग्रवाल
श्रीमती सुषमा
पत्नी श्री सतीश कुमार,
वासी बटाला।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि उपर सं० नं० 2 और किराएदार यदि कोई हो।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्रापर्टी बटाला शहरी में स्थित जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बटाला के सेल डीड नं० 3267 दिनांक 20-9-1983 में दर्ज है।

सी० एस० काहलों
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 8-5-1984

मोहर

प्रारूप आई. टी. एस. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 8 मई 1984

निदेश सं० ए०एस०आर०/84-85/32—यतः मुझे, सी० एस० काहलों,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है
और जिसकी सं० एक प्रापर्टी है तथा जो बटाला गहरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बटाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रवेल सिंह
पुत्र श्री तरलोक सिंह
मुहल्ला प्रेम नगर,
तहसील बटाला,
जिला गुरदासपुर।

(अन्तरक)

2. श्री लाजपत राय
पुत्र श्री ताराचन्द अग्रवाल
श्री सुशील कुमार
पुत्र श्री लाजपत राय अग्रवाल
श्रीमती सुषमा
पत्नी श्री सतीश कुमार
वासी बटाला।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर सं० नं० 2 और किराएदार यदि कोई हो।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में आई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में भेजे जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्रापर्टी बटाला गहरी में स्थित जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बटाला के सेल डीड सं० 3268 दिनांक 20-9-83 में दर्ज है।

सी० एम० काहलों
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 8-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 8 मई 1984

निदेश सं० ए०एम०आर०/84-85/33—यतः मुझे, सी० एस० काहलों,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एक प्रापर्टी है तथा जो बटाला शहरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बटाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती हरजीत कौर
पत्नी श्री खेल सिंह,
वासी मुहल्ला प्रेम नगर,
बटाला,
जिला गुरदासपुर।

(अन्तरक)

2. श्री लाजपत राय,
पुत्र श्री तारा चन्द अग्रवाल
सुशील कुमार
पुत्र श्री लाजपत राय अग्रवाल
श्रीमती सुषमा
पत्नी श्री सतीश कुमार
वासी बटाला।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर सं० नं० 2 और किराएदार यदि कोई हो।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है) कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्रापर्टी बटाला शहरी में स्थित जैसा कि रजिस्ट्रीजता अधिकारी बटाला के सेल डीड नं० 3265 दिनांक 20-9-83 में दर्ज है।

सी० एस० काहलों
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 8-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई०. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 8 मई 1984

निदेश सं० ए०एस०आर०/84-85/34—यतः मुझे, सी० एस० काहलों,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एक प्रापर्टी है तथा जो बटाला में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण विवरण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बटाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री खेल सिंह
   पुत्र श्री त्रिलोक सिंह,
   वासी मोहल्ला प्रेम नगर,
   बटाला,
   जिला गुरदासपुर। (अन्तरक)
2. श्री लाजपत राय
   पुत्र श्री ताराचन्द अग्रवाल,
   श्री सुशील कुमार
   पुत्र श्री लाजपत राय अग्रवाल,
   श्रीमती सुषमा
   पत्नी श्री सतीश कुमार
   वासी बटाला।
   (अन्तरिती)
3. जैसा कि ऊपर सं० नं० 2 और किराएदार यदि कोई हो।
   (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. और कोई
   (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

एक प्रापर्टी बटाला शहरी में स्थित जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, बटाला के सेलडीड नं० 3266 दिनांक 20-9-83 में दर्ज है।

सी० एस० काहलों
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 8-5-1984
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 16 मई 1984

निदेश सं० रोहतक/46/83-84—अतः मुझे, आर० के० भयाना,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० अहाता है तथा जो अजजर रोड, रोहतक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रोहतक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हर सरूप,
पुत्र श्री निहाल सिंह,
श्री रिछपाल सिंह, महा सिंह
पुत्रान श्री राम सरूप
गांव फरमाना बादशाहपुर।

(अन्तरक)

2. श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल
पुत्र श्री सतनारायण अग्रवाल
नि० ला० मन्डी,
रोहतक।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति अहाता, अजजर रोड, रोहतक में स्थित है जिसका अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय रोहतक में, रजिस्ट्री संख्या 3334 दिनांक 12-9-1983 पर दिया है।

आर० के० भयाना
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 16-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 2 मई 1984

नोटिस सं० 719—यतः मुझे, एस० बालसुब्रमणीयन्, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है, तथा जो मेरसेस ग्राम, इल्हास गोवा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इल्हास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब:, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. (1) श्री फेलिक्सारडो
2 फील गोनसालक्वस
(2) श्रीमती मरीना जैसे गिल्लीया, डिसोजा उर्फ मरीना गोनसालक्वस,
निवासी चिबल गोवा।

(अन्तरक)

2. श्री के० अब्दुल्ला
निवासी पणजी, गोवा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के बारे में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि,, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 685 ता० 7-9-1983)

खेत की जमीन, (श्याड 2, ओरथार पणजी गोवा) सं० 2740 बुक 30 (पुराना) जमीन मारसेस ग्राम, मोरबी ओ० ग्राउंड इल्हास गोवा सं० स्थित है।

एस० बालसुब्रमणीयन
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 2-5-1984
मोहर :

[फा० सं० आई० टी० एन० एस०] -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-16, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० एफ० सी० 689/84-85—यतः मुझे, बी० रविबालन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो नाटकम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोट्टयम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-9-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती निरमला सब्बी

(अन्तरक)

2. डा० सामुवल बेबी के लिए
श्री के० डी० सामुवल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ऊपर रजिस्टर्ड कार्यालय कोट्टयम के दस्तावेज सं० 3253 और 3254 में सालंगन अनुसूची के अनुसार नाटकम विलेज में सर्वे सं० 189/1/24 में 9 सेन्ट भूमि और एक मकान।

बी० रविबालन
सक्षम प्राधिकारी
आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 14-5-1984
मोहर

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 24 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-48/रेंज-II/कल०/84-85--

यतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 17/1सी है तथा जो अलिपुर रोड, कलकत्ता-27 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है। रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बाबू लाल जायसवाल
(अन्तरक)

2. श्री जय नारायन चौधुरी
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—1630 वर्ग फुट प्लाट पना—प्लाट नं० 402, 17/1 सी०, अलिपुर रोड, कलकत्ता-27, थाना अलिपुर खतौनी सं० एस० आर० ए० कलकत्ता का 1983 का आई 8930।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता-76

तारीख : 24-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-31/रेंज-II/कल०/1984-85—यतः मुझे, एस० के० बैनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मै० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०,
(अन्तरक)

2. श्री शिशुलाल सामन्त
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन—860 वर्गफुट प्लाट पता—प्लाट नं०-732, ब्लाक नं० -VII, विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलिल संख्या-आई० 9870।

एस० के० बैनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I/कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984
मोहर

प्रारूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०—32/रेंज-/ कल०/1984—85—

यतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है, तथा जो विधान शिशु सरोनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26—9—1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. मै० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०,
(अन्तरक)
2. श्री सुरजीन दास
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन—860 वर्ग फुट प्लाट पना—फ्लाट नं० 121, ब्लाक नं० 1, 3, बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 दलिल संख्या—आई 9872।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज- /कलकत्ता

तारीख : 14—5—1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1], कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-32/रेंज- /कल०/1984-85--

यतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसको सं० 3 है तथा जो विधान शिशू सरनि, कलकत्ता-कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधि० नियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. मै० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०
(अन्तरक)

2. श्री हरि शंकर पोद्दार
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन--1130 वर्ग फुट प्लाट पना--प्लाट नं० 132, ब्लाक नं०-1, 3, विधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 दलिल संख्या -आई 9873।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
(अर्जन रेंज-I /कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984

मोहर ☐

फ्रूप बाई.टी.एस.एच.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-34/रेंज-II/कल०/1984-85—

यतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है, तथा जो बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-9-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०।

(अन्तरक)

2. श्री बिमल चन्द्र पाल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—1100 वर्ग फुट फ्लाट पना—फ्लाट नं० 521, ब्लाक नं० V, 3, बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 दलिल संख्या—आई 9874।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II/कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

फ्लैट नं. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-35/रेंज-II/कल०/1984-85—यतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता 54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०
(अन्तरक)

2. श्री हिरक मजुमदार
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—1130 वर्ग फुट फ्लाट पता—फ्ला० नं० 221, ब्लाक नं०-II, 3, विधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 दलिल संख्या —आई 9875।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II/कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ड (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-36/रेंज-II/कल०/1984-85---

यतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैं० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०

(अन्तरक)

2. श्री सरलेन्दु बासु

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन---1130 वर्ग फुट फ्लाट पता---प्लo नं० 621, ब्लाक नं० VI, 3, बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता दलिल संख्या-आइ 9838।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984
मोहर ।

प्ररूप आई. टी, एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-37/रेंज-II/कल०/1984-85---

यतः मुझे, एस० के० बनार्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)., की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैं० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०,

(अन्तरक)

2. श्री गौतम बगचि

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन---860 वर्ग फुट प्लाट, पता---प्लाट नं०-513, ब्लाक V, 3, बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 दलिल संख्या---आइ 9839।

एस० के० बनार्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II/कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एस० एस० ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-38/रेंज-II/कल०/1984-85—

यतः मुझे, एस० के० बनार्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-9-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०,
(अन्तरक)
2. श्री मानस कुमार बनार्जी
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—860 वर्ग फुट प्लाट पक्का—फ्ला० नं० 711, ब्लाक नं० -VII, 3, बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलिल संख्या—आइ 9840।

एस० के० बनार्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-39/रेंज-II/कल०/1984-85—यतः मुझे, एस० के० बनार्जी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है और जिसकी सं० 3 है, तथा जो बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मै० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०

(अन्तरक)

2. श्री अजय कुमार दास

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन—1100 वर्ग फुट प्लाट पत्ता—प्लाट नं० 512, ब्लाक नं०-V, 3, बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 दलिल संख्या—आइ 9841।

एस० के० बनार्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II/कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984

मोहर :

रूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-40/रेंज-II/1984-85—यतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०

(अन्तरक)

2. श्री नरेश चन्द्र मजुमदार

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन —1100 वर्ग फुट प्लाट, पता—प्लाट नं० 522, ब्लाक नं० V, 3, बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54, दलिल संख्या—आई 9837।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एच. एल. - - - - ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-41/रेंज-II/कल०/1984-85—

यतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०,

(अन्तरक)

2. श्री सुनील भूसन राय चौधुरी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—860 वर्ग फुट फ्लाट पता—फ्लाट नं० 813, ब्लाक नं० VIII, 3, बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54, दलिल संख्या—आइ 9743।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II/कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की;

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-42/रेंज-II/कल०/1984-85—
यतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है, तथा जो बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-9-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०

(अन्तरक)

2. श्री कमल कृष्ण राय

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन-1130 वर्ग फुट प्लाट पता प्लाट नं० 212 ब्लाक नं० II, 3, बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 दलील संख्या आई/9744

एस० के बनर्जी,
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II/कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

5—116GI/84

प्रकप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰/----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश स० ए० सी०-44/रेंज-111/कल०/1984-85—यतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है, तथा जो बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-9-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (अन्तरक)

2. फनी भूषण बनर्जी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—1130 वर्ग फुट फ्लाट पता—फ्लाट नं० 632, ब्लाक नं० VI, 3, बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता 54 दलिल संख्या—आइ 9746 ।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II/कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-45/रेंज-II/कल०/1984-85—यतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-9-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और ऐसे अंतरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०

(अन्तरक)

2. श्री गौतम कुमार मजूमदार

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—1130 वर्ग फुट फ्लाट पता—फ्लाट नं० 811 ब्लाक नं० VIII, 3, बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54, दलिल संख्या —आइ 9747।

एस० के० बनार्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II/कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एस.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-46/रेंज-II/चल०/1984-85--

यतः मुझे, एस० के० बैनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है, तथा जो विधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-9-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् है—

1. मैं० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०

(अन्तरक)

2. श्री सदा प्रसन्न घोष

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—860 वर्ग फुट प्लाट पता—प्लाट नं० 832 ब्लाक नं० -VIII, 3, विधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 दलिल सं० —आइ 9748।

एस० के० बैनार्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II/कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

[क्रम भाई० टी० एस० एस०-------]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-47/रेंज-II/कल०/1984-85—यतः मुझे/, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 23ए/98एन/1सी है तथा जो डाइमंड हारदार रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० आर्पि बिल्डर्स एवं प्रोमोटर्स प्राइवेट लि०
(अन्तरक)
2. श्रीमती सुसमा सट
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—1985 वर्ग फुट फ्लाट तिन तल्ला में, पता—23ए/98एन/1सी डाइमंड हारबरो में, कलकत्ता-53, आलिपुर दलिल सं० —आइ 9492।

एस० के० बैनार्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II/कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-26/रेंज- /कल०/1984-85—यत: मुझे, एस० के० बनार्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269--ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में स्थित है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०

(अन्तरक)

2. डाक्टर केशव चन्द्र मजूमदार

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—1130 वर्ग फुट फ्लाट पता—फ्लाट नं० 821, ब्लाक नं० VIII, 3, बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलिल संख्या—आइ 9392।

एस० के० बनार्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-11/कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984

मोहर

फार्म आई० टी० एन० एच०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-27/रेंज-111/कल०/1984-85--

यतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो विधान शिशू सरनि; कलकत्ता 54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों को सूचित करता हूं :—

1. मैं० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०

(अन्तरक)

2. श्री गौरी दास

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—860 वर्ग फुट फ्लाट पता—फ्लाट नं० 833, ब्लाक नं०-VIII, 3 विधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54, डील संख्या—आइ 9393।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II/कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984
मोहर

प्ररूप आई.टी.एव.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-28/रेंज-II/कल०/1984-85—यतः मुझे, एस० के० बनार्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो ब्रिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता 4, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०
(अन्तरक)

2. मै० सर्व शुभ गृह ठाकुराना
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—1100 वर्ग फुट फ्लाट पता—फ्लाट नं० 501, ब्लाक नं० 11, 3, ब्रिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54, दलिल सं०—आइ 9867

एस० के० बैनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II/कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-29/रेंजI-/कल०/1984–85—

यत: मुझे, एस० के० बनार्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी स० 3 है तथा जो बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26–9–83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम की अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैं० एलाइड को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०
(अन्तरक)

2. श्री अनिल कुमार सातरा
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—860 वर्ग फुट फ्लाट पता—फ्लाट नं० 721, ब्लाक नं० VII, 3, गिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54, दलिल संख्या—आइ 9668।

एस० के० बनार्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II/कलकत्ता

तारीख : 14–5–1984
मोहर :

फार्म नाई० टी० एस० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-80/रेंज-II/कल०/1984-85—यतः मुझे, एस० के० बनार्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिथान शिशु सरनि, कलकत्ता -54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-9-83 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने से सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०

(अन्तरक)

2. अधिर चक्रवर्ती

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ह—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन—1130 वर्ग फुट फ्लाट पता—फ्लाट नं० 423, दलिल संख्या—आइ 9869।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II/कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 14 मई, 1984

निर्देश सं० ए० सी०-21/रेंज /कल०/1984-85—अतः मुझे, एस० के० बनार्जी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है, तथा बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है) और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 14-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मे० एलाइड को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० (अन्तरक)

(2) श्रीमती रानी बासु (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 1130 वर्ग फुट प्लाट पता—प्लाट नं० 814, ब्लाक नं० VIII, 3, बिधान शिशु सरनि कलकत्ता-54, दलील संख्या आई० 9387 ।

एस० के० बनार्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता ।

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 14 मई, 1984

निर्देश सं० ए० सी०/रेंज-II/कल०/84-85— अतः मुझे, एस० के० बनार्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 3 है, तथा जो बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० एलाइड को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० (अन्तरक)

(2) श्री दिलिप कुमार सेट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 1130 वर्ग फुट प्लाट पता—प्लाट नं० 431, ब्लाक नं० iv, 3, बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलील सं० आई०-9388

एस० के० बनार्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, II, कलकत्ता।

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए०सी० 23/एक्यू० आर०-II/कल०/84-85—अतः मुझे एस०, के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 14-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०। (अन्तरक)

(2) श्रीमती गायत्रि गांगुली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 1130 वर्ग फुट फ्लैट पता—फ्लैट नं० 801, ब्लाक नं०-VIII, 3, विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलील संख्या आई-9389।

एस० के० बनर्जी।
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

दिनांक 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984
निर्देश सं० ए० सी०-24/एक्यू० आर०-II/कल०/84-85—

यतः मुझे, ए

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा **269-ख के अधीन** सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का **कारण है कि** स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य **25,000/-रु.** से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो विधान शिशु सरनि, **कलकत्ता-54** में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में **और** पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के **कार्यालय**, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख **14-9-1983**

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान **प्रतिफल के लिए** अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने **का कारण है कि** यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य **इसके** दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह **प्रतिशत से** अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (**अन्तरितियों**) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया **प्रतिफल निम्नलिखित** उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में **वास्तविक रूप** से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा **के लिए।**

अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण **में**, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) **के**, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०
(अन्तरक)

(2) डाक्टर दिलीप कुमार राय
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 1130 वर्ग फुट फ्लैट पता—फ्लैट नं० 421, ब्लाक नं० IV, 3, विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलील संख्या आई०-9390।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II/कलकत्ता

दिनांक : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-20/एक्यू० आर०-II/कल०/84-85—

अतः मुझे, एस० के० बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3, है तथा जो विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 14-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एलाइड को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० (अन्तरक)

(2) श्री बिमलेन्दु देबनाथ। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 860 वर्ग फुट फ्लैट पता—फ्लैट नं० 802, ब्लाक नं० IIIV, 3, विधान शिशु, सरनि, कलकत्ता-54, दलील संख्या आई०- 9386

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II/कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-19/एक्यू०आर०- I/कल०/84-85—अतः मुझे, एस० के० बनर्जी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 14-9-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०। (अन्तरक)

(2) श्री माखन लाल दास (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 860 वर्ग फुट फ्लैट पता—फ्लैट नं० 803, ब्लाक नं० -VIII, 3, विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 दलील संख्या आई-9385।

एस० के० बनर्जी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-18/एक्यू० आर०-II/कल०/84-85—अतः मुझे, एस० के० बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो विधान शिशु सरनि, कलकत्ता 54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 14-9-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रेयमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके श्रेयमान प्रतिफल से, ऐसे श्रेयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निलिख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दाने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

7—116GI/84

(1) एलाइड को-आपरेटिव लैंडिंग सोसाइटी लि०।

(अन्तरक)

(2) श्री अग्निनाभ गुप्त।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 860 वर्ग फुट फ्लैट पता—फ्लैट नं० 823, ब्लाक नं० VIII, 3,— विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलील संख्या आई०— 9384

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-17/एक्यू० आर०-II/कल०/84-85—अतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 14-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

(1) एलाइड को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०। (अन्तरक)

(2) श्री प्रनब कुमार मित्र। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 860 वर्ग फुट फ्लैट पता—फ्लैट नं० 812, ब्लाक नं० VIII, 3, विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलील संख्या आई-9383।

एस० के० बनर्जी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984

मोहर ॥

प्ररूप आई टी. एन एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-16/एक्यू० आर०-II/कल०/84-85—

अतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 14-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।
(अन्तरक)

(2) श्री बनवारी लाल बोस।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 1130 वर्ग फुट फ्लैट पता—फ्लैट नं० 831, ब्लाक नं० VIII, 3, विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलील संख्या आई-9382।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई, 1984

निर्देश सं० ए० सी०-15/एक्यू०आर०-II/कल०/84-85—

अतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है, तथा जो विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 ० स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 15-9-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०। (अन्तरक)

(2) श्री असित मोहन सिन्हा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 1130 वर्ग फुट फ्लैट पता—फ्लैट नं० 613, ब्लाक नं० IV, 3, विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, वलील संख्या आई—9432।

ऐस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंजII, कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई '1984

निर्देश सं० ए० सी०-14/एक्यू०आर०-II/कल०/84-85--

अतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 15-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तो पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०। (अन्तरक)

(2) कुमारी साधना दत्त। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 1130 वर्ग फुट फ्लैट पता--फ्लैट नं० 622, ब्लाक नं० VI, 3, विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 दलील संख्या आई०-9431।

एस० के० बनर्जी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984

मोहर

प्रकृप्त आई०, टी०, एक्ट, एक्ट - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए० सी०-13/एक्यू आर०-II/कल०/84-85—अतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 15-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ का उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् है—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० ।
(अन्तरक)

(2) श्री सत्य नारायण शिवानी ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 1130 वर्ग फुट फ्लैट पता—फ्लैट नं० 113, ब्लाक नं० 1, 3, विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलील संख्या आई-9430 ।

एस० के० बनर्जी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

[illegible]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

ए० सी०-12/एक्यू० आर०-I /कल०/84-85—

अतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 23-9-83

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०। (अन्तरक)

(2) श्री अमल कान्ति चौधुरी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 1130 वर्ग फुट फ्लैट पता—फ्लैट नं० 222, ब्लाक नं०-II, 3, बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलील संख्या आई०-9750

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984

मोहर ॥

फार्म आई.टी.एन.एस ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० ए० सी०-11/एक्यू० आर०-II/कल०/84-85—

अतः मुझे, एस० के० बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) मेसर्स कोन्यापरेन्स हाउसिंग सोसाइटी लि०। (अन्तरक)

(2) श्री रेबोती रंजन राय। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 29-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 1130 वर्ग फुट फ्लैट पक्का—फ्लैट नं० 203, ब्लाक नं० II, 3 बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 दलील संख्या आई० 9742।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० ए० सी०-10/एक्यू० आर०-II/कल०/84-85—अतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख, 15-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०। (अन्तरक)

(2) ज्योति प्रकाश दत्त। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 1130 वर्गफुट फ्लैट पता—फ्लैट नं० 611, ब्लाक नं० VI, 3, विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलील संख्या आई० 9429

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० ए० सी०-9/एक्यू० आर०-II/कल०/84-85—अतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-9-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०। (अन्तरक)

(2) श्री बिमल कृष्ण देयोआन। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 860 वर्ग फुट फ्लैट पता—फ्लैट नं० 712, नं० VII, 3, बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलील संख्या आई-9428

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज- , कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस .---------

आयकर अधिनियम; 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- , कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० ए० सी०-8/एक्यू० आर०-II/कल०/84-85—

अतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 15-9-1983 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०।
(अन्तरक)

(2) कुमारी रमा मुखर्जी।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 450 वर्ग फुट फ्लैट पता—फ्लैट नं० 402, ब्लाक नं० IV, 3, बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलील संख्या आई० 9427।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० ए० सी०-7/एक्यू० आर०-II/कल०/84-85—

अतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० (अन्तरक)

(2) कुमारी तपति डे (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि,, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 1130 वर्ग फुट प्लाट पता—प्लाट नं० 133, ब्लाक नं० 1, 3, विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलील संख्या आई०-9426

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० ए० सी०-6/एक्यू० आर०-II/कल०/84-85—

अतः मुझे, एस० के० बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में० और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 15-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० (अन्तरक)

(2) श्री विनय भूषन मुखर्जी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन 1130 वर्ग फुट प्लाट पता—प्लाट नं० 122, ब्लाक नं० 1, 3, बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलील सं० आई० 9425 ।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज- , कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- , कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई, 1984

निदेश सं० ए०सी०-5/एक्यू आर०-II/कल०/84-85—अतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 15-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके श्यमान प्रतिफल से ऐसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० (अन्तरक)

(2) श्री गुरू प्रसाद घोष (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 860 वर्ग फुट प्लाट पता—प्लाट नं० 111, ब्लाक नं०-1, 3, बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलील संख्या आई 9424

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज- , कलकत्ता

तारीख 14-5-84
मोहर

प्रकृप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ए०-सी० 4/एक्यू० आर०-II/कल०/84-85—अतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय; एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), के अधीन, तारीख 15-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० (अन्तरक)

(2) श्रीमती रेणुका पाल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 1130 वर्ग फिट प्लाट पता—प्लाट नं० 112, ब्लाक नं०-1, 3, विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलील संख्या आई9423।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्रकरण आई.टी.एस.एस. .....

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० ए० सी०-3/एक्यू० आर०-II/कल०/84-85—अतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो विधान शिशे सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 15-9-1983 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० (अन्तरक)

(2) श्री आनंदि प्रसाद मुखर्जी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 860 वर्ग फुट प्लाट पता— प्लाट नं० 101, ब्लाक नं०-1, 3, विधान शिश सरनि, कलकत्ता-54, दलील संख्या एस० आर० ए० कलकत्ता का 1983 का आई० 9422

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज- , कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० एसी-2/एक्यू०आर०-II/कल०/84-85—यतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 15-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के छद्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके छद्यमान प्रतिफल से, एतिस छद्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० (अन्तरक)

(2) श्री जिनेन्द्र नाथ भट्टाचार्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 1130 वर्ग फुट प्लाट पता—प्लाट नं० 631 ब्लाक नं०-VI, 3, बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, दलील संख्या आई 9421।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता।

दिनांक 14-5-1984
मोहर :

फार्म आई. टी. एक्ट एच

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० ए०सी०25/एक्स आर०-II/कल०/84-85—अतः मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 3 है तथा जो विधान शिशु सरनि, कलकत्ता 54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एलाइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० (अन्तरक)

(2) श्रीमती चमेली सेन गुप्ता (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 860 वर्ग फुट प्लाट पता—प्लाट सं० 822, ब्लाक सं० VIII, 3, विधान शिशु सरनि, कलकत्ता-54, खतिल संख्या आई 9391।

एस० के० बनर्जी
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

दिनांक : 14-5-1984
मोहर]

फार्म आई.टी.एस.एक.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ग (1) की अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

नितेश सं० ए० सी०-43/एक्यू० आर०-II/कल०/84-85—अतः मुझे, एस० के० बनर्जी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 3 है तथा जो बिधान शिशु सरनि, कलकत्ता 54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एलीइट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० (अन्तरक)

(2) श्री राम प्रसाद सेन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 860 वर्ग फुट प्लाट पता—प्लाट नं०-320, ब्लाक नं०- , 3 बिधान शिशू सरनि, कलकत्ता-54, दलिल संख्या आई० 9745।

एस० के० बनर्जी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता।

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 29 मई 1984

निर्देश सं० 1487/एक्यू०आर०-III/84-85—अतः मुझे, एस० के० चौधुरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 28 है तथा जो मन्डेविले गार्डन्स, कलकत्ता-29 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-III, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-9-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सुधेन्दु किरण गुह

(अन्तरक)

(2) श्री श्यामल कुमार दत्त

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

28, मडेविले गार्डन्स, कलकत्ता में अवस्थित मकान का पहला मंजिल में 2400 वर्गफुट आयत का प्लाट नं० बी/2/1 जो सक्षम प्राधिकारी (सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण) अर्जन रेंज III के दफ्तर में सिरियल 239 के अनुसार 15-9-83 तारीख में रजिस्टर हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

दिनांक : 29-5-84
मोहर :

प्रकल्प नाम : टी. एस. एच. .....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 27 मई 1984

निर्देश सं० 1486/एक्यू आर०-III/84-85—अतः मुझे, एस० के० चौधुरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 6/2 है तथा जो कमिसरियेट रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० ए०, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन. 22-9-83

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का यदह परिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ;—

(क) अंतरण से हुई किसी आय को बचाने, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती मुली देवी तोशनिवाल ।
(अन्तरक)

(2) मैसर्स कान बिल्डर्स (प्रा०) लिमिटेड ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नं० 6/2 कमिसरियेट रोड कलकत्ता में अवस्थित मकान का दूसरा मंजिल में 2200 वर्गफिट का प्लाट जो एस० आर० ए० कलकत्ता के दफ्तर में 22/9/83 में डीड नं० 9625 के अनुसार निबंधित हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

दिनांक : 27-5-84
मोहर।

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता दिनांक 27 मई 1984

निर्देश सं० 1385/एक्यू० आर०-III/84-85—अतः मुझे एस० के० चौधुरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 87 है तथा जो बालीगंज प्लेस, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-9-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती ऊषा बोस एवं अरुण बोस

(अन्तरक)

(2) श्री अंजन गुप्त

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

87, बालीगंज प्लेस, कलकत्ता में 2 बीघा 7 काठा, 2 छटांक 3 वर्गफिट जगह में अवस्थित तीन तल्ला मकान जो सक्षम प्राधिकारी (सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण) अर्जन रेंज-III के दफ्तर में 28-9-83 में सीरियल 8 के अनुसार निबंधित हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

दिनांक : 2-5-84
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 26 मई 1984

निर्देश सं० 1484/एसयू० आर०-III/84-85—अतः मुझे, एस० के० चौधुरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 36 बी० है तथा जो फकीर चक्रवर्ती लेन, कलकत्ता में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-9-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती शान्तिदे रॉय

(अन्तरक)

(2) श्री निताई चरण आमु

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

36 बी० फकीर चक्रवर्ती लेन, कलकत्ता में 2 काठा 22 छटाक 4 वर्गफिट जमीन के ऊपर अवस्थित मकान, साथ में 5 छटाक 22 वर्गफिट कामन सेज जो रजिस्ट्रार आफ एश्योरेंस कलकत्ता के दफ्तर में 2-9-83 तारीख को डीड नं० I-8974 के अनुसार निबंधित हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

दिनांक : 26-5-84

मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 24 मई 1984

निदेश सं० 1483/एक्य आर०-III/84-85—अतः मुझे, एस० के० चौधुरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 82/2 है तथा जो शरत बोस रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-9-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती इन्द्राणी बनर्जी एवं अन्य।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुधा अग्रवाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

82/2 शरत बोस रोड, कलकत्ता में अवस्थित 4 काठा 7 छटाक 7 वर्गफिट सम्पत्ति जो रजिस्ट्रार आफ एश्योरेंस के दफ्तर में 5-9-83 तारीख में डीड नं० I-8956 के अनुसार रजिस्ट्रर्ड हुआ है।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

दिनांक : 24-5-84
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 26 मई 1984

निदेश सं० 1482/एक्यू० आर०-III/84-85—यतः मुझे, एस० के० चौधुरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 276 है तथा जो शरत बोस रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री पूर्णेन्दु प्रसाद राय चौधुरी (अन्तरक)

(2) श्री बसन्त कुमार रूंगटा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

276, शरत बोस रोड, कलकत्ता में अवस्थित सम्पत्ति 7 कट्ठा 24 छटांक (आधा हिस्सा) एवं मकान जो रजिस्ट्रार आफ एसुरेन्स के दफ्तर में डीड नं० 1-8983 के अनुसार 6/9/83 तारीख को रजिस्ट्री हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

तारीख : 26-5-1984
मोहर ।

रूप साई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 24 मई 1984

निर्देश सं० 1481/एक्यु० रेंज-III/84ब85—यतः मुझे, एस० के० चौधुरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 69 ए है तथा जो आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 27-9-1983 को

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या किसी आस्तियों को, जो भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गौर दास मल्लिक

(अन्तरक)

(2) देबाशिस पाल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

69 ए आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कलकत्ता में अवस्थित 22 काठा 2 छटांक 20 वर्गफीट सम्पत्ति एवं मकान (अविभक्त 2/9 हिस्सा) जो सब-रजिस्ट्रार आफ एसुरेन्स के दफ्तर में डीड नं० I-9930 के अनुसार 27/9/83 तारीख में रजिस्ट्री हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

तारीख : 24-5-84
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 22 मई 1984

निर्देश सं० 1480/एक्यु० रेंज-III/84-85—यतः मुझे, एस० के० चौधुरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 28 ए एवं 28 बी है तथा जो आबीर्ण रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत्, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कृष्णा ज्ञानोदय सुगार लिमिटेड
(अन्तरक)

(2) मैसर्स साहूजैन चेरिटेबल सोसायटी
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

28 ए एवं 28 बी आबीर्ण रोड, कलकत्ता में अवस्थित 2 बीघा 25 कट्ठा 4 छटांक 22 वर्गफीट जमीन (4/224 अंश हिस्सा) एवं दो पांच तल्ला मकान जो रजिस्ट्रार आफ एसुरेन्स के दफ्तर में डीड नं० 1-8820 के अनुसार 2-9-83 तारीख को रजिस्ट्री हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

तारीख : 22-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई० टी०.एन० एस०.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 22 मई 1984

निर्देश सं० 1479/एक्यु रेंज-3/84-85—यतः मुझे, एस० के० चौधुरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 226 है तथा जो डा० मेघनाद साहा सारणी, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और, पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आई० ए० सी०, अर्जन रेंज-3, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 25-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अंकित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अजित कुमार बनर्जी
(अन्तरक)

(2) श्रीमती उमा मित्रा
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

नं० 226 डा० मेघनाद साहा सारणी, कलकत्ता में अवस्थित मकान का 760 वर्गफीट आयत का प्लाट नं० 5 डी, जो सक्षम प्राधिकारी (सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकत्ता के दफ्तर में सीरियल नं० 88 के अनसार 24-9-83 तारीख में रजिस्ट्री हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

तारीख : 22-5-1984
मोहर :

फ़ाइल नं० टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 22 मई 1984

निर्देश सं० 1478/अर्जन रेंज-3/84-85—यतः मुझे, एस० के० चौधुरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फेस-5 है तथा जो गल्फ ग्रीन आरवात कम्पलेक्स, जादवपुर, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए: और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विनोद कुमार झुनझुनवाला

(अन्तरक)

(2) श्रीमती आनी सेनगुप्ता

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रायामली हाऊसिंग एस्टेट, फेस-5, गल्फ ग्रीन आरवात कम्पलेक्स, कलकत्ता के अन्तर्गत 93.98 वर्गमीटर आयत का अपार्टमेन्ट नं० 6, ब्लाक-7 डब्ल्यू-2 सी (आर०)-2 जो रजिस्ट्रार आफ एसुरेन्स के दफ्तर में डीड नं० I–8885 के अनुसार 2-9-1983 तारीख को रजिस्ट्री हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

तारीख : 22-5-1984
मोहर :

प्रकप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 22 मई 1984

निर्देश सं० 1477/अर्जन रेंज-III/84-85—यतः मुझे एस० के० चौधुरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 276 है तथा जो शरत बोस रोड, कलकत्ता में स्थित है) और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री स्वदेनेन्दु प्रसाद राय चौधुरी

(अन्तरक)

(2) श्री बसन्त कुमार रंता

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनूसूची

276, शरत बोस रोड, कलकत्ता में अवस्थित 7 काठा 24 छटांक जमीन जो रजिस्ट्रार आफ एसुरेन्स के दफ्तर में डीड नं०-I 8984 के अनुसार 6-9-83 में रजिस्ट्री हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

तारीख : 22-5-1985
मोहर

फ़ार्म आई.टी.एन.एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 24 मई 1984

निर्देश सं० 1476/अर्जन रेंज-3/84-85—यतः मुझे एस० के० चौधुरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 23/2 है तथा जो तिलमला प्लेस, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-9-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री कार्तिक चन्द्र सेठ

(अन्तरक)

(2) मुबारक करीम जवाहर एवं अन्यान्य

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

23/2, तिलमला प्लेस, कलकत्ता में अवस्थित (1) 6 काठा, 4 छटांक, 20 वर्गफीट, (2) 3 काठा 6 छटांक 30 वर्गफीट, (3) 3 काठा जमीन एवं स्ट्रक्चर जो सब-रजिस्ट्रार आफ एसुरेन्स, कलकत्ता के दफ्तर में डीड नं० -I 9398 के अनुसार 24-9-1983 तारीख को रजिस्ट्री हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

तारीख : 24-5-84
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण).

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 24 मई 1984

निर्देश सं० 1475/अर्जन रेंज-3/84-85—यतः मुझे एस० के० चौधुरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 8 है तथा जो इन्द्र राय रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 9-9-1983 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती लतिका देवी (गोस्वामी)

(अन्तरक)

(2) श्रीमती भारती कर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नं० 8, इन्द्र राय रोड, कलकत्ता में अवस्थित मकान में 739 वर्गफीट आयत का प्लाट नं० 2 बी जो रजिस्ट्रार आफ एसुरेन्स के दफ्तर में डीड नं० I-9265 के अनुसार 9-9-83 को रजिस्ट्री हुआ।

एस० के० चौधुरी
[सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

तारीख : 24-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 16 मई 1984

निर्देश सं० सी० ए०-54/84-85/सं० 870/आई० ए० सी० एक्यु० रेंज-I/कलकत्ता—यतः मुझे एस० के० चौधूरी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसेकी सं० 29 है तथा जो सेर्कस फीचर सारणी कलकत्ता-17 में स्थित है) और इससे उपावद्ध असूनुची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सी० ए० रेंज-I कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-9-83 को को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

(1) श्रीमती गूलाब देबी सेथीया

(अन्तरक)

(2) श्री श्याम खैतान और शरद खैतान

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

29 सेक्सपीयर सारणी कलकत्ता में अवस्थित सम्पत्ति जो 12-9-88 तारीख में सी० ए० अर्जन रेंज-I कलकत्ता के दफ्तर में सी० नं० 54 के अनुसार रजिस्ट्री हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, कलकत्ता-16

तारीख : 16-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस., --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० सी० ए०-59/84-85/सं० 871/आई० ए० सी० अर्जन रेंज-1/कलकत्ता---यतः मुझे एस० के० चौधुरी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 7/1ए है तथा जो नं० 58 एन० ब्रह्मचारी स्ट्रीट, कलकत्ता-17 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सी० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21-91983 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स परी ऐंटरप्राइसेज

(अन्तरक)

(2) श्रीमती गुलाब देवी सेथिया

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

7/1ए, ई० उ० एन० ब्रह्मचारी स्ट्रीट, कलकत्ता-17 में अवस्थित मकान का प्लाट नं० 5 बी (पांच तल्ला में) जो 21-9-83 तारीख में सी० ए० अर्जन रेंज-1 के दफ्तर में सी० नं० 59 के अनुसार रजिस्ट्री हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, कलकत्ता

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेंट रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० टी० आर०-307/84-85/सं० 872/आई० ए० सी०/अर्जन रेंज-1/कलकत्ता—यतः मुझे एस० के० चौधुरी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 75 सी० है तथा जो पार्क स्ट्रीट कलकत्ता में स्थित है) और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आर० ए० कलकत्ता सें, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के (1908 का 16) के अधीन तारीख 22-9-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रूबी (पार्क) प्रापर्टीज प्रा० लि.
(अन्तरक)

(2) श्री जोरीस कुमार साहा
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

75 सी पार्क स्ट्रीट कलकत्ता में अवस्थित मकान का 10वां फ्लोर में फ्लैट नं० 2 जो डीड नं० 1-9680 के अनुसार 22-9-83 आर० ए० कलकत्ता दफ्तर में रजिस्ट्री हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जेन रेंज-1, कलकत्ता

तारीख: 14-5-1984
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 19 मई 1984

निर्देश सं० टी० आर०-308/84-85/सं० 873, आई० ए० सी०, अर्जन रेंज-1, कलकत्ता—यतः मुझे, एस० के० चौधुरी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 75 सी० है तथा जो पार्क स्ट्रीट कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-9-83 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) रूबी (पार्क) प्रापर्टीज प्रा० लि०
(अन्तरक)

(2) श्री जोगेश कुमार साहा
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

75 सी० पार्क स्ट्रीट कलकत्ता में अवस्थित मकान का 10 वां फ्लोर में फ्लैट नं० 1 जो डीड नं० 1-9683 के अनुसार 22-9-83 तारीख में आर० ए० कलकत्ता दफ्तर में रजिस्ट्री हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, कलकत्ता

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

रूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 17 मई, 1984

निर्देश सं० टी० आर०-291/84-85/सं० 874/आई० ए० सी०/अर्जन रेंज-1/कलकत्ता—यतः मुझे एस० के० चौधुरी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 24/2 है तथा जो सेरीफ लेन, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-9-1983 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गोलाम रसुल (अन्तरक)

(2) मोहम्मद ओसम्मान (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

24/2, सेरिफ लेन, कलकत्ता में अब स्थित, मकान का अविभक्त 10वां हिस्सा जो डीड नं० 1-9126 के अनुसार 8-9-1983 तारीख में रजिस्ट्री हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, कलकत्ता

तारीख: 17-5-1984

मोहर :

फ्लैट नं० टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 17 मई 1984

निर्देश सं० टी० आर०-306/84-85/ सं० 875/आई० ए० सी०/अर्जन रेंज-1/कलकत्ता यतः मुझे एस० के० चौधुरी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 5 है तथा जो कयमाक स्ट्रीट कलकत्ता में स्थित है और इसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है, (रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-9-1983 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मती चम्पा देवी दागा

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुशीला देवी आगरवाला एवं मन्जू जईन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

5 कयमाक स्ट्रीट कलकत्ता में अवस्थित "सरस्वती निकेतन" मकान का फ्लाट नं० बी-6 अनुसार आर० ए० कलकत्ता का दफ्तर में डीड नं० 7-9586 के अनुसार रजिस्ट्री हुआ।

एस० के० चौधुरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, कलकत्ता

तारीख : 17-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आर० ए० सी० सं० 29/84-85—यतः मुझे एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, जो वाल्टीयर वार्ड, वैज़ाग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वैज़ाग में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नेकांती सूर्यनारायणा राव,
वाल्टीयर वार्ड,
अपलेन्डस, विशाखापटनम
(अन्तरक)

(2) कोरोमंडल पेंट्स और केमिकल्स लि०,
9-307, सीरीपुरम जेंक्शन,
विशाखापटनम-3।
2. सी० पी० सी० फारमासेटीकल्स लि०,
10-1-37, वाल्टीयर अपलैन्ड्स विशाखापटनम
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि, विस्तीर्ण 1105 चौ० गज, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1128/83, वाल्टीयर वार्ड विशाखापटनम, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, वैज़ाग

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

फार्म नं० डी. एम. एल.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश आर० ए० सी० सं० 30/84-85—अतः मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है, जो येलूरु में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, येलूरु में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) ई० वेंकटेस्वरय्या पतूलू विद्या समिति,
बाई श्री ई० वेंकटरामय्या;
येलूरु,

(अन्तरक)

(2) चेयरमैन, येलूरु म्युनिसिपलिटी,
येलूरु ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर सम्पति, डो० नं० 23ए-9-1 से 27, येलूरु, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5320/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी येलूरु।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-84

मोहर :

फार्म आई० टी० एन० एस०---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं आर० ए० सी० नं० 31/84-85—अतः मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है जो यीरागवरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तनूकू में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० शममुखधारमालू,
तनूकू ।

(अन्तरक)

(2) श्री वेंकटरामा माडन राइस मिल,
प्रोप्राइटर, श्री ए० आप्पाराव और
के० यीरागवरम,
तनूकू ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि, यीरागवरम, विस्तीर्ण 2-39 एकड़, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3094 और 3076/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, तनूकू।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

[अन्तर्गत, डी० नं० 37-1-429]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद
हैदराबाद दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं आर० ए० सी० नं० 32/84-85—अतः मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 37-1-429 है, जो ओंगोल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है); रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ओंगोल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख का उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री डी० कोटीस्वामी और अन्य,
ब्रह्मविधी,
विजयवाडा-1।
(अन्तरक)

(2) श्री पी० लक्ष्मीनारायणा और अन्य,
घर नं० 37-1-429,
सैकंड लेन, रामनगर,
ओंगोल।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर सम्पत्ति, डी० नं० 37-1-429, ओंगोल, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3366 और 3452/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, ओंगोल।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 11-5-1984

मोहर ।

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं आर० ए० सी० नं० 33/84-85—अतः मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3-6-11, ताडेपल्लीगुडम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ताडेपल्लीगुडम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्रीमती माधव सीतादेवी पति ऊमामहेश्वर राव,
और एम० सत्यभानू,
ताडेपल्लीगुडम,
वेस्ट गोदावरी जिला।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती इंदूकूरी बंगारमा पति सूर्यनारायणा राजू,
7थ वार्ड, ताडेपल्ली गुडम,
वेस्ट गोदावरी जिला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर सम्पत्ति, डी० नं० 3-6-11, सूब्बारावपेटा, ताडेपल्लीगुडम, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3933/83 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, ताडेपल्लीगुडम।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984

मोहर]

प्ररूप आई. टी., एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 34/84-85—अतः मुझे एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 5-3 है, जो मोगलटूरू में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मोगलटूरू में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पी० सत्यनारायणी राजू और अन्य,
5थ वार्ड, भीमावरम,
वेस्ट गोदावरी जिला।
(अन्तरक)

(2) श्री जी० भीमराजू और अन्य,
डी० नं० 5-3, मोगलटूरु,
वेस्ट गोदावरी जिला।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर और भूमि, 5-3, विस्तीर्ण 0.42 1/2, एसेंटस, मोगलटूरू रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1931/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, मोगलटूरू।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984

मोहर]

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 35/84-85—यतः मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, जो थोटापलम, विजयानगरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयानगरम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या,

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० नारायणा पात्रू और अन्य
नागोजीपेट, विजयानगरम।
(अन्तरक)

(2) श्री नवयुग सन पाइप को०
लाई मैनेजिंग पार्टनर
श्री सी० एच० वेंकटेश्वर राजू,
विजयानगरम।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

उक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त
के अध्याय 20-क में परिभाषित
र्थ होगा जो उस अध्याय में दिया

अनुसूची

भूमि विस्तीर्ण 0.90 सेंट्स (0.90 सेंट्स) विजयानगरम ब्लाक-1 थोटापालम, पंचायती, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3738, और 3739/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, विजयानगरम।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक: 11-5-1984
मोहर

प्रारूप आई.टी.एस.एच.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 36/84-85—यतः मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, जो गुनुपुड़ी विलेज, भीमावरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भीमावरम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर, 1983 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पी० वेंकटारमनामूर्ती राजू,
गुनुपुडीशिवनरसय्या,
अग्रहारम, भीमावरम-1,
वेस्ट गोदावरी जिला।

(अन्तरक)

(2) विजया एन्टरप्राईसेज,
बाई श्री बी० नागा वेंकटा नरसिम्हा राजा कुमार,
मैनेजिंग पार्टनर,
13वां वार्ड,
भीमावरम-1,
वेस्ट गोदावरी जिला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि गुनुपुडी विलेज, विस्तीर्ण 6.08 एकड़, 6.08 एकड़, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3111 और 3112/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, भीमावरम।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 11-5-1984
मोहर ।

फ्रूप. आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 37/84-85—यतः, मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो विजयाराला येलुरु तालुक, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, येलूरु में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एम० चंद्रय्या
और अन्य, विजयराला,
येलुरू तालुक,
ईस्ट गोदावरी जिला।

(अन्तरक)

2. श्री बी० अन्जनप्पा
पिता बी० नरसीम्हाप्पा,
केयर आफ डायरेक्टर
सिल्क इंडस्ट्री,
येलुरू।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि; विस्तीर्ण 10 एकर, विजयराला पंचायती, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5238/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, येलूरू।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 38/84-85—यतः, मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो इमकोलु, परचूर तालुक, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इमकोलु में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शेख रहीम बिबिपति नसर साहेब, इमकोलु, परचूर तालुक, प्रकाशम जिला।

(अन्तरक)

2. मै० विजया काटन प्रेसिंग एन्ड जीनिंग मिल, आइ श्री एम० रगा राव, इमाकेलु, परचूर तालुक, प्रकाशम जिला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि, इमाकेलु, विस्तीर्ण 1 एकर, 1 एकर, 1 एकर, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1328, 1329 और 1331/83 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, इमकोलु।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 39/84-85—यतः, मैं, एम० जेंगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है, जो दवलेश्वरम राजमुन्द्री में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजमन्द्री में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)

के अधीन सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) ए० पी० आर० आर० सी० लि०
5-8-58/बी०,
फते मैदान रोड,
हैदराबाद-500029।

(अन्तरक)

(2) एच० एम० एम० लि०,
भारत युवक भवन,
1, जय सिंह रोड,
न्यू दिल्ली-110 001।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

5 नंबर स्टोन टाइप घर, विस्तीर्ण 925 चौ० फु०, दवलेश्वर तहसील, राजमुन्द्री, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5775/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, राजमुन्द्री।

एम० जेंगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 40/84-85—अतः मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमी है, जो राजमुंद्री में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजमुंद्री में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पी० एम० के० चौधरी,
बाइ श्री डी० लक्ष्मीनारायणा,
एक्जीक्यूटिव आफिसर, सीथानपेटा,
राजमुंद्री ।

(अन्तरक)

(2) प्रकाशमनगर को-आपरेटिव बिल्डिंग सोसायटी,
बाइ प्रेसीडेंट, श्री डी० भालराजा राजू,
प्रकाशमनगर, राजमुंद्री, ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि, विस्तीर्ण 22-87, एकड़, राजमुंद्री रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6038-83 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, राजमुंद्री।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 41/84-85—यतः मुझे एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है, जो बापटला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बापटला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, या धन-(1922 का 11) या उक्त अधिनयम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती एन० वरालक्ष्मी और अन्य
निडूब्रोलू,
पोनूर तालुक, गंटूर जिला।

(अन्तरक)

(2) श्री सैयद इब्राहिम
पिता सैयद खादर साहेब,
इस्लामपेट बापटला,
पी० ओ० बापटला,
तालुक गुंटूर जिला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर संपत्ति, बापटला गुंटूर जिला, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2167/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, बापटला।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 11-5-1984
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एम.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 42/84-85—यतः मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है, जो ओंगोल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ओंगोल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) सम्पत्ति से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री एम० विरास्वामी और अन्य,
कंडूकूरू,
ओंगोल जिला

(अन्तरक)

(2) श्री ए० सूर्यचन्द्रकुमारी और अन्य,
घर नं० 2/17, करनूल,
ओंगोल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर संपत्ति, डी० नं० 2/17, ओंगोल, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3549/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, ओंगोल ।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 43/84-85—यतः मुझे, एम० जेगन मोहन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, जो कोलंका विलेज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकीनाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एतसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत या अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अब अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डा० खादर हालीशवासी साधुक्रीष्णा वर्मा, कोलंका-533 473।

(अन्तरक)

(2) श्री डी० रामभद्रा वर्मा, कोलंका-533 473।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास [illegible]

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि, विस्तीर्ण 3-15 एकड़, और 1-577 एकड़, कोलंका विलेज, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8646 और 8647/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, काकीनाडा।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984

मोहर

प्ररूप. आई. टी. एन. एस., - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 44/84-85—यतः मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है, जो आडीपेट, गंटूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुंटूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती वाई० वी० शकुंतलम्मा
पति वेंकट श्रीरामुलु,
आडीपेट, गुंटूर।

(अन्तरक)

(2) श्री के० शंकर राव
पिता श्री के० वेंकटा बाला कोटेश्वरा राव,
कोथापेटा, गुंटूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर संपत्ति डी० नं० 5-4-18, आडीपेट, गुंटूर, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7512/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, गंटूर।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 46/84-85—अतः मैं, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 25-14-54 है, जो श्रीनिवासराव थोटा, गंटूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुंटूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री एन० बाबूराव और अन्य,
श्रीनिवासराव थोटा,
गुंटूर।
(अन्तरक)

(2) श्री के० वेंकटरेड्डी
पिता सुब्बा रेड्डी,
डी० नं० 25-14-54, श्रीनिवासराव थोटा,
गंटूर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर संपत्ति, डी० नं० 25-14-54, श्रीनिवासराव थोटा, गंटूर, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7876/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 45/84-85—अतः मुझे, एम० जेगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है, जो कथापेट, गुंटूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुंटूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अब, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री के० जयरामीरेड्डी और अन्य
कृष्णवेणी हास्पीटल रोड,
गुंटूर।

(अन्तरक)

(2) श्री के० पेद्दन्ना
पिता गुंडय्या,
घर नं० 12-13-24,
कोथापेट, गुंटूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर संपत्ति, डी० नं० 12-13-24, कथापेट, गुंटूर, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7883/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984

मोहर:

प्रारूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद
हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 47/84-85—यतः मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 20-8-73, सांगडीगूटा है, जो गुंटूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुंटूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री के० रंगानायकम्मा
पति लक्ष्मीनारायणा
आर० अग्रहारम, गुंटूर।
(अन्तरक)

(2) श्री के० वेंकटा सुब्बाराव
पिता वेंकटनरसय्या,
घर नं० 20-8-73, रंगीडीगूंटा,
गुंटूर
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर संपत्ति, डी० नं० 20-8-73, संगाडीगूंटा, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7886/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 48/84-85—यतः मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है, जो आडीपेट, गुंटूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुंटूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री वाई० नारायणामूर्ति,
4/13, आडीपेट,
गुंटूर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती वी० नागलक्ष्मी और अन्य
घर नं० 5-48-13, आडीपेट,
गुंटूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं:

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर संपत्ति डी० नं० 5-48-13, आडीपेट, गुंटूर, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7667/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद
हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 49/84-85—यतः मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है, जो नागरमपालम गुंटूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुंटूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में अभिव्यक्त नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अब अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० सत्यनारायणा और अन्य,
बाडापेटा,
गुंटूर।

(अन्तरक)

(2) श्री माजेटी वेंकटा रामा कोटी मूत्यालू,
आरुणदलपेट,
गुंटूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर संपत्ति, डी० नं० 25-11-1, नागरामपालम, गुंटूर, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7743/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 50/84-85—यतः मझे, एम० जेगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 31-33-68 है, जो आलीपुरम वार्ड, वैज़ाग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वैज़ाग में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० ए० माननपिता लेट आज़ीम,
गोपालपटनम नायडू,
क्वार्टर्स, विशाखापटनम-1,
(अन्तरक)

(2) श्री एम० सैयद खरीम
पिता आली,
घर नं० 31-33-38, आलीपूरम, वार्ड
विशाखापटनम।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर संपत्ति, डी० नं० 31-33-38, आलीपूरम, वार्ड वैज़ाग, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 11262/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वैज़ाग।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई, 1984

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 51/84-85—यतः मैसे, एम० जेगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य रु. 5,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, जो चुरुवाड़ा विलेज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पेनूगोंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में आन्तरिक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा पकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एस० श्रीरामा कृष्णा रेड्डी,
पेटेऊ, टूनि तालूक,
वेस्ट गोदावरी जिला।
(अन्तरक)

(2) श्री पोलीसेटी धर्मारात्र और अन्य,
इथामपुडी,
तनूकू तालूक, वेस्ट गोदावरी जिला।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि, चुरुवाड़ा विलेज, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1832, 1793, 1792, 1778/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पेनूगोंडा

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 11-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 52/84-85--यतः मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 5-9-17 है, जो विजयानगरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयानगरम, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० रामुलू और अन्य,
5-9-17, विजयानगरम
(अन्तरक)

(2) दि होल सेल क्लाथ मरचेंट्स एसोसिएशन,
बाईस प्रेसीडेंट श्री एन० विराभद्रास्वामी,
महात्मागांधी रोड,
विजयानगरम-1।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर संपत्ति नं० 5-9-17, विजयानगरम टाउन, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 36251/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयानगरम।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-84
मोहर :

[illegible] आई.टी.एस.एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

[illegible]

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1989

निर्देश सं० आर० यू० सी० नं० 53/89-85—अतः मुझे, एम० जेगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पिथापूरम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 19 सितम्बर 83

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० वेंकटरमना मुर्ती,
पितापूरम ।

(अन्तरक)

(2) श्री के० रामलिंगेश्वर राव,
5-1-31, पितापूरम,
इस्ट गोदावरी जिला ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर सम्पत्ति, डी० नं० 5-1-31, पितापूरम रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2152 और 2153/83 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पितापूरम।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं आर० ए० सी० नं० 54/84-85—अतः मुझे, एम० जेगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 10-34-3 एफ० है, जो कावली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कावली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, ता० सितम्बर 83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उक्तोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री व्ही० सूजातम्मा पति सत्यनारायणा, करीमनगर।

(अन्तरक)

(2) श्री एन० प्रभाकर नायडू, पिता नजाप्पा, डी० नं० 10-34-3 एफ०, कावली, को-आपरेटिव कालोनी, कावली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर सम्पत्ति, नं० 10-34-3 एफ०, कावली, म्युनिसिपलिटी रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1414/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कावली।

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-84.

मोहर :

प्रारूप आई. टी. एस. .....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 84

आर० ए० सी० नं० 55/84-85—अतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है, की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, जो पोडूरु में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आचंता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, सितम्बर 83.

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

15—116GI/84

(1) श्री एम० सिरा वेंकटा सत्यनारायणा रेड्डी,
थाविता पोस्ट,
वेस्ट गोदावरी जिला,
(अन्तरक)

(2) श्री एम० चीना वेंकटा रेड्डी,
पिता सूर्यनारायणा रेड्डी,
थाविता पोस्ट, वेस्ट गोदावरी जिला,
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि, विस्तीर्ण 4-51, पोडूरी विलेज, रजिस्ट्रीकृत डि... नं० 1714/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आचंता ।

एम० जगन मो.
सक्षम प्राधिका
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षा.
अर्जन रेंज, हैदराब

तारीख : 11-5-84.

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 11 मई 84

आर० ए० सी० नं० 56/84-85—अतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, जो भीमावरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भीमावरम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, ता० सितम्बर 83.

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके श्रयमान प्रतिफल से, ऐसे श्रयमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री बी० सत्यवती पति चीनाकृष्णामूर्ति, ऊन्द्राजावरम, तनूकू, वेस्ट गोदावरी जिला,

(अन्तरक)

(2) श्री रामचन्द्रा बाइल्ड एण्ड राइस मिल, कान्ट्रक्टर्स श्री डी० सूर्यनारायणा राजू, भीमावरम, वेस्टगोदावरी जिला,

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि, विस्तीर्ण 2-54 एकड़, भीमावरम, रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 3043/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भीमावरम।

एम० जेगन मोहन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद।

तारीख : 11-5-1984

मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई, 1984

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 57/84-85—यतः

मुझे एम० जेगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 9–8–6 है, जो राइपेट, गंटूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुंटूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब:, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती बी० रामसीता पिता जी० तातय्या गारु, रेलपेट, गंटूर।

(अन्तरक)

(2) कुमारी के० समता बाइ
पिता डा० के० वेंकटरत्नम,
घर नं० 9–8–6, सीस्टलावारी विधि,
रेलपेट, गुंटूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर संपत्ति, डी० नं० 9–8–6, सीस्टलावारी विधि रेलपेट, गुंटूर, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7835/83 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुंटूर।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद।

तारीख : 11-5-1984
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 58/84-85—यतः मैं, एम० जेगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 27-21-5 है, जो गव्हरनपेटा विजयवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजयवाड़ा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर, 1983

में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में तात्विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एस० ए० बसीर साहब,
बाई श्रीराम सुन्दरम गारू,
फर्स्ट एडीशनल जेज,
विजयवाडा।

(अन्तरक)

(2) श्री शेख बूडूह साहेब और
शेख हूशन साहेब,
27-2-15, गव्हरनरपेटा,
विजयवाडा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर सपत्ति, डी० नं० 27-21-5, गव्हरनरपेटा, विजयवाडा, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6081/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी विजयवाड़ा।

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 59/84-85 यतः मुझे,
एम जगन मोहन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 10,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० 27-3-51 है, जो भीमावरम स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भीमावरम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983
को रजिस्ट्रीकृत पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० वेंकटेट नरसीम्हा राजू पिता वेंकटारामराजू
2रा वार्ड, भीमावरम-2,
वेस्टगोदावरी जिला
(अन्तरक)

(2) श्री चावा सूर्या राजू राव पिता सूब्बाराव,
13थवार्ड, भीमावारम, वेस्ट गोदावरी जिला
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

डी० नं० 27-3-51, भीमावरम रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2976, 2975 और 2974/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भीमावरम

एम० जगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर ।

प्ररूप आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आर० ये० सी० नं० 60/84-85—यतः मुझे, एन० जेगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, जो भीमावरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भीमावरम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सीरयच गोपाला राजू और अन्य
आकीविडु,
वेस्ट गोदावरी जिला
(अन्तरक)

(2) श्री अम्बीका रा आन्ड पार बाइलडराइस मील, बाइ श्री वेंकटेस्वरलू यस, मनेजींग पार्टनर,
आकीविडु,
वेस्ट गोदावरी
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि अकीविडु रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3178/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भीमवरम

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-4-1984
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आर० ये० सी० नं० 61/84-85--यतः मुझे, एम० जेगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है जो राजमुण्ड्री में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता-अधिकारी के कार्यालय, राजमुंड्री में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० त्रिरा राजू गांधी प्रकाशम रोड, राजमुंड्री

(अन्तरक)

(1) श्रीमती यन, सीतारत्नम मति
श्री नालम आप्पालराजू,
इनीसपेट, राजमुंड्री

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि गांधी प्रकाशम रोड़, राजमुंड्री रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5990/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजमुंड्री

एम० जेगन मोहन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आर० ये० सी० सं० 62/84-85—यतः मुझे, एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी भूमि है, जो राजमुंद्री में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजमुंद्री में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल को पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्रीमती एम० अनासूयम्मा, विशाखापटनम,

(अन्तर

(2) श्रीमती जी० वरलक्ष्मी ब्रह्मारम्बा, और कु० जी० वेंकटा पद्मावती, गोथापेटा ईस्ट गोदावरी जिला

(अन्तरित

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन की कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों को सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वो व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो अधिनियम के अध्याय 20-क में परि हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में गया है।

अनुसूची

भूमि राजमुंद्री रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 5427और 542 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजमुंद्री ।

एम० जेगन
सक्षम अधि
सहायक आयकर आयुक्त (निरी
अर्जन रेंज, हैदर

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

फ्रारूप आई. टी. एन. एस.—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आ० ये० सी० नं० 63/84-85—यतः मुझे, एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, जो मंटी पेंदापुडी में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोथापेटा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) वेंकटेस्वर सुगरर्स बाई श्री एम० विष्णुवर्धण वेंकट सत्यनारायणा राजेन्द्रवर्मा मंटीपेदापूडी, कोथापेट, इस्ट गोदावरी जिला

(अन्तरक)

(2) श्री भास्करलक्ष्मी मोर्डन रॉ ऑन्ड वॉइल्ड राइस मील, वाइ श्री एम० भास्कर राव मंटीपेदापुडी, कोथापेटा तालुक इस्ट गोदावरी जिला

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि विस्तीर्ण 3.80 एकड़, मंटीपेंदापुडी, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1948/83, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कोथापेटा

एम० जगन मोहन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-5-1983
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ---- ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर-3/83/1005--अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि है तथा जो ग्राम कपाशेरा, दिल्ली मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :कु—

(1) श्री ब्रह्म दत्त
ओम प्रकाश
धरमु,
श्रीमती माया सुपुत्नी
श्रीमती धापा विधवा पत्नी
बलबीर सिंह
श्री वीर सिंह;
सुरज भान, श्री चन्द,
रिजल सुपुत्रगण श्रीमती महादेई,
श्रीमती चान्द कौर,
श्रीमती ओम वती
सुपुत्री श्रीमती हर कौर विधवा पत्नी
श्री जीत राम, अमिन लाल,
सुपुत्र श्री बहादुर
दालू सुपुत्र श्री उदमी,
दीप चन्द सुपुत्र श्री राम प्रसाद,
निवासी ग्राम कपासाक हेड़ा, नई दिल्ली,

(अन्तरक)

(2) मै० दुनहिल कन्सट्रक्शन (इन्डिया) प्र० लि० बी-4/4, सफदरजंग इनक्लेव,
नई दिल्ली,

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/6 भाग खसरा नं० 140 मिन साउथ (1–14), 141 मिन साउथ (2–8), 142 मिन साउथ (1–17), 143(2–14), 144(2–8), 145(2–8), 139 मिन (0–7) तादादी 13 बिघे और 16 बिस्वे, ग्राम कासास हेड़ा नई दिल्ली,

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु० II/एस० आर०-3/-9 83/1006—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव कापाशेरा नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. ब्रह्म दत्त, ओम प्रकाश, अलियाश धर्मभू सुपुत्र बलबीर सिंह, बीर सिंह श्रीमति सोनादेवी श्रीमति चमेली श्रीमति माया सुपुत्री बलबीर सिंह, अलियाश बीर सिंह, श्रीमति धापा धर्म पत्नि स्वर्गीय बलबीर सिंह और बीर सिंह, सूरज भान, श्री चन्द रिशाल सुपुत्र जीत राम श्रीमति महादई, श्रीमति चन्द कौर, श्रीमति ओमवती सुपुत्री जीत राम श्रीमति हर कौर धर्म-पत्नि स्वर्गीय जीत राम अमिन लाल सुपुत्र बहादुर दालू सुपुत्र उदभी दीप चन्द सुपुत्र राम प्रसाद निवासी गांव कापाशेरा, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. मैसर्स राईशिंग प्रापर्टी (प्रा०) लि०, बी—4/4 सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली, डायरेक्टर बी० सी० गुप्ता द्वारा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/6 हिस्सा कृषि भूमि, 17 बीघा 11 विश्वा, खसरा नं० 130/2(4-4), 131(5-8), 134 (4-16), 138/1 (3-0), 139 मिन (0-3), गांव कापाशेरा, तहसील महरौली, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 14-5-1984

मोहर ।

प्ररूप आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई. ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/9-83/1007—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि है तथा जो ग्राम कपास हेड़ा, महरौली, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्न लिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री ब्रह्मदत्त, ओम प्रकाश एलीयस धरमु सुपुत्रगण श्री बलबीर सिंह, बीर सिंह, श्रीमति सोना देवी, श्रीमति चमेली, श्रीमति माया सुपुत्री बलबीर सिंह एलीयस बीर सिंह, श्रीमति धापा विधवा पत्नी बलबीर सिंह एलीयस बीर सिंह, सूरज भान, श्री चन्द, रिजल सुपुत्र श्री जीत राम, श्रीमति महा देई पत्नि श्री जीत राम, चान्द कौर, ओमवती सुपुत्री श्री जीत राम, हर कौर विधवा पत्नि श्री जीत राम, अमन लाल, सुपुत्र बहादुर, दालु सुपुत्र उदमी, दीप चन्द सुपुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी ग्राम कपास हेड़ा, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. मै० सर्वोदय बिल्डर्स प्रा० लि०, बी-4/4 सफदरजंग इन्क्लेव, नई दिल्ली, द्वारा डाईरेक्टर श्री वी० सी० गुप्ता,
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/6 भाग कृषि भूमि तावादी 14 बीघे और 18 बिस्वे खसरा नं० 132 (4-3), 133 (4-16), 140 मिन नार्थ (2-8), 142 मिन नार्थ (1-0), 139 मिन (0-7), ग्राम कपास हेड़ा, तहसील महरौली, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू० I/एस० आर०-3/9-83/1008—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव कापाशेरा नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

1. श्री जय नारायण, रणबीर सिंह याद राम अलियास लाला अलियास बलबीर सुपुत्र प्रिभू श्रीमति माया धर्मपत्नि जशराम, बखतावर राम सरूप सुपुत्र महा सिंह, श्रीमति भगवती धर्मपत्नि स्वर्गीय रती राम राम किशन सुपुत्र महा सिंह निवासी गांव कापाशेरा, नई दिल्ली। (अन्तरक)
2. मैसर्स राईशिंग प्रापर्टीज (प्रा०) लि०, बी-4/4, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली, डायरेक्टर वी० सी० गुप्ता। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

11/72 हिस्सा कृषि भूमि में, खसरा नं० 130/2(4-4), 131(5-8), 134 (4-16), 138/1 (3-0), 139 मिन (0.3), 16 बीघा 11 बिस्वा गांव कापाशेरा, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण);
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

फार्म आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/9–83/1009––अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि है तथा जो ग्राम-कपास हेड़ा, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् है—

1. जय नारायण, रघबीर सिंह, याद राम, लाल, बलबीर सुपुत्रगण श्री परभू श्रीमति माया, विधवा पत्नि श्री जग राम, मोहन सिंह, राम मेहर, राम नारायण सुपुत्रगण लाल सिंह, रमेश्वर सुपुत्र श्री दलीप, बख्तावर, राम सरूप सुपुत्र श्री महा सिंह श्रीमति भगवती विधवा पत्नी श्री रती राम, राम किशन सुपुत्र श्री माहा सिंह, निवासी-ग्राम, कपास हेड़ा, नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. मैं० दनहिल कन्सट्रक्शन (इन्डिया) प्रा० लि०, बी-4/4, सफदरजंग इनक्लेव, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि तादादी 13 बीघे और 16 बिस्वे, का 5/24 भाग, खसरा नं० 140 मिन साउथ (1–14), 141 मिनसाउथ (2–8); 142 मिन साउथ (1–17), 143 (2–14), 144(2–8), 145 (2–8) 139 मिन (0–7), ग्राम कपास हेड़ा, नई दिल्ली

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 14-5-84
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली; दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/9-83/1010—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो ग्राम-कपास हेड़ा, महरौली, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जय नारायण, रथबीर सिंह, याद राम, एलीयस लाला, तथा बलबीर, सुपुत्रगण परभु, श्रीमति माया पत्नि जग राम, राम मेहर सुपुत्र श्री लाल सिंह, जी० ए० मोहर सिंह, राम नारायण सुपुत्र श्री लाल सिंह, रमेश्वर सुपुत्र श्री लदीप बखतावर, राम सरुप सुपुत्र श्री महा सिंह, श्रीमति भागवती विधवा पत्नि श्री रती राम, राम किशन सुपुत्र श्री माहा सिंह, निवासी-ग्राम-कपास हेड़ा, महरौली, नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. मै० सर्वोदया बिल्डर्स प्रा० लि०, बी-4/4 सफदरजंग इन्क्लेव, नई दिल्ली, द्वारा डाइरेक्टर-श्री वी० सी० गुप्ता

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

5/24 भाग कृषि भूमि तादादी 14 बीघे और 18 बिस्वे, खासरा नं० 132 (4-3), 133 (4-16), 140 मिन नार्थ (2-4), 141 मिन नार्थ (2-8), 142 मिन नार्थ (1-0), 139 मिन (0-7), ग्राम-कपास हेड़ा, महरौली, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 14-5-1984

मोहर :

[illegible]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/9-83/1011—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव कापास हेड़ा नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के क्षयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके क्षयमान प्रतिफल से, ऐसे क्षयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरी सिंह तारा चन्द, अमिन चन्द सुपुत्र मोती श्रीमति गुमिला, सुपुत्री भगवान सहाय राम मेहर, सुपुत्र लाल सिंह स्वयं की व जनरल अटोर्नी श्री मोहर सिंह, राम नारायण सुपुत्र लाल सिंह, रामेश्वर सुपुत्र दलीप निवासी गांव-कापास हेड़ा, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

3. मैसर्स राईजिंग प्रापर्टीज (प्रा०) लि०, बी-4/4, सफदरजंग इन्क्लेव, नई दिल्ली, डायरेक्टर बी० सी० गुप्ता द्वारा।

(अन्तिरती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि में 25/144 हिस्सा, 17 बीघा 11 बिसवा खसरा नं० 130/2(4-4), 131(5-8), 134 (4-16), 138/1 (3-0), 139 मिन (0-3), गांव कापास हेड़ा, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1; नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/9-83/1012—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो ग्राम-कपास हेड़ा, महरौली, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् है—

1. श्री हरी सिंह, तारा चन्द, अमिन चन्द, सुपुत्रगण श्री मोती, ग्राम कपास हेड़ा, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मैं० सर्वोदया बिल्डर्स प्रा० लि०, बी०-4/4, सफदरजंग इनक्लेव, नई दिल्ली, द्वारा डाईरेक्टर श्री वी० सी० गुप्ता

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/12 भाग कृषि भूमि तादादी 14 बीघे और 18 बिस्वे, खसरा नं० 132 (4-3), 133 (4-16), 140 मिननार्थ (2-4), 141 मिन नार्थ (2-8), 142 मिन नार्थ (1-0), 139 मिन (0-7), ग्राम कपास हेड़ा, तहसील महरौली, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1; नई दिल्ली

दिनांक : 14-5-1984,
मोहर :

17—116GI/84

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/9-83/1013—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि है तथा जो ग्राम कपास हेड़ा, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह, विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरी सिंह, तारा चन्द और अमिन चन्द, सुपुत्रगण श्री मोती, निवासी-ग्राम-कपास हेड़ा, नई दिल्ली
(अन्तरक)
2. मैं० हुनहिल कन्स्ट्रक्शन (इन्डिया) प्रा० लि०, बी०-4/4 सफदरजंग इनक्लेव, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/12 भाग प्रो० तादादी 13 बीघे 16 बिस्वे, खसरा नं० 140 मिन साउथ (1–14), 141 मिन साउथ (2–8), 142 मिन साउथ (1–17), 143 (2–14), 144 (2–8), 145 (2–8), 139 मिन (0–7), ग्राम-कपास हेड़ा, महरौली, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 14-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०–3/9–83/1014––अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो ग्राम कपास-हेड़ा, महरौली, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सर्वश्री जयराम, रामचन्द, झुटर
सुपुत्रगण श्री याद राम,
श्री शिवनाथ सुल्तान सुपुत्रगण
श्री उमराव मनोहर लाल,
श्री लाला राम धन, रामनिवास
सुपुत्रगण श्री राम पत, श्री उदेराम,
श्री चांदगी सुपुत्रगण
श्री इमारत, सभी निवासी
ग्राम कपास हेड़ा,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मै० हुनहिल कनस्ट्रक्शन (इण्डिया)
प्राइवेट लिमिटेड,
बी–4/4, सफदरजंग इनक्लेव,
नई दिल्ली।

(अन्तरिती

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि तादादी 13 बीघे और 16 बिस्वे, खसरा नं० 140 मिन साउथ (1–14), 141 मिन साउथ (2–8) 142 मिन साउथ (1–17), 143(2-14), 144 (2–8) 145(2–8), 139 मिन (0–7), ग्राम कपास हेड़ा, महरौली नई दिल्ली,

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/ एस० आर०–3/ 9–83/1015—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), जो कि धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव कपास-हेड़ा, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के आधीन, दिनांक सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जगराम, रामचन्दर झूटर
सुपुत्रगण श्री यादराम,
श्री शिवनाथ, सुल्तान सुपुत्र
श्री उमराव श्री मनोहर लाल,
श्री लाला राम, धन,
श्री राम निवास सुपुत्र
श्री रामपत, श्री उदय राम, श्री चन्दगी
सुपुत्र श्री ईमरत निवासी
गांव कपास हेड़ा
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स राईजिंग,
प्रापर्टी (प्रा०) लि०,
बी–4/4, सफदरजंग इनक्लेव,
नई दिल्ली,
डायरेक्टर श्री वी० सी० गुप्ता द्वारा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में **कोई भी आक्षेप है—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त **अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

अनुसूची

1/6 हिस्सा कृषि भूमि में 17 बीघा 11 बिश्वा, खसरा सं० 130/2(4–4), 131(5–8), 134(4–16) 138/1 (3–0), 139 मिन (0–3) गांव कपास-हेड़ा, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख : 14–5–1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन. एस.

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०–3/9–83/1016—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को; यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम-कपास हेड़ा, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के आधीन दिनांक सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी अन्य या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) सर्वश्री जगराम, राम चन्दर
एलियस झटर सुपुत्रगण
सर्वश्री याद राम, शिव नाथ, सुलतान
सुपुत्र उमराव श्री मनोहर लाल,
श्री लाला राम धन, रामनिवास सुपुत्र
श्री राम पत, उदय राम,
श्री चांदगी राम सुपुत्र
श्री इमरात,
निवासी-कपास हेड़ा,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मै० सर्वोदया बिल्डर्स प्रा० लि०,
बी–4/4, सफदरजंग इनक्लेव,
नई दिल्ली डायरेक्टर,
श्री वी० सी० गुप्ता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/6 भाग कृषि तादादी 14 बीघे और 18 बिस्वे, खसरा नं० 132 (4–3), 133(4–16), 140 मिन नार्थ (2–4), 141 मिन नार्थ (2–8), 142 मिन नार्थ (1–0), 139 मिन (0–7), ग्राम कपास हेड़ा, नई दिल्ली तहसील महरौली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली

तारीख : 14–5–1984
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 14 मई, 1984
निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०–3/9–83/1017—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव कपास हेड़ा, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री शंकर सुपुत्र श्री जहारिया,
चन्द्रो धर्मपत्नी स्व० सिरया,
श्री चेतराम सुपुत्र श्री हुक्मी,
गांव कपास हेड़ा,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) मै० राइजिंग प्रापर्टी
(प्राइवेट) लिमिटेड,
बी–4/4, सफदरजंग इनक्लेव,
नई दिल्ली
डायरेक्टर वी० सी० गुप्ता ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि में 1/6 हिस्सा, 17 बीघा, 11 विश्वा, खसरा नं० 130/2(4–4), 131 (5–8), 134(4–16), 138/1(3–0), 139 मिन (0–3), गांव कपास हेड़ा, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–I, नई दिल्ली

तारीख : 14–5–1984
मोहर :

फ्रक्स नाइ. टी. एच.) इक.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/9-83/1018—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो ग्राम-कपास हेड़ा, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का **पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शंकर सुपुत्र
श्री जहारिया,
श्रीमती चान्द्रो
विधवा पत्नी श्री सिरया,
श्री चेत राम,
सुपुत्र श्री हुकमी,
निवासी—ग्राम कपास हेड़ा,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मै० दुनहिल कन्स्ट्रक्शन
(इन्डिया) प्रा० लि०,
बी-4/4,
सफदरजंग इनक्लेव,
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/6 हिस्से भूमि तादादी 13 बिघे और 16 विश्वे, खसरा नं० 140 मिन साउथ (1-14), 141 मिन साउथ (2-8), 142 मिन साउथ (1-17), 143 (2-14), 144 (2-8), 154(2-8), 139 मिन (0-7), ग्राम-कपास हेड़ा महरौली, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/9-83/1019—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम—कपास हेड़ा, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक और (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शंकर सुपुत्र गहारिया,
   श्रीमती चान्द्रो विधवा
   पत्नी श्री सिरया,
   चेत राम
   सुपुत्र श्री हुकमी,
   नियामी—ग्राम कपास हेड़ा,
   तहसील—महरौली,
   नई दिल्ली। (अन्तरक)
2. मैं० गर्वोदया बिल्डर्स प्रा० लि०,
   बी-4/4,
   सफदरजंग इनक्लेव,
   नई दिल्ली,
   द्वारा डाइरेक्टर श्री वी० सी० गुप्ता
   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/6 भाग कृषि भूमि तादादी 14 बिघे और 18 बिस्वे, खसरा नं० 132 (4-3), 133 (4-16), 140 मिन नार्थ (2-4), 141 मिन नार्थ (2-8), 142 मिन नार्थ (1-0), 139 मिन (0-7), ग्राम-कपास हेड़ा, महरौली, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एक्ट. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/9-83/1020—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो ग्राम—कपास हेड़ा, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए; और/या

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री राय सिंह,
   सरदार सिंह,
   रोशन लाल,
   हिरा लाल,
   जगमाल सिंह
   सुपुत्रगण श्री भगवान सहाय
   और श्रीमती सुमित्रा सुपुत्री
   श्री भगवान सहाय,
   निवासी—ग्राम—कपास हेड़ा,
   नई दिल्ली (महरौली)।

   (अन्तरक)

2. मैं० दुनहिल कन्स्ट्रक्शन (इण्डिया) प्रा० लि०,
   बी-4/4,
   सफदरजंग इनक्लेव,
   नई दिल्ली।

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि तादादी 13 बिघे और 16 बिस्वे, खसरा नं० 140 मिन साउथ (1-14), 141 मिन साउथ (2-8), 142 मिन साउथ (1-17), 143 (2-14), 144 (2-8), 145 (2-8), 139 मिन (0-7), ग्राम-कपास हेड़ा, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/9-83/1021—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव—कपास हेड़ा, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री राम सिंह,
   सरदार सिंह,
   रोशन लाल,
   हीरा लाल
   जगमाल सिंह,
   सुपुत्र भगवान सहाय,
   निवासी—गांव—कापास हेड़ा,
   नई दिल्ली।

   (अन्तरक)

2. मैं० राईंग
   प्रापर्टीज (प्रा०) लि०,
   बी-4/4,
   सफदरजंग एनक्लेव,
   नई दिल्ली
   डायरेक्टर, वी० सी० गुप्ता द्वारा।

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि में 25/144 हिस्सा, खसरा नं० 130/2 (4-4), 131(5-8), 134(4-16), 138/1 (3-0), 139 मिन (0-3) टोटल 17 बीघा 11 बिस्वा गांव कापास हेड़ा, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/9-83/1022—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम कपास हेड़ा, महरौली, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राय सिंह,
   सरदार सिंह,
   रोशन लाल,
   जगमल सिंह,
   सुपुत्र श्रीमती सुमित्रा
   सुपुत्री भगवान सहाय,
   निवासी—ग्राम—कपास हेड़ा,
   नई दिल्ली।

   (अन्तरक)

2. मै० सर्वोदया बिल्डर्स प्रा० लि०,
   बी-4/4,
   सफदरजंग इनक्लेव,
   नई दिल्ली
   द्वारा डाइरेक्टर श्री बी० सी० गुप्ता

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

5/24 भाग कृषि भूमि तावादी 14 बिघे और 18 बिस्वे खसरा नं० 132 (4-3), 133(4-16), 140 मिन नार्थ (2-4), 141 मिन नार्थ (2-8), 142 मिन नार्थ (1-0), 130 मिन (0-7), ग्राम—कपास हेड़ा, तहसील महरौली, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर ॥

फ़ार्म आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/9-83/1028—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सोप नं० 39 है, तथा जो डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती जोगिन्दर कौर,
   मुकन्द कौर
   श्रीमती देव राज कौर,
   निवासी—सोप नं० 39,
   डिफेंस कालोनी,
   नई दिल्ली।

   (अन्तरक)

2. श्री धरम पाल शर्मा
   सुपुत्र श्री बी० डी० शर्मा
   श्रीमती श्यामा शर्मा
   पत्नी श्री डी० पी० शर्मा
   और सुधीर शर्मा
   सुपुत्र श्री डी० पी० शर्मा
   निवासी—ए-66,
   डिफेंस कालोनी,
   नई दिल्ली।

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सोप नं० 39, डिफेंस कालोनी, मार्केट नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

फ्रूप नाई टी. एन एल.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०—11/एस० आर०—3/9—83/1035—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव आया नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल, से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री लाल चन्द,
हर सरूप,
सुपुत्र श्री नैन सिंह,
ज्ञानी सीस राम,
हंस राम,
सुपुत्र स्वर्गीय मन्नू चरण सिंह,
प्रेमचन्द सुपुत्र बेग राम
निवासी गांव-आया नगर,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मैसर्स नवरंग कमर्शियल कम्पनी (प्रा०) लि०,
219-चितरंजन एवेन्यू,
कलकत्ता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 5 बीघा 3 विश्वा, खसरा नं० 451/2 (1—4), 459 (2—8), 1623 (1—11), गांव आया नगर, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 14—5—1984
मोहर :

फ्रक्म आई० टी० एन० एस०.....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-I/एस० आर०-3/9-83/1036—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव आया नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लाल चन्द हर सरूप,
   सुपुत्र श्री नैन सिंह,
   ज्ञानी, सीस राम,
   हंस राम,
   सुपुत्र स्वर्गीय मधू,
   चरण सिंह,
   प्रेम चन्द,
   सुपुत्र जोग राम,
   निवासी—गांव आया नगर,
   नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मैसर्स नवरंग कमर्शियल कम्पनी (प्रा०) लि०,
   219—चितरंजन एवेन्यू,
   कलकत्ता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि खसरा नं० 460 (2-8), 1530/1 (1-10 1/2), 1624 (0-19 1/2) 1618/2(0-17), गांव आया नगर, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू-1/एस आर०-3/9-83/1037—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव आया नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लाल चन्द, हर सरूप
   सुपुत्र श्री नैन सिंह, ज्ञानी,
   सीस राम, हंस राम,
   सुपुत्र स्वर्गीय मक्खू, चरण सिंह, प्रेम चन्द,
   सुपुत्र जोश राम,
   निवासी आया नगर, नई दिल्ली।

   (अन्तरक)

2. मैसर्स नवरंग कमर्शियल कम्पनी (प्रा०) लि०,
   219 उचितरंजन एवन्यू, कलकत्ता।

   (अन्तरिती)

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्ति तथों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में अक्षेप किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि खसरा नं० 1551(2-8), 1552/1(0-19), 1572 (0-14), 1571/1(0-10), 1619(0-12), गांव आया नगर, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, दिल्ली

तारीख : 14-5-1984

मोहर

फार्म आई. टी. एन. एच.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज,-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू-1/एस आर-3/9-83/1038--अतः मैं, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव आया नगर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लाल चन्द, हर सरूप,
   सुपुत्र श्री नैन सिंह, ज्ञानी, सौस राम, हंस राम,
   सुपुत्र स्वर्गीय मग्घू, चरण सिंह, प्रेम चन्द,
   सुपुत्र जोश राम निवासी
   गांव आया नगर, नई दिल्ली।

   (अन्तरक)

2. मैसर्स नवरंग कमर्शियल कम्पनी (प्रा०) लि०,
   219, चितरंजन एवन्यू, कलकत्ता।

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर पूर्वोक्त उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि खसरा नं० 1621(1–7 1/2), 1627 (1–17 1/2), 1628 (0–15), गांव आया नगर, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नई दिल्ली

तारीख : 14–5–1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नई दिल्ली,

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्य०-1/एस० आर०-3/9-83/1039—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो आया नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लाल चन्द, हर स्वरूप,
   सुपुत्र श्री नैन सिंह, ज्ञानी, सीस राम, हंस राम,
   सुपुत्र स्वर्गीय मन्नू, चरण सिंह, प्रेम चन्द
   सुपुत्र जोशग राम,
   निवासी गांव आया नगर, नई दिल्ली।

   (अन्तरक)

2. मैसर्स नवरंग कमर्शियल कम्पनी (प्रा०) लि०,
   219-चितरंजन एवन्यू, कलकत्ता।

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि खसरा नं० 1622(2-4 1/2), 1625 (0-15), 1626 (2-5 1/2), गांव आया नगर, तहसील महरोली, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर:

प्रारूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू-1/एस० आर-3/9-83/1044—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या बी-IV/129 है तथा जो दया नन्द कालोनी लाजपत नगर में नई दिल्ली स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कुमारी सरोज कुमारी, धर्मपाल, श्री सतपाल कुमार, बी-IV/129, दया नन्द कालोनी, लाजपतनगर, नई दिल्ली
   अटार्नी श्री अशोक कुमार,
   सुपुत्र श्री अमर नाथ,
   एच-1/7, लाजपत नगर, नई दिल्ली।
   (अन्तरक)

2. श्री अमर नाथ
   सुपुत्र श्री हरी चन्द,
   एच-1/7, लाजपत नगर, नई दिल्ली।
   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अधीन अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी नं० बी-IV/129, एरिया 100 वर्ग मज, दया नन्द कालोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

अजन आई. टी. एन.) एक्ट.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू-1/एस० आर०-3/9-83/1053—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव डेरा मण्डी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के कथ्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके कथ्यमान प्रतिफल से, ऐसे कथ्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम देवा
   सुपुत्र श्री लाल सिंह,
   निवासी डेरा मण्डी, नई दिल्ली।
   (अन्तरक)

2. मैसर्स गुप्ता एण्ड कम्पनी,
   ए०-6, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली,
   मुनी राम के द्वारा
   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 4 बीघा 10 बिस्वा, मुशतातिल सं० 44, किला सं० 23, गांव डेरा मण्डी, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

फ्लैट नं. टी. एन. एस. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू-1/एस० आर०-3/9-83/1954—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव डेरा मण्डी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम देवा
   सुपुत्र लाल सिंह,
   निवासी डेरा मन्डी, नई दिल्ली।

   (अन्तरक)

2. मैसर्स गुप्ता एण्ड कम्पनी
   ए-6, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली
   मुनी राम द्वारा।

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 4 बीघा, 6 बिस्वा, मुशतातिल नं० 44, किला नं० 24, गांव डेरा मण्डी, तहसील महरौली, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली।

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू-1/एस० आर०-3/9-83/1056—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सी०-47 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रोशन लाल मल्होत्रा
   कर्त्ता श्री रोशन लाल मल्होत्रा (एच० यू० एफ०),
   बी-24, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली।
   (अन्तरक)

2. श्री बी० के० भाटिया,
   और श्री सुनील भाटिया,
   डब्ल्यू०-41, ग्रेटर कैलाश-1,
   नई दिल्ली।
   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आधा अविभाजित हिस्सा प्रापर्टी नं० सी०-47, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली एरिया 300 वर्ग गज, पहली और दूसरी मंजिल के साथ।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

रूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू-1/एस० आर०-3/9-83/1058—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव डेरा मण्डी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम रोख
सुपुत्र श्री राम सरन,
निवासी डेरा मण्डी, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मैसर्स गुप्ता एण्ड कम्पनी
ए-6, ग्रीन पार्क नई दिल्ली
मूनि राम द्वारा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 3 बीघा 10 बिस्वा, एम० नं० 76, किला नं० 24, (1-8), एम० नं० 86, किला नं० 7(3-2) गांव डेरा मण्डी, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली।

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

फ्रूप्प आई. टी एन., एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई, 1984

सं० आई० ए० सी०/एक्यू/I/एस० आर-3/9-83/1059:—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव डेरा मण्डी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम रीख
   सुपुत्र राम सरन
   निवासी, डेरा मण्डी, नई दिल्ली।
   (अन्तरक)

2. मैसर्स गुप्ता एण्ड कम्पनी
   ए-6, ग्रीन पार्क नई दिल्ली
   भूमि राम द्वारा।
   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि मुशतातिल नं० 86, किला नं० 4 (4-16), गांव डेरा मण्डी, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली 110002

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई ए० सी०/एक्यू-1/एस० आर-3/9-83/1075—
अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो तुकलकाबाद नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मदन लाल मित्तल
सुपुत्र श्री शिबू राम मित्तल
निवासी 19/6, कालका जी, नई दिल्ली
(अन्तरक)

2. श्री जगदेव सिंह
सुपुत्र श्री हरी चन्द
निवासी ई-15-बी, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली
और ओम प्रकाश
सुपुत्र श्री सरूप सिंह
निवासी-बी/46, फ्रेन्डस कालोनी,
नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 10 बीघा खसरा नं० 1771/1639, तुकलकाबाद, तहसील महरौली, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एम. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई, 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यू०-I एम० आर०-3-9-83/1976:—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव तुगलकाबाद नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जगदीश प्रसाद
सुपुत्र श्री किशोरी लाल
निवासी एफ० एफ० 49/लक्ष्मी नगर,
इलाका शकरपुर, दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्री जगदेव सिंह
सुपुत्र श्री हरी चन्द,
निवासी ई/15, बी० ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली
और ओम प्रकाश
सुपुत्र श्री सरूप सिंह
निवासी बी/46, फ्रेन्ड्स कालोनी,
नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 10 बीघा खसरा नं० 1771/1639, गांव तुगलकाबाद, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली।

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

इक्म आई. टी एन. एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

सं० आई० ए० सी/एक्यु 1/एस० आर०-3/9-83/1083:—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव गदईपुर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री तुलसी राम,
सुपुत्र श्री सुर्जन,
गांव गदईपुर, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री राम गोपाल सराफ
डायरेक्टर जौहन बिहार प्रापर्टीज (प्रा०) लि०
53-चौरन्सी रोड, कलकत्ता-16।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 5/33 हिस्से में से, 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं० 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 92, 93, 94, 95, 106, 134, गदईपुर, तहसील महरौली, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एच.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई, 1984

सं० आई० ए० सी०/एक्यू/I/एस० आर०-3/9-83/1084:—अतः मझे, सुधीर चन्द्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव गदईपुर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नरायण सिंह
सुपुत्र सुलतान सिंह,
गांव गदईपुर, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्री राम गोपाल सराफ
डायरेक्टर जीवन बिहार प्रापर्टीज (प्रा०) लि०
53-चौरन्सी रोड, कलकत्ता-16।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि, 29/138, हिस्से में से, 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं० 41, 105, 107, 108, 109, 131. 128, 129, 130, 225, 236/1, 236/2, गांव गदईपुर, तहसील महरौली, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I दिल्ली, नई दिल्ली 110002

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

स० आई० ए० सी०/एक्यू/I/एस० आर०-3/9-83/1085/—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव गदईपुर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री देवक राम
सुपुत्र सुर्जन
निवासी गांव गदईपुर, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. मैसर्स हिमदूत मरकन टाईल (प्रा०) लि०,
265 सामल दास गांधी मार्ग,
प्रीनीन स्ट्रीट, बम्बई।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं० 69, 70/1, 93, 70/2, 71, 72, 73, 92, 94, 95, 106 और 134, गांव गदईपुर नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I दिल्ली, नई दिल्ली 110002

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

[राजपत्र द्वारा]

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई, 1984

सं० आई० ए० सी० एक्यू /एस० आर०-3/9-83/1086:—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव गदईपुर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा की दिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कृष्ण कुमार
   सुपुत्र सुलतान सिंह, तुलसी राम,
   सुपुत्र सुर्जन, रतन सिंह,
   सुपुत्र सुर्जन
   निवासी गांव गदईपुर, नई दिल्ली।

   (अन्तरक)

2. मैसर्स हिमदूत मरकन टाईल (प्रा०) लि०
   सामल दास, गांधी मार्ग,
   प्रीनीन स्ट्रीट, बम्बई।

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 4 बीघा 7 बिस्वा, 87/138, हिस्से में से, खसरा नं० 41, 105, 107, 109, 131, 108, 128, 129, 130, 225, 236/1, 236/2, गांव गदईपुर, तहसील महरौली, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I दिल्ली, नई दिल्ली 110002

तारीख : 14-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I; नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई, 1984

सं० आई० ए० सी०/एक्यू/I/एस० आर०-3/9-83/1087:—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव गदईपुर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री देवक राम,
   सुपुत्र सुर्जन
   निवासी गांव गदईपुर, नई दिल्ली।
   (अन्तरक)
2. हिमदूत मरकनटाईल (प्रा०) लि०,
   265, सामल दास, गांधी मार्ग,
   प्रीनीन स्ट्रीट, बम्बई-2।
   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 5/33 हिस्से में से, 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं० 69, 70, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 92, 93, 94, 95, 106, 134 और कृषि भूमि 1 बीघा 9 बिस्वा, 29/138, हिस्से में से, खसरा नं० 41, 105, 107, 108, 109, 131, 128, 129, 130, 225, 236/1, 236/2, गांव गदईपुर, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, I दिल्ली, नई दिल्ली 110002

तारीख : 14-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/एस० आर-3/9-83/1088:--अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव गदई पुर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ;—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् है—

1. श्री कृष्ण कुमार
सुपुत्र सुलतान सिंह,
निवासी गांव गदईपुर, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री राम गोपाल सराफ,
डायरेक्टर जोवन बिहार प्रापर्टीज (प्रा०) लि०,
53-चौरन्गी रोड, कलकत्ता-16।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया है।

अनुसूची

कृषि भूमि, 5/33, हिस्से में से, 3 बीघा, 4 बिश्वा, खसरा नं० 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 92, 93 94, 95, 106, 134, गांव गदईपुर, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली

तारीख 14-5-1984

मोहर ■

फ्रॉम आई. टी. एच. एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

सं० आई० ए० सी०/एक्यू 1 एस० आर०-3/9-83/1089:—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव गदईपुर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1982

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रतन सिंह
सुपुत्र सुर्जन,
गांव गदईपुर, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्री राम गोपाल सराफ,
शायरेक्टर जीवन बिहार, प्रापर्टी (प्रा०) लि०
53-चौरन्सी रोड, कलकत्ता-16।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि, 5/33, हिस्से में से, 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं० 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 92, 93, 94, 95, 106 और 134, गांव गदईपुर, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

सं० आई० ए० सी०/एक्यू 1/एस० आर-3/9-83/1090:—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)., की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गांव गदईपुर नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री नारायण सिंह
सुपुत्र सुलतान सिंह,
गांव गदईपुर, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्री राम गोपाल सराफ,
डायरेक्टर जीवन विहार प्रापर्टीज, (प्रा०) लि०
53-चौरन्सी, रोड, कलकत्ता-16।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि, 5/33 हिस्से में से, 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं० 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 92, 93, 94, 95, 106 और 134 गांव गदईपुर, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/एस० आर०-3/9-83/1099:—यतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है, तथा जो गांव समालका, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जगराम सिंह,
सुपुत्र हरपाल, गिरवर सिंह
दत्तक सुपुत्र राम सरूप, नीरज कुमार,
सुपुत्र अत्तर सिंह,
निवासी गांव समालका, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्रीमती परमजीत कौर
धर्मपत्नी एस० स्वर्ण सिंह,
निवासी आई०-10, प्रताप नगर, दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आधा हिस्सा, कृषि भूमि 11 बीघा 16 विश्वा, मुश्तातिल नं० 9, किला नं० 12(4-16), 2/2(2-8), 9(4-12), गांव समालका, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख: 14-5-1984
मोहर:

फ्रक्स नाई.टी.एन.एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०II/एस आर-3/9-83/1100—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा **269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव सभालका, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दरों के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जगराम सिंह सुपुत्र
हरपाल
गिरवर सिंह सुपुत्र राम सरुप और
नीरज कुमार सुपुत्र अत्तर सिंह
निवासी गांव सभालका
नई दिल्ली,

(अन्तरक)

(2) श्री देश राज गुप्ता सुपुत्र
स्वर्गीय प्रेम चन्द
निवासी 41—ए,
राजपुर रोड़,
दिल्ली,

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है। वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आधा हिस्सा कृषि भूमि में 11 बीघा 16 विश्वा, मुशतारिल नं० 9, किला नं० 12(4-6) 2/2 (2-8), 9(4-12) गांव समालाक, नई दिल्ली,

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्ज रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/I/एस० आर०-3 9-83/1101—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो गाव समालका नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) ,रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं,, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जगराम सिंह सुपुत्र
हरमाल सिंह,
इश्वर सिंह सुपुत्र हरपाल सिंह
नीरज कुमार सुपुत्र अत्तर सिंह
राम नरायण सुपुत्र राम लाल,
रोहताश सुपुत्र राम किशन
गिरधर सिंह, दत्तक सुपुत्र राम सरूप
निवासी गाव समालका,
नई दिल्ली,

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अनिता गुप्ता धर्मपत्नि
श्री देश राज गुप्ता
निवासी 41-ए,
राजपुर रोड,
दिल्ली,

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति का अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 8 बीघा 12 बिश्वा, किला सं० 11(4-16) 20/1 (3-16), गांव समालका, तहसील महरौली, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I; दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नई दिल्ली
नई मती दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू० 1/एस० आर०-3/9-83/1102—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव डेरा मंड़ा, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रेयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके श्रेयमान प्रतिफल से, ऐसे श्रेयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती विजय जुलका सुपुत्र
आर० सी० जुलका
निवासी डी-111,
पंच शील एनक्लेव,
नई दिल्ली,

(अन्तरक)

(2) श्री मती अनिता सिंह धर्मपत्नि
श्री सुखबीर सिंह, श्री राकेश कपूर ,
सुपुत्र पी० डी० कपूर
और श्री दलजीत सिंह सुपुत्र सुबे सिंह
निवासी 351 डी० डी० ए०
फ्लैटस रंजीत नगर,
नई दिल्ली,

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आधा हिस्सा कृषि भूमि में 6 बीघा 11 बिस्वा, एम० नं० 107, जिला नं० 4/1 (2-8), 7(4-3) गांव डेरा मड़ी, नई दिल्ली

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख :- 14-5-1984
मोहर

फार्म आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू 1/एस० आर-3/9-83/1103—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव डेरा मंडी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विजर जुलका सुपुत्र
आर० सी० जुलका
निवासी डी०-111,
पंचशील एनक्लेव,
नई दिल्ली,

(अन्तरक)

(1) श्रीमती अनिता सिंह धर्मपत्नि सुखबीर सिंह,
श्री राकेश कपूर सुपुत्र पी० डी० कपूर और
श्री दलजीत सिंह सुपुत्र सुबेसिंह
निवासी, 351 डी० डी० ए० फ्लैटस रंजीत नगर,
नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आधा हिस्सा कृषि भूमि में 6 बीघा 11 बिस्वे एम नं० 107 किला नं० 4/1(2-8), 7(4; 3) गांव डेरा मंडी, नई दिल्ली

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आर० ए० सी० /एक्यू 1/एस० आर०-3/9-83/1104—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव डेरा मंडी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दिनेश अजमेरा सुपुत्र
श्री बी० एल० अजमेरा
निवासी के-18,
जंगपुरा एक्टेंशन,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अनीता सिंह धर्मपत्नि
सुखबीर सिंह,
राकेश कपूर सुपुत्र पी० डी० कपूर
और दलजीत सिंह सुपुत्र सुबे सिंह
निवासी, 351 डी० डी० ए०,
फ्लैटस रंजीत नगर,
नई दिल्ली.

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आधा हिस्सा कृषि भूमि में 6 बीघा 4 बिस्वा, एम० नं० 107, किला नं० 3(4-16),8/1(1-8) गांव डेरा मंडी, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1; नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984

मोहर ■

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1 नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू-I/एस० आर-3/9-83/1105—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव डेरा मंडी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दिनेश अजमेरा सुपुत्र
श्री बी० एल० अजमेरा
निवासी के-18,
जंगपुरा एक्टेंशन
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अनीता सिंह धर्मपत्नि
सुखबीर सिंह राकेश कपूर सुपुत्र पी०डी० कपूर
और बलजीत सिंह सुपुत्र सुबे सिंह
निवासी 351 डी० डी० ए० फ्लैट्स
रंजीत नगर,
नई दिल्ली।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आधा हिस्सा कृषि भूमि में 6 बीघा 4 बिश्वे एम० नं० 107 किला नं० 3(4-16), 8/1(1-8) गांव डेरा मंडी नई दिल्ली

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1; नई दिल्ली-110002

तारीख :— 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1 नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 14मई 1984

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्यू-I/एस० आर०-3/9-83/1110--अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव डेरा मन्डी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दया धोन सुपुत्र
बी० के० धोन,
निवासी एस--125,
पंचशील पार्क,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री रवि कपूर सुपुत्र
बी० के० कपूर
आर--489,
न्यू राजिन्द्र नगर,
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि 2 बीघा 11 बिश्वा, एम० नं० 56, किला नं० 20, गांव डेरा मंडी, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1 नई दिल्ली-110002

तारीख :— 14-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरिक्षण)
अर्जन रेंज-I

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू-I/एस० आर०-3/9-83/1111—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु, से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव डेरा मंडी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दया धोंन सुपुत्र
बी० के० धोंन,
निवासी एम-125,
पंचशील पार्क,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री राजन भाटिया सुपुत्र
डा० दीपल भाटिया,
निवासी 2 ए,
सागर आपर्टमेंन्ट,
6 तिलक मार्ग,
नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 2 बीगा, 3 बिस्वा, एम नं० 56 किला नं० 11, गांव डेरा मंडी, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख :- 14-5-1984
मोहर :-

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू-I एस० आर--3/9-83/1115--अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269--ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस०368 है तथा जो ग्रेटर कैलाश--2, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० शाहपुरी इस्टेट्स प्रा० लि०
5170 डब्ल्यू ई० ए० करोल बाग,
नई दिल्ली,
(अन्तरक)

(2) श्रीमती हरजीत चौधरी पत्नी
मेजर जनरल आर० एस० चौधरी
आर्मि हेडक्वार्टर्स,
नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पहली मंजिल का भाग हाउस नं० एस 358 ग्रेटर कैलाश--2 नई दिल्ली, तादादी 962 वर्गगज.

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 1 नई दिल्ली, 110002

तारीख :- 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०1/एस० आर०-3
9-83/1120—अतः मुझे सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव सतबरी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राधे मोहन गुप्ता सुपुत्र
शिवचरण दास निवासी 1 गोयला लेन,
अन्डर हिल रोड
सिविल लाइन
दिल्ली, (अन्तरक)
कर्ता राधे मोहन गुप्ता (एच० यू० एफ)

(2) श्रीमती गीता देवी धर्मपत्नि
त्रिलोक चन्द गुप्ता
निवासी डी०-19,
हौज खास,
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में अक्षेप किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

कृषि भूमि 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं० 672 मिन, गांव सतबरी, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली-110002

तारीख :— 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू० 1/एस० आर०-3/9-83/1121—अतः मुझे सुधीर चन्द्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव सतबरी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 से (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राधे मोहन गुप्ता सुपुत्र
शिव चरण दास
निवासी 1, गोयला लेन,
अन्डर हिल रोड़,
सिविल लाइन,
दिल्ली,
कर्त्ता राधे मोहन गुप्ता

(अन्तरक)

(2) श्रीमती गीता देवी धर्मपत्नि
त्रिलोक चन्द गुप्ता
निवासी डी-19,
हौज खाज,
नई दिल्ली'

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि 2 बीघा 2 बिस्वा , खसरा नं० 672 मिन, गांव सतबरी, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली 110002

तारीख :- 14-5-1984
मोहर :-

प्ररूप आई.टी.एन.एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०1/एस० आर०-3/9-83/1122—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव सतबरी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राधे मोहन गुप्ता सुपुत्र
शिव चरण दास
निवासी 1 गोयला लेन,
अन्डर हिल रोड
सिविल लाइन,
दिल्ली,
कर्ता राधे मोहन गुप्ता (एच० यू० एफ०)
(अन्तरक)

(2) श्रीमती गीता देवी धर्मपत्नि
त्रिलोक चन्द गुप्ता
निवासी डी-19,
हौज खास,
नई दिल्ली
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं० 672, मिन गांव सतबरी, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली-110002.

तारीख : —14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंजI, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यू०I/एस० आर०-39-83/1126—अतः मुझे सुधीर चन्द्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव डेरा मंडी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक, सितम्बर 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हरगुलाल और हर चन्द
सुपुत्र हेत राम,
निवासी, डेरा मंडी,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री अशोक कुमार सुपुत्र
गुरबक्श लाल केयर ओफ भूपिन्द्र सिंह,
गदई पुर,
नई दिल्ली,
वरिन्द्र पाल सुपुत्र सरदार ज्ञान सिंह,
जे 10/4,
गोबिन्द कालोनी,
राजपुरा,
(पंजाब)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में आक्षेप या आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 5 बीघा 5 बिस्वा एम नं० 38 किला नं० 1 और 2 गांव डेरा मंडी, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली,

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०1/एस आर–3/9–83 1127—अतः मुझे सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव डेरा मंडी नई दिल्ली में स्थित है (और जिससे उपबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देनेके अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हर गुलाल और हर चन्द सुपुत्र
हेत राम,
निवासी, डेरा मंडी,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री अशोक कुमार सुपुत्र
गुरबक्स लाल केयर/ओफ भूपिन्दर सिंह, गवई पुर
नई दिल्ली, और
वरिन्द्र पाल सुपुत्री एस० ज्ञान सिंह,
जे–10/4,
गोबिन्द कालोनी,
राजपुरा,
(पंजाब),

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 12 बीघा 7 बिस्वा एम० नं० 38 किला नं० 8 (4–16), 9 (3–11), 10 मन (0–3), 13/1 (3–11), 14 मीन (0–16), गांव डेरा मंडी, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 1 दिल्ली 110002

तारीख : 14–5–1984
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-3/9-83/1130—अतः मुझे सुधीर चन्द्रा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव आया नगर नई दिल्ली में स्थित है (और उससे उपबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1984 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतारेतियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

23—116GI/84

(1) श्री हरि किशन, राम किशन, सुखराम और राम पाल
सुपुत्र झूटर
निवासी आयानगर
नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) मैसर्स नवरंग
कमर्शियल कम्पनी (प्रा० लि०)
219 चितरंजन एवन्यू,
कलकत्ता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

2/3 हिस्सा कृषि भूमि में खसरा नं० 1801 (4-16) 1802/2 (2-10), 1802/2(2-18), टोटल—10 बीघा 4 बिस्वा, गांव आया नगर नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज, 1 दिल्ली

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

फार्म आई.टी.एच.एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई ए० सी०/एक्यू/I एस० आर०-3/9-83/1107—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी स० 497 है तथा जो जंगपुरा रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) सरुप सिंह अमर सिंह
करण सिंह और श्री जय सिंह
श्री हरपाल सिंह
निवासी गांव शाहबाद मोहम्मद पुर,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सोहन देई जैन
निवासी मकान नं० 40,
मगल रोड़,
जंगपुरा,
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्रापर्टी नं० 497, एरिया 267 वर्गगज, जंगपुरा रोड नई दिल्ली ।

सुधीर चान्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली-110002

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०/1/एस आर–3/10–83/1149—अतः, मुझे, सुधीर चन्द्रा आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)., की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस–225 है तथा जो ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूपमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके रूपमान प्रतिफल से, ऐसे रूपमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बी० के० कपूर सुपुत्र
श्री चूनी लाल,
निवासी 138 कनिंग स्ट्रीट,
कलकत्ता ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती चन्दर कान्ता पत्नी
श्री अशोक कुमार
निवासी–सी–80
पंचशील इनक्लेव
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० एस–225, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली तादादी 300 वर्गगज ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नई दिल्ली-110002

तारीख – 26–3–1984
मोहर :–

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - - - ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/एस० आर-3/10-83/1137—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एस-22 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्टूबर 83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सतबीर सिंह सुपुत्र श्री अतर सिंह, और श्रीमती मंजीत कौर पत्नी श्री अतर सिंह,
निवासी-ई-16,
मोडल टाउन,
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री अनिल कुमार सेहगल सुपुत्र श्री एम० आर० सहगल और
श्रीमती स्वरण सेहगल पत्नी, श्री एम० आर० सेहगल,
निवासी डी-289, डिफेंस कालोनी
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० एस-22, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली. तादादी 300 वर्गगज ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली 110002

तारीख : 27-3-1984
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰ ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं॰ अई-I/37 ईई/941/83-84—अतः मुझे, ए॰ लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ फ्लैट नं॰ 8, नवयुग निकेतन, 185, वालकेश्वर रोड, बम्बई-400006 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) है तथा जो और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है 8-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् है—

(1) श्रीमती मंदाकिनी भारत शहा ।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती चंपाबेन जयसुखलाल उनाडकट
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं॰ 8, नवयुग निकेतन, 185, वालकेश्वर रोड, बम्बई-400006 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र॰सं॰ अई-I/37 ईई/892/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 8-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए॰ लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, बम्बई

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज -1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आई–1/37 ईई/955/83–84—अतः मुझे, ए० लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 7 बिल्डिंग नं० 179, 1पहली, मंजिल, न्यू कैलाश भवन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, सायन पूर्व, बम्बई 22 में स्थित सायन पूर्व बम्बई–22, में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय, में रजिस्ट्री है तारीख 13–9–1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती हरदेवी हसानद वासनदानी
(अन्त

(2) श्रीमती चन्द्रा परषोत्तमदास भाटिया
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लैट नं० 7 बिल्डिंग नं० 179, 1पहली मंजिल न्यू कैलाश भवन को-ऑप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, सायन-पूर्व, बम्बई 22 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा को क्र० सं० आई–1 /37 ईई 83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 13–9–1983 को रजिस्ट्रर्ड किया गया ।

ए० लहिरी
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

तारीख : 11–5–1984
मोहर

प्रारूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आई-1/ 37 ईई/872/83–84—अतः मुझे, ए० लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ब्लाक नं० 3-ए, ग्राउंड फ्लोर, चंदर निवास को-ऑप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, प्लॉट नं० 186, चंदर निवास, सायन पूर्व, बम्बई 22. में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 7–9–1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ए० सुब्रह्मण्यन (अन्तरक)

(2) श्री भूपेंद्र एम० गांधी

(3) अन्तरिती (अन्तरिती)

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ब्लॉक नं० 3–ए, ग्राउंड फ्लोर, चंदर निवास को–ऑप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, प्लॉट नं० 186, चंदर निवास, सायन–पूर्व, बम्बई–22 में स्थित है।

अनुसूची जैसा की क० सं० आई–1/37 ईई 759/83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 7–9–83 को रजिस्ट्रर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

तारीख :– 11–5–1984

मोहर :–

प्ररूप आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० अई-1/37ईई/1049/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० डी/3, 3री मंजिल, गंगा विहार अपार्टमेंट, वी० एन० पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, सायन, बम्बई-22 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1-10-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् है—

(1) श्री जे० एस० ठाकुर

(अन्तरक)

(2) श्रीमती गितांजली हेमंतकुमार गुरव

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० डी/3, 3 री मंजिल, गंगा विहार आपर्टमेंटस, वी० एन० पुरव मार्ग, चुनाभटटी, सायन, बम्बई-22 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि रू० सं०-I अई/37/ईई/डिम्ड-83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, बम्बई ।

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एक्ट. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, बम्बई
बम्बई, दिनांक 9 फरवरी, 1984

निर्देश सं० अई–1/37ईई/925/83–84––अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० माला नं० 314, का लियणदास उद्योग भवन, प्लाट नं० 1082, सेंचुरी बाजार, वरली, बम्बई-25 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 7–9–1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ओर को० लिमिटेड
(अन्तरक)

(2) श्रीमती प्रतिभा अशोक संघवी
(अन्तरिती)

(3) अन्तरक
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

माला नं० 314, कालियणदास उद्योग भवन, प्लाट नं० 1082, सेंचुरी बाजार, वरली, बम्बई–400 025 में स्थित

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई–1/37ईई/757/83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 7–9–1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–1, बम्बई।

तारीख : 9–5–1984
मोहर :

अरूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 मई 1984

निर्देश सं० अई-1/37ईई/717/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 8, 3री मंजिल, बिल्डिंग "राधाकल्प" रोड नं० 4, सायन (पूर्व), बम्बई, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 7-9-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) मैसर्स राधा बिल्डर्स

(अन्तरक)

(2) श्री विरेन्द्र जगजीवन भोजानी, और श्रीमती दिपाली विरेन्द्र भोजानी

(अन्तरिती)

(3) अन्तरितियों

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 8, 3री मंजिल, बिल्डिंग "राधाकल्प" रोड नं० 4, सायन (पूर्व), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-1/37ईई/787/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 7-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, बम्बई।

तारीख : 10-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 मई 1984

निर्देश सं० अई-1/37ईई/873/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 3 और 4, 1ली मंजिल, अवंती अपार्टमेंटस ए-विंग, फलन्क रोड, सायन, बम्बई-22 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 2-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से दर्शित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) (1) श्रीमती अन्नपूर्णा नारायण राव
और (2) श्री बी० शिवराम राव
(अन्तरक)

(2) (1) श्री रमेश भगवानदास धुत,
(2) श्रीमती लक्ष्मी रमेश धुत, और
(3) श्री गिरिश रमेश धुत
(अन्तरिती)

(3) अन्तरितियों
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लैट नं० 3 और 4, 1ली मंजिल, अवंती अपार्टमेंट्स, ए-विंग, फलेन्क रोड, सायन, बम्बई-22 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क० सं० अई-1/37ईई/798/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लाहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, बम्बई।

तारीख : 10-5-1984
मोहर :

प्रकरण आई. टी. एस. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–III, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० अई–3/37ईई/2959/83–84—अतः मुझे, ० लहिरी

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० ए–21, 3री मंजिल, "मनाली" बिल्डिंग नं० 1, प्लाट नंबर्स 48, 49 और 50, वालनाय विलेज, मालाड (पश्चिम), बम्बई–400 064 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 2–9–1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और या/

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स मनाली कार्पोरेशन

(अन्तरक)

(2) श्रीमती अपर्णा हरीश विनेकर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० ए–21, 2री मंजिल, "मनाली" बिल्डिंग नं० 1, प्लाट नंबर्स 48, 49 और 50, वालनाय विलेज, मालाड (पश्चिम), बम्बई–400 064 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई 3/37ईई/1261/83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 2–9–1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

अ० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 3, बम्बई

दिनांक : 11–5–1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० अई–3/37ईई/2945/83–84—अतः मुझे ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० णाप नं० 1, ग्राउन्ड फलोअर, मान-सरोवर शापिंग सेंटर, जंक्शन आफ गोविन्द नगर रोड और एस० वी० मालाड (पश्चिम), बम्बई–400 964 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की 1961 की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है,

तारीख 2–9–1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1) श्रीमती हरदेवी नारायणदास तिलोकानी
(अन्तरक)

(2) श्री अंजला बिल्डर्स
(अन्तरिती)

(3) अन्तरक
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

णाप नं० 1, ग्राउन्ड फलोअर, मान-सरोवर शापिंग सेंटर, जंक्शन आफ गोविन्द नगर रोड और एस० वी० रोड, मालाड (पश्चिम), बम्बई–400 064 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई–111/37ईई/1249/83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 2–9–83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

अ० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, बम्बई ।

दिनांक : 11–5–1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 मई 1984

निर्देश सं० अई-3/37ईई/2900/83-84—अतः मुझे ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 12, प्लाट नं० 113, नव सुधीर को-आप, हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, एल० टी० रोड, नं० 6, एम० जी० रोड, गोरेगांव (पश्चिम), बम्बई में स्थित है) और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, (और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की 1961 की धारा 269 क ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 2-9-1983

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ए० बी० चौबल
(अन्तरक)

(2) श्री अमिता अनिल तेलंग
(अन्तरिती)

(3) अन्तरक
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मुझ हितबद्धकारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 12, प्लाट नं० 113, नव सुधीर को-आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, एल० टी० रोड नं० 6, एम० जी० रोड, गोरेगाव (पश्चिम), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-111/37ईई-1238/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख 10-5-84
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–III, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 मई 1984

निर्देश सं० अई–3/37ईई/2881/83–84—अतः—मुझे, ए० लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी होने के लिए कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 12, "ए" विंग, 1, "निलिमा अपार्टमेंट", जंगल मंगल रोड, भांडूप बम्बई–400 078 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269कख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 2–9–1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स गणेश बिल्डर्स

(अन्तरक)

(2) मैसर्स डिलक्स शिपिंग एजेन्सी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 12, "ए" विंग, 1, "निलिमा अपार्टमेंट", जंगल मंगल रोड, भांडूप, बम्बई–400 078 में स्थित है। अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई–3/37ईई/1219/83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2–9–1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–III, बम्बई

तारीख : 10–5–1984
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 मई 1984

निर्देश सं० अई–3/37ईई/2899/83–84—यतः, मुझे, ए० लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० ए/11, सी० टी० एस० नं० 693 से 699 आफ विलेज कोले कल्याण, वाकोला, बम्बई–400 055 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 2–9–1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) मैसर्स गोल्ड फाइन बिल्डर्स

(अन्तरक)

(2) श्री पी० भास्कर शेट्टी और
सद्गो विट्ठल शेट्टी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० ए/11, सी० टी० एस० नं० 693 से 699 आफ विलेज कोले कल्याण, वाकोला, बम्बई–400 055 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई–III/37ईई०/1237/83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2–9–1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–II, बम्बई

तारीख : 10–5–1984
मोहर ।

प्ररूप आई.टी एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–III, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० अई–3/37ईई/3050/83–84—यतः मुझे ए० लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 41, "ए" विंग, 4थी मंजिल, "निलिमा अपार्टमेंट" एस० पी० एस० मार्ग, भांडूप, बम्बई-400 078 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 2–9–1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) मैसर्स गणेश बिल्डर्स

(अन्तरक)

(2) श्री के० एल० भास्करन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या उससम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 41, "ए" विंग, 4थी मंजिल, "निलिमा आपर्टमेंट", एस० पी० एस० मार्ग, भांडूप, बम्बई–400 078 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-III/37ईई/1267/83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 2–9–1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, बम्बई ।

तारीख : 11–5–1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–III, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० अई–3/37 ईई/3049/83–84—यतः, मुझे, ए० लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 43, "बी" विंग, 4थी मंजिल, "निलिमा अपार्टमेंट", एस० पी० एस० मार्ग, भांडूप, बम्बई–78 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1971 की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 2–9–1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रेयमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके श्रेयमान प्रतिफल से, ऐसे श्रेयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स गणेश बिल्डर्स

(अन्तरक)

(2) श्री मंजयया सी० शेट्टी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 43, "बी" विंग, 4थी मंजिल, "निलिमा अपार्टमेंट", एस० पी० एस० मार्ग, भांडूप, बम्बई–400 078 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई III/37ईई/1266/83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2–9–83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

अ० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–III, बम्बई

तारीख : 11–5–1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एस.-एच

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० अई-3/37ईई/2903/83-84—यतः, मुझे, ए० लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आफिस नं० 27, 2री मंजिल, "धलानी चेंबर्स" बिल्डिंग, प्लाट नं० 625, 625-1, और 625-9 एस० वी० रोड, मालाड (पश्चिम) बम्बई-400 064 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 2-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) **अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) **ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा [illegible] किया गया था या विहित किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती नलिनी वी० कोटिचा
(अन्तरक)

(2) श्री सिताराम भावसिंगका
(अन्तरिती)

(3) अन्तरिती
(वह व्यक्ति, जिस के अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त [illegible] किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आफिस नं० 27, 2री मंजिल, "धलानी चेंबर्स" बिल्डिंग प्लाट नं० 625, 625-ए और 625-9, एस० वी० रोड, मालाड (पश्चिम), बम्बई-400 063 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-III/37ईई/1241/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 2-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

अ० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, बम्बई

दिनांक : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० अई-3/37ईई/2906/83-84—अतः, मुझे, ए० लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 6, बिल्डिंग नं० 6-सी, नित्यानंद बाग को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, माहुल रोड, चेंबूर, बम्बई-400074 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 कीधारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 2-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित कारणों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन करदेने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वेंकटेश के० राव

(अन्तरक)

(2) श्रीमती नानकीबाई नारायणदास मोटवानी

(अन्तरिती)

(3) 1. श्रीमती नानकीबाई एन० मोटवानी
2. श्री नानीक एन० एम०
3. कुमारी राधा एन० एम०
4. श्रीमती मंजू के० एम०

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 6, बिल्डिंग नं० 6-सी, नित्यानंद बाग को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, माहुल रोड, चेंबूर, बम्बई-400 074 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई/III/37ईई/1244/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

अ० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, बम्बई

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

फार्म आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 मई 1984

निर्देश सं० अई–3/37ईई/2894/83–84—अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० यूनिट नं० 1, ग्राउन्ड फ्लोअर, दौलत उद्योग भवन, वाशावली विलेज, आफ डा० बोहथराम गिडवानी रोड, चेंबूर, बम्बई–400 074 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की 1961 की धारा 269 क ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 2–9–1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विल्यम कस्टेलिनो

(अन्तरक)

(2) श्री मोस प्रकाश और श्रीमती मिमाक्षी वाइड

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

यूनिट सं० 1, ग्राउन्ड फ्लोअर, दौलत उद्योग भवन, वाशावली विलेज, आफ डा० बोहथराम गिडवानी रोड, चेंबूर, बम्बई-400 074 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि फ० सं० अई–3/37 ईई/1232/83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2–9–1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, बम्बई

तारीख : 10–5–84

मोहर ।

फार्म आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० अई-3/37ईई/2951/83-84--अतः मुझे, ए० लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० के-1/6, मनिषा पूर्ति को-आप० हाउसिंग सोसायटी, शास्त्री नगर, गोरेगांव (पश्चिम), बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 2-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखितों में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विष्णुदत्त देवीदत्त जालन (अन्तरक)

(2) श्री सुब्रह्मण्यन् बालकृष्णन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी को एतद् प्रयोजन के लिए की जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

के-1/6, मनिषा पूर्ति को-आप० हाउसिंग सोसायटी, शास्त्री नगर, गोरेगांव (पश्चिम), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-3/37ईई/1275/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 2-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

अ० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई, 1984

निदेश सं० अई-3/37ईई/3051/83-84—अतः मुझे ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का **कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 34, 3री मंजिल, "देव अपार्टमेंटस् सी० टी० एस० नं० 3957, हिस्सा नं० 1, "डी" प्लाट, कोले कल्याण विलेज, वाकोला पाइप लाइन, सांताक्रूज (पूर्व), बम्बई-400 055 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 2-9-1983 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित किया गया है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त करारनामा विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर की [illegible] में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी [illegible] को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नरेन्द्र शांताराम सावंत
(अन्तरक)

(2) श्री [illegible]
(अन्तरिती)

(3) श्री गौरीशंकर देवनारायण सिंग
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 34, 3री मंजिल, "देव अपार्टमेंटस्", सी० टी० एस० नं० 3957, हिस्सा नं० 1, "डी" प्लाट, कोले कल्याण विलेज, वाकोला पाइप लाइन, सांताक्रूज (पूर्व), बम्बई-400 055 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क० सं० अई-3/37ईई/1268/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 2-9-1983 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

अ० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

रूरूप आई. टी. एन. एस.,--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० अई-3/37ईई/2904/83-84---अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 903, बिल्डिंग नं० "के" प्लाट नं० 12 और 13, एस० वी० रोड, मालाड (पश्चिम) बम्बई-400 064 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 2-9-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रमेश ताराचन्द जाधवानी
(अन्तरक)

(2) श्रीमती निताशा वाइफ आफ मनोहर अहूजा
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 903, बिल्डिंग "के", प्लाट नं० 12 और 13, एस० वी० रोड, मालाड (पश्चिम), बम्बई-400 064 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई 3/37ईई/1242/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 2-9-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

दिनांक : 11-5-1984
मोहर :

रूप आई टी.एन.एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 मई 1984

निर्देश सं० अई-3/37ईई/2891/83-84---अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० शाप नं० 4, पदमश्री को-आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, महात्मा गांधी रोड, मुलुंड (पश्चिम), बम्बई-400 080 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसकी करारनामा आयकर अधिनियम की 1961 की धारा 269 क ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के दायित्वों में रजिस्ट्री है, तारीख 2-9193 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्रीमती शमशेरी बेन [illegible]
(अन्तरक)

(2) श्री जमनादास पुरुषोत्तम रांजिवडिया
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप नं० 4, पदमश्री को-आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, महात्मा गांधी रोड, मुलुंड (पश्चिम), बम्बई-400 080 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-3/37-ईई०/1229/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 2-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 10-5-1984.
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, 10 मई, 1984

निर्देश सं० अई-3/37 ईई 2874/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, (1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट नं० 5, 2री मंजिल, निलकंठ पैलेस, प्लाट नं० 157,ग गरोडिया नगर, घाटकोपर, (पूर्व), बम्बई-400 077 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 2-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) भावणवर बिडरा

(अन्तरक)

(2) श्री रजनीकांत वो० शाह और श्रीमती पद्मा आर० शाह

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेटनं० 5, 2री मंजिल, निलकंठ पैलेस, प्लाटनं० 157, गारोडिया नगर, घाटकोपर (पूर्व), बम्बई-400 077 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-3/37ईई 1215/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 2-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 10-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई, 1984

निर्देश सं० अई० 3/37 ईई०/2944/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 503, है तथा जो पांचवीं मंजिल, मान सरोवर एण्ड गोविन्द नगर और एस० वी० रोड, मालाड (पश्चिम), बम्बई-400064 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन, सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 2 सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय, संपत्ति, अभिलाभ या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री प्रकाश मुलचन्द भतीजा

(अन्तरक)

(2) श्री शिव कुमार तुलसीयान

(अन्तरिती)

3. अन्तरिती

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 503, पांचवीं मंजिल, मान सरोवर, गोविन्द नगर, और एस० वी० रोड, मालाड (पश्चिम), बम्बई-400064 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई०-3/37 ईई०/1246/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 11-5-1984

मोहर

प्ररूप आई. टी, एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई, 1984

निदेश सं० आई०–3/37 ईई०/2950/83–84––अतः मुझे, ए० लाहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० माला नं० 133 है तथा जो पहली मंजिल, पारस आई० ई० पी० को० आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड, रामचन्द्र लेन, विस्तारित मालाड (पश्चिम), बम्बई–64 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की की धारा क 269 क ख के अधीन, तारीख सक्षम प्राधिकारी बम्बई के कार्यालय) रजिस्ट्री है तारीख

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नुरुद्दीन अलीभाई भानवाडिया।

(अन्तरक)

(2) श्री नरोत्तम भाई बी० प्रजापति और श्री लालजी भाई बी० प्रजापति।

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

माला नं० 133, पहली मंजिल, पारस आई० ई० पी० को० आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड, रामचन्द्र लेन विस्तारीत, मालाड (पश्चिम) बम्बई–400064 में स्थित है।

अनुसूची जैसा क्रम सं० आई०–3/37 ईई०/1253/83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2–9–83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लाहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, बम्बई

तारीख : 11–5–1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई दिनांक 10 मई, 1984

निदेश सं० आई०-3/37 ईई०/2875/83-84—अतः मुझे, ए० लाहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० डी-217 है तथा जो आगरा रोड इण्डस्ट्रीएल प्रीमिसेस को० आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, घाटकोपर, बम्बई-400086 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा क ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 2 सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय के बारे में, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती अनुसूया भारत शाह।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स लुंगानी कितलवेअर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डी-217, आसा रोड इण्डस्ट्रीएल प्रीमायसेस को० आपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड, घाटकोपर, बम्बई-400086 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० आई०-3/37 ईई०/1216/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है

ए० लाहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 10-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई, 1984

निदेश सं० अई०-3/37 ईई०/3052/83-84—अतः मुझे, ए० लाहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 44 है तथा जो 4थी मंजिल, 'देव अपार्टमेंट्स', सी० टी० एस० नं० 3957, हिस्सा नं० 1, 'डी' प्लाट, कोलिकल्याण विलेज, वाकोला पाइप लाइन, सांताक्रूज (पूर्व), बम्बई-400055 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 2 सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नरेंद्र शाताराम मावंत ।
(अन्तरक)

(2) श्री गोविन्द पी० भट ।
(अन्तरिती)

(3) श्री गौरी शंकर नारायण सिंह
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 44, 4थी मंजिल, 'देव अपार्टमेंट्स', सी० टी० एस० नं० 3953 हिस्सा नं० 1, 'डी' प्लाट कोले, कल्याण विलेज, वाकोला पाइप लाइन, सांताक्रूज, (पूर्व), बम्बई-400055 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई०-3/37 ईई/1269/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० लाहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

फ्रूप्प आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 मई, 1984

निदेश सं० अई-3/37ईई/2883/83-84--अत:

मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1 है तथा जो शीतल धाम, ग्राउण्ड फ्लोर, घाटकोपर (पूर्व), बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)

और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन, सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 2 सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना अपेक्षित था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० एम० वासुदेवन।

(अन्तरक)

(2) श्री के० दामोदर मेनन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1, शीतल धाम, ग्राउण्ड फ्लोर, घाटकोपर (पूर्व), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई०-3/37ईई/1221/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 10-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, बम्बई

बम्बई दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० अई० –3/37ईई/3046/83-84—अतः मुझे, ए० लाहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 3 है तथा जो पहली मंजिल, 'सी' विंग, बिल्डिंग नं० 4, दामोदर पार्क, एल० बी० एस० मार्ग, घाटकोपर (पश्चिम), बम्बई–400086 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा क ख के अधीन, तारीख सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को जिस उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) मैसर्स पारस रत्नाभरण।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती एस० एच० मुल्ला।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 3, पहली मंजिल, 'सी' विंग, बिल्डिंग नं० 4, दामोदर पार्क, एल० बी० एस० मार्ग, घाटकोपर (पश्चिम), बम्बई–400086 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई०–3/37ईई/2983/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है

ए० लाहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, बम्बई

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 मई 1984

निदेश सं० अई-3/37ईई/2871/83-84—अतः

मुझे, ए० लाहिरी

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),, की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 207 बी है तथा जो शकुन्तला को० आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी 75, पेस्टम सागर चेंबूर (बम्बई-400089 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन तारीख सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 2 सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनयम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती हेमलता आर० पाध्ये।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती निलिमा ठाकुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

207 बी, शकुन्तला को० आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी, 75, पेस्टम सागर, चेंबूर, बम्बई-400089 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्रम सं० अई-3/37ईई/1209/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2 सितम्बर 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 10-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 मई 1984

निदेश सं० अई/3/37 ईई०/2877/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 12 है तथा जो कमलेश भवन सोसाइटी लिमिटेड, चौथी रोड, चेंबूर, बम्बई-400071 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन धारा 269 क ख के अधीन, सक्षम प्राधिकारी बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 2 सितम्बर, 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री वी० जे० नाईक। (अन्तरक)

(2) श्रीमती आर० जे० दोशी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 12, कमलेश भवन सोसाइटी लिमिटेड, चौथी रोड, चेंबूर, बम्बई—400071 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई०—3/37 ईई०/1210/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लाहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज—III, बम्बई

तारीख : 10-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एस. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 10 मई 1984

निदेश सं० अई०-3/37 ईई/28/9/83-84--अत:

मुझे. ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ब्लाक नं० 23 है तथा जो दूसरी मंजिल, सत्यकाम अपार्टमेंट, सरोजनी नायडू रोड, मुलुंड, बम्बई-400080 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 269 की धारा क ख के अधीन, सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 2 सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री किर्तीकांत रतिलाल जोबालिया।

(अन्तरक)

(2) श्री कीर्ति कुमार भीका लाल शाह और
श्री महा सुख राय भीकालाल शाह
श्री महा सुख राय भीका लाल शाह।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ब्लाक नं० 23, दूसरी मंजिल, सत्यकाम अपार्टमेंट, सरोजनी नायडू रोड, मुलुंड, बम्बई-400080 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई०-3/37ईई०/1218/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-3, बम्बई

तारीख : 10-5-1984
मोहर :

फ्रूक्स बाई.टी.एल.एल.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–III, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० अई०–3/37 ईई०/3047/83–84—अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० बी 1/5 है तथा जो जीवन नैया को० आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, चेंबूर, बम्बई–400071 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 2 सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती लाजवन्ती लाधाराम घिरवानी ।
(अन्तरक)

(2) श्री मोहन लाल रूपचन्द परमार ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लैट नं० बी–1/5, जीवन नैया को० आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, चेंबर, बम्बई–400071 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई०–III/37 ईई०/1264/83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० लाहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–III, बम्बई

दिनांक : 11–5–1984

मोहर :

फ्रम आई. टी. एस. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० अ०ई०-3/37 ई०/3082/83-84--अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 54 तथा जो 'बी' विंग, पांचवीं मंजिल, नीलिमा अपार्टमेंत, जंगल मंगल रोड, भांडुप, बम्बई-400078 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन, सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 2 सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० गणेश बिल्डर्स ।

(अन्तरक)

(2) श्री पुष्पराज फर्नान्डो ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लैट नं० 54, 'बी' विंग, पांचवी मंजिल, निलिमा अपार्टमेंट, जंगल मंगल रोड, भांडुप, बम्बई-400078 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई०-III/37 ई०/1278/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० लहिरी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-III, बम्बई ।

तारीख : 11-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० अई०-III/37 ईई/3080/83-84--अत:

मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 64, है तथा जो 'ए' विंग छठी मंजिल, 'निलिमा अपार्टमेंट', जंगल मंगल रोड, भांडुप, बम्बई-400078 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधि-नियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्रो है, तारीख 2 सितम्बर, 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० गणेश बिल्डर्स ।

(अन्तरक)

(2) श्री बाल कृष्ण एम० उचिल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लैट नं० 64 'ए' विंग, छठी मंजिल, 'निलिमा अपार्ट-मेंट', जंगल मंगल रोड, भांडुप, बम्बई-400078 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई०-III/37 ईई०/1276/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, बम्बई

तारीख : 11-5-1984

मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय: सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० अई०-I/37 ईई०/937/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1302 है तथा जो बिल्डिंग नं० 43, एम० आई० जी० आदर्श नगर, वरली, बम्बई-25 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन, बम्बई सक्षम प्राधिकारी, के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 8 सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री पी० वी० वारीयर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती रमाबेन राजेश भालडे।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो,, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट न० 1302, बिल्डिंग न० 43, एम० आई० जी, आदर्श नगर, वरली, बम्बई-23 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम स० अई०-III/37ईई०/898/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 8 सितम्बर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, बम्बई

तारीख : 11-5-1984

मोहर]

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० आई०1/37 ईई०/965/83–84—अतः मुझे, ए० लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० यूनिट नं० 19 है तथा जो फ्लोर नं० 11, दी इन्टरप्राइसेस को० आपरेटिव प्रिमायसेस सोसाइटी लिमिटेड, प्रभा देवी इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, वीर सावरकर मार्ग, बम्बई–25 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन, सक्षम प्राधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 15 सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी लाभ की पात्रता, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० ऊमा विद्युत इण्डस्ट्रीज
(अन्तरक)

(2) मै० इण्डकेम इलेक्ट्रानिक्स लि०
(अन्तरिती)

3. अन्तरिती
(वह व्यक्ति जिसके अधियोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

यूनिट नं० 19, फ्लोर नं० 11, दि इन्टरप्राइसेस को० आपरेटिव प्रिमायसेस सोसाइटी लिमिटेड, प्रभादेवी इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, विर सावरकर मार्ग, बम्बई–25 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० आई०1/37 ईई०/969/83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, बम्बई

तारीख : 14–5–1984
मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० आई०–1/37 ईई०/1015/83–84—अतः मुझे, ए० लाहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 7 है तथा जो पहली मंजिल, जगत प्रकाश को० आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी ऑक्सीलियम गर्ल्स हाई स्कूल के सामने, कटराक रोड के पीछे, वडाला, बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी, के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 20 सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री पकज एस० संघवी ।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती गणवन्ती एस० शाह
(श्रीमती गणवन्ती वी० संघवी)
(अन्तरिती)

(3) (अन्तरक)
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 7, पहली मंजिल, जगत प्रकाश को० आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी, ऑक्शीलियम गर्ल्स हाई स्कूल के सामने, कटराक रोड के पीछे, वडाला, बम्बई–31 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० आई०–1/37ईई०/981/83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई–1 द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० लाहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, बम्बई

तारीख : 14–5–1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० आई०1/37 ईई०/1059/83-84—अतः मुझे, ए० लाहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० टेनेन्ट नं० 1428 है तथा जो बिल्डिंग नं० डी/56, दूसरी मंजिल, एम० आई० जी० कालोनी, आदर्श नगर, वरली, बम्बई-25 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी, के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 26 सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से वर्णित नहीं किया गया है :

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दाय के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय दान अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या इस अधिनियम, या भारतीय अभिदाय अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री महेन्द्र कुमार उर्फ एम० के० एल० चन्द्रा ।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री कन्हैया लाल एच कोठारी एच

2. श्रीमती कल्पना के० कोठारी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

टेनेन्ट नं० 1428, बिल्डिंग नं० डी/56, दूसरी मंजिल, एम० आई० जी० कालोनी, आदर्श नगर, वरली, बम्बई-25 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० आई०-1/37 ईई०/1048/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० लाहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

फार्म आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई, 1984

निर्देश सं० अई०–1/37 ईई०/599/83–84—अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 38 है तथा जो "फिरडाउज" बिल्डिंग, 10, मोटलीबाई स्ट्रीट, बम्बई–4 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन, बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 7 सितम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तारकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मोहम्मद हुसेन जान मोहम्मद राजानी (अन्तरक)

(2) श्रीमती रशिदा एम० जे० राजानी (अन्तरिती)

(3) अन्तरिती
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 38, "फिरडाउज" बिल्डिंग, 10, मोटलीबाई, स्ट्रीट, बम्बई–11 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि फार्म सं० अई०–1/37 ईई०/770/83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 1983 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, बम्बई

तारीख : 11–5–1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० अई०1/37 ईई०/961/83–84—अतः मुझे, ए० लहिरी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० फ्लैट नं० 14 है तथा जो सागरकुंज, 78, नेपियनसी रोड, बम्बई–400006 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 ख के अधीन, बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है । तारीख 13 सितम्बर, 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती सारदाबेन एस० शाह और श्री योगेश एस० शाह।
(अन्तरक)

(2) मै० भण्डारी मेटल कारपोरेशन ।
(अन्तरिती)

(3) भागोदार आफ मै० भण्डारी मेटल कारपोरेशन ।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 14, सागरकुंज, 78, नेपियन सी रोड, बम्बई–400006 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई०–1/37 ईई०/967/83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, बम्बई

तारीख : 11–5–1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० अ०ई०-I/37-ईई/931/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 20ए, "आकाश गंगा", न्यू आकाश गंगा को-ऑप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 89, भुलाभाई देसाई रोड, बम्बई-400 026 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 ख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 8-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स जनरल पेपर्स ट्रेडर्स,

(अन्तरक)

2. (1) कैप्टन करम विर होरा और
(2) सुषमा के० होरा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 20ए, 'आकाश गंगा' न्यू आकाश गंगा को-आप० हाउसिंग सोसायटी, लिमिटेड 89, भुलाभाई देसाई रोड, बम्बई-400 026 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि फ० सं० अई/37ईई/917/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 8-9-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, बम्बई

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, बम्बई

बम्बई, दिनांक 7 मई 1984

निर्देश सं० अई०-I/37ईई/1053/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 296-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 5, 2सरी मंजिल, पेट्रोपोलिस, कुलाबा, बम्बई-400 005 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 5-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत्, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती क्यू० एस० ए० हुसेन,
(अन्तरक)
2. श्री प्रेम सवानी और (2) श्रीमती स्मिता सवानी
(अन्तरिती)
3. श्री प्रेम सवानी सपरिवार
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 5, 2सरी मंजिल, पेट्रोपोलिस, कुलाबा, बम्बई-400 005 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-I/1/37ईई/720/83-84 5-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, बम्बई

तारीख : 9-5-1984
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-I, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० अ०ई०-1/37ईई/920/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 901, 9वीं मंजिल, "श्रीरामकृष्ण सदन", प्लाट नं० 63, स्किम नं० 52, आफ वरली हिल, पोचखानवाला रोड के बाजू में, वरली, बम्बई-18 में स्थित है (और इसे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 फ ख के अधीन बम्बई स्थित, सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनी (अन्तरक)

2. श्रीमती शकुन्तला शामलाल छाब्रिया (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 901, 8 वीं मंजिल, "श्री रामकृष्ण सदन", प्लैट नं० 63, स्किम नं० 52, आफ वरली हिल, पोचखानवाला रोड के बाजू में, वरली, बम्बई-18 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-1/37ईई/915/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 8-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, बम्बई

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई०-1/37ईई/566/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० रूम नं० 211, 2सरी मंजिल, बाम्बे मार्केट, ताडदेव मेन रोड, बम्बई-34 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 23-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती साया मनोहर खांडके और
श्री मनोहर के० खांडके
(अन्तरक)
2. श्रीमती नर्गिसबानू, युसुफअली मुकादम,
(अन्तरिती)
3. मैसर्स ब्युटिज
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रूम नं० 211, 2सरी मंजिल, बाम्बे मार्केट, ताडदेव मेन, रोड, बम्बई-34 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि फा० स० आई-1/37ईई/873/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 23-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 (घ) (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० आई-1/37-जी/4947/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सी० एस० नं० 221, ऑफ फोर्ट डिविजन एण्ड एडमेसुरींग 291.17 स्क्वायर मीटर्स एट शहीद भगतसिंह रोड, ओल्ड कस्टम हाउस के सामने, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 9-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री इस्माइल मोहम्मद अली कगा
(अन्तरक)
2. मैसर्स राजगिर बिल्डर्स
(अन्तरिती)
3. भाड़ूत
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख सं० बांम 995/79 और जो उप रजिस्ट्रार, बम्बई द्वारा दिनांक 9-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

तारीख : 11-5-1984

मोहर :

फार्म आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14मई 1984

निर्देश सं० अई-I/37ईई/1016/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा **269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 502, "श्री रामकृष्ण सदन", प्लॉट नं० 63, स्कीम नं० 52, आफ वरली हिल, सर पोचखानवाला रोड के बाजू में, वरली, बम्बई-18 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका कारनामा आयकर अधिनियम 1961, की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है 7-9-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देशों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों **को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922** (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में **सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री लक्ष्मी कान्स्ट्रक्शन कंपनी।

(अन्तरक)

2. ह्होल्टास लिमिटेड,।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 502, "श्री रामकृष्ण सदन", प्लॉट नं० 63, स्कीम नं० 52, आफ वरली हिल, सर पोचखानवाला रोड के बाजू में, वरली, बम्बई-18 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि फ० सं० अई-I/37ईई/754/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 7-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, बम्बई

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

फार्म आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० अई-I/37ईई/1017/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 501, और एक कार पार्क इन ए बिल्डिंग नोन एज "श्री रामकृष्ण सदन", प्लॉट नं० 63, स्कीम नं० 52, वरली हिल, सर पोचखानवाला रोड, के बाजू में वरली , बम्बई-18 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो जिसका कारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क, ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, 7-9-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के क्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके क्रयमान प्रतिफल से, ऐसे क्रयमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनी।

(अन्तरक)

2. व्होल्टास लिमिटेड

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 501, और एक कार पार्क इन ए बिल्डिंग नोन एज श्री रामकृष्ण सदन", प्लॉट नं० 63, स्कीम नं० 52, वरली हिल, सर पोचखानवाला रोड के बाजू में वरली, बम्बई-18 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि फ० सं० अई-I/37ईई/755/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 7-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, बम्बई

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

फ्रूक्स आई.टी.एक्ट.पब्ल.-

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० अई-1/37ईई/919/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 702, 7वीं मंजिल, "श्री राम कृष्ण सदन", प्लाट नं० 63, स्किम नं० 52, आफ वरली, हिल, पोचखानवाला रोड, के सामने, वरली, बम्बई-18 में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्रड है, दिनांक 8-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसको व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से, उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन, कंपनी
(अन्तरक)
2. श्री ललित कुमार साबू और आदित्य कुमार साबू
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 702, 7वीं मंजिल "श्री रामकृष्ण सदन", प्लाट नं० 63, स्किम नं० 52, आफ वरली हिल, पोचखानवाला रोड, के बाजू में वरली, बम्बई-18 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-1/37ईई/914,/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई, द्वारा दिनांक 8-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, बम्बई

दिनांक : 14-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज,-I, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० अई०-1/37ईई/918/83-84—अतः मुझे ए० लहिरी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 701, 7वीं मंजिल, "श्री रामकृष्ण सदन", प्लाट नं० 63, स्किम नं० 52, आफ वरली हिल, पोचखानवाला रोड के बाजू में, वरली, बम्बई-18 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 8-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन, कंपनी

(अन्तरक)

2. श्रीमती भगवतीदेवी साबू, और
मास्टर अमितकुमार साबू (मायनर)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 701, 7वीं मंजिल, "श्री रामकृष्ण सदन' प्लाट नं० 63, स्किम नं० 52, आफ वरली हिल, पोचखानवाला रोड के बाजू में, वरली, बम्बई-18 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-1/37ईई/913/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 8-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, बम्बई

दिनांक : 14-5-1984

मोहर :

फार्म आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई, 1984

निर्देश सं० अई०-1/37ईई/649/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० रूम नं० 28, 5 वीं मंजिल, ताडदेव एअर कन्डीशन्ड, मार्केट, बम्बई-400 034 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 ख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 7-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री के० टी० देमराजानी
(अन्तरक)
2. श्री सी० पी० आशर, (एच० यू० एफ),
(अन्तरिती)
3. अन्तरिती
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रूम नं० 28, 5 वीं मंजिल, ताडदेव एअर-कन्डीशन्ड मार्केट, बम्बई-400 034 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि फ० सं० अई०-1, /37ईई/771/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 7-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, बम्बई

दिनांक : 14-5-1984

मोहर :

फ्रक्य आई.टी.एस.एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई, 1984

निर्देश सं० अई० -1/37ईई/910/83-84—अतः मुझे, ए० लहिरी

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 6-बी, 6 वीं मंजिल, न्यू आकाश गगा, बिल्डिंग, 89, भुलाभाई देसाई रोड, बम्बई-36 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 क ख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है.

दिनांक 5-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए: और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 260-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. कैप्टन, के० व्हि० होरा और श्रीमती सुषमा होरा, मेरीडियन इन्फलेटेबल्स प्रा० लि०

(अन्तरक)

2. श्रीमती अबिदा अकबरअली राजन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 6-बी, 6वीं मंजिल, न्यू आकाश गंगा बिल्डिंग, 89, भुलाभाई देसाई रोड, बम्बई-400 036 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई-1/37ईई/880/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 5-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

ए० लहिरी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, बम्बई

तारीख : 14-5-1984
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई०-1/37ईई/6496/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० शाप नं० 5, तलमाला, वसोवा गायत्री को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, आम्बीवली, व्हिलेज, जे० पी० रोड, अंधेरी (प०) बम्बई-400 058 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)

और जो सहायक आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रखी गई है तारीख 9-9-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शेख मोहम्मद, इस्माईल, और
बाजी शहीद हुसेन

(अन्तरक)

2. श्रीमती जेतूनबी बशिर अहमद शेख और
श्री बशिर अहमद महबूब शेख

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में लिया गया है।

अनुसूची

शाप नं० 5 जो तलमाला, वसोवा गायत्री, को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, एस० एच० नं० 742, और 143, आम्बावली व्हिलेज, वसोंवा स्किम नं० 111, जे० पी० रोड, अंधेरी (प०) बम्बई-58 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई-2/37ईई/6496/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 9-9-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 2, बम्बई

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 2, बम्बई
बम्बई, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई-2/37ईई/6585/83-84—अतः एस० एच० अब्बास अबिदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1ए, (निर्माणाधीन इमारत), प्लाट नं० 60, और 61, बामन वाडा, सहार विलेज, अंधेरी (पूर्व), बम्बई-400 063 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 15-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्रेयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,, उसके श्रेयमान प्रतिफल से, ऐसे श्रेयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स नव बहार बिल्डर्स
(अन्तरक)
2. श्रीमती मारी थेरेसा डिसोजा
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1ए, जो प्लाट नं० 60 और 61 (पर निर्माणाधीन इमारत में), बामन वाडा, सहार विलेज, अंधेरी (पूर्व), गम्बई-400 063 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई-2/37ईई/6585/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 15-9-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 2, बम्बई

दिनांक 14-5-1984

मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2,

बम्बई, दिनांक 30 अप्रैल, 1984

निर्देश सं० आई०-2/37ईई/3361/83-84—अतः मुझे एस० एच० अब्बास अबिदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 101, (कार पार्किंग जगह के साथ), "अवंती" पहली मंजिल, सेंट्रल एवेन्यू, सान्ताक्रूज, (प०), बम्बई-400 054 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची और जो पूर्ण रूप से वर्णित) और जिसका करारनामा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख, के अधीन सक्षम प्राधिकारी बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 1-9-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अशोक एन० बक्षीर (अन्तरक)
2. श्री राहुल देव बर्मन
3. (अन्तरिती) (अन्तरिती)

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 101 (कार पार्किंग जगह के साथ), जो, "अवंती" पहली मंजिल, सेंट्रल एवेन्यू, सान्ताक्रूज, (प०) बम्बई-400054 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि फ्र० सं० आई-2/37ईई/3361/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-9-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

दिनांक 30-4-1984

मोहर:

प्रारूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज ,2

बम्बई, दिनांक 14 मई, 1984

निर्देश सं० आई०-2/37ईई/6520/83-84—अतः मुझे एस० एच० अब्बास अबिदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 101, "हिमाचल", पहली मंजिल, जुहु, लेन, अंधेरी (प०), बम्बई-400 058 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 9-9-1983

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती कोकीला गुणवंत भाई पटेल

(अन्तरक)

2. श्री भारत जैटसी कुर्वा

(अन्तरिती)

3. (अन्तरक

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

फ्लैट नं० 101, जो, पहली मंजिल, "हिमाचल", जुहु लेन, अंधेरी (प०), बम्बई-400 058 में स्थित है । और जिसका सर्वे नं० 208, हिस्सा नं० 3, सिटी सर्वे नं० 510 और 511 है।

अनुसूची जैसा कि क० सं० आई-2/37ईई/3520/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 9-9-1983 को रजिस्टर्ड किया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 2, बम्बई

तारीख 14-5-1984

मोहर:

फ्रूप बाई. टी. एन. एस.:

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2,

बम्बई, दिनांक 14 मई, 1984

निर्देश सं० आई०-2/37ईई/3509/83-84—अतः मुझे एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 302, 3री मंजिल, केनवूड को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, बांद्रा, बम्बई-400050 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप में वर्णित है) और जिसका करारनाम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 26-9-1983 ;

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अवधारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अधिक नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती बचू फिरोज बिलीमोरिया

(अन्तरक)

2. श्री रोशनलाल फिदा हुसैन पटेल और श्रीमती बातुल रोशनलाल पटेल

3. (अन्तरिती)

(3) (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 302, जो 3री मंजिल, 'केनवूड' को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, प्लाट नं० 89, सि०टी० एस० नं० 1656, झिंग-झंग और पाली दान्डा रोड, कार्नर, बान्द्रा, बम्बई-50 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई-2/37ईई/3509/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 26-9-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख 14-5-1984

मोहर

प्ररूप आई.टी.एस.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2,

बम्बई, दिनांक 14 मई, 1984

निदेश सं० आई०-2/37ईई/6523/83-84—अतः मुझे एस० एच० अब्बास अधिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269--ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 23, ब्लाक ए, वसोंवा, गौतम अपार्टमेंट को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, 5वी मंजिल, जे० पी० रोड, वसोंवा, अंधेरी (प), बम्बई-400 058 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनाम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 9-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब:, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती ज्योति विलास पोटनीस ।
(अन्तरक)

2. श्री के० ससीधरन पिल्लाई ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 23, जो 5 वीं मंजिल, वसोंवा गौतम अपार्टमेंट को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी, ब्लाक ए, जे० पी० रोड, वसोंवा, अंधेरी (प), बम्बई-400 058 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि फ० सं० आई-2/37ईई/6523/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 9-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अधिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० [आई०-2/37ईई/6815/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 3 और फ्लैट नं० 4 का हिस्सा तलमाला, अंकूर टी० पी० एस० 2, दादाभाई रोड, नं० 2, अंधेरी (प०), बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी अधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 26-9-1983

का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके व्ययमान प्रतिफल से, ऐसे व्ययमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अहिया एंड एसोसियेट्स,

(अन्तरक)

2. श्री मिलन्द लक्ष्मण नुलकर और राजीव नेत्र एल बुलकर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय XX-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लाट नं० 3 और फ्लाट नं० 4 का हिस्सा जो तलमाला, 'अंकूर', टी० पी० एस० 2, दादाभाई रोड नं० 2 अंधेरी (प), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क० सं० आई०-2/37ईई/6815/83 84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 26-9-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

दिनांक: 14-5-1984

मोहर]

प्ररूप आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई 1984

निदेश सं० अई-2/37ईई/7273/83-84—अतः मुझे एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० यूनिट नं० 27, मधुवन, इन्डस्ट्रीयल इस्टेट महाकाली केव्हज रोड, अंधेरी (पूर्व), बम्बई-400 093 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 ख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 5-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया **प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व और/या

(ख) ऐसी किसी आय का किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नकुल रमनिकलाल शेठ

(अन्तरक)

2. श्रीमती निलक्षी पी० बेजल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि क० सं० अ ई-2/37ईई/7273/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 5-9-83 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एस.एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई, 1984

निर्देश सं० अई-2/37ईई/7517/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है:

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1, बी विंग, 1 ली मंजिल, "मिनू मिहार", बिल्डिंग, विरा देसाई रोड, अंधेरी (पश्चिम), बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 13-9-83 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मैसर्स मिनू बिल्डर्स

(अन्तरक)

2. श्री राजू बी० भंडारी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1, बी विंग, 1 ली मंजिल, "मिनू मिहार" बिल्डिंग, विरा देसाई रोड, अंधेरी (पश्चिम), बम्बई में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-2/37ईई/6517/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 13-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

एस० एच० अब्बास अबदी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-2, बम्बई

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

फ्रम्प आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० अई०-2/37ईई/3363/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन, सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1, ग्राउन्ड फ्लोर, "मिनू अपार्टमेंट", नंदा पाटकर रोड, विले पार्ले, (पूर्व), बम्बई-56 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269-ख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 1-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

"(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा पकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स मिनू कन्स्ट्रक्शन कंपनी (अन्तरक)

2. श्री नयन कुमार कुंदनलाल शेठ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1, ग्राउन्ड फ्लोर, "मिनू अपार्टमेंट", नंदा पाटकर रोड, विले पार्ले (पूर्व), बम्बई-56 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि फ्र० सं० अई-2/37ईई/3363/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी,
[सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 14-5-1984
मोहर]

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 30 अप्रैल 1984

निर्देश सं० अई०-2/37ईई/3412/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) कि धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसको सं० फ्लैट नं० 6, नंदनवन, अंसारी रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), बम्बई 400056 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 12-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री मनहरलाल टी० शाह
   (2) श्री विक्रम एम० शाह
   (अन्तरक)
2. श्री जयन्ती रावजी अमिन और श्रीमती विरमती जे० अमिन।
   (अन्तरिती)
3. अन्तरिती
   (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 6, जो, "नंदनवन", अंसारी रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), बम्बई-400 056 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-2/37ईई/3412/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 12-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 30-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 15 मई, 1984

निर्देश सं० अई०-2/37ईई/6821/83-84—अतः मुझे एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० शाप नं० 2, लिला अपार्टमेंट, गुलमोहर गार्डन के सामने, यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी (प), बम्बई-400061 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख, के अधीन सक्षम बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 30-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी
(अन्तरक)

2. एस० बाजलूलाह जीलानी
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप नं० 2, लिला अपार्टमेंट, गुलमोहर गार्डन के सामने, यारी रोड वर्सोवा अंधेरी (पश्चिम), बम्बई-400 061 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा की क्र० सं० अई०-2/37ईई/6829/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 30-9-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-2 बम्बई

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

आयुक्त सहायक

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 7 मई 1984

निर्देश सं० अई-2/37ईई/3452/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1, 2री मंजिल, मिनू अपार्टमेंट, नंदा पाटकर रोड, विलेपार्ले, (पूर्व), बम्बई-400 056 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है)

और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 23-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मैसर्स मिनू कन्स्ट्रक्शन, कंपनी (अन्तरक)

2. श्री रणलाल शिवलाल दवे (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1, 2री मंजिल, "मिनू अपार्टमेंट" नंदा पाटकर रोड, विलेपार्ले (पूर्व), बम्बई-400 056 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-2/37ईई/3452/83-84 और सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 23-9-1983 को रजिस्ट्री किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 7-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० अई०-2/37ईई/6599/83-84—अतः मुझे एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० इन्डस्ट्रीयल शेड नं० 148, शिवशक्ति इंडस्ट्रियल इस्टेट, मरोल व्हिलेज, अंधेरी–कुर्ला रोड, बम्बई-400 059 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 15-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स शिवशक्ति बिल्डर्स

(अन्तरक)

2. मैसर्स एलसी पैकेजिंग

(अन्तरती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इंडस्ट्रियल शेड नं० 148, शिव शक्ति इंडस्ट्रियल इस्टेट, एस० नं० 79 आर० नं० 16 एस० नं० 80 एच० नं० 1, मरोल व्हिलेज अंधेरी कुर्ला रोड बम्बई 400 059 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई/०-2/37ईई/6599/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 15-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख 14-5-1984
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एम.एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2
बम्बई, दिनांक 15 मई 1984

निर्देश सं० आई०-2/37ईई/6602/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० यूनिट नं० 24, तलमाला, सर्वोदय इंडस्ट्रियल इस्टेट, महाकाली केव्हज रोड, अंधेरी (पूर्व) है तथा जो बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 16-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स माणेकलाल एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। (अन्तरक)
2. मैसर्स डी० आर० इंडस्ट्रीज (अन्तरिती)
3. मैसर्स माणेकलाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में तथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

यूनिट नं० 24, जो, सर्वोदय इंडस्ट्रीयल इस्टेट, महाकाली केव्हज रोड, अंधेरी (पूर्व) बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्र० सं० आई-2/37ईई/6602/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 16-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बासअबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख: 15-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० आई०-2/37ईई/6503/83-84—अतः मुझे; एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 7, 3री मंजिल "सी" विंग व्हिलेज, कोंडिवटे तालुका अंधेरी बी० एस० डी० बेअरिंग सर्वे नं० 110, हिस्सा नं० 2 और 4 और सी० एस० नम्बर्स 180, 181 और 182 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 10-9-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनयम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब:, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स कृष्णकुमार एंड कंपनी

(अन्तरक)

2. (1) श्री एडवर्ड कोएलो और
(2) श्रीमती सी० कोएलो

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 7, 3री मंजिल, "सी" विंग, व्हिलेज, कोंडिवटे, तालुका अंधेरी, बी० एस० डी० बेअरिंग सर्वे नं० 110, हिस्सा नं० 2 और 4 और सी० एस० नं० 180, 181 और 182, में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्र० सं० आई-2/37ईई/6503/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 10-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज,-2, बम्बई

दिनांक : 14 मई 1984
मोहर :

प्ररूप आई० टी०, एन०. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई, 1984

निर्देश सं० अई०-2/37ईई/6315/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 79-ए "शक्ति" सुप्रिम को-आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, फ्लैट नं० 15, डा० चरतसिंह कालोनी रोड, चकाला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 1-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री डुंगरशी हिरजी गहा
(अन्तरक)

2. श्रीमती इक्बालबाबू इस्माईल मेनन
(अन्तरिती)

3. अन्तरिती
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

79-ए, "शक्ति" सुप्रीम को-आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, फ्लैट नं० 15, डा० चरतसिंह कालोनी, रोड, चकाला, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-2/37 ईई/6315/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 14-5-1984
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई, 1984

निर्देश सं० अई-2/37ईई/6363/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 42, बिल्डिंग नं० 5, 4 थी मंजिल, अंधेरी वर्मा नगर को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, जूना नगरदास रोड, अंधेरी (पू०), बम्बई-400 062 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका कारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय मे रजिस्ट्री है, दिनांक 22-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बेलूर विष्णुकान्य,

(अन्तरक)

2. श्रीमती कुंजबाला सतीश कुमार मंदीरवाला, और श्री सतीशकुमार विष्णुभाई मंदिरवाला ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लैट नं० 42, जो 4 थी मंजिल, बिल्डिंग नं० 5, अंधेरी वर्मा नगर, को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, जूना नगरदास रोड, अंधेरी (पूर्व), बम्बई-400 069 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क० सं० आई-2/37ईई/6363/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 22-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 2,
बम्बई, दिनांक 14 मई, 1984

निदेश सं० आई०-2/37ईई/6625/83-84—अतः मुझे एस० एच० अब्बास अबिदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० फ्लैट नं० बी 1, माडेल टाऊन, अपार्टमेंट, महाकाली केव्हज रोड, अंधेरी (पूर्व), बम्बई-400 093 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिससे करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 16-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स सत्गुरु बिल्डर्स
(अन्तरक)
2. श्री विश्वनाथ राम अडापा
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० बी-1, माडेल टाऊन, अपार्टमेंट, महाकाली केव्हज, रोड, अंधेरी, (पूर्व), बम्बई-400 093 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई०-2/37ईई/6625/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 16-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 2, बम्बई

दिनांक 14-5-1984
मोहर :

अरूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई, 1984

निर्देश सं० आई-2/37ईई/6663/83-84—अतः मुझे एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 305 3री मंजिल, स्वप्नाघर को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी सर्वे नं० 52, हिस्सा नं० 2, कोंडिविटा व्हिलेज, चकाला, बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्री और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 20-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एन० डी० पालीवाल

(अंतरक)

2. श्री आर० रमानाथन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 305, 3 री मंजिल, स्वप्नाघर को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी सर्वे नं० 52, हिस्सा नं० 2, कोंडिविटा व्हिलेज, चकाला, बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई०-2/37ईई/6663/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 20-9-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 2, बम्बई

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

एस्थ आई.टी.एन.एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2,

बम्बई, दिनांक 14 मई, 1984

निर्देश सं० आई०-2/37ईई/6751/83-84 --अतः मुझे एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० शाप नं० 4, तलमाला, गुलमोहर अपार्टमेंट 32, मरोल मरोशी, रोड, अंधेरी (पूर्व), बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 21-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सरोजा नटराजन

(अन्तरक)

2. श्रीमती ग्रेटा मिरांडा

(अन्तरिती)

3. अन्तरिती

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप नं० 4, तलमाला, गुलमोहर अपार्टमेंट, 32 मरोल मरोशी, रोड, अंधेरी (पूर्व), बम्बई-400 059 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई-2/37ईई/6751/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 21-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयक आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 2, बम्बई

तारीख 14-5-1984

मोहर :

फार्म आई. टी. एस. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2,

बम्बई, दिनांक 30 अप्रैल, 1984

निर्देश सं० एआई०-2/37ईई/3521/83-84—अतः मुझे एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० लैन्ड एंड प्रिमायसेस बेअरिंग नं० एफ० पी० 147, टी० पी० एस० नं० 5, मालवीय रोड, विले पार्ले, (पूर्व), बम्बई-400 057 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनाम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, दिनांक 26-9-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स जयश्री बिल्डर्स (इंडिया),

(अन्तरक)

2. श्री संजीव, यू० व्यास
   (2) श्रीमती वाय० यू० व्यास, और
   (3) श्री रणधीर एन० व्यास

(अन्तरिती)

3. (1) श्री रणधीर एन० व्यास और
   (2) डॉ० भारत एन० व्यास
   (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

लैण्ड एंड प्रिमायसेस बेअरिंग, नं० एफ० पी० 147, टी० पी० एस० नं० 5, मालवीय रोड, विले पार्ले, (पूर्व), बम्बई-400 057 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि फ० सं० आई-2/37ईई/3521/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 26-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 2, बम्बई

दिनांक 30-4-1984

मोहर ॥

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० अई-2/37ईई/6392/83-84 अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

सं०-फ्लट नं० 6, 2 रीदसंझिल, "सी" विंग, "आदित्य अपार्टमेंटस्", डॉ० राधाकृष्णन मार्ग, अंधेरी पूर्व, बम्बई-69 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख्ख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम अधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 3-9-83

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. गोयल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड

(अन्तरक)

2. (1) श्री शांतीलाल गौरी शंकर त्रिवेदी और
(2) श्री गौरीशंकर मालाराम त्रिवेदी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 6 2री मंजिल, "सी" विंग, "आदित्य अपार्टमेंटस" डा० एस० राधाकृष्णन मार्ग, अंधेरी, (पूर्व), बम्बई-69 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई०-2-37ईई/6392/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 3-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख 14-5-1984
मोहर :

प्रपत्र आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 मई, 1984

निर्देश सं० अई०-2/37ईई/6507/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का **कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है**

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 4, 2 री मंजिल, "बी" विंग, व्हिलेज, कोंडिवटे, तालुका अंधेरी, बी एस० डी० बेअरिंग, सर्वे नं० 100, हिस्सा नं० 2, और 4 और सी० एस० नं० 180, 181 और 182 में स्थित है (और इसे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख, के अधीन बम्बई में स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 10-9-83 **को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार** मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का **पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती** (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मैसर्स कृष्ण कुमार एंड कंपनी

(अन्तरक)

2. (1) श्री कालूभाई वैनी लाल संघावी और
(2) श्रीमती भारती कालूभाई संघावी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 4, 2 री मंजिल, "बी विंग, व्हिलेज कोंडिवटे, तालुका अंधेरी बी० एस० डी० बेअरिंग, सर्वे नं० 100, हिस्सा नं० 2 और 4 और सी० एस० नं० 180, 181 और 182 में स्थित है ।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई०-2/37ईई/6507/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 10-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

दिनांक : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एस. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 30 अप्रैल 1984

निर्देश सं० आई०-2/37ईई/3343/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० शाप नं० 4, क्विन्स पार्क प्रीमायसेस, को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, प्लाट नं० 71/1 जुहू रोड, सान्ताक्रूज, (पश्चिम), बम्बई-400 049 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 1-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कपिल राय जी० दवे

(अन्तरक)

2. श्री मालेहभाय ई० पोरबन्दरवाला

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 4, जो क्विन्स पार्क प्रीमायसेस को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, प्लाट नं० 71/1, जुहू रोड, सान्ताक्रूज (प०), बम्बई-400 049 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई०-2/37ईई/3343/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

दिनांक : 30-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2,

बम्बई, दिनांक 14 मई, 1984

निर्देश सं० आई०-2/37ईई/6369/83-84—अतः मुझे एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 'बेनज़ीर, शाप नं० 4, ग्राउन्ड फ्लोर, प्लाट नं० 9/9ए, आफ एस० नं० 41, 4 बंगलोज, ओशिवरा, वर्सोवा, अंधेरी (प), बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 ख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 2-9-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स रविराज कन्स्ट्रक्शनस्,

(अन्तरक)

2. श्रीमती हिरावन्ती उमरशी गाडा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

'बेनज़ीर शाप नं० 4, ग्राउन्ड फ्लोर, प्लाट नं० 9/9ए, आफ एस० नं० 41, 4 बंगलोज, ओशिवरा, वर्सोवा अंधेरी (प), बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई०-2/37ईई/6369/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 2-9-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

स० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 2, बम्बई

तारीख 64-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2,

बम्बई, दिनांक 14 मई, 1984

निर्देश सं० आई०-2/37ईई/6590/83-84—अतः मुझे एस० एच० अब्बास अबिदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० शाप नं० 5, ट्विन टावर्स, ट्रिलेज, ओशिवरा, चार बंगला, जे० पी० रोड, वर्सोवा अंधेरी (प), बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख, के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 15-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री इंदरजीत प्रापर्टीज प्रायवेट लिमिटेड

(अन्तरक)

2. श्री रमेश इसारदास अलवानी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप नं० 5, जो "ट्रिवल ट्रावर्स", तलमाला, प्लांट 8ए, एंड 8बी, सर्वे नं० 41 (पार्ट), ट्रिलेज ओशिरा, चार बंगला, जे० पी० रोड, वर्सोवा, अंधेरी रोड, बम्बई स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई-2/37ईई/6590/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 15-9-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई
बम्बई, दिनांक मई 1984

निर्देश सं० अई-4/37ईई/1842/83-84—अतः मुझे, विजय रंजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1 और 2, ग्राउन्ड फ्लोर राधेश्याम अपार्टमेंटस आर० जे० रोड दहिसर (पूर्व) बम्बई-400068 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी बम्बई के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत है ।

दिनांक 1-9-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स ठक्कर कन्स्ट्रक्शन (अन्तरक)
2. डॉ० संध्या जे० रणदिवे (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1 और 2 ग्राउन्ड फ्लोर राधेश्याम अपार्टमेंट्स, आर० जे० रोड दहिसर (पूर्व) बम्बई-68

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० आई 4/37ईई/842/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 1-9-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

विजय रंजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, बम्बई.

तारीख : 8-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2 बम्बई

बम्बई, दिनांक 17 मई 1984

निर्देश सं० अई-2/37ईई/7420/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 305 3री मंजिल ऑन प्रापर्टी बेअरिंग फायनल प्लाट बम्बई-32 टी० पी० एस०, 5, सिटी सर्वे नं० 108 से 108 (12) एवं शांताक्रुज (पूर्व) बम्बई-59 में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है दिनांक 19-9-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स जय डेवलपमेंट कारपोरेशन

(अन्तरक)

2. श्रीमती ज्योत्स्ना गिरीश राणा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 305 3री मंजिल ऑन प्रापर्टी बेअरिंग फायनल प्लाट नं० 32, टी० पी० एस० 5, सिटी सर्वे नं० 100 से 108 (12) एवं शांताक्रुज (पूर्व) में स्थित है।]

अनूसूची जैसा कि फ० सं० अई-2/37ईई/7420/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 19-9-1983 को रजीस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2 बम्बई

दिनांक : 17-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर कार्यालय

अमृतसर, दिनांक 8 मई, 1984

निदेश सं० ए० एस० आर०/84-85/28—यतः मुझे सी० एस० काहलों,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एक प्रापर्टी है जो मुहल्ला वडैहरीयां पठानकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और, पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पठानकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1983 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री सुभाष चन्द्र,
अशोक कुमार पुत्र
श्री प्यारे लाल,
मुहल्ला वडैहरीयां, पठानकोट,
जिला गुरदासपुर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मोतिया देवी विधवा
स्वर्गीय जगत राम,
मुहल्ला वडैहरीयां, पठानकोट,
जिला गुरदासपुर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर सं० नं० 2 और किराएदार यदि कोई हो।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) और कोई।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्रापर्टी मुहल्ला वडैहरीयां, पठानकोट में स्थित जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पठान कोट के सेल डीड नं० 1757 दिनांक 16-9-83 में वर्णे है।

सी० एस० काहलों
(आई० आर० एस०)
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 8-5-1984

मोहर

संघ लोक सेवा आयोग

नोटिस

अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1984

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून, 1984

सं० एफ०-9/2/84-प० 1 (ख)—भारत के राजपत्र दिनांक 23 जून, 1984 में गृह मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे पैरा 2 में उल्लिखित सेवाओं के अनुभाग अधिकारी ग्रेड तथा आशुलिपिक ग्रेड I/ग्रेड ख की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, गंगटोक, मद्रास और नागपुर में 11 दिसम्बर, 1984 से एक सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी।

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीखों में परिवर्तन कर सकता है। यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिए उनकी पसन्द के केन्द्र देने के, सभी प्रयास किए जाएंगे तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपनी विवक्षा पर अलग केन्द्र दे सकता है। जिन उम्मीदवारों को उस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय सारिणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी (नीचे अनुबन्ध 1 पैरा 7 देखिए)।

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर जिन सेवाओं में भर्ती की जानी है उनका तथा उन सेवाओं में उपलब्ध रिक्तियों की अनुमानित संख्या का विवरण इस प्रकार है:

वर्ग I

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड I

वर्ग II

अनुभाग अधिकारी, ग्रेड (भारतीय विदेश सेवा, 'शाखा' ख के सामान्य संवर्ग का समेकित ग्रेड II और III) 11**

वर्ग III

रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IV

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड ख

वर्ग V

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक उप संवर्ग का ग्रेड-I

ग्रेड VI

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड ख वर्ग * 7 (2 पद अनुसूचित जाति तथा 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित)

वर्ग VII

रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

ग्रेड VIII

आसूचना ब्यूरो का अनुभाग अधिकारी ग्रेड 6 (एक पद अनुसूचित जाति तथा 2 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित)

उपर्युक्त संख्याओं में परिवर्तन किया जा सकता है।

*रिक्तियां सरकार द्वारा सूचित नहीं की गई।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

3. जो उम्मीदवार उक्त सेवाओं (द्रष्टव्य नियम 3) के दो वर्गों के लिए पात्र है और दोनों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं; वह केवल एक ही आवेदन पत्र भेजें उसे नीचे पैरा 6 में उल्लिखित शुल्क एक बार ही देना होगा तथा आवेदन किए गए प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

विशेष ध्यान: उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्रों में उस वर्ग/उन वर्गों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए जिनके लिए वे प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। दो वर्गों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में वरीयता क्रम से दोनों वर्गों का उल्लेख करना चाहिए। दो वर्गों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित मूलतः वर्गों के वरीयता क्रम में परिवर्तन करने के अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस आशय का अनुरोध संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में लिखित परीक्षा के परिणाम रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं हो जाता।

रीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली- को आवेदन करना चाहिए। निर्धारित आवेदन प्रपत्र तथा संबद्ध पूर्ण विवरण दो रुपए देकर आयोग से डाक द्वारा प्राप्त सकते हैं। यह राशि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर दिल्ली-110011 को मनीआर्डर द्वारा या सचिव, संघ लोक ग को नई दिल्ली जनरल डाकघर पर देय रेखांकित भारतीय र्डर द्वारा भेजी जानी चाहिए। मनीआर्डर/पोस्टल आर्डर के क या करेंसी नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ये आवेदन ग के काउन्टर पर नकद भुगतान द्वारा भी प्राप्त किए जा दो रुपए की यह राशि किसी भी हालत में वापस नहीं की

-उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड I) सीमित विभागीय परीक्षा, 1984 के लिए निर्धारित मुद्रित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें। अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड ख/ग्रेड I) सीमित विभागीय परीक्षा, 1984 के लिये, निर्धारित आवेदन प्रपत्रों से इतर प्रपत्रों पर प्रस्तुत आवेदन प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक प्रलेखों के साथ सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को 21 अगस्त, 1984 (21 अगस्त, 1984 से पहले ही किसी तारीख से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पिति जिला, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप और विदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों के और जिनके आवेदन-पत्र

उपर्युक्त में से किसी एक क्षेत्र से डाक द्वारा प्राप्त होते हैं उनके मामले में 4 सितम्बर, 1984) तक या उससे पहले डाक द्वारा अवश्य भिजवा दिया जाये या स्वयं आयोग के काउन्टर पर आकर जमा कर दिया जाए। निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और काश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पिति जिला, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप और विदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से आयोग यदि चाहे तो इस बात का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है कि वह 21 अगस्त, 1984 से पहले की किसी तारीख से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और काश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पिति जिला, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप या विदेशों में रह रहा था।

टिप्पणी :—जो उम्मीदवार ऐसे क्षेत्रों के हैं जहां के रहने वाले आवेदन की प्रस्तुति हेतु अतिरिक्त समय के हकदार हैं उन्हें आवेदन पत्र के संगत कालम में अपने पत्रों में अतिरिक्त समय के हकदार, इलाके या क्षेत्र का नाम (अर्थात्, असम, मेघालय, जम्मू तथा काश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग आदि) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा हो सकता है कि उन्हें अतिरिक्त समय का लाभ न मिले।

6. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को भरे हुए आवेदन पत्र के साथ आयोग को रु० 28.00 (अट्ठाईस रुपये) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के मामले में रु० 7.00 (सात रुपये) का शुल्क भेजना होगा जो कि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के प्रधान डाकघर पर देय या रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर या सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया की मुख्य शाखा पर देय स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी भी शाखा से जारी किए गए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवार को निर्धारित शुल्क भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या विदेश स्थित प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो के कार्यालय में जमा करना होगा ताकि वह "051—लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क" के लेखा शीर्ष में जमा हो जाए और आवेदन-पत्र के साथ उसकी रसीद लगाकर भेजनी चाहिए।

जिन आवेदन पत्रों में यह अपेक्षा पूरी नहीं होगी उन्हें एक दम अस्वीकार कर दिया जाएगा।

7. यदि कोई उम्मीदवार अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड ख/ग्रेड I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1983 में बैठा हो और इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये आवेदन करना चाहता हो उसे 1983 की परीक्षा के परिणामों की प्रतीक्षा किये बिना ही अपना आवेदन-पत्र अवश्य भेज देना चाहिए, ताकि वह निर्धारित तारीख तक आयोग के कार्यालय में पहुंच जाये, यदि 1983 में ली गई परीक्षा के परिणाम के आधार पर उसका नाम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसित कर दिया जाता है तो उसके अनुरोध पर इस परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसको शुल्क लौटा दिया जाएगा बशर्ते कि उम्मीदवारी रद्द कराने और शुल्क को वापस करने का अनुरोध आयोग के कार्यालय में 1983 की परीक्षा के अंतिम परिणामों के "रोजगार समाचार" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जाए।

8. जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया हो किन्तु उसे आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया हो तो उसे रु० 15.00 (पंद्रह रुपये) [अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के मामले में रु० 4.00 (चार रुपये)] की राशि वापिस कर दी जाएगी।

उपर्युक्त तथा पैरा 7 में उपबन्धित व्यवस्था को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किये गये शुल्क को वापसी के किसी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और न ही शुल्क की किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिये आरक्षित रखा जा सकेगा।

9. उम्मीदवार को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने से सम्बद्ध उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. नियमावली के परिशिष्ट I में उल्लिखित परीक्षा की योजना में बताए गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे। वस्तुपरक परीक्षण के विवरण और नमूने के प्रश्नों के लिये अनुबंध II पर उम्मीदवारों के सूचनार्थ विवरणिका का संदर्भ दिया जाए।

मा० बालाकृष्णन, उप सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग

अनुबन्ध—I

उम्मीदवारों को अनुदेश

1. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले नोटिस और नियमावली को ध्यान से पढ़कर यह देख लें कि वे परीक्षा में बैठने के पात्र भी हैं या नहीं। निर्धारित शर्तों में छूट नहीं दी जा सकती है।

आवेदन पत्र भेजने से पहले उम्मीदवार को नोटिस के पैरा I में दिये गये केन्द्रों में से किसी एक को, जहां वह परीक्षा देने का इच्छुक हो, अन्तिम रूप से चुन लेना चाहिए।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से संबद्ध अनुरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा किन्तु यदि कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र रजिस्टर्ड डाक से अवश्य भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है। ऐसे अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा किन्तु 12 नवम्बर, 1984 के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र तथा पावती कार्ड अपने हाथ में स्याही से या बाल पाइंट पेन से ही भरने चाहिए। अधूरा या गलत भरा हुआ आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा।

उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आवेदन-पत्रों को भरते समय भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग किया जाना है। वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां स्पष्ट और सुपाठ्य हों। यदि प्रविष्टियां अपाठ्य या भ्रामक होंगी तो उनके निर्वाचन में होने वाले भ्रम तथा संदिग्धता के लिये उम्मीदवार उत्तरदायी होंगे।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग द्वारा आवेदन-पत्र में उनके द्वारा की गई प्रविष्टियों को बदलने के लिये कोई पत्र आदि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आवेदन पत्रों को संगणक प्रणाली द्वारा संसाधित किया जाता है, इसलिये उन्हें आवेदन पत्र सही रूप से भरने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

उम्मीदवार को अपना आवेदन पत्र सम्बद्ध विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष की मार्फत ही भेजना चाहिए जो संगत प्रविष्टियों का सत्यापन करके आवेदन पत्र के अन्त में दिये गये पृष्ठांकन को भर कर आयोग को भेज देगा।

3. उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र अवश्य भेजने चाहिए :—

(i) निर्धारित शुल्क के लिये रेखांकित किये हुए भारतीय पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट या भारतीय मिशन की रसीद (देखिए नोटिस का पैरा 6)।

(ii) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी० × 7 सें० मी०) के फोटो की दो एक जैसी प्रतियां जोकि एक आवेदन पत्र पर और दूसरी उपस्थिति पत्रक में निर्धारित स्थल पर चिपकाई गई हो।

(iii) लगभग 11.5 सें० मी० × 27.5 सें० मी० आकार के बिना टिकट लगे हुए दो लिफाफे जिन पर आपका पता लिखा हो।

(iv) विधिवत भरा हुआ उपस्थिति पत्रक (आवेदन-पत्र के साथ संलग्न)।

"उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न उपस्थिति पत्रक पर वे अपने नाम तथा परीक्षा केन्द्र के अलावा कोई अन्य विशिष्टि न करें।"

मद (i) और (ii) में उल्लिखित प्रलेखों के विवरण नीचे दिये गए हैं।

(i) (क) निर्धारित शुल्क के लिये रेखांकित किये हुए भारतीय पोस्टल आर्डर :—

प्रत्येक पोस्टल आर्डर अनिवार्यतः रेखांकित किया जाए, उस पर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के प्रधान डाकघर पर देय, लिखा जाना चाहिए।

किसी अन्य डाकघर पर देय पोस्टल आर्डर किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विरूपित या कटे-फटे पोस्टल आर्डर भी स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

सभी पोस्टल आर्डरों पर जारी करने वाले पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर और जारी करने वाले डाकघर की स्पष्ट मुहर होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि जो पोस्टल आर्डर न तो रेखांकित किये गये हों और न ही सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के जनरल डाकघर पर देय किये गये हों, उन्हें भेजना सुरक्षित नहीं है।

(ख) निर्धारित शुल्क के लिये रेखांकित बैंक ड्राफ्ट

बैंक ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा से लिया जाना चाहिए और सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को स्टेट बैंक आफ इण्डिया की मुख्य शाखा, नई दिल्ली में देय होना चाहिए तथा विधिवत रेखांकित होना चाहिए।"

किसी अन्य बैंक के नाम से देय किये गये बैंक ड्राफ्ट किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विरूपित या कटे-फटे ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

टिप्पणी :—(i)—उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय बैंक ड्राफ्ट की पिछली ओर ऊपर के सिरे पर अपना नाम तथा पता लिखना चाहिए। पोस्टल आर्डरों के मामले में उम्मीदवार पोस्टल आर्डर के पिछली इस ओर प्रयोजन के लिये निर्धारित स्थान पर अपना नाम तथा पता लिखें।

(ii) जो उम्मीदवार आवेदन-पत्र भेजते समय विदेश में रह रहे हों, वे निर्धारित शुल्क की राशि रु० 28.00 अट्ठाइस रुपये) के बराबर और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये रु० 7.00 (सात रुपये) के बराबर यथास्थिति उस देश में स्थित भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या प्रतिनिधि के कार्यालय में जमा करवायें और उनसे कहा जाए कि वे उस राशि को लेखा शीर्ष "051—लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क" में जमा कर दें। उम्मीदवार उस कार्यालय से रसीद लेकर आवेदन-पत्र के साथ भेजें।

(iii) फोटो की दो प्रतियां—उम्मीदवार को अपने हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी० × 7 सें० मी०) के फोटो की एक जैसी दो प्रतियां अवश्य भेजनी चाहिएं। इनमें से एक प्रति आवेदन पत्र के पहले पृष्ठ पर चिपका देनी चाहिए और दूसरी प्रति उपस्थिति पत्रक पर निर्दिष्ट स्थान में चिपका देनी चाहिए। फोटो की प्रत्येक प्रति के ऊपर उम्मीदवार को स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिएं।

विशेष ध्यान :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन पत्र के साथ ऊपर पैरा 3 (i) और (ii) में उल्लिखित प्रलेख संलग्न न होंगे तो आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी।

4. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय कोई झूठा ब्यौरा न दें अथवा किसी महत्वपूर्ण सूचना को न छिपाएं।

उम्मीदवार को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किये किसी प्रलेख अथवा उसकी प्रति की किसी विशिष्टि को किसी भी स्थिति में न तो ठीक करें न उसमें परिवर्तन करें और न कोई फेर-बदल करें और न ही फेर-बदल किये गये झूठे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। यदि ऐसे दो या अधिक प्रलेखों या उनकी प्रतियों में कोई अशुद्धि अथवा विसंगति हो तो विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

5. आवेदन-पत्र देर से प्रस्तुत किये जाने पर देरी के कारण के रूप में यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आवेदन-प्रपत्र को अमुक तारीख को भेजा गया था। आवेदन-प्रपत्र का भेजा जाना ही स्वतः इस बात का सूचक न होगा कि प्रपत्र पाने वाला परीक्षा में बैठने का पात्र हो गया है।

6. आयोग के कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त सहित प्रत्येक आवेदन-पत्र की पावती दी जाती है तथा आवेदन-पत्र की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में उम्मीदवार की आवेदन पंजीकरण संख्या जारी कर दी जाती है। यदि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित अन्तिम तारीख से एक मास के अन्दर पावती नहीं मिलती है तो उसे तत्काल आयोग से पावती देय सम्पर्क करना चाहिए।

इस तथ्य का कि उम्मीदवार की आवेदन पंजीकरण संख्या जारी कर दी गई है अपने आप यह अर्थ नहीं है कि आवेदन-पत्र सभी प्रकार पूर्ण है और आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

7. इस परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन-पत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि परिणाम कब सूचित किया जाएगा यदि परीक्षा के शुरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र के परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग से कोई सूचना न मिले तो परिणाम की जानकारी के लिए उसे आयोग से तत्काल सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। यदि उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया तो वह अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित रह जायेगा।

8. संघ लोक सेवा आयोग ने "संघ लोक सेवा आयोग की वस्तु-परक परीक्षाओं हेतु उम्मीदवार विवरणिका" शीर्षक से एक सामूल्य पुस्तिका छापी है। इस प्रकाशन का उद्देश्य यह है जिससे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं या चयनों के भावी उम्मीदवारों को सहायता मिल सके।

यह पुस्तिका और पिछली पांच परीक्षाओं की निर्देशावली तथा परम्परागत प्रश्न-पत्रों का उल्लेख करने वाले पैम्फलेटों की प्रतियां प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, देहली-110054 के पास बिक्री के लिये सुलभ हैं और इन्हें उनसे सीधे मेल आर्डर द्वारा या नकद भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें केवल नकद भुगतान पर (i) किताब महल, रिवोली सिनेमा के सामने, इम्पोरिया बिल्डिंग "सी" ब्लाक बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 और (ii) उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 स्थित प्रकाशन शाखा का बिक्री काउन्टर और (iii) गवर्नमेंट आफ इण्डिया बुक डिपो, 8-के० एस० राय रोड, कलकत्ता-700001 से भी लिया जा सकता है। मैनुअल/पैम्फलैट भारत सरकार के प्रकाशनों के विभिन्न मुफस्सिल शहरों में स्थित एजेंटों से भी उपलब्ध है।

9. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग से कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा।

10. आवेदन-प्रपत्र से संबद्ध पत्र-व्यवहार:—आवेदन-पत्र से संबद्ध सभी पत्र आदि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को भेजे जाएं तथा उनमें नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से दिया जाये :—

(1) परीक्षा का नाम

(2) परीक्षा का महीना और वर्ष

(3) उम्मीदवार की आवेदन पंजीकरण संख्या/अनुक्रमांक अथवा जन्म तिथि यदि आवेदन पंजीकरण संख्या/अनुक्रमांक सूचित नहीं किया गया है।

(4) उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा बड़े अक्षरों में)

(5) आवेदन-पत्र में दिया गया पत्र-व्यवहार का पता।

विशेष ध्यान —(i) जिन पत्रों आदि में यह ब्यौरा नहीं होगा संभवतः उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

विशेष ध्यान :—(ii) परीक्षा समाप्त होने के बाद यदि उम्मीदवार से कोई पत्र/सूचना प्राप्त होती है और उसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं लिखा है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

11. पते में परिवर्तन :—उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन-पत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गये पत्र आदि, आवश्यक होने पर उनको बदले हुए पते पर मिल जाया करें। पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना, उपर्युक्त पैरा 10 में उल्लिखित ब्यौरे के साथ यथाशीघ्र दी जानी चाहिए यद्यपि आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है फिर भी इस विषय में यह कोई जिम्मेदारी स्वीकार कर नहीं सकता।

अनुबन्ध II

उम्मीदवार को सूचनार्थ विवरणिका

(क) वस्तुपरक परीक्षण :

आपकी परीक्षा में सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र "वस्तुपरक परीक्षण" प्रकार का होगा। इस प्रकार की परीक्षा (परीक्षण) में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिसको आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिसको आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिये जाते हैं। उसमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिये आपको एक उत्तर चुन लेना है।

इस विवरणिका का उद्देश्य आपको इस परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित न होने के कारण आपको कोई हानि न हो।

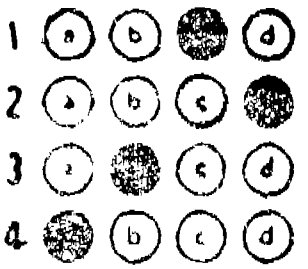
(ख) परीक्षण का स्वरूप

प्रश्न पत्र "प्रश्न पुस्तिका" के रूप में होंगे। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3 आदि के क्रम से प्रश्नांश होंगे। इस प्रश्नांश के नीचे ए०बी० सी० डी० चिन्हों के साथ सुझाए गए प्रत्युत्तर लिखे होंगे। आपका काम एक सही या यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें। तो उनमें से सर्वोत्तम उत्तर का चुनाव करना होगा। (अंत में दिये गये नमूने के प्रश्नांश देख लें)। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिये आपको एक सही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक प्रश्न चुन लेते तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा।

(ग) उत्तर देने की विधि :

परीक्षा भवन में आपको अलग एक उत्तर पत्रक (जिसकी एक नमूने की प्रति आपको प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ दी जाएगी) दिया जाएगा। आपको अपने प्रत्युत्तर इस उत्तर पत्रक में लिखने होंगे। प्रश्न पुस्तिका में या उत्तर पत्रक को छोड़कर अन्य किसी कागज पर लिखे गए उत्तर नहीं जांचे जाएंगे।

उत्तर पत्रक में प्रश्नांशों की संख्यायें 1 से 160 तक चार खंडों में छापी गई हैं। प्रत्येक प्रश्नांशों के सामने, ए० बी० सी० डी० चिन्ह वाले वृत्ताकार स्थान छपे होते हैं। प्रश्न पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लेने और यह निर्णय करने के बाद कि कौनसा प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है आपको इस प्रत्युत्तर के अक्षर वाले वृत्त में पेंसिल से पूरी तरह काला कर उसे अंकित कर देना है, जैसा कि (आपका उत्तर दर्शाने के लिए) नीचे दिखाया गया है। उत्तर-पत्रक के मूल्य की हानि बचाने के लिए स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए।



यह जरूरी है कि—

1. प्रश्नांशों के उत्तरों के लिए केवल अच्छी किस्म की एच० बी० (पेंसिल) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें।

2. गलत निशान को बदलने के लिये उसे पूरा मिटाकर फिर से सही उत्तर पर निशान लगा दें। इसके लिये आप अपने साथ एक रबड़ भी लाएं।

3. उत्तर पत्रक का उपयोग करते समय कोई ऐसी गलत असावधानी न हो जिससे यह फट जाए या उसमें झोल व सिलवट आदि पड़ जाए या यह खराब हो जाए।

(क) कुछ महत्वपूर्ण विनियम :

1. आपको परीक्षा आरम्भ करने के लिये निर्धारित समय से बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना स्थान ग्रहण करना होगा।

2. परीक्षण शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी भी परीक्षण में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

3. परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक किसी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद, प्रश्न पुस्तिका और उत्तर-पत्रक निरीक्षक/पर्यवेक्षक को सौंप दें। आपको प्रश्न पुस्तिका परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाएगा।

5. परीक्षा भवन में आपको उत्तर-पत्रक पर कुछ ब्यौरे भरने होंगे। आपको उत्तर-पत्रक पर कुछ ब्यौरों को कूट बद्ध भी करना होगा। इससे सम्बद्ध अनुदेश आपको प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ भेज दिये जायेंगे।

6. प्रश्न पुस्तिका में दिये गये सभी अनुदेश आपको सावधानी से पढ़ने हैं। इन अनुदेशों का सावधानी से पालन न करने से आपके नम्बर कम हो सकते हैं। अगर उत्तर-पत्रक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उस प्रश्नांश के प्रत्युत्तर के लिये आपको कोई नम्बर नहीं मिलेगा। पर्यवेक्षण के अनुदेशों का पालन करें। जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को आरम्भ या समाप्त करने को कहे तो उसके अनुदेशों का तत्काल पालन करें।

7. आप अपने प्रवेश प्रमाण पत्र साथ लाएं, आपको अपने साथ एक एच० बी० पेंसिल, एक रबड़, एक पेंसिल शार्पनर और नीली या काली स्याही वाली कलम भी लानी होगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने साथ एक एक क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड या कार्ड बोर्ड भी लाएं जिस पर कुछ लिखा न हो। आपको परीक्षा भवन में कोई खाली कागज या कागज का टुकड़ा या पैगाम या आरेखण/उपकरण नहीं लाने हैं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी। मांगने पर कच्चे काम के लिये आपको एक अलग कागज दिया जाएगा। आप कच्चा काम शुरू करने से पहले उस पर परीक्षा का नाम, अपना रोल नम्बर, और परीक्षण की तारीख लिखें और परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रक के साथ पर्यवेक्षक को वापसी कर दें।

(ङ) विशेष अनुदेश

परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाने के बाद निरीक्षक आपको उत्तर पत्रक देंगे। उत्तर पत्रक पर अपेक्षित सूचना अपनी कलम से भर दें। यह काम पूरा होने के बाद निरीक्षक आपको प्रश्न पुस्तिका देंगे। प्रश्न पुस्तिका मिलने पर आप यह अवश्य देख लें कि उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है अन्यथा, उसे बदलवा लें अपनी प्रश्न पुस्तिका को खोलने से पहले उसके प्रथम पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक लिख दें। आपको प्रश्न पुस्तिका तब तक खोलने की अनुमति नहीं है जब तक पर्यवेक्षक ऐसा करने के लिए न कहें।

(च) कुछ उपयोगी सुझाव

यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य आपकी गति की अपेक्षा शुद्धता की जांचना है, फिर भी यह जरूरी है कि आप अपने समय का यथासंभव बुद्धता से उपयोग करें। संतुलन के साथ आप जितनी जल्दी काम कर सकते हैं, करें पर लापरवाही न हो। आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हों तो चिन्ता न करें। आपको जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पड़े उन पर आप समय व्यर्थ न करें। दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ें और उन कठिन प्रश्नों पर बाद में विचार करें।

सभी प्रश्नांशों के अंक समान होंगे। उन सभी के उत्तर दें। आपके द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर ही आपको अंक दिए जाएंगे। गलत उत्तरों के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे।

(छ) परीक्षण का समापन

जैसे ही पर्यवेक्षक लिखना बन्द करने को कहे आप लिखना बन्द कर दें। आप अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक आपके पास आकर आपसे सभी आवश्यक वस्तुएं ले जायें और आपको हाल छोड़ने की अनुमति दें। आपको प्रश्न पुस्तिका और उत्तर-पत्रक तथा कच्चे कार्य का कागज परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है।

नमूने के प्रश्नांश (प्रश्न)

(नोट—*सही/सर्वोत्तम उत्तर-विकल्प को निर्दिष्ट करता है)

1. सामान्य अध्ययन

बहुत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक तथा कान से निम्नलिखित में से किस कारण से रक्तस्राव होता है?

(क) रक्त का दाब वायुमण्डल के दाब से कम होता है।
*(ख) रक्त का दाब वायुमण्डल के दाब से अधिक होता है।
(ग) रक्त वाहिकाओं की अन्दरूनी तथा बाहरी शिराओं पर दाब समान होता है।
(घ) रक्त का दाब वायुमण्डल के दाब के अनुरूप घटता बढ़ता है।

2. English

(Vocabulary—Synonyms)

There was record turn out of voters at the municipal elections

(a) exactly known
(b) only those registered
(c) very large
*(d) largest so far

3. (कृषि)

अरहर में, फूलों का झड़ना निम्नलिखित में से किस एक उपाय से कम किया जा सकता है?

*(क) वृद्धि नियंत्रक द्वारा छिड़काव
(ख) दूर-दूर पौधे लगाना
(ग) सही ऋतु में पौधे लगाना
(घ) थोड़े-थोड़े फासले पर पौधे लगाना।

4. (रसायन विज्ञान)

H_3VO_4 का एनहाइड्राइड निम्नलिखित में से क्या होता है?

(a) VO_3
(b) VO_4
(c) V_2O_3
*(d) V_2O_5

5. (अर्थशास्त्र)

श्रम का एकाधिकारी शोषण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता है?

*(क) सीमान्त राजस्व उत्पाद से मजदूरी कम हो।
(ख) मजदूरी तथा सीमान्त राजस्व उत्पादन दोनों बराबर हों।
(ग) मजदूरी सीमान्त राजस्व उत्पाद से अधिक हो।
(घ) मजदूरी सीमान्त भौतिक उत्पाद के बराबर हो।

6. (वैद्युत इंजीनियरी)

एक समाक्ष रेखा को अपेक्षिक परावैद्युतांक 8 के परावैद्युत से समपूरित किया गया है। यदि सी मुक्त अन्तराल में संचरण वेग दर्शाता है तो लाइन में संचरण का वेग क्या होगा?

(a) 3C
(b) C
*(c) $C/3$
(d) $C/9$

7. (भू-विज्ञान)

पेग्माइट में प्लेजिओक्लेज क्या होता है?

(क) आलिगोक्लेज
*(ख) सैबोडोराइट
(ग) एल्बाइट
(घ) एनोर्थाइट

8. (गणित)

मूल बिन्दु से गुजरने वाला और $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = 0$ समीकरण को संगत रखने वाला वक्र-परिवार निम्नलिखित में से किस से निर्दिष्ट है।

(क) $y=ax+b$

(ख) $y=ax$

(ग) $y=ae^x+be^{-x}$

*(घ) $y=ae^x-a$

9. (भौतिकी)

एक आदर्श ऊष्मा इंजन 400° के और 300° के तापक्रम के मध्य कार्य करता है। इसकी क्षमता निम्नलिखित में से क्या होगी?

(क) 3/4

*(ख) (4-3)/4

(ग) 4/(3+4)

(घ) 3/(3+4)

10. (सांख्यिकी)

यदि द्विपद विचार का माध्य 5 है तो इसका प्रसरण निम्नलिखित में क्या होगा।

(क) 4^2

*(ख) 3

(ग) ∞

(घ) −5

11. (भूगोल)

बर्मा के दक्षिणी भाग की अत्यधिक समृद्धि का कारण निम्नलिखित में क्या है?

(क) यहां पर खनिज साधनों का विपुल भंडार है।

*(ख) बर्मा की अधिकांश नदियों का डेल्टाई भाग है।

(ग) यहां श्रेष्ठ वन संपदा है।

(घ) देश के अधिकांश तेल क्षेत्र इसी भाग में है।

12. भारतीय इतिहास

ब्राह्मण वाद के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है?

(क) बौद्धधर्म के उत्कर्ष काल में भी ब्राह्मणवाद के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी।

(ख) ब्राह्मणवाद बहुत अधिक कर्मकांड और आडम्बर से पूर्ण धर्म था।

*(ग) ब्राह्मणवाद के अभ्युदय के साथ, बलि सम्बन्धी यज्ञ कर्म का महत्व कम हो गया।

(घ) व्यक्ति के जीवन-विकास की विभिन्न दशाओं को प्रकट करने के लिए धार्मिक संस्कार निर्धारित थे।

13. (दर्शन)

निम्नलिखित में से निरीश्वरवादी दर्शन समूह कौन-सा है?

(क) बौद्ध, न्याय, चार्वाक, मीमांसा

(ख) न्याय, वैशेषिक, जैन, और बौद्ध, चार्वाक

(ग) अद्वैत, द्वैतांत, सांख्य, चार्वाक योग

*(घ) बौद्ध, सांख्य, मीमांसा, चार्वाक

14. (राजनीति विज्ञान)

'वृत्तिगत प्रतिनिधान' का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है?

*(क) व्यवसाय के आधार पर विधानमण्डल में प्रतिनिधियों का निर्वाचन।

(ख) किसी समूह या किसी व्यावसायिक समुदाय के पक्ष का समर्थन।

(ग) किसी रोजगार सम्बन्धी संगठन में प्रतिनिधियों का चुनाव।

(घ) श्रमिक संघों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व।

15. (मनोविज्ञान)

लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित में किस को निर्देशित करती है?

(क) लक्ष्य सम्बन्धी आवश्यकता में वृद्धि

*(ख) भावात्मक अवस्था में न्यूनता

(ग) व्यावहारिक अधिगम

(घ) पक्षपातपूर्ण अधिगम

16. (समाज शास्त्र)

भारत में पंचायती राज संस्थाओं की निम्न में से कौन सी है?

*(क) ग्राम सरकार में महिलाओं तथा कमजोर वर्गों को औपचारिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

(ख) छूआछूत कम हुई है।

(ग) वंचित वर्गों के लोगों को भूस्वामित्व का लाभ मिला है।

(घ) जन साधारण में शिक्षा का प्रसार हुआ है।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपर्युक्त नमूने के प्रश्नांश (प्रश्न) केवल उदाहरण के लिए दिए गए हैं और यह जरूरी नहीं है कि ये इस परीक्षा की पाठ्यचर्या के अनुसार हो।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-11, the 11th May 1984

No. A.32013|1|84-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri D. R. Madan, a permanent Section Officer of the CSS Cadre of Union Public Service Commission to officiate as Under Secretary on ad-hoc basis for the period from 23-4-84 to 30-6-84 or until further orders, whichever is earlier.

The 19th May 1984

No. A. 32014/1/84-Admn. III (2).—The President is pleased to appoint the following Assts. of the C.S.S. Cadre of U.P.S.C. to officiate as Section Officer in the C.S.S. cadre of Union Public Service Commission for the period indicated against each or until further orders, whichever is earlier :—

S. No.	Name	Period of promotion
1.	Shri S.L. Kumar	30-3-84 to 25-5-84
2.	Shri Philip John	30-3-84 to 25-5-84
3.	Shri A.S. Jat	11-4-84 to 25-5-84
4.	Shri C.L. Bhat	11-4-84 to 25-5-84
5.	Shri Bhagirathi Kumar	2-4-84 to 11-5-84
6.	Shri Gurbax Rai (SC)	30-3-84 to 21-4-84

M.P. JAIN,
Under Secy. (Admn.)
Union Public Service Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND A.R., CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-11, the 1st June 1984

No. A-19021|4|81-AD-V.—The services of Shri S. P. Dangwal, IPS (M.P.-1966) Deputy Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment, on repatriation were placed at the disposal of Government of Madhya Pradesh with effect from the afternoon of 19th May, 1984 after expiry of 9 days E.L. and after availling 10 days joining time from 10-5-1984 to 19-5-1984.

R. S. NAGPAL,
Administrative Officer (E)
Central Bureau of Investigation.

DIRECTORATE GENERAL, C.R.P. FORCE

New Delhi-110003, the 23rd May 1984

No. O-II-1779|83-Estt.—The President is pleased to relieve Dr. N. Koteswara Rao, GDO Grade-II of Group Centre, CRPF., Avadi, with effect from the afternoon of the 1st May, 1984 on expiry of one month's notice under Rule 5 (1) of CCS(TS) Rules, 1965.

Y. N. SAXENA
Dy. Director (Estt).

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 18th May 1984

No. E-16013(1)|2|84-Pers.—On appointment on deputation Shri R. K. SRIVASTAVA, IPS (HP-64) assumed charge of the post of Deputy Inspector General, North Zone, CISF New Delhi with effect from the forenoon of 10th May 1984.

The 21st May 1984

No. E-32015(2)|11|84-Pers.—The President is pleased to appoint Shri S. N. P. Sinha on promotion as Commandant CISF Unit, Visakhapatnam Steel Project, Visakhapatnam (A.P.) with effect from the forenoon of 7th April, 1984 on purely ad-hoc basis temporarily for a period of six months or till such time regular appointments are made, whichever is earlier.

No. 32015(2)|15|84-Pers.—The President is pleased to appoint Shri P. R. Pillai on promotion as Commandant CISF Unit, HFCL, Durgapur with effect from the forenoon of 26th April, 1984 on purely ad-hoc basis temporarily for a period of six months or till such time regular appointments are made, whichever is earlier.

The 26th May 1984

No. E-16013(2)|1|81-Pers.—Consequent upon his repatriation to State Cadre Shri L. David IPS (A & M-67) relinquished charge of the post of Commandant CISF Unit VPT Visakhapatnam with effect from the afternoon of 30-4-84.

The 30th May 1984

No. E-28013|1|84-GA.II.—On retirement on attaining the age of superannuation Shri Nilamber Datt, relinquished charge of the post of Asstt. Comdt. (JAO) CISF, New Delhi w.e.f. the afternoon of 30th April, 1984.

S. ANANDARAM
Director General

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 2nd June 1984

No. 11/37/80-Ad.I(Vol.II).—In continuation of this office Notifications No. 11/37/80-Ad.I (Vol. II), dated 17-1-1984 and No. 11/11/82-Ad.I, dated 8-3-1984, the President is pleased to extend the *ad-hoc* appointment of the under-mentioned Investigators as Assistant Directors of Census Operations (Technical) in the Offices as mentioned against their names, for a further period upto the 31st August, 1984 *or* till the posts are filled in on a regular basis, which ever is earlier :—

S. No.	Name of the Officer	Office in which working
1.	2	3
1.	Sh. M. Tej Kishore Singh	DCO, Meghalaya, Shillong.
2.	Sh. K.S. Lyngdah	DCO, Meghalaya, Shillong.
3.	Sh. S.S. Bahri	RGI, New Delhi.
4.	Sh. M.N. Sarkar	DCO, West Bengal, Calcutta.
5.	Sh. Shamsher Singh	DCO, Rajasthan Jaipur
6.	Sh. M.L. Sharma	DCO, Punjab, Chandigarh.
7.	Sh. M.G. Mohril	DCO, Madhya Pradesh, Bhopal.
8.	Sh. K.R. Narayana	DCO, Karnataka, Bangaloro
9.	Sh. M.S. Ramachandran	DCO, Karnataka, Bangalore.
10.	Sh. H.S. Meena	DCO, Bihar, Patna.
11.	Sh. A.C. Reddy	DCO, Andhra Pradesh, Hyderabad.
12.	Sh. Nirmal Bhattacharya	DCO, Assam, Gauhati.
13.	Sh. M.P. Jhala	DCO, Gujarat, Ahmedabad.
14.	Sh. J.C. Dutta	Language Division, Calcutta.
15.	Sh. D.K. Chaudhuri	DCO, Tripura, Agartala.
16.	Sh. Lakhan Singh	DCO, Uttar Pradesh, Lucknow
17.	Sh. G.S. Gill	DCO, Punjab, Chandigarh.
18.	Sh. M.L. Sharma	DCO, Delhi, Delhi.
19.	Sh. C.L. Sharma	DCO, Himachal Pradesh, Simla.
20.	Sh. S.P. Desai	DCO, Goa, Daman & Diu, Panaji.
21.	Sh. Babu Lal	RG's Office, New Delhi.
22.	Sh. R.S. Meena	DCO, Rajasthan, Jaipur.
23.	Sh. A.G. Bhaskaran	DCO, Tamil Nadu, Madras.

1	2	3
24.	Sh. H.K.B. Singh	DCO, Manipur, Imphal.
25.	Sh. V. Gangarajan	DCO, Tamil Nadu, Madras.
26.	Sh. A.K. Paul	DCO, Arunachal Pradesh, Shillong.
27.	Sh. R.P. Bhatnagar	DCO, Haryana, Chandigarh.
28.	Sh. Karan Singh	DCO, Punjab, Chandigarh.
29.	Sh. V.V.S. Shastri	RG's Office, New Delhi.
30.	Sh. C.S. Bose	DCO, Andhra Pradesh, Hyderabad.
31.	Smt. V.Y. Josh[illegible]	DCO, Maharashtra, Bombay
32.	Sh. R.S. Maur[illegible]	DCO, Uttar Pradesh, Lucknow.
33.	Sh. K. Gopinathan-I	DCO, Kerala, Triva[illegible]rum.
34.	Sh. A.K. Singh.	DCO, Sikkim, Gangtok.
35.	Sh. C.R. Mohanti	DCO, Orissa, Bhubaneswar.

2. The above-mentioned *ad-hoc* appointments shall not bestow upon the officers concerned any claim to regular appointment to the post of Assistant Director of Census Operations (Technical). The services rendered by them on *ad-hoc* basis shall not be counted for the purpose of seniority in the grade *nor* for eligibility for promotion to the next higher grade. The aforesaid *ad-hoc* appointments may be reversed at any time at the discretion of the competent authority without assigning any reason thereof.

V.S. VERMA
Registrar General, India

INDIA GOVERNMENT MINT
DIARY ORDER

Bombay, the 27th April 1984

No. 25.—In continuation of Bombay Mint Diary Order No. 149 dated 30th July, 1982 the ad-hoc promotion of Shri D. D. Koli as Assay Supdt. is hereby continued from 1-10-1982 and upto 30-9-1984 in the vacancy caused by the promotion (ad-hoc) of Shri S. V. Khadilkar as Dy. Chief Assayer, vide Notification, No. F. 2|28|81-Coin dated 17-4-1984.

The ad-hoc appointment will not entitle him to any claim on seniority, confirmation, future promotions etc.

K. K. PARAKALN
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-I, M. P.

Gwalior-2, the 2nd June 1984

No. OE.XI/Gr.II-A/AAO-SO/1984-85/Proforma/1/95/370—The Accountant General (Audit)-I, Madhya Pradesh, Gwalior has been pleased to accord proforma promotion under next below Rule to the under mentioned section officers as Asstt. Audit Officers in an officiating capacity in the scale of Rs. 650-30-740-35-880-E.B.-40-1040, with effect from the dates noted against each :—

S. No.	Name	Permanent No.	Date from which promoted as A.A.O.
1	2	3	4
	S/Shri	02/	
1.	V.B. Sharma	350	1-3-84
2.	C.P. Banga	354	1-3-84
3.	T.K.N. Nambisan	411	1-3-84
4.	R.K. Saxena	466	1-3-84
5.	B.R. Ubale	478	1-3-84
6.	G.S. Bajpai	494	1-3-84
7.	S.B. Singh	496	1-3-84
8.	B.S. Rohilla	532	1-3-84
9.	V.B. Singh	1609	1-3-84
10.	Purushottamlal	1860	1-3-84
11.	R.C. Bhargava	544	1-3-84
12.	T.R.S. Vardhan	405	1-3-84
13.	R. Goswami	353	1-3-84
14.	S.V. Sachdeva	542	1-3-84

(Authority:—Orders of Accountant General (Audit)-I dated 11-3-1984 and 2/5/1984.)

(Sd.) Illegible
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) KERALA

Trivandrum-695039, the 29th May 1984

No. Est|A|V|9-86|Vol II|62.—The Accountant General (A&E) Kerala is pleased to ante-date the substantive appointment of the undermentioned Accounts Officer to the date noted against his name :—

Shri K. K. Kuttappa Kurup—10-6-1983.

The Accountant General (A&E) Kerala is also pleased to appoint the undermentioned officiating AOs of this office in a substantive capacity in the AOs grade of Rs 840-40-1000-EB-40-1200 with effect from the date noted against each :—

S|Shri

R. Padmanabha Iyer, 1-7-83.
A. T. Markose, 1-10-83.
A. Narayana Iyer, 1-11-83.
P. O. Ramanujan Nambiar, 1-1-84.
V. Sivasankaran Nair, 1-2-84.

S. GOPALAKRISHNAN,
Sr. Deputy Accountant General (Admn).

MINISTRY OF DEFENCE
DGOF HEADQUARTERS CIVIL SERVICE
ORDNANCE FACTORY BOARD

Calcutta-700 069, the 1st June 1984

Sub :—Retirement

No. 11|84|A|E-1(NG).—On attaining the age of superannuation the following officers retired from service w.e.f. 31-5-84 (AN). :—

1. Shri Manjil Kumar Sen, Offg. Private Secretary (Substantive and Permanent Stenographer Gr. 'C').

2. Shri Naresh Chandra Sen, Offg. Assistant Staff Officer, (Substantive and Permanent Assistant).

3. Shri Dharmadas Bhattacharya, Offg. Assistant Staff Officer, (Substantive and Permanent Assistant).

D. R. IYER,
D.D.G.O.F.|Personnel.
for Director General, Ordnance Factories.

MINISTRY OF COMMERCE
DEPARTMENT OF TEXTILES
OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-400020, the 30th May 1984

No. 5(12)-EST.I|84|2914.—The President is pleased to appoint with effect from 26th April 1984 (FN) and until further orders Shri B. K. Gour, an ad-hoc Assistant Director

Gr.I (P&D) in the office of the Textile Commissioner, as regular Assistant Director Gr.I (P&D) in the same office.

No. EST.I-37(9)|C|84|2920.—The President is pleased to appoint with effect from 26th April 1984 (FN) and until further orders, Shri M. M. Gandhi, an ad-hoc Assistant Director Gr. I(NT) in the office of the Textile Commissioner, as regular Assistant Director Gr.I (NT) in the same office.

No. EST.I-37(9)|D|84|2926.—The President is pleased to appoint with effect from 26th April 1984 (FN) and until further orders, Shri A. P. Ramanathan, an ad-hoc Assistant Director Gr. I (NT) in the office of the Textile Commissioner, as regular Assistant Director Gr-I|(NT) in the same office.

R. K. KULKARNI
Jt. Textile Commissioner

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES AND DISPOSALS

(ADMN. SECTION—6)

New Delhi-110001, the 28th May 1984

No. A-17011|255|84-A6.—The Director General of Supplies and Disposals is pleased to appoint Shri S. K. Talwar Examiner of Stores (Engineering) in the N. I. Circle, New Delhi to Officiate as Assistant Inspecting Officer (Engincering) on ad-hoc basis in the Bombay Inspection Circle under this Directorate General with effect from the forenoon of 30-4-1984 until further orders.

No . A-17011|263|84-A6.—The Director General of Supplies and Disposals is pleased to appoint Shri Dass Kumar Examiner of Stores (Engineering) in the Bombay Inspectorate to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engineering) on ad-hoc basis in the same Inspection Circle under this Directorate General with effect from the forenoon of 7-5-1984 until further orders.

No. A-17011|275|84-A6.—The Director General of Supplies and Disposals is pleased to appoint Shri A. N. Pednekar, Junior Field Officer (Engineering) in the Bombay Inspectorate to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engineering) on ad-hoc basis in the same Inspection Circle under this Directorate General with effect from the forenoon of 8-5-1984 until further orders.

No. A-17011|251|84-A6.—The Director General of Supplies and Disposals is pleased to appoint Shri S. Rajagopalan Thampy, Examiner of Stroes (Engineering) in the the Madras Inspectorate to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engineering) on regular basis in the same Inspection Circle under Directorate General with effect from the forenoon of 26-4-1984 until further orders.

No. A-17011|271|84-A6.—The Director General of Supplies and Disposals is pleased to appoint Shri A. K. Roy Junior Field Officer (Engineering) in the Calcutta Inspectorate to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engineering) on ad-hoc basis in the same Inspection Circle under this Directorate General with effect from the forenoon of 4-5-1984 until further orders.

The 29th May 1984

No. A-17011|264|84-A6.—The Director General of Supplies and Disposals is pleased to appoint Shri Hardip Singh. Examiner of Stores (Engineering) in the Bombay Inspectorate to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engineering) on ad-hoc basis in the same Inspection Circle under this Directorate General with effect from the forenoon of 7-5-1984 until further orders.

S. L. KAPOOR
Deputy Director (Administration)
for Director General, Supplies & Disposals

New Delhi-110001, the 24th May 1984

No. A. 32013/3/78-A6.—The President is pleased to appoint the under mentioned officers officiating as Deputy Director of Inspection (Met.) (Grade II of Indian Inspection Service, Metallurgical Branch) on ad-hoc basis, to officiate as Deputy Director of Inspection (Met.) [Grade II of Indian Inspection Service—Metallurgical Branch—(Group 'A')] *on regular* basis with effect from the afternoon of 28th January, 1983 and until further orders :—

S. No.	Name	Station/Directorate where posted.
	S/Shri	
1.	Bolusani Sudhir . . .	Durgapur under Burnpur (Met.) Inspectorate.
2.	A.K. Majumdar . .	Jamshedpur (Met.) Inspectorate, Jamshedpur.

The 26th May 1984

No. A-6|247(409).—Shri G. L. Rajak, a permanent Assistant Inspecting Officer (Engineering) in the Bombay Inspection Circle under this Directorate General retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th April, 1984 on attaining the age of superannuation.

The 28th May 1984

No. 17011|150|78-A6.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Mehrotra, Inspecting Officer (Engineering) (Grade III of Indian Inspection Service, Group 'A', Engineering Branch) to officiate as Deputy Director of Inspection (Engineering) (Grade II of Indian Inspection Service, Group 'A', Engineering Branch) on purely ad-hoc basis with effect from the forenoon of 7th May, 1984 for a period of 6 months or till the post is filled on regular basis whichever is earlier. The promotion of Shri Mehrotra is also subject to final decision on the 3 L.P.A.s 67|83, 68|83 and 69|83 in Civil Writ Petition Nos. 1457|81, 1590|81 and 1973|81 pending in the High Court of Delhi.

2. The ad-hoc appointment of Shri Mehrotra will not bestow on him any right or claim for regular appointment and ad-hoc service rendered would not count for the purpose of seniority in that grade and for eligibility for promotion and confirmation.

3. Shri Mehrotra relinquished charge of the post of Inspecting Officer (Engineering) on the afternoon of 25th April 1984 in the office of Dy. Director of Inspection, Kanpur and assumed charge of the Office of Deputy Director of Inspection (Engineering) on the forenoon of 7th May 1984 in the Office of Director of Inspection, Bombay.

S. L. KAPOOR
Deputy Director (Administration)

(ADMINISTRATION SECTION A-1)

New Delhi-1, the 26th May 1984

No. A-1|1 (1236).—Shri E. I. Devassy Superintendent (Level II) in the office of Director of Inspection, Bombay is appointed to officiate as Assistant Director (Administration) (Grade II) on purely ad-hoc basis in the same office with effect from 4-5-1984 (FN) for a period of three months or till an empanelled officer is posted whichever is earlier, *vice* Shri Y. N. Amin, Asstt. Director (Admn.) (Gr. II) in the office of DI Bombay retired from Government Service with effect from 30-4-84 (AN).

RAJBIR SINGH
Deputy Director (Administration)

ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-16, the 26th May 1984

No. 3767B|A-19012 (4-RKB)|82-19B.—Shri R. K. Bhalla Sr. Tech. Asstt. (Drilling) of the Geological Survey of

India, is appointed as Driller by the Director General, Geological Survey of India, in the same Department on pay according to rules in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200|- in an officiating capacity with effect from the forenoon of 9th April, 1984, until further orders.

No. 3784B|A-19012 (1-AAB)|83-19A.—Shri Appaji Amrit Bhaskar is appointed by the Director General as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650|- per month in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200|- in an officiating capacity with effect from the forenoon of 19-3-1984 until further orders.

The 28th May 1984

No. 3819B|A-19012(1-RSR)|83|19A.—Shri Ram Singh Rajawat is appointed by the Director General as an assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650|- per month in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200|- in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 16-4-1984 until further orders.

No. 3879B|A-19012 (1-AA)|83-19A.—Shri Ananda Agasty is appointed by the Director Generol GSI as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650|- per month in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200|- in an officiating capacity with effect from the forenoon on the 31-3-84 until further orders.

No. 3867B|A-19012 (1-SP)|83-19A.—Shri Satinder Prasher is appointed by the Director General, GSI as an Assistant Geologist in the Geological Survey of India on an initial pay of Rs. 650-| per month in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200|- in an officiating capacity with effect from the forenoon on the 6-4-84 until further orders.

A. KUSHARI
Dir. (Personnel)
for Director General

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi. the 30th May 1984

No. 10|4|83-S.III|IV.—Consequent upon acceptance of her resignation, Miss Uma Bhattacharya, Assistant Engineer, AIR Calcutta has been relieved of her duties in All India Radio with effect from 2-5-1984 (A.N.)

J. N. BISARIA
Chief Engineer
for Director General

New Delhi, the 25th May 1984

No. 17/7/84-S. IV.—Consequent upon their promotion, the undermentioned Senior Engineering Assistants have assumed charge of the post of Assistant Engineer in an *ad-hoc* capacity at different offices of AIR Doordarshan from the dates shown against each:—

S. No.	Name	Station where posted	Date of joining.
(1)	(2)	(3)	(4)
	S/Shri		
1.	Francis Kujur	LPTV Dhanbad	1-5-84(FN)
2.	B. Birendra Kumar	LPTV Gaya	30-4-84(FN)
3.	K.R. Ramakrishnah	HPT., Avadi Madras	28-4-84(FN)
4.	S.K. Dutta	AIR Rampur	30-4-84(FN)
5.	B.V.R. Sarma	LPTV, Rajamundry	23-4-84(FN)
6.	T.C. Do. Naronaha	HPT, Malad Bombay	24-4-84(FN)
7.	T. Sreerama Murthy	LPTV Visakhapatanam	26-4-84(FN)
8.	B.K G. Nair.	LPTV Calicut	24-4-84(FN)
9.	Smt. R. Suryakanthia	DDK Hyderabad	12-4-84(FN)
10.	A. Jagannath Rao	TVRC Tirupathi	26-4-84(FN)
11.	S.L. Uttam	LPTV Pathankot	19-4-84(FN)
12.	Smt. Padmavati	LPTV Mysore	27-4-84(FN)
13.	Krishan Bihari	SD Delhi	21-4-84(AN)
14.	J. Anantharaman	O/OCE (SZ) Madras	21-4-84(FN)
15.	Smt. Manju Mathur	P&D Unit	21-4-84(AN)
16.	Syed Najmuddin	LPTV Mahboob Nagar AP.	28-4-84(FN)
17.	R.N. Karauth	LPTV Rewa (MP)	17-4-84(FN)
18.	Lino A. Soares	LPTV Sangli	7-5-84(FN)
19.	Smt. S.B.Y. Mahesri	DDK Bombay	11-4-84(FN)
20.	S.H. Tarun Kumar	LPTV Behrampur	9-5-84(FN)
21.	Shri Ram	LPTV Shajjahanpur	28-4-84(FN)
22.	Arjun Prasad	LPTV Monghcr	11-5-84(FN)
23.	S.S.A.N.S. Rao	LPTV Cuddapah	16-4-84(FN)
24.	B.S.C. Vaga	LPTV Panaji	30-4-84(FN)
25.	P.G. Gaikwad	O/O CE(WZ) Bombay	30-4-84(FN)
26.	M.C. Sridhar	O/O CE(WZ) Bombay	30-4-84(FN)
27.	R.B. Holmukhe	LPTV Kolhapur	25-4-84(FN)
28.	O.S. Correia	Maintenance Centre Kolhapur.	28-4-84(FN)

J.N. BISARIA
Chief Engineer,
for Director General

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE (DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 2nd June 1984

No. A32013|1|83-NJCD|PH(CDL)|PH.—The President is pleased to appoint Sh. R. Rajagopal to the post of Deputy Director (Entomology) in the National Institute of Communicable Diseases, Delhi in a purely temporary capacity with effect from the forenoon of 14-5-1984 and until further orders.

K. CHANDRAMOULI
Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 31st May 1984

No. A 19011|3|79-S.I.—On his selection for appointment to the post of Microbiologist in the Food Research & Standardisation Laboratory, Ghaziabad, Shri J. S. Sijher, relinquished charge of the post of Assistant Director (Bact.) in the Biological Laboratory & A. H., Madras on the afternoon of 30th April 1984.

R. C. GULATI
Deputy Assistant Director (St)

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 1st June 1984

No. A. 19025|12|84. A.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, Shri S. K. Jena, has been appointed to officiate as Assistant Marketing Officer

(Group I) in this Directorate at Faridabad with effect from 21-5 84 (AN) until further orders.

G. S. SHUKLA
Agricultural Marketing Adviser
to the Government of India.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

PERSONNEL DIVISION

Bombay-400085, the 28th May 1934

No. PA 76(5) 83-R-III.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints following officials to officiate as Asstt. Accounts Officer in this Research Centre with effect from the dates mentioned against each until further orders :—

S. No.	Name	Pmt./Temp. post held in the office	Dt. of apptt. as Asstt. Acctt. Officer
1.	Shri Thoppil Kunnan Purushothman	Pmt. Asstt. Acctt. in D.E.M.	30-4-84(FN)
2.	Shri Vethanayagam Swamickan.	Pmt. IDC in BARC	14-5-84(FN)

The 29th May 1984

No. PA 81(7) 84 R-IV.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned officers of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officers/Engineers Grade 'SB' in the same Research Centre with effect from the forenoon of February 1, 1934 in an officiating capacity until further orders: —

Sl. No.	Name	Post held at present
1	2	3
1.	Shri B.B. Shriwastawa . . .	SA(B)
2.	Shri S.T. Mukhopadhyay . . .	SA(C)
3.	Shri N. K. Modak	SA(V)
4.	Shri S.B. Kondejkar	SA(C)
5.	Shri U.P. Viswanathan . . .	SA(C)
6.	Shri S.N. Biswas	SA(C)
7.	Shri K. Haridasan	SA(C)
8.	Shri Tapan Chowrangi . . .	SA(C)
9.	Shri R.L. Pandey	SA(C)
10.	Shri K. C. Upadhyay . . .	SA(C)
11.	Smt. S.R. Nilekani . . .	SA(C)
12.	Shri D.P. Pimputkar	SA(C)
13.	Shri T.K. Haridasan	SA(C)
14.	Shri P.S. Murthy	SA(C)
15.	Shri M.J. Kansara	SA(C)
16.	Shri R.S. Chitre.	SA(C)
17.	Smt. K.S. Godse	SA(C)
18.	Shri G. Srinivasan	SA(C)
19.	Shri R.M. Nath	SA(C)

A. S. RAJ
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION

Bombay-5, the 28th May 1984

No. PPED|3(262)|84-Estt.I|4950.—Director Power Projects Engineering Division, Bombay hereby appoints Shri S. A. Belhe, a permanent Selection Grade Clerk of this Division as Assistant Personnel Officer in the Same Division in a temporary capacity with effect from the forenoon of May 4, 1984 to afternoon of June 8, 1984 vice Shri N. L. Menghani Assistant Personnel Officer proceeded on leave.

R. V. BAJPAI
General Administrative Officer

DIRECTORTAE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400 001, the 28th May 1984

Ref. No. DPS|41|1|83-Adm.|12680.—The Director, Directorate of purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri Ranganatha Krishnan Iyer, a permanent Purchase Assistant to officiate as an Assistant Purchase Officer on an *ad hoc* basis in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200|- from 9-4-1984 (FN) to 11-5-1984 (AN) in the same Directorate *vice* Shri K. V. Nair, Assistant Purchase Officer promoted as Purchase Officer (*ad hoc*).

P. GOPALAN
Administrative Officer

ATOMIC MINERALS DIVISION

Hyderabad-500 016, the 29th May 1984

No. AMD-8|1|81-Rectt.—Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby extends the officiating appointment of Shri M. S. Viswanatham, officiating Assistant Security Officer as Security Officer, on an *ad hoc* basis in the same Division from May 6, 1984 to May 16, 1984, *vice* Shri S. K. Saraf, Security Officer granted leave.

No. AMD-16|3|82-Rectt. Vol. II.—Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri J. P. Sharma, a permanent Upper Division Clerk and officiating Assistant Accountant, Atomic Minerals Division to officiate as Assistant Accounts Officer in the same Division on an *ad hoc* basis with effect from the forenoon of January 25, 1984 to April 4, 1984.

No. AMD-16|3|82-Rectt. Vol. II.—Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri J. K. Sharma, a permanent Upper Division Clerk and officiating Accountant, Atomic Minerals Division to officiate as Assistant Accounts Officer in the same Division on an ad-hoc basis with effect from the forenoon of April 11, 1984 till a regular incumbent is posted.

No. AMD-16|3|82-Rectt. Vol. II.—Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri R. S. Gupta, a permanent Upper Division Clerk and officiating Accountant, Atomic Minerals Division to officiate as Assistant Accounts Officer in the same Division on an *ad hoc* basis with effect from the afternoon of April 24, 1984 till a regular incumbent is posted by Department of Atomic Energy.

No. AMD-16|3|82-Rectt. Vol. II.—Director, Atomic Minerals Division, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Roshan Lal, a permanent Upper Division Clerk and officiating Assistant Accountant, Atomic Minerals Division to officiate as Assistant Accounts Officer in the same Division on an *ad hoc* basis with effect from the afternoon of March 20, 1984 till a regular incumbent is posted.

T. D. GHADGE
Sr. Administrative & Accounts Officer

HEAVY WATER PROJECTS

Bombay-400 008, the 30th May 1984

No. 05012|R5|2189.—Chief Executive, Heavy Water Projects, appoints Shri P. Hari Krishnan, Junior Accounts Officer, Bombay Telephones to officiate as Assistant Accounts

Officer in Heavy Water Project (Talcher), with effect from the forenoon of February 16, 1984 until further orders.

The 1st June 1984

No. Ref. 05012|R|7|2208.—Chief Executive, Heavy Water Projects appoints Shri V. K. Hiremath, a permanent Assistant Security Officer, Bhabha Atomic Research Centre, to officiate as Security Officer in Heavy Water Project (Manuguru), with effect from the forenoon April 27, 1984 until further orders.

SMT. K. P. KALLYANIKUTTY
Administrative Officer

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 31st May 1984

No. E(I)07267.—The President is pleased to appoint Shri Shaik Naseeruddin as Meteorologist Grade II in the India Meteorological Department in an officiating capacity with effect from the forenoon of 2nd May, 1984 and until further orders.

S. K. DAS
Director General of Meteorology

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 22nd May 1984

No. A-32013/82-EC(10)(.)—In continuation of this Department's Notifications No. A-32013/10/82-EC dated the 31st Oct., 1983 and A-32013/9/83-EC dated the 9th March, 84, the President is pleased to continue the *ad-hoc* appointment of the following officers in the grade of Senior Communication Officer in the Civil Aviation Department for the period indicated against each:

S. No.	Name	Period	
		From	To
1.	Shri T.N. Muniandy	1-1-84	10-1-84
2.	Shri T.C.S. Moosad	1-1-84	30-6-84

The 25th May 1984

No. A-12025|1|82-EC(Pt).(.).—The President is pleased to appoint Shri M. K. Verma, as Technical Officer in Civil Aviation Department w.e.f. 9-1-1984 (FN) in the Aeronautical Communication Organisation of the Civil Aviation Department and to post him at the Civil Aviation Training Centre, Bamrauli, Allahabad, until further orders.

The 29th May 1984

No. A. 35018|11|83-EI.—In continuation of this Office Notification No. A. 35018|11|83-EI dated the 4-8-1983, the President is pleased to continue the *ad hoc* appointment of Shri U. G. Mokhasi to the grade of Assistant Director, Civil Aviation Security at Calcutta for a further period of six months from 15-1-1984 to 14-7-1984 or till the date the post is filled on a regular basis, whichever, is earlier.

O. P. AGGARWAL
Asstt. Director of Administration

New Delhi, the 28th May 1984

No. A. 32013|2|82-ES.—The President is pleased to continue *ad hoc* appointment of the following 11 officers in the grade of Senior Aircraft Inspectors for a further period of One year w.e.f. 1-5-1983 on usual terms and conditions :—

1. Shri S. S. Nat
2. Shri S. L. Vohra
3. Shri S. S. Kuner
4. Shri Anupam Bagchi
5. Shri P. M. Goyal
6. Shri H. M. Phull
7. Shri Mohd. Mustafa
8. Shri L. A. Mahalingam
9. Shri Doba Prasanna Ghosh
10. Shri L. M. Mathur
11. Shri D. P. Ghosh.

B. BHAUMIK
Assistant Director of Administration

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 31st May 1984

No. 1|89|84-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri Shishpal Singh, Technical Assistant, New Delhi Branch as Assistant Engineer, in an officiating capacity, in the same Branch with effect from the forenoon of the 24th April, 1984 and until further orders, on a regular basis.

R. K. THAKKER
Dy. Director (Admn.)
for Director General

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Bangalore, the 4th May 1984

CENTRAL EXCISE

No. 1|84.—In exercise of the powers conferred on me by Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944 I hereby empower the Jurisdictional Assistant Collectors of Central excise to exercise powers of Collector under Rule 196BB and under clause 6-A of the Notification No. 201|79-CE dated 4-6-1979.

D. P. ARYA
Collector

DIRECTORATE OF INSPECTION & AUDIT CUSTOMS & CENTRAL EXCISE

New Delhi the 1st June 1984

C. No. 1041|22|84.—Shri R. K. Kapoor, lately posted as Senior Analyst in the Directorate of Drawback, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi on return from deputation, assumed charge of the post of Assistant Director in the Directorate of Inspection & Audit, Customs & Central Excise, New Delhi w.e.f. 17-5-84 (F.N.) vide Ministry of Finance, Department of Revenue's Order No. 69|84 dated 7-5-84 issued vide letter F. No. A. 22012|25|84-Ad. II.

A. C. SALDANHA
Director of Inspection

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

Bombay-400 038, the 31st May 1984

No. 11-TR(6)|83.—The President is pleased to appoint Shri Debabrata Bandyopadhyay as Engineer Officer in the

Directorate of Marine Engineering Training, Calcutta, on *ad hoc* basis, with effect from 5-3-84 (FN) until further orders.

AMITABH CHANDRA
Dy. Director General of Shipping

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi, the 31st May 1984

No. A-19012|1049|84-Estt. V.—Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri Saleem Ahmad, Design Assistant to officiate in the grade of Extra Assistant Director| Assistant Engineer (Engg.) on a purely temporary and *ad hoc* basis in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 for a period of one year or till the post is filled on regular basis whichever is earlier, with effect from the forenoon of 30-4-1984.

T. N. FOTEDAR
Under Secy.
Central Water Commission

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi-110 066, the 22nd May 1984

No. 2|6|84-Adm. I(B).—The Chairman, Central Electricity, Authority hereby appoints Shri Manjit Singh supervisor to the grade of Extra Assistant Director|Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) Service in the Central Electricity Authority in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 16th May, 1984, until further orders.

B. M. LALL
Under Secy.
for Chairman

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF WORKS CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 31st May 1984

No. 1|274|69-ECIX.—Shri R. M. Pradhan, Senior Architect of this Department retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31-5-1984 (A.N.).

PRITHVI PAL SINGH
Dy. Director of Administration

MINISTRY OF LAW JUSTICE & COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Morning Star Finance Private Limited

Patna, the 30th May 1984

No. (1055)|560|805.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Morning Star Finance Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M|s. Comindia Private Limited

Patna, the 31st May 1984

No. 387|560|820.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M|s Comindia Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Pragati Minerals Private Limited

Patna, the 31st May 1984

No. (697)|560|827.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Pragati Minerals Private Limited, unless, cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Dharmaband Coal Agencies Private Limited

Patna, the 31st May 1984

No. (719)|560|830.—Notice is hereby given pursuant to sub-section of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Dharmaband Coal Agencies Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Lalas' South Barora Colliery Company Private. Limited

Patna, the 31st May 1984

No. (941)|560|837.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Lalas' South Barora Colliery Company Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Monorka Credit and Investment Company Private Limited

Patna, the 31st May 1984

No. (1066)|560|836.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Monorka Credit and Investment Company Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Barhait Credit & Investment Company Private Limited

Patna, the 31st May 1984

No. (1092)|560|83-84|839.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of Barhait Credit & Investment Company Private Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

A. W. ANSARI
Registrar of Companies,
Bihar

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 8th May 1984

Ref. No. ASR|84-85|28.—Whereas, I, C. S. KAHLON, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
One property situated Mohalla Vadehrian, Pathankot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at S. R. Pathankot on Sept., 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Subhash Chander,
Sh. Ashok Kumar s|o Sh. Piare Lal,
Mohalla Vadehrian, athankot,
Distt. Gurdaspur.
(Transferor)

(2) Smt. Motia Devi wd|o Late Shri Jagat Ram,
Mohalla Vadehrian, Pathankot,
Distt. Gurdaspur.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above & tenants if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any Other
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later ;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One property situated at Mohalla Vadehrian, Teh : Pathankot, Distt. Gurdaspur, as mentioned in sale deed No. 1757 dt. 16-9-83 of registering authority, Pathankot.

C. S. KAHLON, IRS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar

Date : 8-5-84.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE,
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 8th May 1984

Ref. No. ASR|84-85|29.—Whereas, I C. S. KAHLON, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
One property situated at Fatehgarh Churian, Batala (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been trasferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Batala on Sep. 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kanwar Jasbir Singh and Sh. Satnam Singh ss|o Sh. Tara Singh,
r|o Fatehgarh Churian,
Teh. Batala, Distt. Gurdaspur.
(Transferor)

(2) S|Shri Jagat Bir and Bhusan Kumar ss|o Shri Bansi Lal, r|o Fatehgarh Churian,
Teh : Batala, Distt. Gurdaspur.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above & tenants if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One property situated at near Main Baar, Fatehgarh Churian, Teh. Batala, Distt. Gurdaspur, as mentioned in sale deed No. 3172 dt. 12-9-83 of registering authority, Batala.

C. S. KAHLON, IRS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar

Date : 8-5-84.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 26th April 1984

Ref. No. ASR|84-84|30.—Whereas, I C. S. KAHLON, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
One property situated at Rani-ka-Bagh, Amritsar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of Registering Officer at
S.R. Amritsar on Sept. 1983,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Bimal Chand s|o Shri Padam Chand, 10, Amritsar Cantt.
(Transferor)

(2) Sh. Kuldip Singh s|o Sh. Basant Singh, Khasa Bazar, Khasa, Distt. Amritsar, and Brig. Piara Singh s|o Sh. Malla Singh, 36 Haqiikat Road, Jalandhar Cantt.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above & tenants if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One property measuring 250 sq. yds., situated at Rani-ka-Bagh, Amritsar, as mentioned in sale deed No. 7596 dt. 19-9-83 of registering authority, Amritsar.

C. S. KAHLON, IRS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar

Date : 26-4-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 8th May 1984

Ref. o. ASR|84-85|31.—Whereas, I C. S. KAHLON, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
One property situated at Batala Garhi, Batala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
S.R. Batala on Sept., 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Harjit Kaur w|o Shri Rawail Singh,
Mohalla Prem Nagar,
Teh : Batala, Distt. Gurdaspur.
(Transferor)

(2) Shri Lajpat Rai w|o Shri Tara Chand Aggarwal,
Sh. Sushil Kumar s|o Sh. Lajpat Rai Aggarwal,
Smt. Shushma w|o Sh. Satish Kumar,
r|o Batala, Distt. Gurdaspur.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above & tenants if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One property situated at Batala Garhi, Teh : Batala, Distt. Gurdaspur, as mentioned in sale deed No. 3267 dt. 20-9-83 of registering authority, Batala.

C. S. KAHLON, IRS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar

Date : 8-5-84.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 8th May 1984

Ref. No. ASR|84-85|32.—Whereas, I C. S. KAHLON, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- bearing No.

One property situated at Batala Garhi, Batala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

S.R. Batala on Sept., 1983

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rawail Singh s|o Shri Tarlok Singh, Mohalla Prem Nagar, Teh : BaBtala, Distt. Gurdaspur. (Transferor)

(2) Shri Lajpat Rai s|o Shri Tara Chand Aggarwal, Shri Sushil Kumar s|o Shri Lajpat Rai iAiggarwol and Smt. Sushma w|o Shri Satish Kumar r|o Tth : Batala, Distt. Gurdaspur. (Transferee)

(3) As at S. No. 2 above & tenants if any. (Person in occupation of the property)

(4) Any other (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning is given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One property situated at Batala Garhi, Teh : Batala, Distt. Gurdaspur, as mentioned in sale deed No. 3268 dt. 20-9-83 of registering Authority, Batala.

C. S. KAHLON, IRS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar

Dat* : 8-5-84.
Seal :

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 8th May 1984

Ref. No. ASR|84-85|33.—Whereas, I C. S. KAHLON, IRS being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
One property situated at Batala Garhi, Batala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
S.R. Batala on Sept., 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market vaule of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Harjit Kaur w|o Sh. Rawail Singh, Mohalla Prem Nagar, Batala, Distt. Gurdaspur.
(Transferor)

(2) Sh. Lajpat Rai s|o Sh. Tara Chand Aggarwal, Sh. Sushil Kumar s|o Sh. Lajpat Rai Aggarwal, Smt. Shushma w|o Sh. Satish Kumar r|o Batala.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above & tenants if anq.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One property situated at Batala Garhi, BaBatla, as mentioned iin sale deed No. 3265 dt. 20-9-83 of registering authority, Batala.

C. S. KAHLON, IRS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar

Date : 8-5-84.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 8th May 1984

Ref. No. ASR|84-85|34.—Whereas, I C. S. KAHLON, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

One property situated at Batala Garhi, Batala

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

S.R. Batala on Sept., 1983

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Rawail Singh s|o Shri Tarlok Singh, Mohalla Prem Nagar, Batala, Distt. Gurdaspur.
(Transferor)

(2) Sh. Lajpat Rai s|o Sh. Tara Chand Aggarwal, Sh. Sushil Kumar s|o Sh. Lajpat Rai Aggarwal, Smt. Shushma w|o Sh. Satish Kumar r|o Batala.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above & tenants if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One property situated at Batala Garhi, BaBatla, as mentioned iin sale deed No. 3265 dt. 20-9-83 of registering authority, BBatala.

C. S. KAHLON, IRS
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar

Date : 8-5-84.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
D.L.F. COLONY, ROHTAK

Rohtak, the 16th May 1984

Ref. No. RTK|46|83-84.—Whereas, I, R. K. Bhayana being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
Ahata situated at Jhajjar Road, Rohtak
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rohtak on 12-9-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the propety as afoesaid exceeds the appaent consideation theefor by more than consideration for such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the tranferor to pay tax under the said Ac, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Har Sarup S|O Niader Singh
S|Shri Richpal Singh Maha Singh ss|o
Shri Ram Sarup, Vill. Farmana Badshapur.
(Transferor)

(2) Shri Dwarka Parshad Aggarwal s|o
Shri Sat Narain Agarwal r|o Kath Mandi,
Rohtak.
(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being Ahata at Jhajjar Road, Rohtak and as more mentioned in the sale deed registered at No. 3334 dated 12-9-1983 with the S.R. Rohtak.

R. K. BHAYANA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Rohtak

Date : 16-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 2nd May 1984.

Notice No. 749 C.R. No. 62|7-7|9CQ|B.—Whereas, I, S. BALASUBRAMANIAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, BaBngaylore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Agrl. Land situated at Merces Village, Ilhas, Goa
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Ilhas Undtr document No. 685 on 7-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Felijardo Rafaal Gonsalves and
2. Smt. Marina Jessie Gillia D'Souza alias Shri Marina Gonsalves, both residents of Chimbel-Goa.
(Transferor)

(2) Shri K. Abdulla, R|o Panaji Goa.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Documtnt No. 685|83-84. Dated 7-9-1983]
Agricultural land registered in the office of Land Registrar Panaji, Goa under No. 2740 of Book 30 old situated at Merces of village, Morombi-O Grande of Sub-Dist of Ilhas Goa.

S. BALASUBRAMANIAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 2-5-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
"ANJIPARAHBIL BLDGS"
ANAND BAZAR, COCHIN-662 016

Cochin-662 016, the 14th May 1984

Ref. I.C. 689|84-85.—Whereas I, B. RAVIBALAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
Sy. No. as per schedule situated at Nattakam
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Kottayam on 23-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment or any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 296C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Nirmala Sunny
Nerriyam Parambil House, Nattakam P.O.
Pakkil Kara—Kottayam.
(Transferor)

(2) Dr. Samuel Baby
By K. D. Samuel, Kallumkadavil House,
Mullamghuzha—Nattakam P.O. Kottayam.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

9 cents of land and one incompleted building in Sy. No. 189|1|24 of Nattakam Village and as per schedule attached to document No. 3253|83 and 3254|83 of SRO Kottayam.

B. RAVIBALAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 14-5-1984.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 24th May 1984

Ref. No. AC-48|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I,
S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and
bearing No. 17|1C, situated at Alipore Road,
Calcutta-27
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering
Officer at S.R.A. Cal on 3-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the objecet of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Secton 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Babu Lal Jaiswal of 35, Raja Naba Krishna Street, Calcutta.
(Transferor)

(2) Jai Narain Chowdhury of Block-P, No. 768, New Alipore, Calcutta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the pubcation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 402, measuring area 1630 S. ft. situated at 17|1C, Alipore Road, Calcutta-27, P.S., Alipore. More particularly described in Deed No. I 8930 of S.R.A. Cal of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Auuthority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Calcutta.

Date : 24-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-31|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and
bearing No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Officer at S.R.A. Cal on 26-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section ()1 of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M|s Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Sisutosh Samanta of Flat No. 732, Block No.-VII, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 732, Block No. VII, measuring 860 S. ft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9870 of S.R.A. Cal of 83.

S. K. BANERJEE,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Calcutta.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS–

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-32/Acq.R-II/Cal/84-85.—Whereas, I,
S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and
bearing No. 3, situated at
Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
S.R.A. Cal on 26-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/S Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Surajit Das of Flat No. 121, Block No.-I, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 121, Block No.-I, measuring 860 S.ft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I-9872 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Calcutta.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-33|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding RRs. 25,000|- and
bearing No. 3, situated at
Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
Officer at S.R.A. Cal on 26-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under that said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) M|S Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Hari Sankar Poddar of Flat No. 132, Block No-I, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

One Flat No. 132, Block No.-I, measuring 1130 S. ft., situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No-I 9873 of S.R.A. Cal of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Calcutta.

Date : 14-5-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-34|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 3, situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.A. Cal on 26-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Act to the following persons, namely :—

37—116GI|84

(1) M|S Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. (Transferor)

(2) Bimal Chandra Pal of Flat No. 521 of Block No-V. at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 521, Block No.-V, measuring 1100 S. ft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9874 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Calcutta.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-35|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 3, situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer Officer at S.R.A. Cal on 26-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of : —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-Operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. (Transferor)

(2) Hirak Mukherji of Flat No. 221, Block No-II, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 221, Block No-II, measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particulary described in Deed No. I 9875 of S.R.A. Cal of 1983.

S. K. BANERJEE,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Calcutta.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-36|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
No. 3,
situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
S.R.A. Cal on 26-9-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Saralendu Basu of Flat No. 621, Block No-VI, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 621, Block No.-VI, measuring 1130 S. ft., situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9838 of S.R.A. Cal of 83.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Calcutta.

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-37|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 3,
situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
S.R.A. Cal on 26-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd, of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
Transferor(s)

(2) Goutam Bagchi of Flat No. 513, Block No-V, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 513, Block No-V, measuring 860 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9839 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Calcutta.

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-38|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I,
S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 3,
situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreemnt is rgistered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the office of the Competent Authority
Officer at S.R.A. Cal on 26-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Manash Kumar Banerjee of Flat No. 711, Block No-VII, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 711, Block No-VII, measuring 860 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9840 of S.R.A. Cal of 1983.

S. K. BANERJEE,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Calcutta.

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-39|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the office of the Competent Authority at S.R.A. Cal. on 26-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-Operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. (Transferor)

(2) Ajeya Kumar Das of Flat No. 512, Block No.-V, 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 512, Block No.-V, measuring 1100 S.ft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9841 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM 1TNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-40|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas,
I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
S.R.A. Cal. on 26-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Naresh Chandra Mazumdar of Flat No. 522, Block No.-V, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 522, Block No.-V, measuring 1100 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No.-I 9837 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal ;

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-41|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas,
I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act 1961, in the office of the Competent Authority
S.R.A. Cal, on 23-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Sunilbhusan Roy Chowdhury of Flat No. 813, Block No. VIII, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein and are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No, 813, Block No.-VIII, measuring 860 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9743 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THER INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-42|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 3 situated at Bidhan Sishu Saraini, Calcutta-54 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.A. Cal on 23-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

38—116GI|84

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.

(Transferor)

(2) Kamal Krishna Roy of Flat No. 212, Block No-II, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta54.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 212, Block No-II, measuring 1130 Stt. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9744 of S.R.A. Cal of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Calcutta.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-44/Acq.R-II/Cal/84-85. - Whereas, I, S. K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 3, situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54 (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at S.R.A. Calcutta on 23-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1927);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. (Transferor)

(2) Phanibhushan Banerjee of Flat No. 632, Block No. VI, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 632, Block No. VI, measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9746 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Calcutta.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Rel. No. AC-45/Acq.R-II/Cal/84-85. --Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta,-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
S.R.A. Calcutta on 23-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I herey initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.

(Transferor)

(2) Gautam Kumar Mazumdar of Flat No. 811, Block No. VIII, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 811, Block No. VIII, measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9747 of S.R.A. Cal of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Calcutta.

Date : 14-5-1934
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-46|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
S.R.A. Cal. on 23-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect to any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Sada Prasanna Ghosh of Flat No. 832, Block No. VIII, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein and are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 832, Block No. VIII, measuring 860 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9748 of S.R.A. Cal of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Calcutta.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-47|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I,
S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 23A|98N|1C situated at Diamond Harbour Road, Calcutta-53.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at S.R.A. Cal on 16-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aarpee Builders & Promoters Pvt. Ltd. of 103, Park Street, Calcutta.
(Transferor)

(2) Smt. Sushama Seth of 11, Rajendra Sen Lane, Calcutta-6.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Entire 2nd Floor of Building situated at 23A|98N|1C, Diamond Harbour Road, Calcutta-53, P. S. Alipore, measuring area 1985 Sft. More particularly described in Deed No. I 9492 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Calcutta.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-26|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(and more fully described in the schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at S.R.A. Cal on 14-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aclite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.

(Transferor)

(2) Dr. Kesab Chandra Majumdar of Flat No. 821, Block No. VIII, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, and shall have the same meaning to given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 821, Block No. VIII, measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9392 of S.R.A. Cal of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Calcutta.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-27|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas I, S. K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 (hereinafter **referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding** Rs. 25,000|- and bearing No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.A. Cal on 14-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more **than fifteen per cent of such apparent consideration and that** the consideration for such transfer as agreed to between the **parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—**

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability **of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any **moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said **Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the** aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, **namely :—**

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd.
of 3, Bidhan Sishu Sarani,
Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Smt. Gouri Das
of Flat No. 833, Block No. VIII,
at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property **may be made in writing to the undersigned :—**

(a) by any of the aforesaid persons within a period of **45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons,** whichever period **expires later;**

(b) by any other person interested in the said immov**able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 833, Block No. VIII, measuring 860 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. 1-9393 of S.R.A. Calcutta of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Calcutta

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-28|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at S.R.A. Cal on 26-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.

(Transferor)

(2) Sarba Subha Guha Thakurta of Flat No. 501, Block No. V, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said Immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 501, Block No. V, measuring 1100 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I-9867 of S.R.A. Calcutta of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Calcutta

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-29|Acq.R-II|Cal|84-85.- -Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
and more fully described in the Schedule annexed hereto has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at S.R.A. Cal on 26-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

39—116GI|84

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd.
of 3, Bidhan Sishu Sarani,
Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Sri Anil Kumar Santra
of Flat No. 721, Block No. VII,
at 3, Bidhan Sishu Sarani,
Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 721, Block No. VII, measuring 860 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I-9668 of S.R.A. Calcutta of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Calcutta.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-30|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at S.R.A. Cal on 26-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aclite Co-operative Housing Society Ltd.
of 3, Bidhan Sishu Sarani,
Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Adhir Chakravarti
of Flat No. 423, Block No. IV,
at 3, Bidhan Sishu Sarani,
Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning is given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 423, Block No. IV measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I-9869 of S.R.A. Calcutta of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Calcutta

Date : 14-5-1984

Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-21|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto).
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registrating Officer
at S.R.A. Cal on 14-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd.
of 3, Bidhan Sishu Sarani,
Calcutta-54.

(Transferor)

(2) Mrs. Rani Basu
of Flat No. 814, Block No. VIII, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 814, Block No. VIII, measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I-9387 of S.R.A. Calcutta of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Calcutta

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-22|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at S.R.A. Cal on 14-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd.
of 3, Bidhan Sishu Sarani,
Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Mr. Dilip Kumar Sett
of Suit No. 4, 26|6, Ballygunge
Circular Road,
Calcutta-19.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 431, Block No. IV, measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I-9388 of S.R.A. Calcutta of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Calcutta

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-23|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at S.R.A. Calcutta on 14-9-1983,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aclite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Gayatri Ganguly of Flat No. 801, Block No. VIII, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 801, Block No. VIII, measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I-9389 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Calcutta

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-24|Asq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I,
S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
S.R.A. Cal. on 14-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aglite Co-operative Housing Society Ltd. 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(Transferor)

(2) Dr. Dilip Kumar Roy of Flat No. 421 Block No. IV, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 421, Block No. IV, measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I-9390 of S.R.A. Calcutta 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Calcutta

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-20|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
S.R.A. Cal. on 14-9-1983
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Bimalendu Debnath of Flat No. 802, Block No. VIII, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 802, Block No. VIII, measuring 860 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I-9386 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Calcutta

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-19|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I,
S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
S.R.A. Calcutta on 14-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3 Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(Transferor)

(2) Makhan Lal Das of Flat No. 803, Block No-VIII, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 803, Block No. VIII, measuring 860 sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly in Deed No. I 9385 of S.R.A. Cal of 1983.

S. K.BANERJEE
Competent Authority
Acquisition Range-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road
Calcutta.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Rew. No. AC-18|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
S.R.A. Calcutta on 14-9-1983
for an apparent consideration and which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

40—116GI|84

(1) Acilie Co-Operative Housing Society Ltd. of 3 Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(Transferor)

(2) Amritava Gupta of Flat No. 823, Block No-VIII, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 823, Block No-VIII, measuring 860, Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9384 of S.R.A. Cal of 1983

S. K.BANERJEE
Competent Authority
Acquisition Range-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road
Calcutta.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-17|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.A. Calcutta on 14-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aclite Co-Operative Housing Society Ltd. of 3 Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(Transferor),

(2) Pronab Kumar Mitra of Flat No. 812, Block No-VIII, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 812, Block No-VIII, measuring 860 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9383 of S.R.A. Cal of 1983.

S. K.BANERJEE
Competent Authority
Acquisition Range-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road
Calcutta.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-16|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas,
I, S. K. BANERJEE,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto).
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer
at S. R. A. Calcutta on 14-9-1985
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-Operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Banwari Lal Bose of Flat No. 831, Block No. VIII, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

One Flat No. 831, Block No.-VIII, measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-64. More particularly described in Deed No. I 9382 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Calcutta
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-15|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at S.R.A. Cal. on 15-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair-market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consderation and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-Operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. (Transferor)

(2) Asit Mohan Sinha of Flat No. 613, Block No. VI, 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 613, Block No.-VI, measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9432 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Calcutta
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-14|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas,
I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
S.R.A. Cal. on 15-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Aclite Co-Operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) A. Sadhana Dutta of
Flat No. 622, Block No. VI, at
3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 622, Block No. VI, measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9431 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Calcutta
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-13|Acq.R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
S.R.A. Cal. on 15-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument or transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Satya Narayan Sreemany of
Flat No. 113, Block No. I, at
3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 113, Block No.-I. measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Ded No. 1 9430 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS–

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-12|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000|- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
S.R.A. Cal. on 23-9-1983
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Aclite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Amal Kanta Chowdhury of Flat No. 222, Block No.-II, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 22, Block No. II, measuring area 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9750 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-II/Acq. R-II/Cal/84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at S.R.A. Cal. on 23-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Mr. Reboti Ranjan Roy of Flat No. 203, Block No. II, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 203, Block No.-II, measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9742 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-10|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
S.R.A. Cal. on 15-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or others assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons; namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Jyoti Prakash Dutta of
Flat No. 611, Block No.-VI, at
3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 611, Block No. VI, measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9429 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-9|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
S.R.A. Cal. on 15-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Bimal Krishna Dewan of Flat No. 712, Block No. VII, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 712, Block No.-VII, situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. 1 9428 of S.R.A. Cal. of 1983. Flat measuring 860 Sft.

S. K. BANERJEE
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-8|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I,
S. K. BANERJEE
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Rtgistering Officer at
S.R.A. Cal. on 15-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Rama Mukherjee of Flat No. 402, Block No. IV, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 402, Block No. IV, measuring 450 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9427 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Rangt-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-7|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
S.R.A. Cal. on 15-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue for this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-opeartive Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54 (Transferor)

(2) Tapati Dey of Flat No. 133, Block No.-I, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. (Transferee)

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 133, Block No. I, measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9426 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-6|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54 (and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at S.R.A. Cal. on 15-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aclite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. (Transferor)

(2) Benoy Bhusan Mukherjee of Flat No. 122, Block No. I, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 122, Block No.-I, measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9425 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-5|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
S.R.A. Cal. on 15-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aclite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Guru Prasad Ghosh of Flat No. 111, Block-I, at
3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 111, Block No. I, measuring 860 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. 1 9424 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-4|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.A. Cal. on 15-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1 of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. (Transferor)

(2) Smt. Renuka Paul of Flat No. 112, Block No.-I, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 112, Block No. 1, measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9423 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-3|ACQ. B-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
S.R.A. Cal. on 15-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Aelite Co-Operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Anadi Prasad Mukherjee, of Flat No. 101, Block No. I, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 101, Block No. I, measuring 860 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54 More particularly described in Deed No. I 9422 of S.R.A. Cal., of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-2/Acq. R-II Cal/84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred

under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

S.R.A. Cal. on 15-9-1983

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of the—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Aslite Co-Operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.

(Transferor)

(2) Jitendra Nath Bhattacharjee of Flat No. 631, Block No. VI, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 631, Block No. VI measuring 1130 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. 1, 9421 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal ;

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-25/ACQ. R-II/Cal/84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
3 situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the schedule annexed hereto)
has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.A. Cal. on 14-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Aelite Co-operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Smt. Chameli Sen Gupta of
Flat No. 2,, Block No. VIII(at
3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the *Official Gazette* or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 822, Block No. VIII, measuring 860 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9391 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition-II, Calcutta
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. AC-43|Acq. R-II|Cal|84-85.—Whereas, I, S. K. BANERJEE,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. 3, situated at Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
S.R.A. Calcutta on 23-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfereee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following person, namely :—

(1) Aelite Co-Operative Housing Society Ltd. of 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferor)

(2) Ram Prosad Sen of
Flat No. 302, Block No. III, at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Flat No. 302, Block No.-III, measuring 860 Sft. situated at 3, Bidhan Sishu Sarani, Calcutta-54. More particularly described in Deed No. I 9745 of S.R.A. Cal. of 1983.

S. K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF NCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 17th May 1984

Ref. No. 1487|Acq.R-III|84-85.—Whereas, I, S. K. CHAUDHURI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 3|2|1, situated at 24, Mandarille Gardens, Calcutta-19 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer I.A.C. Acq. Range-III,Calcutta on 15-9-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shree Sudhendukhon Guha,

(Transferor)

(2) Shree Shyamal Kumar Dutta,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that Flat measuring 1400 sft. being Premises No. 24, Mandarille Gardens, Calcutta (Flat o. B|2|1 on 1st Floor) Registered at the office of I.A.C. Acquisition Range-III, Calcutta vide Sl. o. 138 dated 15-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
Calcutta

Date : 17-5-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
CALCUTTA

Calcutta, the 17th May 1984

Ref. o. 1486|Acq.R-III|84-85.—Whereas, I,
S. K. CHAUDHURI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
6|2 situated at Commissariat Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Calcutta on 21-9-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Mali Debi Toshinad. (Transferor)

(2) M|s. Kanu Builders (P) Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

All that Flat measuring 2200 sft. being Premises No. 6|2, Commissariat Road, Calcutta (Entire 2nd floor) Registered before S|R|A|, Calcutta vide Deed No. 9625 dated 21-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
Calcutta

Date : 17-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 17th May 1984

Ref. No. 1485/Acq.R-III/84-85.—Whereas, I, S. K. CHAUDHURI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 87 situated at Ballygunge Place, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Calcutta on 18-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act; or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Usha Bose
Arun Bose. (Transferor)

(2) Anjan Gupta. (Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazetteor a period of 30 days from the service of notince on the respectiv persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land measuring 1B-7K 1ch. 68 ft. with three storeyed building, being Premises No. 87, Ballyunge Place, Calcutta, registered at I.A.C. Acquisition Range-III, Calcutta office, vide SI No. 87 dated 18-9-83 against 37EE form.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
Calcutta

Date : 17-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 16th May 1984

Ref. No. 1484/Acq.R-III/84-85.—Whereas, I,—
S. K. CHAUDHURI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
36B situated at Fakir Chakarvarty Lane, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of (the Registering Officer at Calcutta on 5-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Santidey Roy, (Transferor)

(2) Netar Charan Basu. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land measuring 1K 11Ch. 4sft. and Passage land 5Ch. 11sft. with building being Premises No. 36B, Fakir Chakrabarty Lane, Calcutta, registered before R/A, Calcutta vide Deed No. I-8974 dated 5-9-1983.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III,
Calcutta

Date : 16-5-1984
Seal :

FORM ITNS :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III,
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. 1483|Acq.R-III|84-85.—Whereas, I, S. K. CHAUDHURI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
81|1 situated at Sarat Bose Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Calcutta on 5-9-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Indrani Banerjee & others.
(Transferor)

(2) Smt. Sudha Agarwal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of vacant land measuring 4K-7 ch. 7 Sft. being premises No. 81|1, Sarat Bose Road, Calcutta, Reg. before R|A Cal. vide Deed No. I-8956 dt. 5-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Calcutta

Date : 14-5-1984.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III,
CALCUTTA

Calcutta, the 16th May 1984

Ref. No. 1482/Acq.R-III/84-85.—Whereas, I, S. K. CHAUDHURI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. 176 situated at Sarat Bose Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Calcutta on 6-9-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Purnendu Prosad Rav Chaudhury.
(Transferor)

(2) Sri Basant Kumar Rungta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land measuring 7K—14Ch.(¼ of the total land) with building being Premises No. 176, Sarat Bose Road, Calcutta Reg. at R/A, Calcutta vide Deed No. I-8983 dt. 6-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Calcutta

Date : 16-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. 1481(Acq.R-III|84-85.—Whereas, I, S. K. CHAUDHURI, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 69-A, situated at Acharya Profulla Ch. Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 27-9-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Gour Das Mullick. (Transferor)

(2) Sri Debasis Pal. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land measuring 12K-2Ch.-20 sft. with building (undivided 2|9th share) being Premises No. 69-A, Acharya Profulla Ch. Road, Cal. Reg. before S|R|A, Calcutta vide Deed No. I-9930 dated 27-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Calcutta

Date : 14-5-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III,
CALCUTTA

Calcutta, the 11th May 1984

Ref. No. 1480|Acq.R-III|84-85.—Whereas, I, S. K. CHAUDHURI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that
the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. 18A &18B situated at Brabourne Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
Calcutta on 1-9-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Krishna Gyanoday Sugar Ltd. (Transferor)

(2) M|s. Sahu Jain Charitable Society. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that Piece or parcel of land measuring 1B-15K—4Ch.-12 sft. (4|124 Part of share) with two five (5) storeyed buildings being Premises No. 18A, & 18B, Brabourne Road, Calcutta Reg. at R|A, Calcutta vide deed No. I-8810 dated 1-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Calcutta

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III,
CALCUTTA

Calcutta, the 11th May 1984

Ref. No. 1479/Acq.R-III/84-85.—Whereas, I, S. K. CHAUDHURI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. 5D situated at 116, Dr. Meghnad Saha Sarain, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
IAC Acq. R-III, Cal. on 25-9-83
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Ajit Kumar Banerjee. (Transferor)

(2) Smt. Uma Mitra. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that Flat Covering 760 sft. being premises No. 116, Dr. Meghnad Saha Sarani (Flat No. 5D), Reg. before IAC Acq. R-III/Cal. vide 37EE Sl. No. 88 dated 25-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Calcutta

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 11th May 1984

Ref. No. 1478|Acq.R-III|84-85.—Whereas, I, S. K CHAUDHURI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Apartment No. 6 (six) situated at Block No. 7 (seven) W-2C(R)-1 under Shyamali Housing State Phase-V-Golf Green Urban Complex, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 2-9-83

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Binode Kumar Jhunjhunwala. (Transferor)

(2) Smt. Bani Sengupta. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that Piece or parcel of land measuring 93.98 sq. metres with building being Premises No. Appartment No. 6, Block 7-W-2C(R)-1, under Shyamali Housing Estate-Phase-V-Golf Green Urban Complex, Calcutta Reg. with R|A, Calcutta vide Deed No. I-8885 dated 2-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III
Calcutta

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 11th May 1984

Ref. No. 1477|Acq.R-III|84-85.—Whereas, I, S. K. CHAUDHURI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
No. 176 situated at Sarat Bose Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Calcutta on 6-9-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Swapnendu Prosad Roy Chowdhury. (Transferor)

(2) Sri Basant Kumar Rungta. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land measuring 7K-14Ch. with building being Premises No. 176, Sarat Bose Road, Calcutta, Reg. at R|A, Calcutta vide Deed No. I-8984 dated 6-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Calcutta

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. 1476|Acq.R-III|84-85.—Whereas, I, S. K. CHAUDHURI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
No. 13|2, situated at Tiljala Place, Calcutta
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred
under registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Calcutta on 15-9-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets, which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kartick Chandra Set. (Transferor)

(2) Mubarak Karim Jauhar & ors. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land measuring (1) 6K-4Ch. 20 sft., (2) 3K-6Ch. 30 sft. (3) 3K with structure, being Premises No. 13|2, Tiljala Place, Calcutta Reg. at S|R|A, Calcutta vide Deed No. I-9398 dated 15-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Calcutta

Date : 14-5-1984.
Seal :

FORM IITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III,
CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. 1475|Acq.R-III|84-85.—Whereas. I. S. K. CHAUDHURI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Flat No. 1B, situated at 8, Indra Roy Road, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
Calcutta on 9-9-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, threfore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Tatini Devi Alise Goswami. (Transferor)

(2) Smt. Bharati Kar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that Flat measuring 739 sft. being Premises No. 8, Indra Ray Road, Calcutta, Reg. before R|A, Calcutta vide Deed No. 1-9265 dated 9-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Calcutta

Date : 14-5-1984.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 16th May 1984

Ref. No. C.A.54|84-85|Sl. 870 I.A.C.|Acq.R-I|Cal.-
Whereas, I, S. K. CHAUDHURI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. 29, situated at Shakespeare Sarani, Calcutta-17.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
C.A., Cal. on 12-9-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent
consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Gulab Devi Sethia (Transferor)

(2) Shri Shyam Khaitan &
Sri Sharad Khaitan (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 2B on the 2nd floor at premises No. 29, Shakespeare Sarani, Calcutta-17. Registered before the Competent Authority, I.A.C., Acquisition Range-I, Calcutta vide Sl. 54 dt. 12-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Calcutta
54, Rafi Ahmad Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 16-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 11th May 1984

Ref No. C.A. 59|84-85|Sl.871 I.A.C.|Acq.R-I|Cal.

Whereas, I, S. K. CHAUDHURI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 7|1A, situated at Dr. U. N. Brahamchari Street, Calcutta-17,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
C. A., Cal. on 21-9-83,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truely stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by vthe issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|S Pari Enterprises (Transferor)

(2) Smt. Gulab Devi Sethia (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later:

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 5B, at 5th floor at premises No. 7|1A, Dr. U. N. Brahamchari Street, Calcutta-17. Registered before the Competent Authority, I.A.C., Acqn. Range-I, Calcutta vide Sl. No. 59 dt. 21-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Calcutta
54, Rafi Ahmad Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 11-5-1984
Seal ;

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. TR-307|84-85|Sl. 872 I.A.C.|Acq. R-I|Cal.-
Whereas, I, S. K. CHAUDHURI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable propetry, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
75C, situated at Park Street, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at R. A., Cal. on 22-9-83.
for an apparent consideration which is less than the fait market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ruby (Park) Properties Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) Jogesh Kumar Shah (Transferee)

(3) Hindustan Paper Corporation Ltd. (Person in occupation)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 2 on the 10th floor at premises No. 75C, Park Street, Calcutta. Registered before the Registrar of Assurances, Calcutta vide Deed No. I-9680 dt. 22-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Calcutta
54, Rafi Ahmad Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 14th May 1984

Ref. No. TR-308|84-85|Sl. 873 I.A.C.|Acq.R-I|Cal.—
Whereas, I, S. K. CHAUDHURI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 75C, situated at Park Street, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at R. A. Cal. on 22-9-83.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ruby (Park) Properties Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) Jogesh Kumar Shah (Transferee)

(3) Hindustan Paper Corporation Ltd. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1 on the 10th floor at Premises No. 75C, Park Street, Calcutta. Registered before the Registrar of Assurances, Calcutta vide Deed No. 9683 dt. 22-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Calcutta
54, Rafi Ahmad Kidwai Road, Calcutta-16

Daet : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 17th May 1984

Whereas, I, S. K. CHAUDHURI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. 24/2, situated at Sheriff Lane, Calcutta,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at R. A., Cal. on 8-9-83.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely—

67—96 GI/84

(1) Golam Rasul (Transferor)

(2) MD. Osman (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undevided 10 paisa share of 6 K—3 Ch.—5Sft. land and 4 storied building at 24/2, Sheriff Lane; Cal. Registered before the Registrar of Assurances, Calcutta vide Deed No. I-9126 dt. 8-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Calcutta
54, Rafi Ahmad Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 17-5-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 17th May 1984

Whereas, I, S. K. CHAUDHURI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. 5, situated at Camac Street, Calcutta-17
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at R. A., Cal., on 21-9-83,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Champa Devi Daga (Transferor)

(2) Smt. Sushila Devi Agarwal & Smt. Manju Jain (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions and herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B-6 at 'Saraswati Niket', 5, Camac Street, Calcutta-17. Registered before the Registrar of Assurances, Calcutta Vide Deed No. I-9586 dt. 21-9-83.

S. K. CHAUDHURI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Calcutta
54, Rafi Ahmad Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 17-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 29|84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Land situated at Waltair Ward, Vizag.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Vizag on 9-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely: —

(1) Nekkanti Suryvenarayana Rao,
Waltair Uplands,
Visakhapatnam.
(Transferor)

(2) Coromandal Paints & Chemicals Ltd.,
9-30-7, Siripuram Junction,
Visakhapatnam-3,
2. C. P. C. Pharmaceuticals Ltd.,
10-1-32, Waltair Uplands,
Visakhapatnam.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 1105 sq. yds. situated at Waltair Ward, Visakhapatnam registered by the S.R.O., Vizag vide document No. 11288|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 30|84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. House situated at Eluru (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Eluru on 9|83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by trasferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) E. Venkateswaraiah,
Panthulu Vidya Samithi
Rep. by Sri E. Venkataramaiah,
Eluru.

(Transferor)

(2) Chairman,
Eluru Municipality,
Eluru.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 23 A-9-1 to 27 situated at Eluru registered by the S. R. O., Eluru vide document No. 5320|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 31|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Land situated at Yiragavaram
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Tanuku on 9-83.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri K. Shanmukhacharyyulu,
Tanuku.
(Transferor)

(2) Sri Venkatrama Modern Rice Mill,
Prop. Sri A. Apparao & Co.,
Yiragavaram,
Tanuku.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated at Yiragavaram admeasuring 2-39 acres registered by the S.R.O., Tanuku vide document Nos. 3094 and 3076|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 32|84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. No. 37-1-429 situated at ongole. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ongole on 9-83. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri D. Kotiswamy and Other,
Brahmana Veedhi,
Vijaywada-1.
(Transferor)

(2) Sri Patchipulusu Laxminarayana and Other,
H. No. 37-1-429,
IInd Lane, Ramnagar,
Ongole.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 37-1-429 situated at Ongole registered by the S.R.O., Ongole vide document No. 3366|83 and 3452|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 33/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 3-6-11 situated at Tadepalligudem (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Tadepalligudem on 9-83. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment or any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Mandava Seethadevi,
w/o Umamaheswara Rao and
M. Satyabhanu,
Tadepalligudem,
West Godavari Dt.
(Transferor)

(2) Smt. Indukuri Bangaramma,
w/o Suryanarayana Raju,
7th Ward, Tadepalligudem,
W. G. Dt.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 3-6-11 situated at Subbaraopeta, Tadepalligudem registered by the S.R.O., Tadepalligudem vide document No. 3933/83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 34|84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearnig No. 5-3, situated at Mogalturru,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mogalturru on September 83

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Penmatsa Satyanarayana Raju and Others, 5th Ward, Bhimavaram, W. G. Dt.

(Transferor)

(2) Sri Gottumukkala Bheemaraju and Others, Door No. 5-3, Mogalturru, W. G. Dt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and above No. 5-3, admeasuring 0-42 1|2 cents situated at Mogalturru, registered by the S.R.O., Mogalturru vide document No. 1931|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Competent Authority

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 35|84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Land situated at Thotapalem Vizianagaram.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vizianagaram on Sept 83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, thereore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri M. Naraynappadu and Others, Nagojipet, Vizianagaram. (Transferor)

(2) Navayuga Sun Pipe Co., Rep. by Managing Partner Sri Ch. Venkateswara Raju, Vizianagaram. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 0.90 cents, and 0.90 cents situated at Vizianagaram Big-I, at Thotapalem Panchayathi, Thotapalem registered by the S.R.O., Vizianagaram vide document No. 3738 and 3739|83.

M, JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 36|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
No. Land situated at Gunupudi (v) Bhimavaram,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhimavaram on 9-83.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisiiton of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri P. Venkataramanamurthy Raju,
Gunupudisivanarasaiah
Agraharam,
Bhimavaram-1, W. G. Dt.
(Transferor)

(2) Vijaya Enterprises,
Rep. by Sri B. Naga Venkata,
Narasimha Raja Kumar,
Managing Partner,
13th Ward Bhimavaram-1,
W. G. Dt.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated at Gunupudi village admeasuring 6.08 acres, registered by the S.R.O., Bhimavaram vide document Nos. 3111 and 3112|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. 37|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No. Land situated at Vijayarala Eluguu Tq.,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering
Officer at Eluru on 9-1983.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri M. Chandraiah and Others,
Vijayarala,
Eluru Taluk,
E. G. Dt.,
(Transferor)

(2) Shri Balija Anjanappa,
S|o Balija Narasimhappa,
C|o Director, Silk Industry,
Eluru.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 10 acres situated at Vijayarala Panchayathi registered by the S.R.O., Eluru vide document No. 5238|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
HYDERABAD (A. P.)

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. 38|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Land situated at Imkollu Parchur Tq.,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Imkollu on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Shaikh Raheem Beebi,
W|o Nasar Saheb,
Imkollu, Parchur Tq.,
Prakasham Dt
(Transferor)

(2) M|s. Vijaya Cotton Pressing & Ginning Mill,
Rep. by Sri M. Ranga Rao,
Imkollu,
Parchur Taluk,
Parkasam Dt.,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated at Inkollu admeasuring 1 acre, 1 acre, 1 acre, registered by the S.R.O., Imkollu vice document Nos. 1328, 1329 and 1331|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
HYDERABAD (A. P.)

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. Rac No. 39|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Houses situated at Dowleswaram Rajahmundry
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Rajamundry on September 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the
property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

46—116 GI|84

(1) A.P.I.I.C. Ltd.,
5-9-58|B, Fateh Maidan Road,
Hyderabad-500029.

(Transferor)

(2) H. M. M. Ltd.,
Bharat Yuvak Bhavan,
1 Jai Singh Road,
New Delhi-110001.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

5 Nos. Twin type houses admeasuring 925 sft., each situated at Dowlaishwaram Tehsil, Rajahmudry registered by the S.R.O., Rajahmundry vide document No. 5775|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Asquisition Range
HYDERABAD (A. P.)

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.
ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

RAC. No. 40|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. Land situated at Rajahmundry
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering
Officer at Rajahmundry in September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri P. M. K. Choulty,
Rep. by Sri D. Lakshmi Narayana,
Executive Officer,
Seethampeta,
Rajahmundry.
(Transferor)

(2) Prakashamnagar Co-op,
Building Society,
Rep. by President Sri D. Balarama Raju,
Prakashamnagar,
Rajahmundry.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 22-87 acres situated at Rajahmundry registered by the S.R.O., Rajahmundry vide document No. 6038|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Asquisition Range
HYDERABAD (A. P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 41|84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. House situated at Bapatla (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bapatla on September, 1983, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. N. Varalaxmi and Others,
Nidubrolu,
Ponnur Tq.,
Guntur Dt.,
(Transferor)

(2) Sri Syed Ibrahim,
S|o Syed Khader Saheb,
Islampet, Bapatla
P. O. Bapatla Tq.,
Guntur Dt.,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 15 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House propetry situated at Bapatla Guntur Dt., registered by the S.R.O., Bapatla vide document No. 2167|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Asquisition Range
Hyyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984.

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC No. 42|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and
bearing No. House situated at Ongole
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed Registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registring Officer at Ongole on September, 1983,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);;

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Sri M. Veeraswamy & Others, Kandukuru, Ongole Dt.,
(Transferor)

(2) Sri A. Suryachandra Kumari and Others, H. No. 2|17, Kurnool Road, Ongle.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 2|17 situated at Ongole registered by the S.R.O., Ongole vide document No. 3549|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Asquisition Range
HYDERABAD (A. P.)

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

RAC. No. 43/84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and
bearing No. land situated at Kolanka village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering
Officer at Kakinada on September, 1983.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following person, namely :—

(1) Dantuluri Khader Halishavalli Sadhukrishna Varma, Kolanka-533473. (Transferor)

(2) Sri Datla Ramabhadra Varma, Kolanka-533473. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 3-15 acres and 1-77 acres situated at Kolanka village registered by the S.R.O., Kakinada vide document No. 8646/83, 8647/83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Asquisition Range
- Hyderabad (A.P.).

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD ((A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

RAC. No. 44|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
House situated at Brodipet Guntur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering
Officer at Guntur on September, 1983.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Y. Venkata Sakunthalamma,
W|o Venkata Sriramulu
Brodipet,
Guntur.
(Transferor)

(2) Shri K. Venkata Bala Koteswara Rao
S|o Sri K. Sankara Rao,
Kothapeta,
Guntur.
(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 5-4-18, 12|3 Brodipet Guntur registered by the S.R.O., Guntur vide document No. 7512|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Asquisition Range
Hyderabad (A.P.).

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

RAC. No. 45|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at Kothapet Guntur (and more fully described in the Schedule annexed here to) has been transferred under the Registration Act -908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Guntur on September, 1983.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri K. Jayaramireddy & Others,
Kuglar Hospital Rd.,
Guntur.
(Transferor)

(2) Sri K. Peddanna,
S|o Gundaiah,
H. No. 12-13-24, Kothapeta,
Guntur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 12-13-24 situated at Kothapeta, Guntur registered by the S.R.O. Guntur document No. 7883|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Asquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS–

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

RAC. No. 46|84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 25-14-54 situated at Srinivasarao Thota Guntur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Guntur on 9|83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri N. Baburao, and Others, Srinivasarao Thota, Guntur. (Transferor)

(2) Sri Kalluri Venkata Reddy, S|o. Subba Reddy, D. No. 25-14-54, Srinivasarao Thota, Guntur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 25-14-54 situated at Srinivasarao Thota, Guntur registered by the S.R.O, Guntur vide document No. 7876|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Asquisition Range
Hyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 47|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing No.
20-8-73 situated at Sangadigunta, Guntur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Guntur on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act., I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :—

(1) Shrimati K. Ranganayakamma W|o Shri Laxminarayana,
R. Agraharam, Guntur.
(Transferor)

(2) Shri K. Venkata Subba Rao S|o Shri Venkatanarasaiah,
H. No. 20-8-73, Sangadigunta, Guntur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested to the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 20-8-73, Sangadigunta, Guntur registered by the S.R.O., Guntur vide document No. 7886|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984

Seal ;

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 48/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at Brodipet, Guntur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Guntur on September, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Y. Narayana Murthy, 4/13, Brodipet, Guntur. (Transferor)

(2) Smt. B. Nagalaxmi and Others, H. No. 5-48-13, Brodipet, Guntur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 5-48-13 situated at Brodipet, Guntur registered by the S.R.O., Guntur vide document No. 7667/83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A. P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 49|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House situated at Nagarampalem, Guntur
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Guntur on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri M. Satyanarayana and Others, Brodipet, Guntur.
(Transferor)

(2) Shri Majeti Venkata Rama Koti Mutyalu, Arundalpet, Guntur.
(Transferor)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX(A of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 25-11-1 at Nagarampalem, Guntur registered by the S.R.O., Guntur vide document No. 7743|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A. P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 50|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinfater referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
31-33-38 situated at Allipuram Ward, Vizag
(and more fully described in the schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Vizag on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideraiton for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay ta under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri M. A. Mannan S|o
late Shri Azeem, R|o
Gopalapatnam Naidu Quarters,
Visakhapatnam-1.
(Transferor)

(2) Shri M. Syed Kharim S|o
Shri Ali, R|o
H. No. 31-33-38, Allijuram Ward,
Visakhapatnam.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 31-33-38 at Allipuram Ward, Vizag registered by the S.R.O., Vizag vide document No. 11262|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad (A. P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 51|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Land situated at Cheruvada (v)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Penugonda on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri S. Srirama Krishna Reddy,
Peteru, Tuni Taluk, W. G. Dt.
(Transferor)

(2) Shri Polisetty Dharma Rao and Others
Ithampudi, Thanuku Taluk, W. G. Dt.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated at Cheruvada village registered by the S.R.O., Penugonda vide document Nos. 1832, 1793, 1792, 1776|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad (A. P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 52|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. 5-9-17 situated at Vizianagaram
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Vizianagaram on September, 1983
for an apparent consideration which is les than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K. Ramulu and Others,
5-9-17, Vizianagaram.
(Transferor)

(2) The Whole Sale Cloth Merchants Association,
Rep. by President
Shri N. Veerabhadraswamy,
Mahatmagandhi Road,
Vizianagaram-1.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing No. 5-9-17 situated at Vizianagaram Town registered by the S.R.O., Vizianagaram vide document No. 36251|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad (A. P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 53|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
5-1-31 situated at Pithapuram
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Pithapuram on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Sri K. Venkataramanna Murthy,
Pithapuram.
(Transferor)

(2) Sri K. Ramalingeswara Rao,
5-1-31, Pithapuram, East Godavari Dt.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 5-1-31 at Pithapuram registered by the S.R.O., Pithapuram vide document No. 2152 and 2153|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A. P.)

Date : 11-5-1984

Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 54|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.
10-34-3F situated at Kavali
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Kavali on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati V. Sujathamma W|o Shri Satyanarayana, R|o Karimnagar.
(Transferor)

(2) Shri N. Prabhakara Naidu S|o Shri Nanjappa,
D. No. 10-34-3F, Kavali Cooperative Colony, Kavali.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing No. 10-34-3F at Kavali Municipality registered by the S.R.O., Kavali vide document No. 1414|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad (A. P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 55|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,00|- and bearing No.
Land situated at Poduru
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of Registering Officer at
Achanta on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

48—116 GI|84

(1) Shri M. Veera Venkata Satyanarayana Reddy, Thavita Post, W. G. Dt.
(Transferor)

(2) Shri M. China Venkata Reddy S|o Shri Suryanarayana Reddy, R|o Thavita Post, W. G. Dt.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admensuring 4-51 acres situated at Poduru village registered by the S.R.O., Achanta vide document No. 1714|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A. P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS–

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 56/84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land situated at Bhimavaram
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bhimavaram on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati B. Satyavathi W/o Shri Chinna Krishnamurthy, R/o Vundrajavaram, Tanuku tq., W. G. Dt.
(Transferor)

(2) Shri Ramachandra Boiled & Raw Rice Mill, Contractors
Shri D. Suryanarayana Raju, Bhimavaram, W. G. Dt.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 2-54 acres situated at Bhimavaram registered by the S.R.O., Bhimavaram vide document No. 3043/83.

M. JEGAN MOHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A. P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 57|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 9-8-6 situated at Railpet, Guntur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of thte Registering Officer at Guntur on September, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such aparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. B. Ramaseetha, D|o Shri G. Thataiah Garu, R|o Railpet, Guntur.
(Transferor)

(2) Kum. Kanagala Samatha, Rep. by Father Dr. Kanagala Venkataratnam, R|o H. No. 9-8-6, Sistlavari Veedhi, Railpet, Guntur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property bearing D. No. 9-8-6 situated at Sistla Vari Veedhi Railpet, Guntur registered by the S.R.O., Guntur vide document No. 7835|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A. P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC. No. 58|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. 27-21-5 situated at Governorpet Vijayawada
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred as per deed registered
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Vijayawada on September 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to following persons, namely :—

(1) Shri S. A. Basheer Saheb,
by Sriram Sundaram Garu,
Ist Addl. Sub-ordinate Judge,
Vijayawada. (Transferor)

(2) Shaikh Budeh Saheb and
Shaikh Hussain Saheb,
27.21.5, Governorpet,
Vijayawada. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House propetry D. No. 27-21-5 at Governorpet, Vijayawada registered by the S.R.O., Vijayawada vide document No. 6081|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC 59|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 27-3-51 situated at Bhimavaram
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at Bhimavaram on September 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri K. Venkata Narasimha Raju,
S|o. Venkatramaraju,
2nd Ward,
Bhimavaram-2, W. G. Dt.,
(Transferor)

(2) Sri Chavva Surya Raju Rao,
S|o. Subba Rao,
13th Ward,
Bhimavaram-2, W. G. Dt.,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Door No. 27-3-51 situated at Bhimavaram registered by the S.R.O., Bhimavaram vide document No. 2976, 2975 and 2974|83.

M. JEGAN MOHAN
Competen Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC 60|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land situated at Bhimavaram
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bhimavaram on September 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Sri Ch. Gopala Raju and Other,
Akiveedu, W. G. Dt.,
(Transferor)

(2) Sri Ambika Raw and Par Boiled Rice Mill,
Rep. by Sri Venkateswarlu S.,
Managing, Partner,
Akiveedu, W. G. Dt.,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated at Akiveedu registered by the S.R.O., Bhimavaram vide document No. 3178|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC 61|84-85.--Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,0000|- and bearing No. Land situated at Rajahmudry (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajahmundry on September 1983

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri K. Veeraraju,
Gandhiprakasham Road,
Rajahmundry.
(Transferor)

(2) Smt. N. Seetharatnam,
W|o. Sri Nalam Appalaraju,
Innispet,
Rajahmundry.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respcetive persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated at Gandhi Prakasham Road, Rajahmundry registered by the S.R.O., Rajumundry vide document No. 5990|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC 62|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land situated at Rajahmundry
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority
at Rajahmundry on September 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. M. Anasuyamma,
Visakhapatnam.

(Transferor)

(2) Smt. Galidevara Varalaxmi Brahmaramba and Kum. G. Venkata Padmavathi,
Kothapeta, E. G. Dtd.,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated at Rajahmundry registered by the S.R.O., Rajahmundry vide document No. 5427 and 5426|83.

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th May 1984

Ref. No. RAC 63|84-85.—Whereas, I,
M. JEGAN MOHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. Land situated at Ganti Pedapudi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Kothapeta on September 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Venkateswara Sugars, Rep. by
Sri M. Vishnuvardhana
Venkata Satyanarayana Rajendra Varma,
Ganti Pedapudi, Kothapeta, E.G.Dt.,
(Transferor)

(2) Sri Bhaskara Laxmi Modern Raw & Boiled Rice Mill, Rep. by Sri M. Bhaskara Rao,
Gantipedapudi,
Kothapeta Tq., E.G. Dt.,
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 3.80 acres situated at Ganti Pedapudi, registered by the S.R.O., Kothapeta vide document No. 1498|82

M. JEGAN MOHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-5-1984

Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No.IAC|Acq-I|SR-III|9-83|1005.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Kapashere, N. Delhi.
(and more fully described in the scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
on Sept., 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Brahm Dutt,
Om Prakash,
Dharamu S|o,
Smt. Sona Devi,
Smt. Chameli,
Smt. Maya Ds|o
Smt. Dhapa, Wd|o
Balbir Singh,
Bir Singh,
Suraj Bhan,
Sri Chand,
Rishal Ss|o
Smt. Maha Dei,
Smt. Chand Kaur,
Smt. Om Vati
Ds|o Smt Har Kaur
Wd|o Jit Ram,
Amin Lal
S|o Bahadur,
Dalu S|o Udmi,
Roop Chand
S|o Ram Pershad
R|o Vill. Kapashere,
Delhi.

(Transferor)

(2) M|s Dunhill Construction (India), Pvt. Ltd.,
B. 4|4, Safdarjang Enclave,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

1|6 share in khasra No. 140 min south (1-4), 141 min south (2-8), 142 min south (1-17), 143 (2-14), 144 (2-8), 145 (2-8), 139 min (6-7), in all 13 bighas and 16 biswas, in village Kapashere, Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, New Delhi.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq-I|SR-III|9-83|1006.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Kapashera, N. Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred
under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at New Delhi on Sept., 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the propetry as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partles has been truly stated in the said intrument of transfer with the object of :&

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of thi snotice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Brahm Dutt,
Om Parkash alias Dharmu
S|o Balbir Singh,
Bir Singh,
Smt. Sona Devi,
Smt. Chemeli,
Smt. Maya Ds|o
Balbir Singh alias Bir Singh,
Smt. Dhapa W|o
Late Balbir Singh
and Bir Singh,
Suraj Bhan,
Sri Chand,
Rishal Ss|o Jit Ram
Smt. Maha Dei,
Smt. Chand Kaur,
Smt. Om Vati Ds|o Jit Ram
Smt. Har Kaur
Wd|o Jit Ram,
Amin Lal
S|o Bahadur,
Dalu S|o Udmi,
Deep Chand S|o
Ram Pershad all
R|o Vill. Kapashera,
Teh. Meh.,
New Delhi.

(Transferor)

(2) M|s Rising Properties Pvt. Ltd.,
B. 4|4, Safdarjang Enclave,
N. Delhi through
its Director V. C. Gupta

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1|6 share agr. land mg. 17 bighas and 11 biswas, khasrā Nos. 130|2 (4-4), 131 (5-6), 134 (4-16), 138|1 (3-0), 139 min (0-3), vill. Kapashera, Teh., N. Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, New Delhi.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref No. IAC|Acq-I|SR-III|9-83|1007.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Agr. land situated Vill. Kapashere, N. Delhi.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer
at on Sept., 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cen of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Brahm Dutt,
Om Parkash alias Dharmu
Ss|o Balbir Singh,
Bir Singh,
Smt. Sona Devi,
Smt. Chameli,
Smt. Maya
Ds|o Balbir Singh alias Bir Singh,
Smt. Dhapa Wd|o
Balbir Singh
Bir Singh,
Suraj Bhan,
Sri Chand,
Rishal S|o Jit Ram,
Smt. Maha Dei,
W|o Jit Ram
Chand Kaur
Om Vati Ds|o Jit Ram,
Har Kaur
Wd|o Jit Ram
Amin Lal
S|o Bahadur,
Dalu S|o Udmi,
Deep Chand S|o
Ram Pershad all
R|o Vill. Kapashera,
New Delhi.

(Transferor)

(2) M|s Sarvodya Builders (Pvt.) Ltd.,
B-4|4, Safdarjang Enclave,
New Delhi through its
Director V. C. Gupta.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning is given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1|6 share in agr. land 14 bighas and 18 bighas, khasra Nos. 132 (4-3), 133 (4-16), 140 min North (2-8), 142 min North (1-8), 139 min (0-7), vill. Kapashera, Teh. Meh. New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner Income-tax
Acquisition Range-I, New Delhi.

Date : 14-5-1984

Seal :

FORM I.T.N.S

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq-I|SR-III|9-83|1008.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Kapasera, N. Delhi.
(and more fully described in the schedule annexted hereto) has been transferred nder the Registeration Act, 1908 (16 of 1908 in the Office of the registering Officer
at New Delhi on Sept., 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jai Narain,
Raghbir Singh,
Yad Ram alias Lala alias
Balbir S|o Pirbhu,
Smt. Maya W|o Jag Ram,
Bakhtawar Ram Sarup
S|o Maha Singh,
Smt. Bhagwati W|o Rati Ram,
Ram Kishan S|o Maha Singh
R|o vill. Kapashera,
N. Delhi.
(Transferor)

(2) M|s Rising Properties (P) Ltd.,
B-4|4, Safdarjang Enclave,
New Delhi through its
Director V. C. Gupta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

11|72 share in kh. Nos. 138|2 (4-4), 131 (5-8), 134 (4-16) 138|1 (2-8), 139 min (0-3), in all 17 bighas 11 biswas, vill. Kapashera, N. Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, New Delhi.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1009.—Whereas, I SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Kapashera, N. Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at N. Delhi on Sept., 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Jai Narain,
Raghbir Singh,
Yad Ram alias Lala,
Balbir,
ss|o Pirbhu,
Smt. Maya Vidya
w|o Jag Ram,
Mohar Singh,
Ram Mohar
Ram Narain
ss|o Lal Singh,
Rameshwar
s|o Dalip Bakhtawar,
Ram Sarup
ss|o Maha Singh,
Smt. Bhagwati
wd|o Rati Ram,
Ram Kishan
s|o Maha Singh,
r|o Vill. Kapashera,
New Delhi.

(Transferor)

(2) M|s Dunhill Construction (India) Pvt. Ltd.,
B-4|4, Safdarjang Enclave,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

5|24 share in Kh. No. 140 min south (1-14), 141 min south (2-C), 142 min south (1-17), 143(2-14), 144(2-8), 145(2-C), 139 min (0-7), in all 13 bighas and 16 biswas, in village Kapashera, N. Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1010.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Kapashera, N. Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
N. Delhi on Sept., 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value cof the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Jai Narain,
Raghbir Singh,
Yad Ram alias Lala,
Balbir,
ss|o Pirbhu,
Smt. Maya
w|o Jag Ram,
Ram Mohar
s|o Lal Singh
for self and as a general attorney of
Mohar Singh,
Ram Narain
s|o Lal Singh,
Rameshwar
s|o Dalip Bakhtawar,
Ram Sarup
ss|o Maha Singh,
Smt. Bhagwati
wd|o Rati Ram,
Ram Kishan
s|o Maha Singh,
r|o Vill. Kapashera,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M|s Sarvodaya Builders Pvt. Ltd.,
B-4|4, Safdarjang Enclave,
New Delhi,
through its Director
V. C. Gupta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

5|24 share in agr. land mg. 14 bighas and 18 biswas, khasra Nos. 132(4-3), 133(4-16) 140 min (North) (2 bighas 4 biswas) 141 min north (2-8), 142 min north(1-0), 139 min(0-7), village Kapashera, Teh. Meh., N. Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1011.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Agr. land situated at Vill. Kapashera, N. Delhi

(and more fully described in the eScheduule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of Registering Officer at

N. Delhi on Sept., 83

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Hari Singh,
Tara Chand,
Amin Chand
ss|o Moti,
Smt. Sumitra
d|o Bhagwan Sahai,
Ram Mehar
s|o Lal Singh
for self and Gen. Attorney of
Mohar Singh,
Ram Narain
s|o Lal Singh,
Rameshwar
s|o Dalip,
r|o Vill. Kapashera,
N. Delhi.

(Transferor)

(2) M|s Rising Properties (P) Ltd.,
B-4|4, Safdarjang Enclave,
New Delhi,
through its Director
V. C. Gupta.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

25|144 share in agr. land mg. 17 bighas and 11 biswas khasra Nos. 130|2(4-4), 13(5-6), 134(4-16), 138|1(3-C), 139 min(0-3), vill. Kapashera, Teh. Meh., N. Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE I
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1012.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Kapashera, N. Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at N. Delhi on Sept., 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initaite proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Hari Singh,
Tara Chand,
Amin Chand
s|o Moti,
r|o village Kapashera,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M|s Sarvodya Builders Pvt. Ltd.,
B-4|4, Safdarjang Enclave,
New Delhi,
through its Director
V. C. Gupta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein and are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given to this Chapter.

THE SCHEDULE

1|12 share in agr. land mg. 14 binghas and 18 biswas, khasra Nos. 132(4-3), 133(4-16), 140 min north(2-4), 141 min north (2-8), 142 min north(1-C), 139 min(0-7), village Kapashera, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1013.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Kapashera, N. Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at N. Delhi on Sept., 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Hari Singh,
Tara Chand,
Amin Chand
ss|o Moti,
r|o village Kapashera,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M|s Dunhill Construction (India) Pvt. Ltd.,
B-4|4, Safdarjang Enclave,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1-12 shore in kh. No. 140 min (South) (1-14), 141 min south (2-6) 142 min souh (1-7), 143 (2-14), 144 (2-8), 145 1|6 share in kh. No. 140 min south (1-14), 141 min south (2-8), 142 min south (1-17), 143 (2-14), 144, (2-8), 145

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,

NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1014.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Agr. land situated at Vill. Kapashera, N. Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

N. Delhi on Sept., 83

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, of the following persons, namely :—

(1) Jag Ram
Ram Chand @ Jhuttar
ss|o Yad Ram,
Shee Nath,
Sultan
ss|o Umrao,
Manohar Lal,
Lala Ram Dhan,
Ram Niwas
ss|o Ram Pat,
Ude Ram,
Chandgi
ss|o Imrat,
all r|o Vill. Kapashera,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M|s Dunhill Construction (India) Pvt. Ltd.,
B-4|4, Safdarjang Enclave,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1|6 share in kh. No. 140 min south (1-14), 141 min south (2-8), 142 min south (1-17), 143 (2-14), 144, (2-8), 145 (2-8), 139 min (0-7), in all 13 bighas and 16 biswas village Kapashera, Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
G-13 GROUND FLOOR C R BUILDING, I. P. ESTATE,
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1015.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Kapashera, N. Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
N. Delhi on Sept., 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Jag Ram
Ram Chand alias Jhuttar
ss|o Yad Ram,
Sheo Nath,
Sultan
ss|o Umrao,
Manohar Lal,
Lala, Ram Dhan,
Ram Niwas
ss|o Ram Pat,
Ude Ram,
Chandgi
ss|o Imrat,
r|o Vill. Kapashera,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M|s Rising Properties (P) Ltd.,
B-4|4, Safdarjang Enclave,
New Delhi,
through its Director
V. C. Gupta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1|6 share in agr. land mg. 17 bighas and 11 biswas, khasra Nos. 130|2(4-4), 131(5-8), 134(4-16), 138|1(3-0), 139 min(0-3), village Kapashera, Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
G-13 GROUND FLOOR C R BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1016.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the competent authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Kapashera, N. Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
N. Delhi on Sept., 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of tranafer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Jag Ram
Ram Chand alias Jhuttar
ss|o Yad Ram,
Sheo Nath,
Sultan
ss|o Umrao,
Manohar Lal,
Lala, Ram Dhan,
Ram Niwas
ss|o Ram Pat,
Ude Ram,
Chandgi
ss|o Imrat,
all r|o Vill. Kapashera,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M|s Sarvodaya Builders Pvt. Ltd.,
B-4|4, Safdarjang Enclave,
New Delhi,
through its Director
V. C. Gupta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1|6 share in agr. land mg. 14 bighas & 18 biswas, whasra Nos. 132(4-3), 133(4-16), 140 min north (2-4), 141 min north (2-8), 142 min north (1-8), 139 min (0-7), vill. Kapashera, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
G-13 GROUND FLOOR C R BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1017.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Kapashera, N. Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at
N. Delhi on Sept., 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability **of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;** and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any **moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shankar
s|o Zaharia,
Chandro
wd|o Sirya
Chet Ram
s|o Hukmi,
r|o Village Kapashera,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M|s Rising Properties (P) Ltd.,
B-4|4, Safdarjang Enclave,
New Delhi,
through its Director
V. C. Gupta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, **shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

1|6 share in land mg. 17 bighas 11 biswas, kh. Nos. 130|2(4-4), 131(5-8), 134(4-16), 138|1(3-0) 139 min (0.3), vill Kapashera, Teh., Meh., N. Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
G-13 GROUND FLOOR C R BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I(SR-III|9-83|1018.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being, the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Agr: land situated at Vill. Kapashera, N. Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at N. Delhi on Sept., 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shankar
s|o Zaharia,
Chandro
wd|o Sirya
Shri Chet Ram
s|o Hukmi,
r|o Village Kapashera,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M|s Dunhill Construction (India) Pvt. Ltd.,
B-4|4, Safdarjang Enclave,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1|6 share in kh. No. 140 min south (1-14), 141 min south (2-8), 142 min south (1-17), 143 (2-14), 144 (2-8), 145 (2-8), 139 min (0-7), in all 13 bighas and 16 biswas in village Kapashera, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI.

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1019.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Agricultural land situated at
Village Kapashera, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under Registration Act, 1908
16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
New Delhi on September, 1983
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Shanker s|o Zaharia,
Mrs. Chandro wd|o Sirya,
Shri Chet Ram s|o Hukmi,
R|o Village Kapashera,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M|s. Sarvodaya Builders (P) Ltd.,
B-4|4, Safdarjang Enclave,
New Delhi,
Through its Director V. C. Gupta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1|6 share in agricultural land mg. 14 bighas and 18 biswas, khasra Nos. 132(4-3), 133(4-16), 140 min north (2-4), 141 min north (2-8), 142 min north (1-0), 139 min north (2-8), 142 min north (1-8), 139 min (0-7), village Kapashera, Teh. Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE-I,
G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING, I. P. ESTATE,
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1020.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Agricultural land situated at
Village Kapashere, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
New Delhi on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

New, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

51—116 GI/84

(1) S|Shri Rai Singh, Sardar Singh, Roshan Lal, Hira Lal, Jagmal Singh s|o Bhagwan Sahai and Smt. Sumitra d|o Bhagwan Sahai,
R|o Village Kapashere, Teh. Mehrauli,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M|s. Dunhill Construction,
(India) Pvt Ltd.
B-4|4, Safdarjang Enclave,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

5|24 share in agricultural land mg. 13 bighas and 16 biswas, khasra No. 140 min south (1-14), 141 min south (2-0), 142 min south (1-17), 143(2-4), 144(2-8), 145(2-8), 139 min (0-7) village Kapashere, Teh. Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/9-83/1021.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Agricultural land situated at
Village Kapashere, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at New Delhi on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, of the following persons, namely :—

(1) S/Shri Rai Singh, Sardar Singh, Roshan Lal, Hira Lal, Jagmal Singh s/o Bhagwan Sahai
R/o Village Kapashere,
New Delhi. (Transferee)

(2) M/s. Rising Properties (P) Ltd.,
B-4/4, Safdarjang Enclave,
New Delhi.
Through its Director V. C. Gupta. (Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

25/144 share in khasra Nos. 130/2(4-4), 131(5-0), 134 (4-16), 138/1(3-0), 139 min (0-3), Total 17 bighas and 11 biswas, village Kapashera, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4/14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1022.—Whereas, I SUDHIR CHANDRA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Agricultural land situated at
Village Kapashere, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment or any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (22 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) S|Shri Rai Singh, Sardar Singh, Roshan Lal, Jagmal Singh s|o Smt. Sumitra
D|o Bhagwan Sahai
R|o Village Kapashera,
Delhi.
(Transferor)

(2) M|s. Sarvodya Builders (P) Ltd.,
B-4|4, Safdarjang Enclave,
New Delhi-29 through its director
V. C. Gupta.
(Tarnsferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

5|24 share in agricultural land mg. 14 bighas and 18 biswas, khasra Nos. 132(4-3), 133(4-16), 140 min north (2-4), 141 min north (2-8), 142 min north (1-0), 139 min (0-7), village Kapashera, Teh. Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road.
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI.

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1028.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Shop No. 39, situated at
Defence Colony, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Joginder Kaur, Mukund Kaur, Dev Raj Kaur,
Shop. No. 39, Defence Colony Market,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Dharam Paul Sharma
S|o B. D. Sharma,
Smt. Shyama Sharma
W|o D. P. Sharma and
Sudhir Sharma
S|o D. P. Sharma,
R|o A-66, Defence Colony,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 39, Defence Colony Market, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1035.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the
immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Agricultural land situated at
Village Aya Nagar, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at
on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market valuue of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income on any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lal Chand, Har Saroop ss|o Nain Singh,
Shri Giani, Sis Ram, Hans Ram ss|o Late Mannu,
Shri Charan Singh, Prem Chand ss|o Beg Ram,
R|o Village Aya Nagar,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M|s. Navrang Commercial Co. (P) Ltd.,
219, Chitranjan Avenue,
Calcutta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land mg. 5 bighas and 3 biswas, khasra Nos. 451|2-(1-4), 459(2-8), 1623(1-11), vill. Aya Nagar, N. Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI.

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1036.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.

Agricultural land situated at
Village Aya Nagar, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on September, 1983

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lal Chand, Har Saroop ss|o Nain Singh, Shri Giani, Sis Ram, Hans Ram ss|o Late Mannu, Shri Charan Singh, Prem Chand ss|o Beg Ram R|o Village Aya Nagar, New Delhi.
(Transferor)

(2) M|s. Navrang Commercial Co. (P) Ltd., 219, Chitranjan Avenue, Calcutta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning is given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land khasra No. 460(2-8), 1550|1 (1-10½) 1624 (01 19½), 1618|2(0-17), vill. Aya Nagar, Teh. Meh., N. Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Aggarwal House,
4|14A Asaf Alyi Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1037.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
Agricultural land situated at Village Aya Nagar, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer, New Delhi in September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S|Shri Lal Chand, Har Saroop ss|o Nain Singh, S|Shri Giani, Sis Ram, Hans Ram ss|o Late Mannu, S|Shri Charan Singh, Prem Chand ss|o Beg Ram R|o Village Aya Nagar, New Delhi.

(Transferor)

(2) M|s. Navrang Commercial Co. (P) Ltd., 219, Chitranjan Avenue, Calcutta.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given at that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land khasra No. 1551 (2-8), 1552|1 (0-19), 1572 (0-14), 1571|1 (0-10), 1619 (0-12), village Aya Nagar, Teh. Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I.
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI.

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1038.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
Agricultural land situated at
Village Aya Nagar, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi in September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent considerations and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S|Shri Lal Chand, Har Saroop ss|o Nain Singh, S|Shri Giani, S|s Ram, Hans Ram ss|o Late Mannu, S|Shri Charan Singh, Prem Chand ss|o Beg Ram R|o Village Aya Nagar, New Delhi. (Transferor)

(2) M|s. Navrang Commercial Co. (P) Ltd., 219, Chitranjan Avenue, Calcutta. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons,

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land khasra No. 1621 (1-7½), 1627 (1-7½), 1628 (0-15), village Aya Nagar, Teh. Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road.
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,

G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING, I. P. ESTATE,

NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1039.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Agricultural land situated at
Village Aya Nagar, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi in September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

52—116 GI|84

(1) S|Shri Lal Chand, Har Saroop ss|o Nain Singh,
S|Shri Giani, Sis Ram, Hans Ram ss|o Late Mannu,
S|Shri Charan Singh, Prem Chand ss|o Beg Ram
R|o Village Aya Nagar,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M|s. Navrang Commercial Co. (P) Ltd.,
219, Chitranjan Avenue,
Calcutta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural khasra No. 1622 (2-4½), 1625 (0-15), 1626 (2-5½), village Aya Nagar, Teh. Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1044.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
B-IV|129, situated at Dayanand Colony,
Lajpat Nagar, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on September, 1983
for an apparent consideration whcih is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 if 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Saroj Kumari
W|o Shri Satpaul Kumar
B-IV|129, Dayanand Colony,
Lajpat Nagar, New Delhi
Through her attorney
Shri Ashok Kumar s|o Shri Amar Nath
R|o H-1|7, Lajpat Nagar,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Amar Nath
S|o Shri Hari Chand
R|o H-1|7, Lajpat Nagar.
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. B-IV|129, mg. 100 sq. yards, Dayanand Colony, Lajpat Nagar, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1053.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Agricultural land situated at
Village Dera Mandi, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
New Delhi in September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Deya s|o Lal Singh,
R|o Dera Mandi,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M|s. Gupta & Co.,
A-6, Green Park,
New Delhi.
Through Muni Ram.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land mg. 4 bighas and 10 biswas Mustatil No. 44, Killa No. 23, Village Dera Mandi, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspectin Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984

Seal :

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI
New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC/Acq.1/SR-III/9-83/1054.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Agricultural land situated at
Village Dera Mandi, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at
New Delhi on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid nexceeds the apparent consideratio therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrumen of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ram Deva s/o Lal Singh
R/o Dera Mandi,
New Delhi.
(Tarnsferor)

(2) M/s. Gupta & Co.,
A-6, Green Park,
New Delhi.
Through Muni Ram.
(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given at that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land mg. 4 bighas and 6 biswas Mustatil No. 44, Killa No. 24, Village Dera Mandi, Teh. Meh., New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4/14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING, I. P. ESTATE,
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-II|9-83|1056.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
C-47, situated at Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under the registeration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at
New Delhi in September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and
I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Roshan Lal Malhotra
Karta of Shri Roshan Lal Malhotra HUF,
B-24, Kailash Colony,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri R. K. Bhatia and
Shri Sunil Bhatia,
W-41, Greater Kailash-I,
Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1|2 undivided share in property No. C-47, Greater Kailash-I, New Delhi mg. 300 sq. yards with first and second floor terraces.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1058.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No.
Agricultural land situated at
Village Dera Mandi New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
New Delhi on September, 1983

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration or such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Rikh s|o Ram Saran
R|o Dera Mandi,
New Delhi.
(Transferor)

(2) M|s. Gupta & Co.,
A-6, Green Park,
New Delhi.
through Muni Ram.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land mg. 4 bighas and 10 biswas, M. No. 76, Killa No. 24 (1-8), M. No. 86, Killa No. 7(3-2), village Dera Mandi, Teh. Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Aggarwal House,
4|14A Asaf Ali Road,
New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR, C R BUILDING,
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.|SR-III|9-83|1059.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Agr. Land situated at Vill. Dera Mandi, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
New Delhi on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been ruly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Rikh S|o Ram Saran
R|o Dera Mandi, New Delhi.
(Transferor)

(2) Gupta & Co., A-6, Green Park,
New Delhi through Muni Ram.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land Mustatil No. 86, Killa No. 4 (4—16), Village Dera Mandi, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR, C R BUILDING,
J. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1075.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Agr. land situated at Vill. Tughlakabad, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on September, 1983

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Madan Lal Mittal S|o Shri Shibu Ram Mittal R|o 19|6, Kalkajee, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Jagdev Singh S|o Sh. Hari Chand R|o E-15-B, East of Kailash, New Delhi and Om Parkash S|o Sh. Saroop Singh R|o B|46 Friends Colony, New Dehi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of **45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land mg. 10 bighas khasra No. 1771|1639, situated in Tughlakabad, Teh. Meh., New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR, C R BUILDING.
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1076.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. Agr. land situated at Vill. Tughlakabad, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
New Delhi on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagdish Parshad S|o Sh. Kishori Lal R|o F.F. 19|Laxmi Nagar, Illaqqa Shakarpur, Delhi.
(Transferor),

(2) Shri Jagdev Singh S|o Sh. Hari Chand R|o E|15, B. East of Kailash, New Delhi and Om Parkash S|o Sh. Saroop Singh R|o B|46, Friends Colony, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

10 bigha agricultural land Khasra No. 1771|1639, situated in Tughlakabad, Teh. Meh., New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR, C R BUILDING,
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1083.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Gadaipur, New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Tulsi Ram S|o Surjan R|o Vill. Gadaipur, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ram Gopal Saraf, Director of Jeevan Vihar Properties (P) Ltd., 53, Chowrangee Road, Calcutta-16.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land mg. 3 bighas and 4 biswas, out of 5|33 share in Khasra No. 69, 70|1, 70|2, 71, 72, 73, 92 93 94 and 95 106 and 134 at Village Gadaipur, Teh. Meh., New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR, C R BUILDING,
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1084.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Gadaipur, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at New Delhi on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Narain Singh S|o Sultan Singh R|o Vill. Gadaipur, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ram Gopal Saraf, Director of Jeevan Vihar Properties (P) Ltd., 53, Chowrangee Road, Calcutta-16.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land mg. 1 bighas and 9 biswas out of 29|138, share in Khasra Nos. 41 105 107 108 109 131 128 130 225 236|1 236|2, Village Gadaipur, Teh. Meh., New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR, C R BUILDING,
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1085.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Gadaipur, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer
at New Delhi on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Devak Ram S|o Surjan R|o Village Gadaipur, New Delhi.
(Transferor)

(2) M|s Himdoot Merchantile Pvt. Ltd.
265, Samal Dass Gandhi Marg,
Princen Street, Bombay.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land mg. 4 bighas and 16 biswas khasra No. 69 78|1, 93, 70|2, 71, 72, 73, 92, 94, 95, 106 and 134, vill. Gadaipur, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR, C R BUILDING,
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1086.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Gadaipur, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Krishan Kumar S|o Sultan Singh, Tulsi Ram S|o Surajan ,Rattan Singh S|o Surjan,
Vill. Gadaipur, New Delhi.
(Transferor).

(2) Himdoot Mercantile (P) Ltd., 265, Samal Dass Gandhi Marg, Prineen Street, Bombay.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land mg. 4 bighas and 7 biswas out of 87|138 share in khasra No. 41, 105, 107, 109, 131, 108, 128, 129, 130, 225, 236|1, 236|2, village Gadaipur, Teh. Meh., New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR, C R BUILDING,
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1087.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Gadaipur, New Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred,
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at New Delhi on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Devak Ram S|o Surajan R|o Vill. Gadaipur, New Delhi.
(Transferor)

(2) Himdoot Mercantile Private Ltd., 265, Samal Dass Gandhi Marg, Princen Street, Bombay-2.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall havt the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land mg. 3 bighas and 4 biswas out of 5|33 share in khasra Nos. 69, 70, 70|1, 70|2, 71, 72, 73, 92, 93, 94, 95, 106, 134 and land mg. 1 bigha and 9 biswas out of 29|138th share in khasra Nos. 41, 105, 107, 108, 109, 131, 128, 129, 130, 225, 236|1, 236|2 vill. Gadaipur, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR, C R BUILDING,
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. JAC|Acq.I|SR-III|9-83|1088.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agr. land situated at Vill. Gadaipur, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on September, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Krishan Kumar S|o Sultan Singh, Vill. Gadaipur, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ram Gopal Saraf, Director of Jeevan Vihar, Properties (P) Ltd., 53, Chowrangee Road, Calcutta-16.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land mg. 3 bighas and 4 biswas out of 5|33 share in Khasra No. 69, 70|1, 70|2, 71, 72, 73, 92, 93, 94, 95, 106, 134 village Gadaipur, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR, C R BUILDING,
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1089.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Gadaipur, New Delhi,
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at New Delhi on September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Ratan Singh S|o Surjan
R|o Village Gadaipur, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ram Gopal Saraf Director of Jeevan Vihar, Properties (P) Ltd., 53, Chowrangee Road, Calcutta-16.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land mg. 3 bighas and 4 biswas out of 5|33 share in Khasra Nos. 69, 70|1, 70|2, 71, 72, 73, 92, 93, 94, 95, 106 and 134 village Gadaipur Teh. Meh., New Delhi .

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR, C R BUILDING,
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.1|SR-III|9-83|1090.—Whereas, I SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- an dbearing
No. Agr. land situated at Vill. Gadaipur, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer
at New Delhi on September 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

54—116GI|84

(1) Shri Narain Singh S|o Sultan Singh
R|o Gadaipur, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ram Gopal Saraf, Director of Jeevan Vihar, Properties (P) Ltd., 53, Chowrangee Road, Calcutta-16.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land mg. 3 bighas and 4 biswas out of 5|33, share in Khasra Nos. 69, 70|1, 70|2, 71, 72, 73, 92, 93, 94, 95, 106 and 134 at village Gadaipur, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR, C R BUILDING,
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1099.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Samalka, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer
at New Delhi on September 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagram Singh S|o Harpal, Girwar Singh adopted S|o Ram Saroop, Niraj Kumar S|o Attar Singh R|o Vill. Samalka, New Delhi.
(Transferor)

((2) Shri Paramjit Kaur W|o S. Swarn Singh R|o I-10 Pratap Nagar, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1|2 share in agr. land mg. 11 bigha and 16 biswas, Mustatil No 9, Kila No. 12 (4—16), 2|2 (2—8), 9(4—12), Village Samalka, Teh. Meh., New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984

Seal :

FORM I.T.N.S

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR, C R BUILDING,
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1100.—Whereas I. SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
No. Agr. land situated at Vill. Samalka, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer
at New Delhi on September 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apperent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagram Singh S|o Haral, Girwar Singh S|o Ram Saroop and Niraj Kumar S|o Attar Singh R|o Vill. Samalka, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Des Raj Gupta S|o Late Prem Chand R|o 41A, Rajpur Road, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1|2 share in agr. land 11 bighas and 16 biswas, Mustatil No. 9, Kila No. 12 (4—16), 2|2 (2—8), 9 (4—12), Vill. Samalka, Teh. Meh. New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR, C R BUILDING,
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1101.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the said Act)
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. No. Agr. land situated at Vill. Samalka, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
New Delhi on September 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagram Singh S|o Harpal Singh, Ishwar Singh S|o Harpal Singh, Niraj Kumar S|o Attar Singh, Ram Narain S|o Ram Lal, Rohtas S|o Ram Kishan Girwar Singh adopted son of Ram Saroop all R|o Vill. Samalka, Teh. Meh. New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Anneta Gupta W|o Shri Des Raj Gupta R|o 41-A, Rajpur Road, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land 8 bighas and 12 biswas, Killa No. 11 (4—16), 20|1 (3—16), Vill. Samalka, Teh Meh New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMSSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR, C R BUILDING,
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.I|SR-III|9-83|1102.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Dera Mandi, New Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at New Delhi on September 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Vijay Julka S|o R. C. Julka R|o D-111, Panchsheel Enclave, New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Anita Singh W|o Sukhbir Singh, Mr. Rakesh Kapur S|o P. D. Kapur and Mr. Daljit Singh S|o Sube Singh R|o 351, DDA Flat, Ranjit Nagar, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1|2 share in agr. land mg. 6 bighas and 11 biswas, M. No. 107 killa No. 4|1 (2—8), 7 (4—3), vill. Dera Mandi, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq I|SR-III|9-83|1103.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Agr. land situated at Vill. Dera Mandi, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
on September 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Vijay Julka s|o R. C. Julka r|o D-111, Panchsheel Enclave, New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Anita Singh w|o Sukhbir Singh, Mr. Rakesh Kapur s|o P. D. Kapur and Mr. Daljit Singh s|o Sube Singh, r|o 351, DDA Flats, Ranjit Nagar, New Delhi.
(Transferee)

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1|2 share in agr. land mg. 6 bighas and 11 biswas, M. No. 107, killa No. 4|1 (2-8), 7(4-3), vill. Dera Mandi, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984

Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I

NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq. 1|SR-III|9-83|1104.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Agr. land situated at Vill. Dera Mandi, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in September 1983,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dinesh Ajmera s|o Sh. B. L. Ajmera r|o K-18, Jangpura Extn., New Delhi
(Transferor)

(2) Mrs. Anita Singh w|o Sukhbir Singh Rakesh Kapur s|o P. D. Kapur and Daljit Singh s|o Sube Singh r|o 351, DDA Flats, Ranjit Nagar, New Delhi
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1|2 share in agr. land mg. 6 bighas and 4 biswas, M. No. 107, Killa No. 3(4-16), 8|1(1-8), Vill. Dera Mandi, Teh Meh., New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I

NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC/Acq 1/SR-III/9-83/1105.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Dera Mandi, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer, New Delhi in September 1983,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dinesh Ajmera s/o Sh. B. L. Ajmera r/o K-18, Jangpura Extn., N.D.
(Transferor)

(2) Mrs. Anita Singh w/o Sukhbir Singh Rakesh Kapur s/o P. D. Kapur and Daljit Singh s/o Sube Singh r/o 351,DDA Flats, Ranjit Nagar, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share in agr. land mg. 6 bighas and 4 biswas, M. No. 107, Killa No. 3(4-16), 8/1(1-8), village Dera Mandi, Teh. Meh, N.D.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I

NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq I|SR-III|9-83|1110.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Dera Mandi, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer, New Delhi in September 1983,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Daya Dhaon s|o B. K. Dhaon r|o S-125, Panchsheel Park, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ravi Kapur s|o B. K. Kapur r|o R-489, New Rajinder Nagar, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land mg. 2 bighas and 11 biswas, M. No. 56 Killa No. 20, Village Dera Mandi, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq I|SR-III|9-83|1111.—Whereas, I. SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Dera Mandi New Delhi
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 in the office of the Registering Officer at New Delhi on September 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Daya Dhaon s|o S. K. Dhaon r|o S-125, Panchshcel Park, New Delhi.
(Transferor)

(2) Rajan Bhatia s|o Dr. Dipal Bhatia r|o 2-A, Sagar Apartment, 6-Tilak Marg, New Delhi
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein and are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land mg. 2 bighas and 3 biswas, M. No. 56, Killa No. 11, Village Dera Mandi, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commission of Income-Tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq I|SR-IU|9-83|1115.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Portion of F. Floor of S-368, situated at G. K. II, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in September 1983,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s Shahpuri Estates (P) Ltd., 5170, WEA, Karol Bagh, New Delhi.
(Transferor)

(2) Mrs. Harject Chowdhary w|o Major General R. S. Chowdhary, Army Headquarters, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Portion of first floor of House No. S-368, Greater Kailash-II, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I

NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq I|SR-III|9-83|1120.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Satbari, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer, New Delhi in September 1983,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section(1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Radhey Mohan Gupta s|o Shiv Charan Dass s|o 1-Goela Lane, Underhill Road, Civil Lines, Delhi, Karta of Radhey Mohan Gupta (HUF)
(Transferor)

(2) Smt. Geeta Devi w|o Trilok Chand Gupta r|o D-19, Hauz Khas, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land mg. 2 bighas and 18 biswas, Khasra No. 674 min village Satbari, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq I|SR-III-9-83|1121.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Agr. land situated at Vill. Satbari, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer, New Delhi in September 1983,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to any tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Radhey Mohan Gupta s|o Shiv Charan Dass r|o 1-Goela Lane, Underhill Road, Civil Lines, Delhi, Karta of Radhey Mohan Gupta (HUF)
(Transferor)

(2) Smt. Geeta Devi w|o Trilok Chand Gupta r|o D-19, Hauz Khas, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land mg. 2 bighas and 2 biswas, Khasra No. 672 min village Satbari, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq 1|SR-III|9-83|1122.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and
No. Agr. land situated at Vill. Satbari, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on September 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of an yincome or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Radhey Mohan Gupta s|o Shiv Charan Dass r|o 1-Goela Lane, Underhill Road, Civil Lines, Delhi, Karta of Radhey Mohan Gupta (HUF)
(Transferor)

(2) Smt. Geeta Devi w|o Trilok Chand Gupta r|o D-19, Hauz Khas, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr land mg. 2 bighas and 18 biswas, Khasra No. 672 min village Satbari New Delhi

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE-I NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq I|SR-III|9-83|1126.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Agr. land situated at Vill. Dera Mandi, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi
in September 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hargulal and Har Chand s|o Shri Het Ram r|o Dera Mandi, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Ashok Kumar s|o Gurbaksh Lal c|o Shri Bhupinder Singh Gadaipur New Delhi and Varinder Paul d|o S. Gian Singh r|o J-10|4, Gobind Colony, Rajpura (Punjab).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land mg. 5 bighas and 5 biswas, M. No. 38, Killa No. 1 and 2 Village Dera Mandi, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Delhi|New Delhi

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, G-13, GROUND FLOOR CR BUILDING, I.P. ESTATE, NEW DELHI.

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq.-I|SR-III|9-83|1127.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|-
and bearing
Agr. land situated at Village Dera Mandi, N. Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
on Sept., 83
for apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than
fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Hargulal and Har Chand s|o Het Ram, r|o Dera Mandi, New Delhi.
(Transferor)

(2) Ashok Kumar s|o Gurbaksh Lal c|o Bhupinder Singh Gadaipur, New Delhi and Varinder Paul d|o S. Gian Singh r|o J-10|4, Gobind Colony, Rajpura (Punjab).
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in the Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agr. land 12 bighas and 7 biswas, M. No. 38, Killa No. 8(4-16), 9(3-11), 10 min (0-3), 13|1(3-11), 14 min (0-6), Village Dera Mandi, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi.

Date : 14-5-1984.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq I|SR-III|9-83|1130.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinatfer referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Agr. land situated at Vill. Aya Nagar, N. Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer, New Delhi in September 1983,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apprent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been duly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the following aforesaid property by the issue of this notice under sub-persons, namely :—

56—116GI|84

(1) S|Shri Hari Chand, Ram Kishan, Sukh Ram and Ram Pal ss|o Jhuttar r|o Aya Nagar, N. Delhi.

(Transferor)

(2) M|s Navrang Commercial Co. (P) Ltd., 219, Chitranjan Avenues, Calcutta

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2|3rd share in agr. land khasra Nos. 1801(4-16), 1802|2 (2-10), 1820|2(2-18), Total 10 bighas 4 biswas situated in village Aya Nagar, N. Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTINGASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
NEW DELHI

New Delhi, the 14th May 1984

Ref. No. IAC|Acq I|SR-III|9-83|1107.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- bearing No.
197 situated at Jangpura Road, N. Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registeriing Officer, New Delhi in September 1983,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Sectiion 269C of the said Act, I hereby initiiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S|Shri Sarup Singh, Amar Singh, Karan Singh and Jai Singh through Sh. Harpal Singh all r|o Village Shahbad Mohd. Pur, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Sohan Dei Jain r|o House No. 40, Bhogal Road, Jangpura, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storey House bearing MCD No. 27, built on a lease hold plot No. 497, mg. 267 sq. yds. part of khasra No. 725 Khewat No. 1, Khatuni No. 473, situated at Jangpura Road, Bhogal, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM NOo. I.T.N.S

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
NEW DELHI

New Delhi, the 26th March 1984

Ref. No. IAC|Acq I|SR-III|10-83|1149.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Agricultural land situated at
Plot No. S-225 situated at G. K. II, N. Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer, New Delhi in October, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. B. K. Kapur s|o Sh. Chuni Lal
138-Canning Street, Calcutta.
(Transferor)

(2) Smt. Chander Kanta w|o Sh. Ashok Kumar,
G-80, Panchsheel Enclave, N. Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. S-225, Greater Kailash-II, New Delhi mg. 300 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi.

Date : 26-3-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
NEW DELHI

New Delhi, the 27th March 1984

Rtf. No. IAC|Acq I|SR-III|10-83|1137.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
Plot No. S-22 situated at |G. K. II, N. Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer, New Delhi in October, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Satbir Singh s|o Attar Singh and Smt. Manjit Kaur w|o Attar Singh
r|o E-16, Model Town, N. Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Anil Kumar Sehgal s|o M. R. Sehgal and Smt. Swarna Sehgal w|o M. R. Sehgal
r|o D-289, Defence Colony, N. Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. S-22, Greater Kailash-II, N. Delhi mg. 300 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Delhi/New Delhi.

Date : 27-3-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-I|37EE|941|83-84.—Whereas, I A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Part of Flat No. 8, Navyug Niketan 185, Walkeshwar Road situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred
and the Agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at Bombay on 8-9-1983
for an apparent consideration which is less than
the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Mandakini Bharat Shah. (Transferor)

(2) Smt. Champaben Jaysukhlal Unadkat. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of Flat No. 8, Navyug Nigetan, 185, Kalkeshwar Road, Bombay-6. The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under Serial No. AR-I|892| 83-84, dated 8-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay.

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS–

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 11th May y1984

Ref. No. AR.-I|37EE|955|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. 7, Bldg. No. 179, 1st floor, New Kailash Bhavan Co-op.Housing Society Ltd., Sion East, Bombay-22
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred
and the agreement is registered under section 269AB of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 13-9-1984
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Smt. Hardevi Hassanand Vasandani. (Transferor)

(2) Smt. Chandra Parshottamdas Bhatia. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 7, Building No. 179 1st floor, New Kailash Bhavan Co-op. Hsg. Society Ltd., Sion East, Bombay-22.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|965|83-84 dated 13-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Bombay.

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-I|37EE|872|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Block No. 3A, Ground floor, Chandar Nivas Co-op. Hsg Soc. Ltd., Plot No. 186, situated at Chandar Nivas, Sion East, Bombay-22
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and the agreement is registered under section 269AB of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 7-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri A Subramanian. (Transferor)

(2) Shri Bhupendra M Gandhi. (Transferee)

(3) Transferee. (Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block No. 3A, Ground floor, Chandar Nivas Co-op. Housing Soc. Ltd., Plot No. 186, Chandar Nivas, Sion East, Bombay-22.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|759|83-84 dated 7-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-I|37EE|1049|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Flat No. D|3, 3rd floor, 64-D, Ganga Vihar Apartments, V. N. Purav Marg, Chunabhatti, Sion, Bombay-22
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and the agreement is registered under section 269AB of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 1-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri J. M. Thakkar. (Transferor)

(2) Mrs. Geetanjali Hemantkumar Gurav. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. D|3, 3rd floor, Ganga Vihar Apartments, V. N. Purav Marg, Chunabhatti, Sion, Bombay-22.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|Deemed. 18|83-84 dated 1-10-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay.

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1951 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

Bombay, the 9th May 1984

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-I/37EE/925/83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
(Gala No. 314, Kaliandas Udyog Bhavan, Plot No. 1082, Century Bazar, Worli, Bombay-400 025
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and the agreement is registered under section 269AB of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 7-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of th esaid Act, to the following persons, namely :—

(1) ORWO Limited. (Transferor)

(2) Mrs. Pratibha Ashok Sanghavi. (Transferee)

(3) ORWO Limited. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Gala No. 314, Kaliandas Udyog Bhavan, Plot No. 1082, Century Bazar, Worli, Bombay-400 026.

The Agreement registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I/757/83-84, dated 7-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay.

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
BOMBAY

Bombay, the 10th May 1984

Ref. No. AR-I|37EE|717|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and
bearing No. Flat No. 8 on 3rd floor in Building 'Radhakann' Road No. 4, Sion East, Plot No. 66, Bombay
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering
Officer at Bombay on 7-9-1983 .
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|. Radha Builders
(Transferor)

(2) Mr. Virendra Jagjivan Bhojani
Mrs. Deepali Virendra Bhojani
(Transferee)

Obections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 8 on 3rd floor in Building 'Radhakann' Road No. 4, Sion East, Bombay.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|87|83-84 dated 7-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition (ange-I, Bombay.

Date : 10-5-1984.
Seal ;

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
BOMBAY

Bombay, the 10th May 1984

Ref. No. AR-I|37EE|873|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 3 & 4, 1st floor, Avanti Apartments, a Wing, Flank Road, Sion, Bombay-22.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering
Officer at Bombay on 2-9-1983.
for an apparent consideration which is les than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been o which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs, Annapurna Narayan Rao,
Mr. B. Shivram Rao,

(Transferor)

(2) Mr. Ramesh Bhagwandas Dhoot,
2. Mrs. Laxmi Ramesh Dhoot,
3. Mr. Girish Ramesh Dhoot.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 3 & 4, 1st floor, Avanti Apartments, A Wing Flank Road, Sion, Bombay-32.
The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|798|83-84, dated 2-9-83

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Bombay

Date : 10-5-1984.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay the 11th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|2959|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. A-21, 2nd floor Manali Buldg. No. 1, Plot Nos. 48, 49, & 50 Valnai Village, Malad (West), Bombay-400 064 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Competent Authority at Bombay on 2-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating, the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s Manali Corporation
(Transferor)

(2) Smt. Aparna Harish Vinekar
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. A-21, 2nd floor Manali Bldg. No. 1 Plot Nos. 48, 49 & 50, Valnai Village, Malad (West), Bombay-400 064
The agreement has been registered with the competent Authority Bombay Vide Serial No. AR-III|37EE|1261|83-84 Dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Bombay

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|2945|83-84.—Whereas, I,
A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Shop No. 1, Ground floor Man-sarover Shopping Centre, Govind Nagar, Road, and S. V. Road, Malad (West), Bombay-400 064.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 2-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Haridevi Naraindas Tilokani (Transferor)

(2) M|s. Anjana Builders. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Shop No. 1 Ground floor Man-sarover Shopping Centre, Govind Nagar, Road, and S. V. Road, Malad, Bombay-400-064.
The Agreement has been registered by the Competent Authority Bombay Vide Serial No. AR-III|37EE|1249|83-84 Dated 2-9-1983

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Bombay

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 10th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|2900|83-84.—Whereas, I,
A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 113, Nav Sudhir Co-op. Hsg. Society Ltd. L. T. Road No. 6, M. G. Road, Goregaon (W), Bombay, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Bombay on 2-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) A. B. Chubal
(Transferor)

(2) Ameeta to Anil Tehang.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 113, Nav Sudhir Co-op. Hsg. Society Ltd. L. t. Road No. 6, M. G. Road, Goregaon l(W) Bombay.
The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR-III|1238|83-84 dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Bombay

Date : 10-5-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 10th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 12, 'A' Wing first Neelima Apartment, Jangal Mangal Road, Bhandup, Bombay-73
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908)
in the Office of the Competent Authority
at Bombay on 2-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ganesh Builders. (Transferor)

(2) M|s. Delux Shipping Agency (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 12 'A' Wing, first floor Neelima Apartment, Jangal Mangal Road, Bhandup, Bombay-78.
The Agreement has been registered by the Competent Authority vide serial No. AR-II|37EE|1219|83-84 dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bombay

Date : 10-5-1984.
Seal ;

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-III,
BOMBAY

Bombay, the 10th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|2899|83-84.—Whereas, I,
A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing No.
Flat No. A|11, C. T. S. No. 693 to 99 of village Kole Kalyan Vakola, Bombay-55
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-Tax Act 1961, in the office of the Competent Authority
at Bombay on 2-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Gold Coin Builders (Transferor)

(2) Mr. P. Bhaskar Shetty (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. A|11, C.T.S. No. 693 to 699, Village Kole Kalyan Vakola, Bombay-55.

Authority, Bombay vide serial No. AR-III|3|EE|1237|83-84 Dated 2-9-1983 .

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bombay

Date : 10-5-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|3050|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

Flat No. 41, 'A' Wing, 4th floor Neelima Apartment "S.P.S. Marg, Bhandup, Bombay-400 078.

(and morefully described in the schedule annexed hereto) ha sbeen transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at

Bombay on 2-9-1983,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

58—116GI|84

(1) M|s. Ganesh Builders (Transferor)

(2) Shri Kannangath N. Bhaskaran (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 41, 'A' Wing, 4th floor Neelima Apartment, S. P. S. Marg, Bhandup, Bombay-400 078.

The Agreement has been registered by the Competent Autuhority Bombay Vide Serial No. AR-III|37EE|1267||83-84. Dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Bombay

Date : 11-5-1984

Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III,
BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|3049|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority made Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act"), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. 43, 'B' Wing, 4th floor Neelima Apartment, Bhandup, Bombay-78, situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961, in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 2-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of tranafer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Ganesh Builders
(Transferor)

(2) Shri Manjayya C. Shetty.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 43, 'B' Wing, 4th floor "Neelima Apartment S.P.S. Marg, Bhandup, Bombay-400 078.

The Agreement has been registered by the Competent Authority Bombay Vide Serial No. AR-III|37EE|1266|83-84 Dated 2-9-1983

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Bombay

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-III/37EE/2903/83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Office No. 27, 2nd floor agreed to be transferred in Dattani Chamber, Plot No. 625, 625-1 and 625-9, S. V. Road, Malad situated at Bombay (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961, in the Office of the Competent Authority at Bombay on 2-9-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration hereto by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Nalini V. K. Koticha (Transferor)

(2) Shri Sitaram Bhawsinghka (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Office No. 27, 2nd floor agreed to be transferred in Dattani Chamber, Plot No. 625, 625-1 and 625-9, S. V. Road, Malad, Bombay-400 064.

The Agreement has been registered with the Competent Authority Bombay vide serial No. AR-III/37EE/12.41/83-84 Dated 2-9-1983 .

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bombay

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-III/37EE/2906/83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that
the immovable property having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 6, Bldg. No. 6-C, Nityanand Baug, Co-op. Housing Society Ltd. situated at Mahul Road, Chembur, Bombay-400 074
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961, in the Office of the Competent Authority
at Bombay on 2-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under said act in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely: —

(1) Shri Venkatesh K. Rao. (Transferor)

(2) Smt. Nankibai Naraindas Motwani. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6, Bldg. No. 6-C, Nityanand Baug, Co-operative Housing Society Ltd. Mahul Road, Chembur, Bombay-400 074.

The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay Vide serial No. AR III/37EE/1244/83-84, Date 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMSSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 10th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|2894|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Unit No. 1, Ground fl. Doulat Udyog Bhavan, Wadhvani Village, Off. Dr. Choithram Gidwani Road, Chembur situated at Bombay-74 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-taxAct,1961 in the Office of the Competent Authority at Bombay on 2-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. William Castallino. (Transferor)

(2) Mr. Omprakash and Smt. Meenakashi Vaid (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Unit No. 1 Ground fll. Doulat Udyog Bhavan, Wadhwani Village, Off. Dr. Choithram Gidwani Road Chembur, Bombay. 74.

The agreement has been registered with the Competent Authority, vide serial No. AR,III|37EE|1232|83-84, dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 10-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|2951|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. K-1|6, Manisha Purti Co-Op. Hsg. Society, Shashtri Nagar, Goregaon (W), situated at Bombay (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Competent Authority at Bombay on 2-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parites has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(1) Shri Vishnudutt Devidutt Jallan. (Transferor)

(2) Shri Subtramanian Balakrishanan. (Transferee)

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

K-1|6, Manisha Purti Co-op. Hsg. Society. Shastri Nagar, Goregoan (W), Bombay.

The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay Vide serial No. AR III|37EE|1275|83-84, dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR.III|37EE|3051|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. 34, 3rd fl. "Deo Apartments" C.T.S. No. 3957, Hissa No. 1 'D' Kole Kalyan Village, Vakola Pipe Line, Santacruz East situated at Bombay-400 055

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Competent Authority

at Bombay on 2-9-1983

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Narendra Shantaram Sawamy. (Transferor)

(2) Mr. Pandurang K. Bhat. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX-C of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 34, 3rd fl. "Deo Apartments" C.T.S. No. 3957 Hissa No. 1 'D', Kole Kalyan Village, Vakola Pipe Lane, Santacruz East, Bombay-400 055.

The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay Vide serial No. AR III|37EE|1268|83-84, dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|2904|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Flat No. 903, Building 'K', Plot No. 12 & 13, S. V. Road Malad (W), situated at Bombay-400 064. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at Bombay on 2-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ramesh Tarachand Jadwani. (Transferor)

(2) Mrs. Neetsha W|O Manohar Ahuja. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 903, Building 'K', Plot No. 12 & 13, S. V. Road, Malad (W), Bombay-400 064.
The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay Vide serial No. AR III|37EE|1242|83-84. dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 10th May 1984

Ref. No. AR-III/37EE/2891/83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Shop No. 4, Padmashree Co-op. Hsg. Soct. Ltd. Mahatma Gandhi Road, Mulund (West), situated at Bombay-400 080 (and more fully described in the Schedule annexed herto),

has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority

at Bombay on 2-9-1983

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

59—116GI/84

(1) Smt. Damyantiben Hansraj Thakker. (Transferor)

(2) Shri Jamnadas Purshottam Rojivedia. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as gives in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 4, Padmashree Co-op. Soct. Ltd. Mahatma Gandhi Road, Mulund (West), Bombay-400 080.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR.III/1229/83-84, dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 10-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 10th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|2874|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,0000|- and bearing

Flat No. 5, 2nd fl. Neelkant Palace, Plot No. 157, Garodia Nagar Ghatkopar East, Bombay-400 077

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

at Bombay on 2-9-1983

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, the following persons, namely :—

(1) M|s Bhavshwar Builders. (Transferor)

(2) Shri R. E. S. Shah and Mrs. P. R. Shah. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 5, 2nd fl. Neelkant Palace, Plot No. 157 Carodia Nagar, Ghatkopar East, Bombay-400 077.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay vide serial No. AR.III|37EE|1215|83-84, dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 10-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-III/37EE/2944/83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 503, 5th fl. Man Sarovar, Govindnagar & S. V. Road, Malad (West), situated at Bombay-400 064
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority
at Bombay on 2-9-1984
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, of the following persons, namely :—

(1) Shri Prakash Moolchand Bhatija. (Transferor)

(2) Shri Sheokumar Tulsian. (Transferee)

(3) Transferee. (Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 503, 5th fl. Man Sarovar, Govindnagar & S. V. Road, Malad (West), Bombay-400 064.
The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay Vide serial No. AR III/37EE/1246/83-84, dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|2950|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Gala No. 133, 1st fl. Paras I.E.P. Coop. Hsg. Society Ltd. Ramchandra Lane, Extn., Malad (W), Bombay-64
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority
at Bombay on 2-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Nurudin Alibhai Bhanwadia. (Transferor)

(2) Shri Narotambhai B. Prajapati. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Gala No. 133, 1st fl. Paras I.E.P. Co-op. Hsg. Society Ltd., Ramchandra Lane Extn. Malad (W), Bombay-64.
The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay Vide serial No. AR III|37EE|1253|83-84, dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 10th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|2875|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing No.
D-217, Agra Road, Ind. Premises Co.op. Society Ltd., Ghatkopar, situated at Bombay-86
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority
at Bombay on 2-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value o fhte property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more has fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. A. B. Shah (Transferor)

(2) M|s Lugand Kintwor (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

D-217, Agra Road, Ind. Premises Co.op Society Ltd. Ghatkopar, Bombay-86,
The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay Vide serial No. AR.III|37EE|1216|83-84, dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 10-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-III/37EE/3052/83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 44, 4th fl. "Deo Apartments Kole Kalan Village, Vakola Pipe Line, Santacruz, (E), Bombay-400 055
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and the agreement is registered under section 269AB of the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office
of the Registering Officer at
Bombay on 2-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Narendra Shantaram Sawamy. (Transferor)

(2) Mr. Govind P. Bhat. (Transferee)

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 44, 4th fl. "Deo Apartment, Kale Kalyan Village, Vakola Pipe Lane, Santacruz (E), Bombay-400 055.
The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay Vide serial No. AR III/37EE/1269/83-84, dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 11-5-1984.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 10th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|2883|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
Flat No. 1 Shital Dham Ground floor, Ghatkopar (East),
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority
at Bombay
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. K. M. Vasudevan. (Transferor)

(2) Mr. K. Damodar Menon. (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1, Shital Dham Gorund fl. Ghatkopar (East), The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay vide serial No. AR|III|3E7E|21221|83-84, dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 10-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|3046|83-84.—
Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
Flat No. 3, 1st floor, Wing C, Bldg. No. 4, Damodar Park L.B.S. Marg, Ghatkopar (West) Bombay-86
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 2nd September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Parul Enterprise. (Transferor)

(2) Smt. Saida Hamid Mulla. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 3, first fl. Wing C, Bldg. No. 4, Damodar Park, L. B. S. Marg, Ghatkopar (West), Bombay-86.
The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay Vide serial No. AR-III|37EE|2983|83-84 dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 11-5-1983
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 10th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|2871|83-84.—
Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the
immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
207-B, Shakuntala Co-op. Hsg. Society, 75, Pestom Sagar, Chembur situated at Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 2nd September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of he liability or the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

60—116GI|84

(1) Mrs. Hemlata R. Padhye. (Transferor)

(2) Mrs. Neelima Thakoor. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

207-B, Shakuntala Co-op. Hsg. Society, 75, Peston Sagar, Chembur, Bombay.
The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay Vide serial No. AR-III|37EE|1209|83-84 dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 10-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 10th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|2877|83-84.—
Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. 12, Kamlesh Bhuvan, Society Ltd., 4th Road situated at Chembur, Bombay-71
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 2nd September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri V. J. Naik. (Transferor)

(2) Mrs. R. J. Doshi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 12, Kamlesh Bhuvan, Society Ltd., 4th Road, Chembur, Bombay-71.
The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay Vide serial No. AR-III|37EE|2210|83-84 dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 10-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 10th May 1984

Ref: No. AR-III|37EE|2879|83-84.—
Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Block No. 23, 2nd fl., Satyakam Apartment, Sarojini Naidu Road, Mulund situated at Bombay-80
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 2nd September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of hte liabilitly of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kirtikant Ratilal Jobalia. (Transferor)

(2) Shri Kirtikumar Bhikhalal Shah. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block No. 23, 2nd fl., Satyakam Apartment, Sarojini Naidu Road, Mulund, Bombay-80.
The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay Vide Serial No. AR-III|37EE|1218|83-84 dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 10-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|3047|83-84.—
Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market vlaue exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. B-1|T, Jeevan Naiya Co-op. Housing Socy. Ltd., Behind Telephone Exchange, Chembur, situated at Bombay-71.
(and morefully described in the schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 2nd September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Lajwanti Ladharam Dhirwani. (Transferor)

(2) Shri Mohanlal Roopchand Parmar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B-1|5, Jeevan Naiya Co-operative Housing Society, Ltd., Behind, Telephone Exchange, Chembur, Bombay-71.
The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay Vide Serial No. AR-III|37EE|1264|83-84 dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|3082|83-84.—
Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 2500|- and bearing
Flat No. 54, 'B' Wing, 5th fl. Neelima Apartment, Jangal Mangal Road, Bhandup, situated at Bombay-400 078
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 2nd September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Ganesh Builders. (Transferor)

(2) Shri Pushparaj Farnande. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 54, 'B' Wing, 5th fl., Neelima Apartment, Jangal Mangal Road, Bhandup, Bombay-400 078.
The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay Vide Serial No. AR-III|37EE|1278|83-84 dated 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III, Bombay

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III
BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-III|37EE|3080|83-84.—Whereas, I,
A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000- and bearing
Flat No. 64, 'A' Wing, 6th floor, Neelima Apartment,
Jungal Mangal Road, Bhandup, Bombay-400 078
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 2-9-1983
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Seal :

(1) M|s. Ganesh Builders.

(Transferor)

(2) Shri B. M. Uchil.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 64, 'A' Wing 6th floor, Neelima Apartment, Jungal Mangal Road, Bhandup, Bombay-400 078.
The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay vide serial No. AR-III|37EE|1276|83-84 dt. 2-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax
Acquisition Range-III
Bombay

Date : 11-5-1984

Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-I|37EE|937|83-84.—Whereas, I,
A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Flat No. 1302, Building No. 43 MIG Adarsh Nagar,
Worli, Bombay-400 025
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 8-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. P. V. Warier.
(Transferor)

(2) Mrs. Ramaben Rajesh Malde.
(Transferee)

(3) Transferor.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1302, Building No. 43 MIG, Adarsh Nagar Worli, Bombay-400 025.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|898|83-84 dated 8-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax
Acquisition Range-I
Bombay

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR-I|37EE|965|83-84.—Whereas, I,
A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
Unit No. 19, Floor No. II, The Enterprises Co-op. Premises Society Ltd., Prabhadevi Industrial Estate, Veer Sawarkar Marg, Bombay-25.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 15-9-1984
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Uma Vidyut Industries. (Transferor)

(2) M|s. Indchem Electronics Ltd. (Transferee)

(3) Transferee. (Person in occupation of the property)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 19, Floor No. II, The Enterprises Co-op. Premises Society Ltd., Prabhadevi Industrial Estate, Veer Sawarkar Marg, Bombay-25.

The agreement has been registered with the Competent Authority Bombay under Serial No. AR-I969|83-84 dated 15-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax
Acquisition Range-I
Bombay

Date : 14-5-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR-I|37EE|1015|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. 7, 1st floor, Jagat Prakash Co-op. Hsg. Society, Opp. Auxillium Girls High School, Behind Katrak Road, Wadala, Bombay-31
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 20-9-1984
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Pankaj S Shangvi. (Transferor)

(2) Mrs. Gunvanti S Shah
Gunvanti V. Sanghvi. (Transferee)

(3) Transferor. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 7 on 1st floor in Jagat Prakash Co-op. Hsg. Society, Opp. Auxillium Girls High School, Behind Katrak Road, Wadala, Bombay-31.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|981|83-84 dated 29-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax
Acquisition Range-I
Bombay

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-I|37EE|1059|83-84.—Whereas, I,
A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Tenement No. 1428, Building No. D|56, 2nd floor, MIG Colony, Adarshnagar, Worli, Bombay-25
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income Tax Act 1961 in the Office of the Competent Authority Bombay on 26-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Mahendra Kumar
alias M. K. L. Chandra.
(Transferor)

(2) 1. Mr. Kanaiyalal H Kothari,
2. Mrs. Kalpana K Kothari.
(Transferee)

(3) Transferor.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Tenement No. 1428, Building No. D|56, 2nd floor, MIG Colony, Adarshnagar, Worli, Bombay-25.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|1048|83-84 dated 26-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax
Acquisition Range-I
Bombay

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-I|37EE|599|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 38 in building known as 'FIRDAUS' 10 Motlibai Street, Bombay-11 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at Bombay on 7-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mohamed Hussain Jan Mohamed Rajani. (Transferor)

(2) Arinjal Karvantavalapil Harris. (Transferee)

(3) Transferee. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 38 in Building known as 'FIRDAUS', 10 Motlibai Street, Bombay-11.

The agreement has been registered with the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|7770|83-84 dated 7-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax
Acquisition Range-I
Bombay

Date : 11-5-1984

Seal :

FORM NO. I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-I|37EE|961|83-84.—Whereas, I,
A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Flat No. 14, Sagarkunj, 78 Nepeansea Road
situated at
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 13-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1, of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Sardaben S Shah &
Mr. Yogesh S Shah
(Transferor)

(2) M|s Bhandari Metal Corporation
(Transferee)

(3) Partners of Bhandari Metal Corpn.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 14, Sagarkunj, 78, Nepeansea Road, Bombay-400 006. The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay, under Serial No. ACQN. RANGE-1|967|83-84, dated 13-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR-I|37EE|931|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Flat No. 20A in 'Akash Ganga', New Akash Ganga Co-op. Housing Society Ltd., 89, Bhulabhai Desai Road Bombay-26
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority
at Bombay on 8-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any incom eor any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s General Papers Traders (Transferor)

(2) Capt. Karam Vir Hora and Sushma K Hora (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 20A in 'Akash Ganga', New Akash Ganga Co-op. Housing Soc. Ltd., 89, Bhulabhai Desai Road, Bombay-400 026.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|917|83-84, dated 8-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay

Date : 14-5-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
BOMBAY

Bombay, the 9th May 1984

Ref. No. AR-I/37EE/1053/83-84.—Whereas, I,
A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. Flat No. 5, 2nd floor, Petropolis, Colaba, Bombay-400 005
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority
at Bombay on 5-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any **moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269C of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Qamrunisa S. A. Hussain
(Transferor)

(2) Mr. Prem Sawhney &
Mrs. Smeeta Sawhney
(Transferee)

(3) Transferees
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 5, 2nd floor, Petropolis, Colaba, Bombay-400 005.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I/720/83-84, dated 5-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay

Date : 9-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR-I/37EE/920/83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 901 on 9th floor, 'Sri Ramakrishna Sadan' Plot No. 63, Scheme No. 52, Off Worli Hill, Near Paockhanwala Road, Worli, Bombay-400 018 (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at Bombay on 8-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shree Laxmi Construction Co. (Transferor)

(2) Smt. Shakuntala Shamlal Chhabria (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 901 on 9th floor, 'Sri Ramakrishna Sadan' Plot No. 63, Scheme No. 52, Off Worli Hill, Near Pochkhanwala Road, Worli, Bombay-18.

The Agreement has been registered by the Competent Authority Bombay under Serial No. AR-I/915/83-84 dated 8-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay

Date 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR-I|37EE|566|83-84.—Whereas, I,
A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
No. Room No. 211, 2nd floor Bombay Market, Tardeo Main Road, Bombay-34.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority
at Bombay on 23-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Saya Manohar Khandke
Mr. Manohar K Khandke
(Transferor)

(2) Mrs. Nargisbanii Yusufali Mukadam
(Transferee)

(3) M|s Beautees
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Room No. 211, 2nd floor, Bombay Market, Tardeo Main Road, Bombay-400 034.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|873|83-84 dated 23-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay

Date : 14-5-1984

Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT ,1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
BOMBAY

Bombay, the 11th May 1984

Ref. No. AR-I|37EE|4947|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. C.S. No. 221 of Fort Division admeasuring 291.17 sq. mts. at shahid Bhagat Singh Road, Opp. Old Custom House (and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Bombay on 9-9-1983
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ismail Mohamedally Kanga (Transferor)

(2) M|s Rajgir Builders (Transferee)

(3) Tenants (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. BOM. 995|79 and registered on 9-9-1983 with the Sub-registrar. Bombay.

A, LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay

Date : 11-5-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR.-I|37EE|1016|83-84.—Whereas, I,
A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the income-ta Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Flat No. 502, 'Sri Ramkrishna Sadan' plot No. 63 Scheme No. 52 Of Worli Hill, Near Sir Pochkhanwalla Road, Worli, Bombay-18
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bombay on 7-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Laxmi Construction Company. (Transferor)

(2) The Voltas Limited. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 502, 'Sri Ramkrishna Sadan Plot No. 63, Scheme No. 52, Off Worli Hill, Near Sir Pochkhanwalla Road, Worli, Bombay-18.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|754|83-84, dated 7-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay.

Date : 14-5-1984

Seal :

FORM ITNS–

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR.-I|37EE|1017|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Flat No. 501 and one Car park in a building known as 'Sri Krishna Sadan' Plot No. 63, Scheme No. 52, Off Worli Hill, Near Sir Pochkhanwalla Road, Worli, Bombay-18.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 7-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Laxmi Construction Co. (Transferor)

(2) Voltas Limited. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 501 & One Car Park in a building known as 'Sri Ramkrishna Sadan' Plot No. 63, Scheme No. 52, Worli Hill, Near Sir Pochkhanwalla Road, Worli Bombay-18.
The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.-I|755|83-84 dated 7-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR.-I|37EE|919|83-84.—Whereas, I,
A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Flat No. 702, 7th floor, 'Sri Ramakrishna Sadan' Plot No. 63, Scheme No. 52, Off Worli Hill, Near Pochkhanwala Road, Worli, Bombay-18.
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 108 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 8-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely-:—

(1) Shri Laxmi Construction Co. (Transferor)

(2) Shri Lalitkumar Saboo,
Shri Adityakumar Saboo. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 702, 7th floor, 'Sri Ramakrishna Sadan' Plot 63, Scheme No. 52, Off Worli Hill, Near Pochkanwala Road, Worli, Bombay-18.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.-I|914|83-84 dated 8-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR.-I.37EE|918|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. 701, 7th floor, 'Sri Ramakrishna Sadan' Plot No. 63, Scheme No. 52, Off Worli Hill, Near Pochkhanwala Road, Worli, Bombay-18.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 8-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Laxmi Construction Co.
(Transferor)

(2) Smt. Bhagyawatidevi Banoo,
Master Amitkumar Sahoo (Minor).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 701, 7th floor, 'Sri Ramakrishna Sadan' Plot No. 63, Scheme No. 52, Off Worli Hill, Near Pochkhanwala Road, Worli, Bombay-18.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|913|83-84 dt. 8-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR.-I|37EE|649|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Room No. 28, 5th floor, Tardeo Air-Conditioned Market, Bombay-400 034.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Bombay on 7-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. K. T. Hemrajani.
(Transferor)

(2) Shri C. P. Asher, HUF.
(Transferee)

(3) Transferee
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA or the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Room No. 28, 5th floor, Tardeo Air-conditioned Market, Bombay-400 034.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.-I|771|83-84 dated 7-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR-1|37EE|910|83-84.—Whereas, I, A. LAHIRI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Flat No. 6B, 6th floor, New Akash Ganga Building, 89, Bhulabhai Desai Road, Bombay-400 036 (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 5-9-1983. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of ought to be disclosed by the transferee for the 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Capt. K. V. Hora & Mrs. Sushma Hora, Meridian Inflatables Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) Mrs. Abida Akberalley Rajan. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette, or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6-B, 6th floor, New Akash Ganga Building, 89, Bhulabhai Desai Road, Bombay-36.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.-I|880|83-84, dated 5-9-1983.

A. LAHIRI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR.II|37EE|6496|83-84.—Whereas, I,
S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
No. Shop No. 5 on the ground floor in Varsova Gayatri Co-op. Hsg. Society Ltd. Ambovali Village, Varsova Scheme No. III, J. P. Road, Andheri (West), Bombay.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bombay on 9-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforsaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not ben truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Shaikh Mohammed Ismail,
Mr. Baji Zahid Hussain.
(Transferor)

(2) Mrs. Zaitoonbi Bashir Ahmed Shaikh &
Mr. Bashir Ahmed Mehboob Shaikh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 5 on the ground floor in Varsova Gayatri Co-op. Housing Society Ltd. Ambavali Village Varsova Scheme No. III, J. P. Road, Andheri (West), Bombay-400 058.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-II|37EE|6496|83-84 dated 9-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT ,1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR. II|37EE|6585|83-84 Whereas, I. S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Flat No. 01A|Plot No. 60 & 67, Raman Wada, Sahar Village, Andheri (East), Bombay-400 063.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of the Competent Authority at Bombay on 15-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly vstated in the staid instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Nav Bahar Builders. (Transferor)

(2) Smt. Marie Therese D'Souza. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 01A|Plot No. 60 & 61, Raman Wada, Shar Village, Andheri (East), Bombay-400 063.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.II|37FE|6585|83-84 dated 15-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI,
Competent Authority
Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay.

Date : 10-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 30th April 1984

Ref. No. AR.II|37EE|3361.84-84.—Whereas, I,
S. H. ABBAS ABIDI.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Flat No. 101 with Car parking space 'Avanti' Bldg. 1st floor, Central Avenue, Santacruz (West), Bombay-400 054. (and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of the Competent Authority at
Bombay on 1-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ashok N. Vazir. (Transferor)

(2) Rahul Dev Burman. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 101, with Car parking space 'Avanti' Building 1st floor, Central Avenue, Santacruz (West), Bombay-40054.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.II|37EE|3361|83-84 dated 1-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 30-4-1984.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR.II|37FE|6520|83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. Flat No. 101, 1st floor, 'Himachal' Bldg. Juhu Lane, Andheri (West), Bombay-58.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of the Competent Authority at
Bombay, on 2-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kokila Gunvantbhai Patel. (Transferor)

(2) Shri Bharat Jetsey Kurwa. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 101, 1st floor of 'Himachal' Building, Juhu Lane, Andheri (West), Bombay 400 058.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II|37FE|6520|83-84 dated 9-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay.

Date : 14-5-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR.II/37EE/3509/83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Property situated at Plot No. 89, CTS No. 1656 Corner of Zig-Zag & Pali Danda Road, Bandra, Bombay-400 050 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of the Competent Authority at Bombay on 26-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Bachoo Pheroze Billimoria. (Transferor)

(2) Mr. Roshanali Fidahusein Patel & Mrs. Batul Roshanali Patel. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 302, 3rd Floor, Kenwood Co-operative Housing Soc. Ltd. situated at Plot No. 89, C.T.S. No. 1656, Corner of Zig-Zag and Pali Danda Road, Bandra, Bombay-400 050.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.II/37EE/3509/83-84 dated 26-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax,
Acquisition Range-II Bombay.

Date : 14 5 1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR.II|37EE|6523|83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Versova Gautam Apartment Co-op. Housing Society, Block A, Flat No. 23, 5th Floor, J. P. Road, Versova, Andheri (West), Bombay-400 058.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Bombay on 9th September, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Jyoti Vilas Potnis.
(Transferor)

(2) Mr. K. Sasidharan Pillai.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Versova Gautam Apartment Co-op. Housing Society Block A, Flat No. 23 5th floor, J. P. Rd., Versova, Andheri (West), Bombay 400 058.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR II|37EE|6523|83-84 dated 9-9-1983

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE II, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR. II|37EE|6815|83-84.—Whereas,
I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Flat No. 3 (pt) and 4. Ground floor, Ankur,
Building, TPS II Dadabhoy Road No. 2, Andheri (W),
Bombay.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of
the Competent Authority at
Bombay on 26-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or,

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ahiya & Associates.
(Transferor)

(2) Milind Laxman Nulkar & Rajeev Netra L. Nulkar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 3 & Part of Flat No. 4 Ground floor, Ankur Building, TPS II Dadabhoy Road No. 2, Andheri (W) Bombay.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II|37EE|6815|83-84 dated 26-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay.

Date : 14-5-1984

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR-II|37EE|273|83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Unit No. 27, Madhuben Industrial Estate, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Bombay-400 093. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Regitering Officer at Bombay on 5-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bakul Ramniklal Sheth. (Transferor)

(2) Mrs. Neelakshi P. Bekal. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPRESSIONS :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 27, Madhuben Industrial Estate, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Bombay 400 093.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR II|37EE|7273|83-84 dated 5-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Bombay.

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR. II/37EE/6517/83-84.- Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. 1, B-Wing, 1st floor, in the building known as Minoo Mihar at Veera Desai Road, Andheri (W), Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 13-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Minoo Mihir (Transferor)

(2) Mr. Raju R. Bhandari. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1, B Wing, 1st floor, in the building known as Minoo Mihar at Veera Desai Road, Andheri (W), Bombay.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II/37EE 6517/83-84 dated 13-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II
BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR. II|37EE|3363|83-84.—Whereas, I,
S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
No. Flat No. 1 Ground floor Minoo Apartment Nanda Patkar Road, Vile Parle (E) Bombay 56,
(and more fully described in the Schedule annexed
hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 1-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s Minoo Construction Co. (Transferors)

(2) Mr. Nayan Kumar Kundanlal Sheth (Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1, Ground floor 'Minoo Apartment' Nanda Patkar Road, Vile Parle (E) Bombay-56.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II|37EE|3363|83-84 dated 1-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II BOMBAY

Bombay, the 30th April 1984

Ref. No. AR. II|37EE|3412|83-84. Whereas, I,
S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Residential Flat No. 6, Nandanvan Ansari Road, Vile Parle (West) Bombay 400 056.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at Bombay on 12-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Manherlal T. Shah
Shri Vikram M. Shah
(Transferor)

(2) Shri Jayantilal Raoji Amin and
Smt. Uirmati J. Amin
(Transferee)

(3) Transferee.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

6, Nandanvan, Ansari Road, Vile Parle (West) Bombay-400 056.

The agreement has been registered by the Competent Authority Bombay under Serial No. AR. II|37EE|3412|83-84 dated 12-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 30-4-1984.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR. II|37EE|6829|83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Lila Apartments, Shop No. 2, Opp. Gulmohar Garden Yari Road, Versova, Andheri (West), Bombay (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at Bombay on 30-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transftr as agreed to between the partles has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to tht following persons, namely :—

(1) M|s. Asian Construction Co. (Transferor)

(2) S. Bazlullah Jelani (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lilla Apartments, Shop No. 2, Opp. Gulmohar Garden Yari Road, Versova Andheri (West), Bombay.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II|37EE|6829|83-84 dated 30-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 14-5-1984

Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
BOMBAY

Bombay, the 7th May 1984

Ref. No. AR. II|37EE|3452|83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Flat No. 1, 2nd Floor, building known as 'Minoo Apartment' Nanda Patkar Road, Vile Parle (East), Bombay-56,
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at
Bombay on 23-9-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s Minoo Construction Co. (Transferor)

(2) Shri Ramanlal Shivlal Dave (Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1 & 2nd floor, in the building known as 'Minoo Apartment' Nanda Patkar Rd., Vile Parle (East) Bombay-56

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II|37EE|3452|83-84 dated 23-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 7-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II

BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR. II|37EE|6599|83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Industrial Shed No. 148, Shiv Shakti Industrial Estate of Marol Village off Andheri Kurla Rd., Bombay 400 059
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at
Bombay on 15-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M|s Shiv Shakti Builders (Transferor)

(2) M|s. Elecec Packaging (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Industrial Shed No. 148, Shiv Shakti Industrial Estate, S. No. 79 R. No. 16, S. No. 80, H. No. 1 of Marol Village of Andheri Kurla Road, at Andheri, Bmobay 400 059.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II|37EE|6599|83-84 dated 15-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT ,1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II
BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR.II|37EE|6602|83-84.—Whereas, I,
S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Unit No. 24, Sarvodaya Industrial Estate, Mahakali Caves Road, Andheri, East, Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bombay on 16-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Maneklal Enterprises Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) M|s. D. R. Industries (Transferee)

(3) M|s Maneklal Industries P. Ltd. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

THE SCHEDULE
Unit No. 24, Sarvodaya Industrial Estate Mahakali Caves Road, Andheri East, Bombay.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II|37EE|6602|83-84 dated 16-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II
BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR. II|37EE|6503|83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Flat No. 7, 3rd floor, 'C' Wing at Village Kondivate Taluka Andheri, BSD
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bombay on 10-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Krishnakumar & Co.
(Transferor)

(2) Mr. Edward Coelhe &
Mrs. Catherine Coelho
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 7, 3rd floor, 'C' Wing, at Village Kondivate, Taluka Andheri, BSD bearing Survey No. 110, Hissa Nos. 2 & 4 & CS Nos. 180, 181 & 182.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II|37EE|6503|83-84 dated 10-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR. II|37EE|6315|83-84.—Whereas, I,
S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Flat No. 15, 'Shakti' Supreme Co. op. Hsg. Soc. Ltd. Flat No. 15 Dr. Charatsingh Colony Rd. Andheri (E)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Bombay on 1-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weath-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of thsi notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the follow-persons, namely :—

(1) Mr. Bhupendra Hiralal Shah
(Transferor)

(2) Mrs. Shahbanu Ismail Memon
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

79A 'Shakti' Supreme Co-op Housing Society Ltd. Flat No. 15, Dr. Charatsingh Colony Road, Chakala, Andheri-Kuria Road, Andheri (East), Bombay.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II|37EE|6315|83-84 dated 1-9-1983

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II
BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR. II|37EE|6363|83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
No. Flat No. 42, Building No. 5, 4th floor, Andheri Varma Nagar Co. op. Housing Society Old Nagardas Road, Andheri (East) Bombay 400 069
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Bombay on 22-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Sestion 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

65—116 GI|84

(1) Mr. Belur Vishakanth (Transferor)

(2) Mr. Satish Kumar V. Mandirwala (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 42, Building No. 5, 4th floor, Andheri Varma Nagar Co operative Housing Society, Old Nagardas Road, Andheri (East), Bombay 400 069.
The agreement has been registered by the Competent Authority Bombay under Serial No. AR. II|37EE|6363|83-84 dated 22-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR. II|37EE|6625|83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Flat No. B-1, Mahakali Caves Rd. Andheri (E), Bombay 93
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority
Bombay on 16-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Satguru Builders.
(Transferor)

(2) Vishwanath Ram Adapa
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B-1, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Bombay-400 093.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II|37EE|6625|83-84 dated 16-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR.II|37EE|6663|83-84.—Wheras, I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
No. Flat No. 305, 3rd floor, Swapnaghar Co-op. Housing Society, Survey No. 52, Hissa No. 2, Kondivitta Village, Chakala, Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at
Bombay on 20-9-1983
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri N. D. Paliwal (Transf

(2) Shri R. Ramanathan (Tr

Objections, if any, to the acquisition of may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within 45 days from the date of publication in the Official Gazette or a period of 3 the service of notice on the respecti whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said able property, within 45 days from the date publication of this notice in the Official Gaz

EXPLANATION :—The terms and expressions used here as are defined in Chapter XXA of the sai Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 305, 3rd floor, Swapnaghar Co-op. Housing Society, Survey No. 52, Hissa No. 2, Kondivita Village, Chakala, Bombay.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.II|37EE|6663|83-84 dated 20-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR.II|37EE|6751|83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. 4, Ground floor, Gulmohar Apartment, 32 Marol Morashi Road, Andheri (E) Bombay-59 (and more fully described in the Schedule annexted hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of the Competent Authority Bombay on 21-9--1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Saroja Natarajan (Transferor)

(2) Mrs. Geeta Miranda (Transferee)

(3) Mrs. Geeta Miranda (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 4, Ground floor, Gulmohar Apartment, 32 Marol Morashi Road, Andheri (E) Bombay-59.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.II|37EE|6751|83-84 dated 21-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, Bombay

Bombay, the 30th April 1984

Ref. No. AR.II|37EE|3521|83-84.—Whereas, I,
S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land and premises bearing Nos. F.P. 147, TPS No. V, Vile Parle (East), Malaviya Road, Bombay-400 057
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at
Bombay on 26-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Jayshree Builders (India)
(Transferor)

(2) Mr. Sanjiv U. Vyas,
Mrs. Y. U. Vyas,
Mr. Randhir N. Vyas.
(Transferee)

(3) Mr. Randhir N. Vyas &
Dr. Bharat N. Vyas.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and premises bearing No. F.P. 147, TPS. No. V, Vile Parle (East), Malaviya Road, Vile Parle (East) Bombay-400 057.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.II|37EE|3521|83-84 dated 26-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 30-4-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR.II|37EE|6392|83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Flat No. 6, 2nd floor, 'C' Wing of Aditya Apts.' Dr. S. Radhakrishnan Marg, Andheri (East), Bombay-400 069, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at Bombay on 3-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Goyal Builders Pvt. Ltd. (Transfero

(2) Shri Shantilal Gourishankar Trivedi Shri Gaurishankar Malaram Trivedi, (Transfere

Objections, if any, to the acquisition of the said proper may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period 45 days from the date of publication of this noti in the Official Gazette or a period of 30 days fro the service of notice on the respective person whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said i movable property, within 45 days from the da of the publication of this notice in the Offic Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the s Act, shall have the same meaning as gi in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6, 2nd floor, 'C' Wing of 'Aditya Apartmen Dr. S. Radhakrishnan Marg, Andheri (East), Bombay-69.

The agreement has been registered by the Compet Authority, Bombay under Serial No. AR.II|37EE|6392|83 dated 3-9-1983.

S. H. ABBAS ABI
Competent Autho
Inspecting Assistant Commissioner of Income-
Acquisition Range-II, Bom

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref No. AR.II|37EE|6507|83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI, being the competent authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Flat No. 4, Floor 2nd, Wing 'B' at Village Kondivate, Taluka Andheri, B.S.D. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is Registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at Bombay on 10-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than **fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—**

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s.-Krishnakumar & Co.

(Transferor)

(2) Mr. Kannubhai Venilal Sanghavi & Mrs. Bharati Kannubhai Sanghavi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 4, Floor 2nd, Wing 'B', at Village Kondivate, Taluka Andheri, B.S.D.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.II|37EE|6507|83-84 dated 10-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 30th April 1984

Ref. No. AR.II|37EE|3343|83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Shop No. 4, Queens Park Premises Co.op Society Ltd. Plot No. 71|1, Juhu Road, Santacruz (West), Bombay-400 049.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ine office of the Competent Authority
at Bombay on 1-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Kapilrai G. Dave

(Transferor)

(2) Mr. Salehbhai E. Porbanderwala.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 4, Queen Park Premises Co.op. Society Ltd. Plot No. 71|1, Juhu Road, Santacruz (West), Bombay-400 049.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.II|37EE|3343|83-84 dated 1-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 30-4-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMSSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR.II/37EE/6369/83-84.—Whereas, I being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 'Bazer' Shop No. 4 on ground floor, Plot No. 9/9A of S. No. 41, Four Bunglows, Oshiwara, Versova, Andheri (West), Bombay.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at Bombay on 2-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or,

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Raviraj Constructions (Transferor)

(2) Smt. Hiravanti Umarshi Gada (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defiend in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

'Benzer' Shop No. 4 on ground floor, Plot No. 9/9A, Of. S. No. 41, Four Bunglows, Oshiwara, Versova, Andheri (West), Bombay.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.II/37EE/6369/83-84 dated 2-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 14th May 1984

Ref. No. AR.II/37EE/6390/83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. 5, Ground floor, 'Twin Towers' Plot No. 8A & 8B, Survey No. 41 (pt), Village Oshiwara, Four Bungalows, Off J. P. Road, Versova, Andheri (W) Bombay. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ine office of the Competent Authority at Bombay on 15-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Inderjit Properties Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) Mr. Ramesh Isar Das Advani (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned : —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPRESSIONS :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 5, Ground floor, 'Twin Towers' Plot No. 8A & 8B, Survey No. 41 (pt), Village Oshiwara, Four Bungalows, Off J. P. Road, Versova, Andheri (W) Bombay.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.II/37EE/6590/83-84 dated 15-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 8th May 1984

Ref. No. AR.IV|37EE|1842|83-84.—Whereas, I, VIJAY RANJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Flat No. 1 & 2, ground floor, Radheshyam Apartments, R. J. Road, Dahisar (East), Bombay-68. situated at Dahisar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of the Competent Authority
at Bombay on 1-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Thakkar Construction (Transferor)

(2) Dr. Sandhya J. Randive (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undesrigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1 & 2, ground floor, Radheshyam Apartments, R. J. Road, Dahisar (East), Bombay-68.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under serial No. ARIV|1842|83-84 dt. 1-9-1983.

VIJAY RANJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 8-5-1984
Seal :

FORM ITNS–

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 17th May 1984

Ref. No. AR.II|37EE|7420|83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Flat No. 305, 3rd floor, on property bearing Final Plot No. 32, T.P.S.V, City Survey Nos. 108 to 108 (12) at Santacruz (East) Bombay-400 054.
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred
has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of the Competent Authority
at Bombay on 19-9-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have
reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D o the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Jay Development Corporation (Transferor)

(2) Smt. Jyotsna Girish Rana (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 305, 3rd floor, on property bearing Final Plot No. 32 TPS. V, City Survey Nos. 108 to 108 (12) at Santacruz (East) Bombay 400 054.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.II|37EE|7420|83-84 dated 19-9-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 17-5-1984
Seal :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

S.Os|STENOGRAPHERS (GRADE "B"|GRADE-I)

LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE

EXAMINATION, 1984

New Delhi, the 23rd June 1984

No. F.9|2|84-E.I(B).—A combined limited departmental competitive examination for additions in the Select Lists for the Section Officers' Grade and Stenographers' Grade-I|Grade B of the Services mentioned in para 2 below will be held by the Union Public Service Commission commencing on 11th December, 1984 at BOMBAY, CALCUTTA, DELHI, GANGTOK, MADRAS, AND NAGPUR in accordance with the Rules published by the M|o Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms) in the Gazette of India dated 23rd June, 1984.

THE CENTRES AND THE DATES OF HOLDING THE EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF THE COMMISSION. WHILE EVERY EFFORT WILL BE MADE TO ALLOT THE CANDIDATES TO THE CENTRE OF THEIR CHOICE FOR EXAMINATION, THE COMMISSION MAY AT THEIR DISCRETION, ALLOT A DIFFERENT CENTRE TO A CANDIDATE, WHEN CIRCUMSTANCES SO WARRANT. CANDIDATES ADMITTED TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED OF THE TIME TABLE AND PLACE OR PLACES OF Examination. (See Annexure I, para 7 below).

2. The Services to which recruitment is to be made on the results of the examination and the approximate number of vacancies in those Services are given below :—

Category I

Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service.	

Category II

Section Officers' Grade (Integrated Grade II & III) of the General Grade of the Indian Foreign Service, Branch "B"	11**

Category III

Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service.	4**

Category IV

Grade 'B' of the Central Secretariat Stenographers' Service.	

Category V

Grade I of the Stenographers', Sub-cadre of the Indian Foreign Service Branch "B"	6**

Category VI

Grade "B" of the Armed Forces Headquarters Stenographers Service.	7 (Includes 2 vacancies reserved for Scheduled Castes and 1 for Scheduled Tribe Candidates.)

Category VII

Grade "B" of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	

Category VIII

Section Officers' Grade of the Intelligence Bureau.	6 (Includes 1 vacancy reserved for Scheduled Castes and 2 for Scheduled Tribes candidates).

The above number is liable to alteration.

*Vacancies not intimated by Government.

**Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

3. A candidate who is eligible for two Categories of Services (c.f. Rule 3) and wishes to compete for both, need send in only one application. He will be required to pay the fee mentioned in para 6 below once only and will not be required to pay separate fee for each of the categories for which he applies.

N.B. Candidates must indicate clearly in their applications the Category|Categories for which they are competing Candidates competing for two Categories should specify in their application the two Categories in the order of preference. No request for alteration in the order of preferences for the categories originally indicated in his application by a candidate competing for 2 Categories would be considered unless the request for such alteration is received in the Office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of publication of the results of the **written** examination in the Employment News.

4. A candidate seeking admission to the examination must apply to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011, on the prescribed form of application. The prescribed form of application and full particulars of the examination are obtainable from the Commission by post on payment of Rs. 2.00 which should be remitted to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011, by Money Order or by crossed Indian Postal Order payable to the Secretary, Union Public Service Commission, at New Delhi General Post Office. Cheques or currency notes will not be accepted in lieu of Money Orders|Postal Orders. The forms can also be obtained on cash payment at the counter in the Commission's office. *This amount of Rs. 2.00 will in no case be refunded.*

NOTE.—Candidates are warned that they must submit their application on the printed form prescribed for the S.Os/Stenographers' (Grade 'B'|Grade-I) Limited Departmental Competitive Examination, 1984. Applications on forms other than the one prescribed for the S.Os|Stenographers' (Grade 'B'|Grade-I), Limited Departmental Competitive Examination, 1984 will not be entertained.

5. The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011 by post or by personal delivery at the counter on or before the 21st August, 1984 (4th September, 1984 in the case of candidates residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,

Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep and for candidates residing abroad from a date prior to 21st August, 1984 and whose applications are received by post from one of the areas mentioned above) accompanied by necessary documents. *No application received after the prescribed date will be considered.*

A candidate residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep and a candidate residing abroad may at the discretion of the Commission be required to furnish documentary evidence to show that he was residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad from a date prior to 21st August, 1984.

NOTE.—Candidates who are from areas entitled to additional time for submission of applications should also clearly indicate in their addresses in the relevant Column of the application the name of the particular area or region entitled to additional time (e.g. Assam, Meghalaya, Ladakh Division of J&K State etc.) otherwise they may not get the benefit of additional time.

6. Candidates seeking admission to the examination must pay to the Commission with the completed application form a fee of Rs. 28 (Rupees Twenty-eight) [Rs. 7.00 (Rupees Seven) in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes] through crossed Indian Postal Orders payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the New Delhi, General Post Office or crossed Bank Draft from any branch of the State Bank of India payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the State Bank of India, Main Branch, New Delhi.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador or Representative abroad, as the case may be, for credit to the account head "051 Public Service Commission—Examination Fees" and attach the receipt with the application.

APPLICATIONS NOT COMPLYING WITH THIS REQUIREMENT WILL BE SUMMARILY REJECTED.

7. If any candidate who took the S.Os|Stenographers (Grade B|Grade I) Limited Departmental Competitive Examination 1983 wishes to apply for admission to this examination, he must submit his application so as to reach the Commission's office by the prescribed date without waiting for the results of the 1983 Examination. If his name is recommended for inclusion in the Select List on the results of the 1983 Examination, his candidature for this Examination will be cancelled on request and the fee refunded to him, provided that the request for cancellation of candidature and refund of fee is received in the Commission's office within 30 days of the date of publication of the final results of the 1983 Exam. in the Employment News.

8. A refund of Rs. 15.00 (Rupees Fifteen) [Rs. 4.00 (Rupees Four) in the case of candidates belonging to scheduled Castes and Scheduled Tribes] will be made to a candidate who has paid the prescribed fee and is not admitted to the examination by the Commission.

No claim for a refund of the fee paid to the Commission will be entertained except as provided above and in para 7 nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

9. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

10. The question paper on General Studies as indicated in the scheme of examination at Appendix I to the Rules will consist of objective type questions. For details pertaining to objective type Tests including sample questions, reference may be made to "Candidates Information Manual" at Annexure II.

M. BALAKRISHNAN
Dy. Secretary
Union Public Service Commission

ANNEXURE-I

Instructions to Candidates

1. *Before filling in the application form, the candidates should consult the Notice and the Rules carefully to see if they are eligible. The conditions prescribed cannot be relaxed.*

BEFORE SUBMITTING THE APPLICATION THE CANDIDATE MUST SELECT FINALLY FROM AMONG THE CENTRES GIVEN IN PARAGRAPH 1 OF THE NOTICE, THE PLACE AT WHICH HE WISHES TO APPEAR FOR THE EXAMINATION.

Candidates should note that no request for change of centre will normally be granted. When a candidate, however, desires a change in centre from the one he had indicated in his application form for the Examination, he must send a letter addressed to the Secretary, Union Public Service Commission by registered post, giving full justification as to why he desires a change in centre. Such requests will be considered on merits but requests received after 12th November, 1984 will not be entertained under any circumstances.

2. The Application form, and the acknowledgement card must be completed in the candidate's own handwriting in ink or with ball point pen. An application which is incomplete or is wrongly filled in, will be rejected.

Candidates should note that only International form of Indian numerals are to be used while filling up the application form. They should take special care that the entries made in the application form should be clear and legible. In case there are any illegible or misleading entries, the candidates will be responsible for the confusion and the ambiguity caused in interpreting such entries.

Candidates should further note that no correspondence will be entertained by the Commission from them to change any of the entries made in the application form. As the application forms are processed by a computerised system, they should take special care to fill up the application form correctly.

A candidate must submit his application through the Head of his Department or Head of Office concerned, who will verify the relevant entries and complete the endorsement at the end of the application form and forward it to the Commission.

3. A candidate must send the following documents with his application :—

(i) CROSSED Indian Postal Orders or Bank Draft or Indian Mission Receipt for the prescribed fee. (See para 6 of Notice).

(ii) Two identical copies of recent passport size (5 cms × 7 cms, approx.) photograph of the candidate, one pasted on the application form and the other on the Attendance Sheet in the space provided therein.

(iii) Two self-addressed, upstamped envelopes of size approximately 11.5 cms × 27.5 cms.

(iv) Attendance sheet (attached with the application form) duly filled in.

Candidates should note that they must not make any entries on the Attendance Sheet attached with the application form except their name and centre of examination.

Details of the documents mentioned in items (i) and (ii) are given below :—

(i) (a) CROSSED Indian Postal Orders for the prescribed fee—

Each Postal Order should invariably be crossed and completed as follows :—

"Pay to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office."

In no case will Postal Orders payable at any other Post Office be accepted. Defaced or mutilated Postal Orders will also not be accepted.

All Postal Orders should bear the signature of the issuing Post Master and a clear stamp of the issuing Post Office.

Candidates must note that it is not safe to send Postal Orders which are neither crossed nor made payable to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office.

(b) CROSSED Bank Draft for the prescribed fee—

Bank Draft should be obtained from any branch of the State Bank of India and drawn in favour of Secretary, Union Public Service Commission payable at the State Bank of India, Main Branch, New Delhi and should be duly Crossed.

In no case will Bank Drafts drawn on any other Bank be accepted. Defaced or mutilated Bank Drafts will also not be accepted.

NOTE (i).—Candidates should write their names and addresses on the reverse of the Bank Draft at the top at the time of submission of their applications. In the case of Postal Orders the name and address should be written by the candidates on the reverse of the Postal Orders at the space provided for the purpose.

NOTE (ii).—Candidates residing abroad at the time of submitting their applications may deposit the amount of the prescribed fee (the equivalent of Rs. 28.00 (Rupees Twenty-eight) [Rs. 7.00 (Rupees Seven) in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes] in the office of India's High Commissioner, Ambassador or Representative, as the case may be, in that country who should be asked to credit the amount to the account head '051, Public Service Commission—Examination fees'. The candidate should forward the receipt from that office with the application.

(ii) *Two copies of Photograph.*—A candidate must submit two identical copies of his recent passport size (5 cm × 7 cm. approx.) photograph one of which should be pasted on the first page of the application form and the other copy on the Attendance Sheet in the space provided therein. Each copy of the photograph should be signed in ink on the front by the candidate.

N.B.—Candidates are warned that if an application is not accompanied by any of the documents mentioned under paragraph 3(i) and (ii) above, it will be rejected and no appeal against its rejection will be entertained.

4. Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form.

Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or its copies, an explanation regarding the discrepancy may be submitted.

5. The fact that an application form has been supplied on a certain date will not be accepted as an excuse for the late submission of an application. The supply on an application form does not *ipso facto* make the receiver eligible for admission to the examination.

6. Every application, including late one, received in the Commission's Office is acknowledged and Application Regn. No. is issued to the candidate in token of receipt of his application. If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a month from the last date prescribed for receipt of applications for the examination, he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

The fact that the Application Regn. No. has been issued to the candidate does not, *ipso-facto*, mean that the application is complete in all respects and has been accepted by the Commission.

7. Every candidate for this examination will be informed at the earliest possible date, of the result of his application. It is not, however, possible to say when the result will be communicated. But if a candidate does not receive from Union Public Service Commission a communication regarding the result of his application one month before the commencement of the examination he should at once contact Commission for the result. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

8. The Union Public Service Commission have brought out a priced publication entitled "Candidates manual for U.P.S.C. Objective Type Examinations". This Publication is designed to be of assistance to prospective candidates of U.P.S.C. Examination or Selections.

This publication as also the copies of pamphlets containing rules and conventional type question papers of the five preceding examinations are on sale with Controller of Publications, Civil Lines, Delhi-110 054 and may be obtained from him direct by Mail Orders or on cash payment. These can also be obtained only against cash payment from (i) the Kitab Mahal, Opposite Rivoli Cinema, Emporia Building, 'C' Block, Baba Kharag Singh Marg, New Delhi-110 001 and (ii) Sale counter of the Publications Branch at Udyog Bhavan, New Delhi-110 011 and (iii) The Government of India Book Depot, 8, K. S. Roy Road, Calcutta-700 001. The Manual|pamphlets are also obtainable from the agents for the Government of India Publications at various mofussil towns.

9. Candidates are not entitled to receive any Travelling Allowance from the Union Public Service Commission for attending the examination.

10. Communications Regarding Applications.—ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, DHOLPUR HOUSE, NEW DELHI (110011), AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS.

(1) NAME OF EXAMINATION.

(2) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION.

(3) APPLICATION REGN. NO.|ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF CADIDATE IF THE APPLICATION REGN. NO.|ROLL NUMBER HAS NOT BEEN COMMUNICATED.

(4) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK CAPITALS).

(5) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

N.B. (i)—COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

N.B. (ii)—IF A LETTER|COMMUNICATION IS RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN EXAMINATION HAS BEEN HELD AND IT DOES NOT GIVE HIS FULL NAME AND ROLL NUMBER IT WILL BE IGNORED AND NO ACTION WILL BE TAKEN THEREON.

11. Change in address.—A CANDIDATE MUST SEE THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THE ADDRESS STATED IN HIS APPICATION ARE REDIRECTED IF NECESSARY. CHANGE IN ADDRESS SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE PARTICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 10 ABOVE. ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE EVERY EFFORT TO TAKE ACCOUNT OF SUCH CHANGES, THEY CANNOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN THE MATTER.

ANNEXURE-II

CANDIDATES INFORMATION MANUAL

A. OBJECTIVE TEST

The General Studies paper of your examination will be what is called an 'OBJECTIVE TEST'. In this kind of examination (test) *you do not write* answers. For each question (hereinafter referred to as item) several suggested answers (hereinafter referred to as responses) are given. You have to choose one answer to each item.

This manual is intended to give you some information about the examination so that you do not suffer due to unfamiliarity with the type of examination.

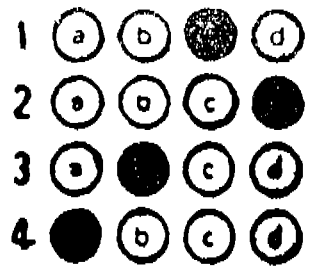
B. NATURE OF THE TEST

The question paper will be in the form of a TEST BOOKLET. The booklet will contain items bearing numbers 1. 2,3,....etc. Under each item will be given suggested answers marked a, b, c, d. Your task will be to choose the correct or if you think there are more than one correct, then the best answer. (See "sample items" at the end). In any case, in each item you have to select only one answer; if you select more than one, your response will be considered wrong.

C. METHOD OF ANSWERING

A separate ANSWER SHEET (a specimen copy of which will be supplied to you along with the Admission Certificate) will be provided to you in the examination hall. You have to mark your response on the answer sheet. Response marked on the Test Booklet or in any paper other than the Answer Sheet will not be examined.

In the Answer Sheet, number of items from 1 to 160 have been printed in four 'Parts'. Against each item, circular spaces marked, a, b, c, d, are printed. After you have read each item in the Test Booklet and decided which of the given answer is correct or the best, you have to mark the circle containing the letter of the selected answer by blackening it completely with pencil as shown below (to indicate your response). Ink should not be used in blackening the circles on the Answer Sheet.



IT IS IMPORTANT THAT—

1. You should bring and use only good quality HB pencil(s) for answering the items.

2. To change a wrong marking, erase it *completely* and re-mark the new choice. For this purpose, you must bring along with you an eraser also.

3. Do not handle your Answer Sheet in such a manner as to mutilate or fold or wrinkle or spoil it.

D. SOME IMPORTANT REGULATIONS

1. You are required to enter the examination hall twenty minutes beore the prescribed time for commencement of the examination and get seated immediately.

2. Nobody will be admitted to the test 30 minutes atfer the commencement of the test.

3. No candidate will be allowed to leave the examination hall until 45 minutes have elapsed after the commencement of the examination.

4. After finishing the examination, submit the Test Booklet and the Answer Sheet to the Invigilator| Supervisor. YOU ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINATION HALL. YOU WILL BE SEVERELY PENALISED IF YOU VIOLATE THIS RULE.

5. You will be required to fill in some particulars on the Answer Sheet in the examination hall. You will also be required to encode some particulars on the Answer Sheet. Instructions about this will be sent to you along with your Admission Certificate.

6. You are required to read carefully all instructions given in the Test-Booklet. You may lose marks if you do not follow the instructions meticulously. If any entry in the Answer Sheet is ambiguous then you will get no credit for that item response. Follow the instructions given by the Supervisor. When the Supervisor asks you to start or stop a test or part of a test, you must follow his instructions immediately.

7. Bring your Admission Certificate with you. You should also bring a HB pencil, an eraser, a pencil sharpner and a pen containing blue or black ink. You are advised also to bring with you a clip-board or a hard-board or a card-board on which nothing should be written. You are not allowed to bring any scrap (rough) paper or scales or drawing instrument into the examination hall as they are not needed. Separate sheets for rough work will be provided to you on demand. You should write the name of the examination, your Roll No. and the date of the test on it before doing your rough work and return it to the supervisor along with your Answer Sheet at the end of the test.

E. SPECIAL INSTRUCTIONS

After you have taken your seat in the hall the invigilator will give you the Answer Sheet. Fill up the required information on the Answer Sheet. After you have done this, the invigilator will give you the Test Booklet, on receipt of which you must ensure that it contains the booklet number, otherwise get it changed. Write your Roll Number on the first page of the Test Booklet before opening the Test Booklet. You are not allowed to open the Test Booklet until asked by the Supervisor, to do so.

F. SOME USEFUL HINTS

Although the test stresses accuracy more than speed it is important for you to use your time as efficiently as possible. Work steadily and as rapidly as you can, without becoming careless. Do not worry if you cannot answer all the questions. Do not waste time on questions which are too difficult for you. Go on to the other questions and come back to the difficult ones later.

All items carry equal marks. Attempt all of them. Your score will depend only on the number of correct responses indicated by you. There will be no negative marking.

G. CONCLUSION OF TEST

Stop writing as soon as the Supervisor asks you to stop. Remain in your seat and wait till the invigilator collects all the necessary material from you and permits you to leave the Hall. You are NOT allowed to take the Test Booklet, the answer sheet and the sheet for rough work out of the Examination Hall.

SAMPLE ITEMS (QUESTIONS)

(Note :—*denotes the correct/best answer-option)

1. (General Studies)

Bleeding of the nose and the ears is experienced at high altitudes by mountain climbers because

(a) the pressure of the blood is less than the atmospheric pressure.

*(b) the pressure of the blood is more than the atmospheric pressure.

(c) the blood vessels are subjected to equal pressures on the inner and outer walls.

(d) the pressure of the blood fluctuates relative to the atmospheric pressur.

2. (English)

(Vocabulary—Synonyms)

There was a *record* turnout of voters at the municipal elections.

(a) exactly known
(b) only those registered
(c) very large
*(d) largest so far

3. (Agriculture)

In Arhar, flower drops can be reduced by one of the measures indicated below

*(a) spraying with growth regulators
(b) planting wider apart
(c) planting in the correct season
(d) planting with close spacing

4. (Chemistry)

The anhydride of H^3VO_4 is

(a) VO^3
(b) VO_4
(c) V^2O^3
*(d) V^2O^5

5. (Economics)

Monopolistic exploitation of labour occurs when

*(a) wage is less than marginal revenue product
(b) both wage and marginal revenue product are equal
(c) wage is more than the marginal revenue product
(d) wage is equal to marginal physical product

6. (Electrical Engineering)

A coaxial line is filled with a dielectric of relative permitivity 9. If C denotes the velocity of propagation in free space, the velocity of propagation in the line will be

(a) 3C
(b) C
*(c) C/3
(d) C/9

7. (Geology)

Plagioclase in a basalt is

(a) Oligoclase
*(b) Labradorite
(c) Albite
(d) Anarthite

8. (Mathematics)

The family of curves passing through the origin and satisfying the equation

$\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = 0$ is given by

(a) $y = ax + b$
(b) $y = ax$
(c) $y = ae^{x} + be^{-x}$
*(d) $y = -ae^{x} - a$

9. (Physics)

An ideal heat engine works between temperatures 400°K and 300°K. Its efficiency is

(a) 3/4
*(b) (4—3)/4
(c) 4/(3+4)
(d) 3/(3+4)

10. (Statistics)

The mean of a binomial variate is 5. The variance is

(a) 42
*(b) 3
(c) ∝
(d) —5

11. (Geography)

The Southern part of Burma is most prosperous because

(a) it has vast deposits of mineral resources
*(b) it is the deltaic part of most of the rivers of Burma
(c) it has excellent forest resources
(d) most of the oil resources are found in this part of the country.

12. (Indian History)

Which of the following is NOT true of Brahmanism?

(a) Brahmanism always claimed a very large following even in the heyday of Buddhism
(b) Brahmanism was a highly formalised and pretentious religion
*(c) With the rise of Brahmanism, the Vedic sacrificial fire was relegated to the background
(d) Sacraments were prescribed to mark the various stages in the growth of an individual.

13. (Philosophy)

Identify the atheistic group of philosophical systems in the following:

(a) Buddhism, Nyāya, Cārvāka, Mimāmsā
(b) Nyāya, Vaisesike, Jainism and Buddhism Cārvāka
(c) Advaita, Vedānta, Sāmkhya, Cārvāka Yoga
*(d) Buddhism khya, Mimāmāsa, Cārvāka

14. (Political Science)

'Functional representation' means

*(a) election of representation to the legislature on the basis of vocation
(b) pleading the cause of a group or a professional association
(c) election of representatives in vocational organization
(d) indirect representation through Trade Unions

15. (Psychology)

Obtaining a goal leads to

(a) increase in the need related to the goal
*(b) reduction of the drive state
(c) instrumental learning
(d) discrimination learning

16. (Sociology)

Panchayati Raj institutions in India have brought about one of the following:

*(a) formal representation of women and ec- tions in village government
(b) untouchability has decreased
(c) land-ownership has spread to deprived classes
(d) education has spread to the masses

NOTE :—Candidates should note that the above sample items (questions) have been given merely to serve as examples and are not necessarily in keeping with the syllabus for this examination.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984